डाक पंजीयन क्र. MP/Bhopal/186/2021-2023
लाइसेंस क्र. WPP/Tech/23-04/08/2021-2023
आर.एन.आई. पंजीकरण संख्या 38506/84

रोज़गार और निर्माण

टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के यहां क्लिक करें

प्रति सेवा में को प्रकाशित, भोपाल 08 जून 2022 से 14.08.2022 ▶ वर्ष 34 ▶ अंक 03 ▶ मूल्य ₹ 0.00

सड़कों और इससे जुड़ी अधोसंरचनाओं में आधुनिक तकनीक का किया जाए भरपूर उपयोग

गौरवशाली, वैभवशाली तथा समृद्धशाली देश का हो रहा है निर्माण

इंदौर, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी तथा मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने इंदौर में मध्यप्रदेश को 2300 करोड़ रुपये लागत की 5 सड़क परियोजनाओं की बड़ी सौगात दी। उन्होंने 119 किलोमीटर लंबी 5 सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास एवं वन-वे साइड एमिनिटी का लोकार्पण भी किया। इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा है कि स्वराज को सुराज में बदलना हमारा मिशन है। चौतरफा विकास हम सबकी महती जवाबदारी है। इंदौर ही नहीं, बल्कि पूरे मध्यप्रदेश और समूचे देश में अधोसंरचनाओं का निर्माण तेजी से हो रहा है।

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर में सड़क परियोजनाओं का शिलान्यास करते हुये।

श्री नितिन गडकरी ने कहा कि यह हमारा जनता के प्रति उत्तरदायित्व है। जनता ने हमें जो दिया है, वह हम उन्हें लौटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सड़कों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सड़कों के निर्माण और इससे जुड़ी अधोसंरचनाओं तथा परिवहन संबंधी परियोजनाओं में नई और उन्नत तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे जहां एक ओर लागत में बड़ी कमी आ रही है, वहीं दूसरी ओर गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है। उन्होंने आह्वान किया कि निर्माण के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों का भरपूर उपयोग किया जाए। इसके लिये जरूरी है कि विशेषज्ञों की मदद लें और बेस्ट प्रेक्टिसेस का अध्ययन किया जाए।

श्री गडकरी ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा सड़कों और इससे जुड़ी अधोसंरचनाओं का तेजी से विकास हो रहा है। मध्यप्रदेश में भी इस दिशा में तेजी से काम हो रहे हैं। वर्ष 2014 के बाद अकेले मध्यप्रदेश में ही ढाई लाख करोड़ रुपये लागत के कार्य स्वीकृत, निर्मित तथा प्रगतिरत हैं। हमारा लक्ष्य है कि इसे बढ़ाकर वर्ष 2024 तक 4 लाख करोड़ रुपये कर दिया जायेगा। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के आग्रह पर मध्यप्रदेश में सड़क संबंधी विभिन्न विकास परियोजनाओं को मंजूरी देने की घोषणाएं कीं।

चंबल के बीहड़ों से निकलेगा राष्ट्रीय राजमार्ग

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि विकास का एक विजन होता है। उसी विजन के अनुसार प्रदेश में चौतरफा विकास के काम हो रहे हैं। अकेले जो इंदौर में हुआ है, वह आज सबके सामने है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द चंबल के बीहड़ों से राष्ट्रीय राजमार्ग निकलेगा। बीहड़ जमीन पर इंडस्ट्री लगाई जाएंगी और नई टाउनशिप बनेगी। श्री गडकरी से हमने जितनी सड़कें मांगी, उन्होंने कभी इंकार नहीं किया।

विकास के कार्य किसी चमत्कार से कम नहीं

मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में गौरवशाली, वैभवशाली तथा समृद्धशाली देश का निर्माण हो रहा है। देश में हो रहे विकास तथा प्रगति के कार्य किसी चमत्कार से कम नहीं हैं। अकल्पनीय चहुंमुखी विकास और प्रगति हो रही है। मध्यप्रदेश में भी विजन के साथ कार्य किये जा रहे हैं। केंद्र सरकार से भरपूर सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि इंदौर विकास का इंजन है।

उद्योग, व्यापार तथा रोज़गार बढ़ेगा

केंद्रीय सड़क परिवहन राज्यमंत्री श्री वी.के. सिंह ने कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश के 52 जिले नेशनल हाई-वे से जुड़ गये हैं। केंद्र सरकार के प्रयासों से यात्रियों को अब बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। इंदौर की भी चौतरफा कनेक्टिविटी हो रही है। सड़कों का तेजी से विकास हो रहा है। इससे परिवहन सुधार के साथ धार-पीथमपुर औद्योगिक क्षेत्र को भी लाभ मिलेगा।

सड़कें विकास का मुख्य आधार

प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री श्री गोपाल भार्गव ने कहा कि सड़कें विकास का मुख्य आधार हैं। प्रदेश में सड़क सहित बिजली, पानी आदि मूलभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार हो रहा है। सड़क निर्माण के लिये केंद्र सरकार का भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। सड़कों के विकास से प्रदेश की तस्वीर बदल रही है।

पांच जिलों में खुलेंगे

पीपीपी मॉडल आधारित चिकित्सा महाविद्यालय

भोपाल, चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने मध्यप्रदेश में पीपीपी मॉडल आधारित चिकित्सा महाविद्यालय शुरू करने समीक्षा बैठक की। समीक्षा में प्रथम चरण में प्रदेश के 5 जिलों में पीपीपी मॉडल आधारित चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना करने का निर्णय लिया। इसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बालाघाट एवं कटनी में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज शुरू करने का निर्णय लिया। राज्य सरकार द्वारा मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिये निजी निवेशक को 99 वर्ष (60 वर्ष + 39 वर्ष) की लीज पर भूमि उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त निजी निवेशक को 300 बिस्तरीय अस्पताल भवन भी राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि उपलब्ध कराई गई भूमि पर निजी निवेशक स्वयं के व्यय से मेडिकल कॉलेज का निर्माण करेगा।

श्री सारंग ने निर्देश दिये कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना डीबीएफओटी (डिजाइन, बिल्ट, फाइनेंस, ऑपरेट एंड ट्रांसफर) मॉडल पर पीपीपी पार्टनर द्वारा की जायेगी। इसके अंतर्गत निजी निवेशक द्वारा मेडिकल कॉलेज, हॉस्टल, रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स, उपकरण, बुक्स एवं जर्नल्स आदि का व्यय वहन करना शामिल होगा। पीपीपी मॉडल आधारित अस्पतालों में आयुष्मान मरीजों के साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को भी निःशुल्क उपचार मिल सकेगा।

भारत सरकार की पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना नीति अनुसार राज्य सरकार के वर्तमान में संचालित मेडिकल कॉलेज को ट्रेनिंग हॉस्पिटल के रूप में परिवर्तित कर 100 एमबीबीएस सीट के प्रवेश के लिये पीपीपी आधारित मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जाएगी।

खास खबर

अग्निवीर भर्ती के लिये ऑनलाइन पंजीयन शुरू

भोपाल, अग्निपथ भर्ती योजना-2022 में मध्यप्रदेश के 9 जिलों के लिये सेना में विभिन्न पदों पर अग्निवीरों की भर्ती के लिये ऑनलाइन पंजीयन की प्रक्रिया 5 अगस्त से शुरू हो गई है, जो 3 सितम्बर तक जारी रहेगी। पंजीयन कराने वाले अभ्यर्थियों की भर्ती रैली 27 अक्टूबर से 6 नवम्बर, 2022 तक भोपाल के लाल परेड मैदान में होगी। डायरेक्टर रिक्रूटमेंट आर्मी ऑफिस भोपाल के कर्नल रैंजी जार्ज ने बताया है कि भोपाल, बैतूल, छिन्दवाड़ा, हरदा, नर्मदापुरम्, रायसेन, राजगढ़, सीहोर और विदिशा जिलों के पुरुष उम्मीदवारों के लिये अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर तकनीकी, अग्निवीर क्लर्क, अग्निवीर स्टोर-कीपर तथा अग्निवीर ट्रेड्समैन की सेना भर्ती रैली अक्टूबर-नवम्बर माह में की जायेगी।

अंदर के पृष्ठों पर

- **खेल चर्चा-** प्रमुख खेल गतिविधियों का विवरण
- **सामयिकी-** देश-विदेश की प्रमुख घटनाएं
- **चर्चा में-** प्रमुख चर्चित व्यक्तियों और ध्यान आकर्षित करने वाली खबरों की चर्चा
- **पिछला सप्ताह-** देश-विदेश की साप्ताहिक खबरों का संक्षिप्त विवरण

'हर घर तिरंगा' अभियान

राष्ट्र-भक्ति के महाआयोजन को सफल बनाने में नहीं छोड़ें कोई कसर

भोपाल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को बधाई देते हुए अपने दायित्व का निर्वहन जनअपेक्षाओं के अनुरूप करने के लिए उन्हें शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधि अपने क्षेत्र के विकास और लोगों के कल्याण में कोई कसर नहीं छोड़ें, राज्य सरकार पंचायत प्रतिनिधियों के साथ है। मुख्यमंत्री ने नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को आजादी के अमृत महोत्सव में उत्साहपूर्वक सम्मिलित होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। देश ने संघर्ष, त्याग, तपस्या और बलिदान से आजादी पायी है। इस काल को उत्सव के रूप में मनाना प्रत्येक प्रदेशवासी का कर्त्तव्य है। हम सब 'हर घर तिरंगा' अभियान से जुड़ कर आनंद और उत्साह से आजादी का पर्व मनाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'हर घर तिरंगा' अभियान देशवासियों में राष्ट्रीय ध्वज के बारे में जागरूकता उत्पन्न कर देश-भक्ति की भावना जागृत करने का अभियान है। पूरे देश में 11 से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाएगा। हम सब 13 से 15 अगस्त तक अपने घरों, कार्यालयों और व्यावसायिक स्थलों पर तिरंगा अवश्य फहराएं। यह भारत माता के प्रति अपने प्रेम, सम्मान और समर्पण का प्रकटीकरण है। यह आवश्यक है कि हम राष्ट्रीय ध्वज स्वयं क्रय कर लगाएं। प्रदेश में महिलाओं के स्व-सहायता समूह और सहकारी समितियां राष्ट्रीय ध्वज निर्माण में लगी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 'हर घर तिरंगा' अभियान में सभी की भागीदारी सुनिश्चित करने सम्पूर्ण प्रदेश में व्यापक स्तर पर वातावरण निर्माण की गतिविधियां जारी हैं। गांव और नगरों में तिरंगा रैलियों, प्रभात फेरी और भजन मंडलियों द्वारा जन-जन को 'हर घर तिरंगा' अभियान में भाग लेने के लिए प्रेरित किया जाए। समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, धर्मगुरूओं, समाजसेवियों, समाजसेवी संगठनों, विद्यालयों, महाविद्यालयों, एनसीसी, एनएसएस और जन अभियान परिषद के कार्यकर्ताओं तथा खेल एवं अन्य गतिविधियों से संबंधित संगठन देश प्रेम के इस कार्य में समर्पण और सक्रियता से भाग लें। उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों को भी अपने आसपास के स्व-सहायता समूह की बहनों से राष्ट्र ध्वज क्रय करने के लिए प्रेरित किया।

प्रदेश के विकास में युवाओं की रचनात्मक भूमिका के लिए हो कार्य

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान युथ महापंचायत की बैठक को संबोधित करते हुये।

भोपाल, मध्यप्रदेश के विकास में युवाओं की रचनात्मक भूमिका सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य हो। संबंधित विभाग इसके लिए सतत क्रियाशील रहें। नीट, जेईई, क्लैट और अन्य परीक्षाओं में सफल हुए विद्यार्थियों, अध्ययनरत विद्यार्थियों और सेवारत युवाओं की समग्र जानकारी संकलित कर पोर्टल में दर्ज की जाए। युवाओं की रचनात्मक भूमिका के लिए इस सांख्यिकी का उपयोग करते हुए एक्शन प्लान पर अमल किया जाए। यह बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में हुई युथ महापंचायत के फॉलोअप के लिए विभिन्न विभागों के अधिकारियों से चर्चा के दौरान कहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि युवाओं में राष्ट्र प्रेम की भावना को बढ़ाने के लिए चयनित प्रतिभागियों को अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के भ्रमण पर भेजने की 'मां तुझे प्रणाम' योजना में संभागवार दल भेजने की कार्यवाही यथासमय पूरी की जाए।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य युवा पुरस्कार, पृथक युवा पोर्टल, राज्य युवा सलाहकार परिषद के गठन, राज्य युवा नीति के लिए 30 सितम्बर तक सुझाव प्राप्त करने, राजधानी भोपाल में शहीद चंद्रशेखर आजाद की प्रतिमा की स्थापना, शासकीय विभागों में एक लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया के साथ हर माह दो लाख युवाओं को स्वरोज़गार के अवसर उपलब्ध करवाने जैसे बिंदुओं पर निरंतर कार्यवाही की जाए। यह एक्शन प्लान युवाओं के लिए सार्थक सिद्ध होना चाहिए।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

30 जुलाई

यूजीसी ने जारी किया ई-रिसोर्स पोर्टल

● विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने ग्रामीण और दूरदराज के विद्यार्थियों को घर बैठे डिजिटल माध्यम से उच्च शिक्षा से जोड़ने की योजना तैयार की है। यूजीसी ने इस योजना के तहत एक ई-रिसोर्स पोर्टल जारी किया है। इस पोर्टल के जरिए छात्र पाठ्य सामाग्री का मुफ्त इस्तेमाल कर सकेंगे। इस पोर्टल में 135 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (पीजी कोर्स) और 243 स्नातक पाठ्यक्रम (यूजी कोर्स) के 23 हजार वीडियो लेक्चर और टैक्स्ट कंटेंट उपलब्ध होंगे। यह कंटेंट हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा गुजराती, मराठी, बांग्ला, मलयालम, तेलुगू, कन्नड़ और तमिल भाषा में भी उपलब्ध होगा। इस पोर्टल पर 67 स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में इस्तेमाल होने वाली किताबों का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन भी उपलब्ध होगा।

● राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने विदेशों में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले छात्रों को राहत देते हुए कहा कि ऐसे भारतीय छात्र जो स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में थे और कोरोना महामारी या रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण भारत लौट आए हैं, उन्हें विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा (एफएमजीई) में बैठने की अनुमति दी जाएगी। इस परीक्षा में बैठने के लिए छात्रों की पढ़ाई पूरी होना और 30 जून या उससे पहले तक कोर्स को पूरा कर सर्टिफिकेट प्राप्त करना जरूरी होगा।

31 जुलाई

अक्टूबर से शुरू होगी देश में 5जी सेवा

● भारत में इस वर्ष अक्टूबर माह तक देश में 5जी सेवा लॉन्च कर दी जायेगी। यह जानकारी केंद्रीय दूरसंचार मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने दी। श्री वैष्णव ने बताया कि भारत में 5जी सेवा दुनिया के अन्य देशों की तुलना में काफी सस्ती होगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही बाजार में 5जी सेवा देने वाले सस्ते मोबाइल फोन उपलब्ध होंगे, इसके लिए मोबाइल निर्माता कंपनियों से चर्चा हुई है। दूरसंचार मंत्री ने बताया कि देश में 5जी सेवा की प्राइजिंग बाजार तय करेगा, लेकिन इतना तय है कि 5जी सेवा की कीमत आमजन के बजट में होगी। उन्होंने कहा कि देश में 5जी सेवा के स्पेक्ट्रम की नीलामी चल रही है। नीलामी खत्म होते ही कंपनियों को स्पेक्ट्रम का आवंटन कर दिया जाएगा। श्री वैष्णव ने बताया कि अभी देश के पांच जगहों पर 5जी सेवा का ट्रायल चल रहा है।

● कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने पेंशनरों को लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए नई सुविधा की शुरुआत की है। अब ईपीएफओ के पेंशनधारक फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर आसानी से अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं। इस सुविधा से उन पेंशनरों को लाभ मिलेगा, जिन्हें बहुत वृद्ध होने के कारण बायोमैट्रिक अपडेट कराने में परेशानी होती थी। इसके अलावा ईपीएफओ ने कर्मचारियों के लिए पेंशन और ब्याज की राशि की गणना करने की सुविधा भी शुरू की है।

1 अगस्त

आईआईटी संस्थानों में अब बी.एड. कोर्स भी होंगे संचालित

● भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) अब जल्द ही बैचलर ऑफ एजुकेशन (बी.एड.) कोर्स भी संचालित करेंगे। आईआईटी संस्थानों ने बी.एड. प्रोग्राम शुरू करने के प्रति रुचि दिखाई है। यह खास इंटीग्रेटेड कोर्स चार वर्षीय होगा। इस नए कोर्स के आईआईटी में शुरू होने के बाद विद्यार्थियों को बी.ए.-बी.एड., बी.एससी.-बी.एड. या बी.कॉम.-बी.एड. जैसी डिग्री दी जायेंगी। इस कोर्स की शुरुआत देश के चुनिंदा आईआईटी में शौक्षणिक सत्र 2023-24 से होगी।

● भारत मालदीव को ग्रेटर माले कनेक्टिविटी परियोजना सहित विभिन्न परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए दस करोड़ डॉलर की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देगा। इसके अलावा भारत मालदीव की रक्षा एवं सुरक्षा प्रणाली को सशक्त बनाने के लिए एक नौसैनिक पोत एवं 24 वाहन देने के साथ द्वीपों में पुलिस ढांचा मजबूत बनाने में सहयोग देगा। भारत दौरे पर आए मालदीव के राष्ट्रपति श्री इब्राहिम मोहम्मद सोलिह और प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के बीच हुई बैठक में यह घोषणा की गई।

2 अगस्त

जुलाई 2022 में जीएसटी संग्रहण 28 प्रतिशत बढ़ा

● भारत में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) संग्रहण लगातार बढ़ रहा है। जुलाई 2022 माह में जीएसटी संग्रहण 1.49 लाख करोड़ रुपये रहा, जो जुलाई 2021 की तुलना में 28 प्रतिशत अधिक है। जीएसटी प्रणाली के लागू होने के बाद यह संग्रह अब तक का दूसरा सबसे अधिक संग्रहण है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार इस वर्ष अप्रैल माह में 1,67 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया था। रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2022 में कुल जीएसटी कलेक्शन में सीजीएसटी के रूप में 25,751 करोड़ रुपये, एसजीएसटी के रूप में 32.807 करोड़ रुपये तथा आईजीएसटी के रूप में 79,518 रुपये शामिल हैं।

● मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) ने नीट सुपर स्पेशलिस्ट काउंसलिंग के स्पेशल मॉप अप राउंड-2 में नीट सुपर स्पेशलिस्ट (एसएस) की कट ऑफ वाध्यता हटा दी है। अब कट ऑफ से कम अंक हासिल करने वाले विद्यार्थी भी सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बन सकेंगे। एमसीजी ने बताया कि स्पेशल मॉप अप राउंड-2 के तहत उम्मीदवारों को डीएम कार्डियक, एनेस्थीसिया, न्यूरो एनेस्थीसिया, कार्डियोलॉजी, क्रिटिकल केयर और मेडिसिन सहित विभिन्न ब्रांचों में सीटें आवंटित की जाती हैं।

3 अगस्त

सीबीडीटी ने ई-इनवॉइस के लिए टर्न ओवर सीमा घटाकर की 10 करोड़ रुपये

● वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत रजिस्टर्ड ऐसे करोबारी जिनका टर्न ओवर 10 करोड़ रुपये या इससे अधिक है। उन्हें एक अक्टूबर 2022 से बी2बी लेन-देन के लिए ई-इनवॉइस जनरेट करना अनिवार्य होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीडीटी) ने ई-इनवॉइस के लिए वार्षिक टर्न ओवर सीमा घटाकर 10 करोड़ रुपये कर दी है। अभी 20 करोड़ रुपये या इससे अधिक टर्न ओवर वाले कारोबारियों को बी2बी लेन-देन के लिए ई-इनवॉइस जनरेट करना पड़ता था।

● रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध के बीच रूस की सुप्रीम कोर्ट ने यूक्रेन सेना की अजोव रेजीमेंट को प्रतिबंधित आतंकवादी समूह घोषित कर दिया है। दक्षिणी यूक्रेन के मारियोपोल शहर में रूसी सेना और अजोव रेजीमेंट के बीच भीषण लड़ाई हुई थी। इस दौरान रूसी सेना ने अजोव रेजीमेंट पर नाजियों की रणनीति अपनाने का आरोप लगाया था।

4 अगस्त

सरकार स्वच्छ ईंधन का न्यूनतम उपयोग अनिवार्य करने के लिये बनाएगी कानून

● केंद्र सरकार स्वच्छ ऊर्जा के न्यूनतम इस्तेमाल को अनिवार्य बनाने की दिशा में योजना तैयार कर रही है। सरकार ने इस संबंध में संसद में एक दस्तावेज पेश किया है, जिसके तहत बिजली उत्पादन या विनिर्माण क्षेत्र में फीड स्टॉक के लिए बायोमास, एथेनॉल, ग्रीन हाइड्रोजन और अमोनिया सहित नॉन फॉसिल (गैर जीवाश्म) ईंधन का न्यूनतम इस्तेमाल अनिवार्य किया जाएगा। सरकार ने यह योजना ग्रीन हाउस के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए बनाई है। भारत ने वर्ष 2070 तक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन खत्म करने की प्रतिबद्धता जताई है।

● विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश की तैयारियों में जुटे विद्यार्थियों को बड़ी राहत दी। यूजीसी ने कहा कि अपनी पसंद के विश्वविद्यालय या कॉलेज में दाखिला मिलने पर विद्यार्थी पूर्व में किसी संस्थान में लिए गए दाखिले को कैंसिल करवा सकता है। साथ ही संस्थान में जमा कराई गई फीस भी वापस ले सकेगा। हालांकि इसके लिए उसे 31 अक्टूबर से पहले आवेदन करना होगा।

5 अगस्त

नौसेना में अग्निपथ योजना के तहत भर्ती के लिये 9.55 लाख आवेदन

● भारतीय नौसेना को अग्निपथ योजना के तहत भर्ती के लिये बड़ी संख्या में आवेदन प्राप्त हुये हैं। नौसेना में भर्ती के लिये 9.55 लाख आवेदकों ने रजिस्ट्रेशन कराये, इनमें 82 हजार से ज्यादा महिलाएं भी शामिल हैं। नौसेना ने अग्निपथ योजना के तहत भर्ती के लिये पंजीकरण प्रक्रिया खत्म होने के बाद बताया कि इस वर्ष अग्निपथ योजना के तहत लगभग तीन हजार कर्मियों की भर्ती की जायेगी। इसके लिये एक जुलाई से 31 जुलाई, 2022 तक पंजीकरण किये गये। नौसेना के अनुसार अग्निपथ योजना के तहत 20 प्रतिशत अग्निवीर महिलाएं भर्ती होंगी।

● नेपाल में आम चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। 20 नवम्बर को आम चुनाव के लिये मतदान होगा। यह चुनाव एक चरण में होगा। प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने 20 नवम्बर को चुनाव कराने का निर्णय लिया। इससे पहले नेपाल के निर्वाचन आयोग ने देश में एक चरण में चुनाव कराने की सिफारिश की थी, जिसे देउवा सरकार ने स्वीकार किया।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित फोटो : गूगल से साभार)

प्रयासKSG
An institute for MPPSC Examination
MPPSC
UPSC में 2000 से अधिक सिलेक्शन देने के बाद
MPPSC को समर्पित KSG का प्रतिबद्ध संस्थान
Our Proud Achievers (MPPSC)

NEW BATCH
FROM 24th August in Bhopal
पाठ्यक्रम की अवधि 10-12 महीना
Batch timing:-
• 8-12 Morning (Hindi Medium) • 4-8 Evening (English Medium)
दिल्ली एवं म.प्र. के अनुभवी शिक्षकों द्वारा मार्गदर्शन
9893739446, 7725837474
Indore : 111-117 , 1st Floor, Veda Building, Bhawar kuwa Square, Indore
7223901339, 9302963679, 0755-4940022
Bhopal : 43, S-1 & S-3, 2nd Floor, R.R. Archade, Behind GK Palace, Zone-II, M.P. Nagar, Bhopal (MP)-462011
R-47357/2022

सिविल जज / MP-ADPO
उमाकांत सर के मार्गदर्शन में
नवीन बैच एवं विशेष टेस्ट सीरीज
16 अगस्त से प्रारंभ
प्रिंटेड नोट्स व मॉडल पेपर उपलब्ध
हिन्दी एवं अंग्रेजी माध्यम में
ONLINE OFFLINE CLASSES
आकार LAW
220, 2nd Floor, वेदा बिज़नेस पार्क भंवरकुआ, इंदौर.
9752661106, 6260277680
गत वर्षों में सर्वाधिक सफलता प्रदान करने वाला संस्थान
R-47371/2022

वर्ष 39, अंक 32 08.08.2022 से 14.08.2022
रोज़गार और निर्माण
rojgaraurnirman.in

- प्रबंध संचालक - राघवेन्द्र कुमार सिंह
- सम्पादक - पुष्पेन्द्र पाल सिंह
- कार्यकारी सम्पादक - राजीव तिवारी
- प्रबंधक - वंदना चतुर्वेदी (विज्ञापन एवं प्रसार)
- प्रबंधक - सुभाष चन्द्र जोशी (मुद्रण)
- आकल्पन - आशा रोमन, अरविन्द टोप्पो, सुशील लांडगे
- वेबसाइट - आत्माराम शर्मा

वार्षिक सदस्य बनने के लिये रुपये 500/- (पाँच सौ) का डी.डी., मनीऑर्डर अथवा पोस्टल ऑर्डर रोज़गार और निर्माण, भोपाल के नाम बनवाकर नीचे लिखे पते पर भेजें :-
रोज़गार और निर्माण, मध्यप्रदेश माध्यम, 40 प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) पिन-462011
फोन- 2760006, 2551330, 4281330, फैक्स - 4228409, **e-mail : madhyam.rojgar@gmail.com**
रोज़गार और निर्माण कार्यालय में नगद राशि जमा कर भी इसकी वार्षिक सदस्यता प्राप्त की जा सकती है। रोज़गार और निर्माण में प्रकाशित लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं। जरूरी नहीं कि सम्पादक उससे सहमत हों। किसी भी प्रकार के विवाद के लिये न्यायालयीन अधिकार क्षेत्र भोपाल रहेगा। रोज़गार और निर्माण में निजी संस्थाओं के विज्ञापन भी प्रकाशित किये जाते हैं, इन विज्ञापनों में किए गए दावे और तथ्य निजी संस्थाओं के अपने होते हैं। इसका समाचार पत्र के प्रबंधन से कोई संबंध नहीं है।

सम्पादकीय

ओंकारेश्वर परियोजना

विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना

मध्यप्रदेश को 'हार्ट ऑफ इंडिया' के साथ 'लंग्स ऑफ इंडिया' बनाने के मार्ग पर राज्य सरकार अग्रसर है। मध्यप्रदेश वर्ष 2030 तक अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति नवकरणीय ऊर्जा से करने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रहा है। राज्य सरकार ने नई नवकरणीय ऊर्जा नीति-2022 का क्रियान्वयन आरंभ कर दिया है। 2027 तक मध्यप्रदेश की नवकरणीय ऊर्जा क्षमता 20 हजार मेगावॉट होगी। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा जलवायु परिवर्तन के लिए ग्लासगो के सम्मेलन में दिए गए पंचामृत मंत्र और भारत की सभी प्रतिबद्धताओं को पूर्ण करने की दिशा में मध्यप्रदेश हरसंभव योगदान देगा। ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना अद्भुत है। विश्व में वर्तमान में 10 फ्लोटिंग सोलर प्लांट हैं। ओंकारेश्वर परियोजना, जल पर बनने वाली विश्व की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना होगी। ये बातें मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित कुशाभाऊ ठाकरे हॉल में 600 मेगावॉट ओंकारेश्वर फ्लोटिंग सौर परियोजना के अनुबंध हस्ताक्षर समारोह तथा ऊर्जा साक्षरता अभियान की ऊर्जा आंकलन मार्गदर्शिका के विमोचन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहीं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ओंकारेश्वर परियोजना के प्रथम चरण में 278 मेगावॉट की क्षमता स्थापित होगी। परियोजना से 12 लाख मीट्रिक टन कार्बन-डाई-ऑक्साइड के उत्सर्जन को रोका जा सकेगा। यह एक करोड़ 52 लाख पेड़ लगाने के बराबर है। यह परियोजना इस दृष्टि से भी अद्भुत है, क्योंकि परियोजना के क्रियान्वयन में भूमि की आवश्यकता नहीं है। परिणामस्वरूप किसी का भी विस्थापन नहीं होगा। यह वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है कि जल आधारित परियोजना में बिजली का उत्पादन भूमि आधारित सोलर परियोजना की तुलना में अधिक होता है। पानी की सतह पर सौर पैनल लग जाने से पानी भाप बनकर नहीं उड़ेगा। इससे 60 से 70 प्रतिशत तक पानी को बचाया जा सकेगा। साथ ही प्लांट लग जाने से पानी में शैवाल जैसी वनस्पतियां कम विकसित होंगी और पानी पीने लायक बना रहेगा। प्रदेश में ग्रीन सिटी के विकास की अवधारणा को भी मूर्त रूप दिया जा रहा है। छतरपुर, मुरैना, आगर, शाजापुर और नीमच जिलों में सौर परियोजनाओं का कार्य जारी है। ग्राम स्तर तक सोलर पैनल के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सभी शासकीय कार्यालयों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। चंबल के बीहड़ों की भूमि को सुधार कर क्षेत्र का उपयोग सौर ऊर्जा उत्पादन में किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याओं का सामना जनभागीदारी से ही किया जा सकता है। इसके लिए केवल चिंता करने से नहीं, बल्कि इस दिशा में कार्य करने से ही सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। आने वाली पीढ़ी के लिए सुरक्षित धरती छोड़ना हमारी जिम्मेदारी है। सौर और पवन ऊर्जा से विद्युत उत्पादन, बिजली-पानी बचाने और कार्बन उत्सर्जन कम करने से ही हम धरती की सेवा कर पाएंगे और आने वाली पीढ़ी के बेहतर भविष्य के लिए आश्वस्त हो पाएंगे।

जीवों के लिये जानलेवा गहरे समुद्र में खनन

आज पूरी दुनिया में औद्योगिकीकरण के चलते जमीन और समुद्र दोनों जगह बेतहाशा खुदाई हो रही है। इसका प्रभाव हमारे पर्यावरण पर गंभीर रूप से पड़ रहा है। गहरे समुद्र में खनन का असर जीवों के लिये जानलेवा साबित हो रहा है। समुद्र की गहराई में मौजूद सिर्फ एक खान 500 किलोमीटर क्षेत्र में ध्वनि प्रदूषण की वजह बन सकती है, यह वहां रहने वाले जीवों के लिये जानलेवा साबित हो सकती है, अमेरिका स्थित हवाई विश्वविद्यालय द्वारा किये गये एक नये अध्ययन में यह बताया गया है। शोधकर्ताओं ने कहा कि समुद्र संसाधनों से समृध है, समुद्र की अथाह गहराइयों में मैगनीज और कोबाल्ट समेत अनेक खनिज पाये जाते हैं, लेकिन इन खनिजों के खनन का वहां पाई जाने वाली जैव विविधता पर क्या असर होगा, इस बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं है। समुद्र की गहराइयों में जहां न सूर्य का प्रकाश है, न शोर वहां पाये जाने वाले यह जीव वातावरण के प्रति बेहद संवेदनशील हैं, यह जीव सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में ध्वनि तरंगों का उपयोग आपस में संवाद करने, रास्तों को खोजने, भोजन का पता लगाने और शिकारियों से बचने सहित अन्य कार्यों के लिये करते हैं। ऐसे में इनके वातावरण में हल्का सा भी हस्तक्षेप जीवों के लिये हानिकारक हो सकता है, जैसा कि हम जानते हैं क्लेरियन - क्लिपर्टन जोन में खनन की संभावनायें तलाशी जा रही हैं, जो कि हवाई और मैक्सिको के बीच 45 लाख वर्ग किलोमीटर फैला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में कई कम्पनियां विशेष रूप से गहरे समुद्र में खनन करने में रुचि ले रही हैं, वहीं शोध से जुड़े अन्य शोधकर्ता और ओशियन इनिशिएटिव के सह संस्थापक रॉब विलियम्स का कहना है कि सिर्फ एक या दो खानों के कारण पैदा हुआ शोर आसपास के क्षेत्रों को प्रभावित करेगा। वहीं जिन स्थानों पर अनगिनत खाने हैं, वहां इनके प्रभावों की गंभीरता को समझना जरूरी है।

- देवेश तिवारी

(लेखक, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी पर लिखते हैं)

भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त

आजादी के लिये निर्णायक साबित हुआ यह आंदोलन

भारत की आजादी के लिये वर्ष 1857 के 'प्रथम स्वतंत्रता संग्राम' से वर्ष 1942 के 'भारत छोड़ो आंदोलन' तक जो संघर्ष हुआ उसका लम्बा इतिहास है और इस संघर्ष गाथा में कई मुकाम ऐसे आये जब लगा कि बस अब देश ब्रिटिश सरकार के औपनिवेशिक साम्राज्य से आज़ाद होने को ही है। इस लम्बे और शहादत की गौरव गाथाओं से भरे स्वतंत्रता संग्राम में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में लड़ा गया - 'भारत छोड़ो आंदोलन' आजादी के लिये सबसे निर्णायक और अंतिम (अल्टीमेट) लड़ाई थी। द्वितीय विश्वयुद्ध के समय 8 अगस्त, 1942 को आरम्भ किया गया था- 'भारत छोड़ो आंदोलन'। इस आंदोलन का लक्ष्य था भारत से ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के मुम्बई अधिवेशन में शुरू किया गया था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान विश्वविख्यात काकोरी काण्ड के ठीक सत्रह साल बाद 8 अगस्त 1942 को गांधीजी के आह्वान पर समूचे देश में एक साथ यह भारत छोड़ो आंदोलन आरम्भ हुआ था। भारत को तुरन्त आजाद करने के लिये अंग्रेजी शासन के विरुद्ध यह एक बड़ा सविनय अवज्ञा आंदोलन था।

क्रिप्स मिशन की असफलता से अपरिहार्य हो गया था यह आंदोलन

क्रिप्स प्रस्तावों को भारतीयों द्वारा नकारे जाने और क्रिप्स मिशन के वापस लौटने के बाद कांग्रेस कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पारित कर अंग्रेज़ों को भारत छोड़ने के लिये कह दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध की आड़ लेकर सरकार ने अपने आपको सख्त-से-सख्त कानूनों से सुरक्षित कर लिया था और शांतिपूर्ण गतिविधियों को भी प्रतिबंधित कर दिया था। स्थितियां अत्यंत विकट हो चुकी थीं और भारत के राष्ट्रीय नेतृत्व को भी यह पता था कि उस समय विद्रोह का नतीजा जनता के कठोर दमन के रूप में सामने आएगा, परंतु फिर भी यह संघर्ष छेड़ा गया। इस संघर्ष के अपरिहार्य हो जाने का मुख्य कारण था - 'संवैधानिक गतिरोधों को हल करने में क्रिप्स मिशन का असफल होना' जिससे यह स्पष्ट हो गया था कि ब्रिटिश सरकार भारतीयों के साथ किसी सम्मानजनक समझौते के लिये तैयार नहीं है। युद्ध के कारण रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं के अभाव के चलते मूल्यों में बेतहाशा वृद्धि के कारण सरकार के प्रति जनता में तीव्र आक्रोश था। जापानी आक्रमण के भय से ब्रिटिश सरकार ने उड़ीसा, बंगाल और असम में दमनकारी भू-नीति का इस्तेमाल किया। इधर दक्षिण-पूर्वी एशिया में ब्रिटेन की हार के कारण असंतोष व्यक्त करने की भारतीयों की इच्छाशक्ति जागृत हो चुकी थी। ब्रिटिश सत्ता में उनकी आस्था समाप्त हो गई और सत्ता के स्थायित्व के प्रति उनके मन में संदेह पैदा हो गया, फलस्वरूप जनता डाकघरों और बैंकों से अपने रुपए निकालने लगी। बर्मा और मलाया को खाली करवाने के तरीकों से भी जनता में काफी क्षोभ व्याप्त था। भारतीयों को लगने लगा था कि अगर जापान ने आक्रमण किया तो अंग्रेज़ यहां भी इसी प्रकार विश्वासघात करेंगे। लोगों में निराशा फैल रही थी और यह आशंका पैदा हो गई थी कि यदि जापानी आक्रमण हुआ तो जनता हताशा के चलते प्रतिरोध ही न करे, अतः यह समय राष्ट्रीय नेताओं को एक बड़ा संघर्ष शुरू करने के लिये उचित लगा। भारत छोड़ो आंदोलन भारत के लिये एक युगान्तरकारी आंदोलन था क्योंकि इसने भारत की भावी राजनीति की आधारशिला रखी 'करो या मरो' के नारे के साथ बम्बई के गोवालिया टैंक मैदान से गांधीजी ने अपने ऐतिहासिक भाषण में कहा कि- 'जब भी सत्ता मिलेगी, भारत के

लोगों को मिलेगी और तब जनता ही तय करेगी कि इसे किसके हाथों में सौंपा जाना है।' सही मायनों में भारत छोड़ो आंदोलन में ही आजादी की लड़ाई का नेतृत्व भारत के लोगों को प्राप्त हुआ। 'भारत छोड़ो का नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। यूसुफ मेहर अली भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के अग्रणी नेताओं में से एक थे।

युवाओं की भागीदारी

वर्ष 2022 में हमारे देश को आजाद हुए पिचहत्तर साल हो जायेंगे और इसी अवसर पर देशभर में आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। केंद्र सरकार इस महापर्व और उससे जुड़े सभी पर्वों को विशेष रूप से मना रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में इस वर्ष का- 'भारत छोड़ो दिवस' अर्थात् अगस्त क्रांति दिवस आजादी को अक्षुण्ण बनाए रखने की दिशा में युवाओं की अप्रतिम भागीदारी पर केंद्रित रहेगा। इसी सन्दर्भ में इस वर्ष अगस्त क्रांति दिवस की थीम होगी- 'मातृभूमि के लिए युवा'। युवाओं की भागीदारी पर केंद्रित इस आयोजन में युवा अपने गांवों से मिट्टी और पानी लेकर दिल्ली जायेंगे। दिल्ली में युवाओं के लिए युवा मैराथन, सामूहिक योग प्रदर्शन और देशभक्ति गीतों के पाठ का आयोजन होगा। पौधरोपण, पौधों में पानी देने और स्वच्छता अभियान भी कार्यक्रम का हिस्सा होगा। इस वर्ष सभी उच्च शिक्षा संस्थान भी भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में परिसंवाद का आयोजन करेंगी और युवा देश की आजादी के इस महत्वपूर्ण आंदोलन की पूर्वपीठिका के बारे में किशोरों और बच्चों को समझायेंगे।

अंग्रेजों के खिलाफ गांधीजी का यह तीसरा बड़ा आंदोलन था

क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला लिया था। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बम्बई अधिवेशन में इसे 08 अगस्त, 1942 की शाम को बम्बई में - 'अंग्रेजों भारत छोड़ो' का नाम दिया गया था। इस आंदोलन की घोषणा के बाद ही गांधीजी को फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन देशभर के युवा कार्यकर्ता हड़तालों और तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के जरिए आंदोलन चलाते रहे। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोधी गतिविधियों में सबसे ज्यादा सक्रिय थे। पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार की स्थापना भी कर दी गई थी। अंग्रेजों ने आंदोलन के प्रति काफ़ी सख्त रवैया अपनाया फिर भी इस विद्रोह को दबाने में सरकार को साल भर से ज्यादा समय लगा। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का आखिरी बड़ा आंदोलन था, जिसमें सभी भारतवासियों ने एक साथ बड़े स्तर पर भाग लिया था। कई जगह समानान्तर सरकारें भी बनाई गईं।

करेंगे और करके रहेंगे

इस वर्ष भारत छोड़ो आंदोलन को अस्सी साल पूरे हो जायेंगे। दो वर्ष पूर्व भारत छोड़ो आंदोलन से प्रेरणा लेते हुए तथा भारत छोड़ो आंदोलन की भावना को पुनर्जीवित करते हुए देश के प्रधानमंत्री, श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा महात्मा गांधी के - 'करो या मरो' के नारे के स्थान पर एक नया नारा दिया कि 'करेंगे और करके रहेंगे', जिसका उद्देश्य भारत को वर्ष 2022 तक 'न्यू इंडिया' बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करना था। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत तो वर्ष 1857 में ही हो चुकी थी, लेकिन गांधीजी के आने के बाद यह स्वतंत्रता संग्राम बेहद शांतिपूर्ण और अहिंसक बनकर आगे चला। गांधीजी ने कई मोर्चों पर देश को स्वाधीनता के लिए एक करने की कोशिश की और अंत में उन्होंने आखिरी वार 8 अगस्त, 1942 को 'भारत छोड़ो आंदोलन' शुरू किया जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिये एक मील का पत्थर साबित हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन, भारत की स्वाधीनता के लिए किया जाने वाला अन्तिम महान प्रयास कहा गया। वर्ष 1942 के आंदोलन की व्यापकता को देखते हुए अंग्रेज़ों को विश्वास हो गया था कि उन्होंने अब भारत पर शासन का वैध अधिकार खो दिया है। प्रधानमंत्री ने आजादी के उस जज्बे की सराहना करते हुए भारत की आजादी के लिए ऐसे आंदोलन की सराहना भी की थी।

इस आंदोलन को 'अगस्त क्रांति' के नाम से भी जाना जाता है

भारत छोड़ो आंदोलन को - 'अगस्त क्रांति' के नाम से भी जाना जाता है। विश्वयुद्ध में इंग्लैण्ड को बुरी तरह उलझता देख जैसे ही नेताजी सुभाषचन्द्र बोस ने आजाद हिन्द फौज को 'दिल्ली चलो' का नारा दिया, गांधीजी ने मौके की नजाकत को भांपते हुए 08 अगस्त, 1942 की रात में ही बम्बई से अंग्रेजों को 'भारत छोड़ो' व भारतीयों को 'करो या मरो' का आदेश जारी किया और उन्हें यरवदा पुणे स्थित आगा खां पैलेस में बंद कर दिया गया। 09 अगस्त, 1942 को लालबहादुर शास्त्री सरीखे एक छोटे से व्यक्ति ने इसे प्रचण्ड रूप दे दिया और 19 अगस्त, 1942 को शास्त्रीजी गिरफ्तार हो गये । इस आंदोलन के सत्रह साल पहले 09 अगस्त, 1925 को ब्रिटिश सरकार का तख्ता पलटने के उद्देश्य से रामप्रसाद 'बिस्मिल' के नेतृत्व में हिन्दुस्तान प्रजातन्त्र संघ के दस जुझारू कार्यकर्ताओं ने काकोरी काण्ड किया था जिसकी यादगार ताजा रखने के लिये पूरे देश में प्रतिवर्ष 09 अगस्त को 'काकोरी काण्ड स्मृति-दिवस' मनाने की परम्परा भगत सिंह ने प्रारम्भ कर दी थी और इस दिन बहुत बड़ी संख्या में नौजवान एकत्र होते थे।

आंदोलन के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने प्राणोत्सर्ग भी किया था

भारत छोड़ो आंदोलन, विश्व इतिहास में सबसे सशक्त जन आंदोलन के रूप में जाना जाता है जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे। इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया। इस आंदोलन से तत्कालीन ब्रिटिश सरकार घबरा गई और 09 अगस्त 1942 को दिन निकलने से पहले ही देश के बड़े नेता गिरफ्तार हो चुके थे। गांधीजी के साथ भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को यरवदा पुणे के आगा खान पैलेस में, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद को पटना जेल और अन्य सभी सदस्यों को अहमदनगर के किले में नजरबन्द किया गया था। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस जनान्दोलन में नौ सौ चालीस लोग मारे गये थे, एक हजार छः सौ तीस घायल हुए थे और अड़ारह हजार डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स (डीआईआर) के अन्तर्गत नजरबंद हुए तथा साठ हजार से अधिक लोग गिरफ्तार हुए थे। इस आंदोलन को कुचलने के ये आंकड़े दिल्ली की सेण्ट्रल असेम्बली में ऑनरेबुल होम मेम्बर ने पेश किये थे।

राजा दुबे

(लेखक, जनसम्पर्क विभाग से सेवानिवृत्त संयुक्त संचालक हैं)

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग

रेसीडेंसी एरिया - इंदौर

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग - मध्यप्रदेश शासन हेतु निश्चेतना विशेषज्ञ के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन

विज्ञापन क्रमांक	ऑनलाइन आवेदन करने की	आयोग कार्यालय में अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र
08/2022/29.07.2022	अंतिम तिथि 16.09.2022	जमा करने की अंतिम तिथि 28.09.2022

महत्वपूर्ण

1. मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा मध्यप्रदेश शासन के लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग हेतु निश्चेतना विशेषज्ञ के पदों की पूर्ति हेतु आवेदन-पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इन पदों के लिए शैक्षणिक अर्हता निम्नानुसार है:-
अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता :-
भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिप्लोमा/सी.पी.एस. डिप्लोमा अथवा समतुल्य अर्हता अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में सुपर स्पेशलिएटी डिग्री/डिप्लोमा।
समतुल्य अर्हता :-
भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा अर्हता प्राप्त विदेशी उपाधिधारी।
वांछनीय अर्हता :-
मध्यप्रदेश चिकित्सा परिषद में स्थायी पंजीयन
रोज़गार पंजीयन :-
(क) माननीय उच्च न्यायालय मुख्यपीठ जबलपुर में दायर याचिका क्रमांक 5096/2022 में पारित अंतिम आदेश दिनांक 08.03.2022 के अनुपालन में अन्य प्रदेशों के अभ्यर्थियों को रोज़गार कार्यालय में पंजीयन से मुक्त रखा गया है।
(ख) मध्यप्रदेश के मूल निवासियों को जीवित रोज़गार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किन्तु ऐसे अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के समय मध्यप्रदेश के रोज़गार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
(ग) मध्यप्रदेश शासन की सेवा में कार्यरत - शासकीय/निगम/मण्डल/उपक्रम/आयोग/बोर्ड/विश्वविद्यालय/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक-अभ्यर्थियों को विभाग/कार्यालय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र को मान्य किया जाएगा। उपरोक्तानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर रोज़गार पंजीयन से छूट रहेगी।
2. आवेदन पत्र केवल ऑनलाइन स्वीकार किए जाएंगे आवेदन पत्र दिनांक 17.08.2022 (दोपहर 12:00 बजे) से दिनांक 16.09.2022 (दोपहर 12:00 बजे) तक **www.mponline.gov.in** तथा **https://mppsc.mp.gov.in** पर भरे जा सकते हैं।
3. आवेदक ऑनलाइन आवेदन करने तथा आवेदन शुल्क का भुगतान करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन-पत्र का प्रिंट आउट प्राप्त करें तथा आवेदन पत्र में उल्लेखित भुगतान विवरण से यह सुनिश्चित कर लें कि शुल्क भुगतान हो चुका है। उक्त ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ अपनी अर्हता से संबन्धित सभी अभिलेखों तथा अनुप्रमाणन-पत्रक, व्यक्तिगत विवरण-पत्रक एवं उपस्थिति-पत्रक (आयोग की वेबसाइट **https://mppsc.mp.gov.in** पर उपलब्ध) की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न कर आयोग कार्यालय में दिनांक 28.09.2022 तक जमा कराएं। आवेदन पत्र भरने के संदर्भ में विस्तृत जानकारी हेतु परिशिष्ट-2 का ध्यानपूर्वक अवलोकन करें एवं तदनुसार पर्याप्त समय पूर्व आवेदन-पत्र भरें।
4. आवेदक ऑनलाइन आवेदन-पत्र की सावधानीपूर्वक जांच कर लें। ऑनलाइन आवेदन-पत्रों में दिनांक 22.08.2022 से दिनांक 18.09.2022 तक त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। इस हेतु प्रति सुधार सत्र रु. 50/- त्रुटिसुधार शुल्क देय होगा। आवेदक त्रुटिसुधार हेतु एम.पी. ऑनलाइन के अधिकृत कियोस्क की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार का परिवर्तन मान्य नहीं होगा तथा श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक समस्त आवेदन अमान्य किए जाएंगे तथा आयोग द्वारा इस सन्दर्भ में आवेदक से कोई पत्र व्यवहार नहीं किया जाएगा।
5. विज्ञापन के सन्दर्भ में आवश्यक सूचनाएँ परीक्षा का परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **https://mppsc.mp.gov.in** में प्रकाशित किया जाएगा साथ ही आवश्यक होने पर अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय दिए गए **e-mail Address** तथा मोबाइल नंबर पर **e-mail** तथा **SMS Alert** भी प्रेषित किए जाएंगे। अतः आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरन्तर अवलोकन करें।
6. प्रकाशित विज्ञापन में विज्ञापित पदों हेतु जो शैक्षणिक अर्हता/अनुभव/वांछनीय अर्हता एवं विज्ञापित रिक्तियों का आरक्षण वर्गीकरण आदि का उल्लेख किया गया है, वह विभाग के द्वारा मांगपत्र के आधार पर प्रकाशित किया गया है। जिसमें आयोग की कोई भूमिका नहीं रहती है। अतः अभ्यर्थियों को निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में आयोग में प्राप्त शिकायतों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। उक्त संबंध में शिकायतकर्ता अभ्यर्थी सीधे विभाग को अपनी शिकायत अग्रेषित कर सकते हैं।
7. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियांतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र में आयोग द्वारा सुनिश्चित की गई फीस के अतिरिक्त आधिक्य या त्रुटिवश गलत भुगतान के संबंध में रिफंड हेतु प्राप्त अभ्यावेदन स्वीकार योग्य नहीं होंगे। अभ्यर्थियों को भली-भांति दिए गए निर्देशों का सूक्ष्मता से अवलोकन पश्चात् ही निर्धारित फीस का भुगतान करें। कियोस्क अथवा अन्य माध्यम से त्रुटिवश/आधिक्त भुगतान के रिफंड के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं है।
8. आयोग द्वारा भर्ती विज्ञापनों में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रण के समय अभ्यर्थियों से परीक्षा सेंटर आवंटन हेतु शहर की च्वाइस फीलिंग एवं उपलब्धता के आधार पर आवंटित की जाती है। अभ्यर्थी द्वारा एक बार च्वाइस फीलिंग उपरांत परीक्षा शहर परिवर्तन के संबंध में प्रस्तुत कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
9. प्रकाशित भर्ती विज्ञापन के अतिरिक्त अन्य कोई भी अभ्यर्थियों की औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
10. आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न भर्ती परीक्षाओं के संबंध में समय-समय पर दिशा-निर्देश प्रसारित किए जाते हैं, जिसमें स्पष्टतः परीक्षा केन्द्र पर अभ्यर्थी को कौन-कौन सी सामग्री लाना विवर्जित रहती है अतएवं औचित्यहीन जिज्ञासाओं के संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
11. आयोग द्वारा भर्ती प्रक्रियाओं में सम्मिलित अभ्यर्थियों को परीक्षा में आने-जाने का नियमानुसार भुगतान प्राप्त करने हेतु Reimbursement का वर्गीकरण प्रावधानित है। जिसके अनुसार नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सम्पादित की जाती है, अतएवं इस संबंध में किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
12. आयोग द्वारा प्रकाशित भर्ती विज्ञापनों के उपरांत कई अभ्यर्थियों द्वारा तथ्यहीन आधारों पर बिना कोई साक्ष्य/दस्तावेजों के अनावश्यक रूप से विभिन्न प्रकार के शिकायती अभ्यावेदन प्रस्तुत किए जाते हैं अतएवं इस प्रकार के किसी भी माध्यम से प्राप्त अभ्यावेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा।
13. उक्त विज्ञापन का अंतिम चयन परिणाम याचिका क्रमांक 25181/2019 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगा।
14. आयोग की परीक्षा और चयन प्रणाली निष्पक्ष एवं पारदर्शी है। किसी एक व्यक्ति द्वारा इस प्रणाली को विफल कर किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की संभावना नहीं है। अतः किसी व्यक्ति द्वारा सीधे या किसी अन्य के माध्यम से लाभ पहुंचाने का दावा किया जाता है तो ऐसा व्यवहारिक रूप से असंभव है। अतः ऐसे व्यक्ति के बहकावे में न आएं और उस व्यक्ति की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर सूचना अविलंब आयोग को दें ताकि ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जा सके। सूचना देने वाले का नाम पता गोपनीय रखा जाएगा।

एक भारत के नागरिकों तथा भारत के संविधान के तहत मान्य अन्य श्रेणियों के आवेदकों से **लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन** के निम्नलिखित पद हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं :-

क्र.	पद का नाम	रिक्त पदों की संख्या						रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या					रिक्तियों में से मध्यप्रदेश की मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या			
		UR	SC	ST	OBC	EWS	कुल	UR	SC	ST	OBC	EWS	OH	VH	HH	MD
1	निश्चेतना विशेषज्ञ	26	15	19	26	10	96	9	5	6	9	3	2	1	2	1

दो पद का विवरण

01 पद का नाम	:	**निश्चेतना विशेषज्ञ**
विभाग का नाम	:	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन
श्रेणी	:	राजपत्रित (प्रथम श्रेणी)
पद स्थिति	:	अस्थायी
वेतनमान	:	रु. 15600-39100+6600 ग्रेड पे (छठे वेतन आयोग अनुसार) सातवें वेतनमान में तत्स्थानी वेतनमान प्राप्त होंगे।
पद के मुख्य कर्तव्य	:	मरीजों की देखभाल एवं उपचार

तीन शैक्षणिक अर्हता : अनिवार्य शैक्षणिक अर्हता
भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिप्लोमा/सी.पी.एस. डिप्लोमा अथवा सतुल्य अर्हता अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री अथवा भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त संबंधित विषय में सुपर स्पेशिलएटी डिग्री/डिप्लोमा
समतुल्य अर्हता :-
भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा अर्हता प्राप्त विदेशी उपाधिधारी।
वांछनीय अर्हता :-
मध्यप्रदेश चिकित्सा परिषद् में स्थायी पंजीयन

विशेष : (1) उक्त अर्हताएं विज्ञापन में उल्लेखित ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 16.09.2022 तक अर्जित होनी चाहिए। उक्त तिथि के बाद में अर्हता धारित करने वाले आवेदक पद हेतु अनर्ह माने जाएंगे।
(2) यदि अभ्यर्थी की अर्हकारी परीक्षा की अंकसूची में पूर्णांक तथा प्राप्तांक का उल्लेख न होते हुए ग्रेड/पाइंट स्केल का उल्लेख है तो उन्हें अपने ग्रेड/पाइंट स्केल के समतुल्य प्रतिशत के निर्धारण विषयक सूत्र/सिद्धांत के आधार पर प्रतिशत की गणना करते हुए शपथ-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है। शपथ-पत्र के साथ प्रतिशत निर्धारण हेतु अपनाए गए सूत्र/ सिद्धांत के अनुसमर्थन हेतु संबन्धित विश्वविद्यालय के सुसंगत अभिलेख संलग्न करना भी अनिवार्य है।

टीप :-
(1) शासन द्वारा पदों की संख्या का पुनरीक्षण करने पर इस पद संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है। पदों की संख्या में वृद्धि केवल साक्षात्कार द्वारा चयन की स्थिति में साक्षात्कार कार्यक्रम के प्रकाशन तिथि तक तथा परीक्षा की स्थिति में परीक्षा के परिणाम की तिथि तक की जा सकेगी। बढ़े हुए पदों हेतु अतिरिक्त आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किए जाएंगे। पदों की संख्या में कमी चयन के किसी भी स्तर पर की जा सकेगी।
(2) चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जाएगी।

(3) किसी भी प्रवर्ग में मध्यप्रदेश की मूल निवासी महिलाओं के लिए आरक्षित पद उपयुक्त महिला अभ्यर्थी के अभाव में उसी प्रवर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के चयन द्वारा भरे जा सकेंगे।

(4) मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन हेतु आरक्षित पदों हेतु केवल मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर), आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा दिव्यांगजन ही आवेदन कर सकेंगे। **अन्य प्रदेशों के मूल निवासी ऐसे अभ्यर्थी जो अपने मूल निवास के राज्य में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के रूप में मान्य हैं अथवा दिव्यांगजन हैं, अनारक्षित श्रेणी के रूप में विचारित किए जाएंगे।** अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों को यह घोषणा-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा कि वे क्रीमीलेयर श्रेणी में नहीं आते।

(5) मध्यप्रदेश के मूल निवासी, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन तथा परीक्षा शुल्क में विहित छूट तथा यात्रा-व्यय प्रतिपूर्ति का लाभ देय होगा।

चार **मध्यप्रदेश सिविल सेवाएं (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के अंतर्गत अनर्हता :-**

अ. कोई भी उम्मीदवार जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध-दोष ठहराया गया हो, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु जहां किसी भी उम्मीदवार के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों तो उनकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

ब. कोई भी उम्मीदवार जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। परंतु कोई भी उम्मीदवार जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी भी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

पांच **महत्वपूर्ण :-** यह सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी कि, वे अपने आवेदित पद के लिए निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं। अतः आवेदन करने के पहले अभ्यर्थी अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भरें। लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र जारी करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है। चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाए जाने पर उसका आवेदन पत्र निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त की जाएगी।

छः **आयु सीमा** :- 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो, किन्तु 40 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो।

सात **आयु संगणना तिथि** :- 01.01.2023
आयु सीमा में दी गई अन्य छूटों के लिए **परिशिष्ट-1** देखें।

आठ **अधिवार्षिकी आयु** :- 65 वर्ष

नौ **चयन प्रक्रिया :-**
चयन साक्षात्कार के आधार पर होगा। विज्ञापित पदों के 5 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा बशर्ते कि पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध हों।
साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर अंतिम चयन सूची घोषित की जाएगी। साक्षात्कार हेतु पूर्णांक 100 होगा। अनारक्षित तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु 41% तथा मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी हेतु 31% न्यूनतम उत्तीर्णांक होंगे।

टीप :-

(1) अभ्यर्थियों की संख्या विज्ञापित पदों के पाँच गुना से अधिक पर **shortlisting** के आधार पर विभिन्न श्रेणियों/उपश्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के पाँच गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। **shortlisting** हेतु अपनाए जाने वाले आधार यथासमय अधिसूचित किए जाएंगे।

(2) आवश्यक होने पर ही लिखित परीक्षा आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के गुणानुक्रम के आधार पर विभिन्न श्रेणियों/उप श्रेणियों हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना तथा समान अंक अर्जित करने वाले अभ्यर्थियों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाएगा। अंतिम चयन लिखित परीक्षा तथा साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के गुणानुक्रम के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा की स्थिति में साक्षात्कार हेतु कोई न्यूनतम उत्तीर्णांक नहीं होंगे।

(3) लिखित परीक्षा की स्थिति में परीक्षा योजना तथा पाठ्यक्रम यथासमय "**रोज़गार और निर्माण**" समाचार पत्र तथा आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in/** पर प्रकाशित किया जाएगा। लिखित परीक्षा की स्थिति में आवेदकों को परीक्षा शुल्क का पृथक से भुगतान करना होगा।

चयन परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग का चयन परिणाम को सुधारने का अधिकार सुरक्षित है।

दस **आवेदन प्रक्रिया** :- उक्त पद हेतु आवेदन-पत्र इन्टरनेट के माध्यम से ऑनलाइन जमा किए जा सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी हेतु **परिशिष्ट-2** का अवलोकन करें।

ग्यारह विज्ञापन के संदर्भ में आवश्यक सूचनाएं, परीक्षा के परिणाम केवल आयोग की वेबसाइट **mppsc.mp.gov.in** एवं **रोज़गार और निर्माण** समाचार पत्र में प्रकाशित किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय दिए गए **E-mail Address** तथा मोबाइल नंबर पर **E-mail** तथा **SMS** द्वारा आवश्यक होने पर सूचना दी जा सकेगी। आवेदक आवश्यक सूचनाओं हेतु ऑनलाइन आवेदन-पत्र पर विहित स्थान पर अपने ई-मेल पते तथा मोबाइल नंबर का अवश्य उल्लेख करें तथा आयोग की वेबसाइट का निरंतर अवलोकन करते रहें।

बारह **आवेदक विस्तृत जानकारी हेतु निम्न परिशिष्ट देखें :-**
(1) आयु सीमा की छूटें **परिशिष्ट-1**
(2) आवेदन-पत्र भरने के तथा अन्य निर्देश एवं जानकारियां **परिशिष्ट-2**

सचिव

परिशिष्ट-1

(एक) **मध्यप्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु सीमा में अनुज्ञेय छूट**

(1) **मध्यप्रदेश शासन,** सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक सी.3-8/2016/1/3, दिनांक 04 जुलाई, 2019 अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित)/दिव्यांगजन आदि के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी तथा **उक्त श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष रहेगी।**

(2) ऐसा अभ्यर्थी जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की अवधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, किन्तु उसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

स्पष्टीकरण :-
भूतपूर्व सैनिक से अभिप्रेत है 'मध्यप्रदेश के भूतपूर्व सैनिक (राज्य की सिविल सेवाओं तथा पदों, तृतीय श्रेणी तथा चतुर्थ श्रेणी में रिक्तियों का आरक्षण) नियम 1985" के नियम 2 (ग) में यथा परिभाषित भूतपूर्व सैनिक।

(दो) **प्रोत्साहन स्वरूप दी गई छूटें**

(1) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत पुरस्कृत दंपतियों के सवर्ण सहभागी को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक सी-3/10/85/3/1, दिनांक 29.06.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

(2) विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों को सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/18/85/3/1 दिनांक 03.09.1985 के संदर्भ में अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी।

टीप :- (1) **परिशिष्ट-1 (दो)** के अंतर्गत प्रोत्साहन स्वरूप अधिकतम आयु सीमा में विभिन्न कार्यों/योजनाओं के अंतर्गत दी गई छूटों में से यदि कोई आवेदक एक से अधिक छूट का आधार रखता है तो उसे आयु सीमा में अधिकतम लाभ वाले किसी एक आधार (प्रोत्साहन वाले) के लिए देय छूट मिलेगी।

(तीन) **मध्यप्रदेश के चिकित्सालयों में संविदा पर कार्यरत या कार्य कर चुके संविदा के आधार पर विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत अभ्यर्थियों हेतु**

1. सामान्य प्रशासन विभाग, मध्यप्रदेश शासन के परिपत्र क्रमांक सी-5-2/2018/1/3, दिनांक 05.06.2018 में प्रदत्त अनुदेशों के अनुसार मध्यप्रदेश के चिकित्सालयों में संविदा पर कार्यरत या कार्य कर चुके संविदा के आधार पर विशेषज्ञ के पद पर कार्यरत अभ्यर्थियों को जिन्होंने न्यूनतम 5 वर्ष की संविदा सेवा की है, उनके द्वारा समकक्ष अथवा उच्चतर श्रेणी के संविदा पद पर जितने वर्ष की सेवा की गई है, उतने वर्ष की छूट अधिकतम आयु सीमा में दी जाएगी किन्तु उक्त छूट को सम्मिलित करते हुए उनकी आयु ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तक 55 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. उक्त छूट हेतु अभ्यर्थी को उसकी संविदा सेवा की अवधि के प्रमाणन हेतु विहित अधिकारी द्वारा अनुभव प्रमाण-पत्र आयोग को प्रेषित किए जाने वाले अभिलेखों के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा अनुभव अवधि का स्पष्ट उल्लेख आवश्यक होगा (दिनांक से दिनांक तक प्रारूप में)। अपेक्षित प्रमाण-पत्र/पत्रों के अभाव में अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र निरस्त किया जाएगा।

नोट :- (01) उपरोक्त **परिशिष्ट-1** (एक) (1 से 2), (दो) (1 एवं 2) तथा (तीन) में उल्लेखित आयु सीमा की छूट की पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही देय होगी।
(02) आवेदकों को उपरोक्त सभी छूटें देय होंगी किन्तु समस्त छूटों को शामिल करते हुए भी किसी भी स्थिति में किसी भी प्रवर्ग हेतु अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात् जिन आवेदकों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। **(मध्यप्रदेश के चिकित्सालयों में संविदा पर कार्यरत या कार्य कर चुके संविदा चुके विशेषज्ञ अभ्यर्थियों को देय छूट को छोड़कर)**

(चार) आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दायर याचिका क्रमांक 2108/2022 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 08.02.2022 के अनुपालन में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के समान आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु-सीमा में छूट देय होंगी किन्तु किसी भी स्थिति में अधिकतम आयु सीमा गणना तिथि 01.01.2023 को 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अर्थात जिन अभ्यर्थियों की आयु 45 वर्ष से अधिक है वे आवेदन करने के पात्र नहीं होंगे। उपरोक्तानुसार छूट का लाभ लेने वाले अभ्यर्थियों कि अभ्यर्थिता याचिका क्रमांक 2108/2022 के अंतिम न्यायालयीन निर्णय के अध्यधीन रहेगी।

परिशिष्ट-2

ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में निर्देश एवं अन्य जानकारी

1. ऑनलाइन आवेदन करने के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश निम्नानुसार हैं :-
   1. उपरोक्त पदों हेतु आवेदन-पत्र निम्न वेबसाइटों पर भरे जा सकेंगे
      1. **www.mponline.gov.in**
      2. **mppsc.mp.gov.in**
   2. आवेदक mponline के स्थापित अधिकृत कियोस्कों के माध्यम से ऑनलाइन फार्म भरकर कियोस्क पर ही आवेदन/परीक्षा शुल्क का नगद भुगतान कर रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें तथा आवेदन-पत्र की भलीभांति जांचकर सुनिश्चित कर लें कि भुगतान हो चुका है। **mponline** के अधिकृत कियोस्कों की सूची **www.mponline.gov.in** तथा **mppsc.mp.gov.in** पर पता एवं फोन नंबर सहित उपलब्ध है।
   3. आवेदक अपने घर पर या इंटरनेट कैफे के माध्यम से भी ऑनलाइन फार्म भरकर आवेदन/परीक्षा शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त नेट बैंकिंग सुविधा धारक आवेदक नेट बैंकिंग द्वारा भी शुल्क का भुगतान कर सकते हैं।
   4. आवेदक फार्म भरने के पूर्व अपने नवीनतम फोटोग्राफ की पासपोर्ट साइज की तथा हस्ताक्षर की स्केन फाइलें तैयार रखें जिन्हें ऑनलाइन फार्म भरते समय अपलोड करना होगा। **mponline** के अधिकृत कियोस्क पर स्केनिंग की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध है जिसका उपयोग किया जा सकता है।
   फोटो स्केनिंग के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश :-
      1. स्केनिंग हेतु पासपोर्ट साइज़ की नवीनतम रंगीन फोटो का प्रयोग करें।
      2. फोटो खिचवाते समय रिलेक्स स्थिति में सीधे कैमरे में देखें।
      3. यदि आप चश्में का प्रयोग करते हैं, तो यह सुनिश्चित करें कि कोई रिफ़्लेक्सन न हो तथा आपकी आंखें स्पष्टतः दिख रही हों।
      4. टोपी, हैट तथा डार्क चश्में स्वीकार्य नहीं हैं। सर पर पहने जाने वाले धार्मिक परिधान स्वीकार्य है किन्तु उनसे आपका चेहरा नहीं ढंकना चाहिए।
      5. यह सुनिश्चित करें कि फोटो का बैकग्राउंड हल्के रंग या आदर्श रूप में सफ़ेद हो।
      6. किसी और से अपनी फोटो खिचवाएं। कृपया सेल्फी का प्रयोग न करें।
   5. ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरते समय ध्यान रखना चाहिए कि, वह उक्त वेबसाइट पर दिए गए ऑनलाइन आवेदन-पत्र की प्रत्येक जानकारी अच्छी तरह समझकर सावधानीपूर्वक सही रूप में जिस प्रकार चाहा गया है उसी प्रकार जानकारी भरें। आवेदन-पत्र भरने के संदर्भ में अभ्यर्थी वेबसाइट पर उपलब्ध अनुदेशों तथा निर्देशों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर तदनुसार ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरें।
   6. आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया में यह माना जाएगा कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन फार्म में अंकित की जा रही है, वही प्रमाणिक जानकारी है। अतः ऑनलाइन आवेदन-पत्र submit करने के पूर्व आवेदक अपना आवेदन-पत्र सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझकर तथा भरी गई जानकारी से स्वयं को संतुष्ट करने के पश्चात ही आवेदन-पत्र submit करें।
   7. आवेदन-पत्र submit करने के बाद खुलने वाले popup window में आवेदक को उसके द्वारा आवेदन-पत्र में उल्लिखित आधारभूत सूचनाएं अर्थात **उसका नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, श्रेणी लिंग आदि की जानकारी दी जाएगी** जिसमें त्रुटि परिलक्षित होने पर अभ्यर्थी Cancel बटन दबाकर पुनः फार्म में वापस जाकर अपेक्षित सुधार कर सकेंगे। Popup window में OK बटन दबाकर फार्म सबमिट करने पर आवेदन-पत्र के सफलतापूर्वक जमा होने की सूचना मिलेगी, जिसमें उसके आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख होगा किन्तु यह Unpaid होगा।
   अभ्यर्थी कृपया ध्यान रखें कि आवेदन-पत्र submit होने के बाद "proceed for payment" बटन दबाकर भुगतान की कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात अभ्यर्थी को उसका आवेदन-पत्र प्राप्त होगा जिसमें भुगतान का विवरण भी होगा जिसमें भुगतान राशि तथा "Payment Done" स्पष्टतः उल्लेखित होगा। आवेदक उक्त सूचना को प्रिंट करके अपने पास रखें तथा भविष्य में आयोग से किए जाने वाले पत्र व्यवहार में आवेदन-पत्र क्रमांक का उल्लेख करें।

8. **त्रुटि सुधार सुविधा** :- अभ्यर्थी अपना आवेदन-पत्र सावधानी पूर्वक भरें। आवेदन-पत्र में कोई त्रुटि होने पर दिनांक 22.08.2022 से 18.09.2022 तक प्रति त्रुटिसुधार सत्र रु. 50/- त्रुटिसुधार शुल्क का भुगतान कर ऑनलाइन आवेदन-पत्र में अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन ही त्रुटिसुधार किया जा सकेगा। नियत अवधि में त्रुटिसुधार नहीं करने पर कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा। मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु शुल्क रु. 1000 तथा अन्य श्रेणी हेतु रु. 2000 निर्धारित है अतः छूट वाली श्रेणियों के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा गैर छूट श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि रु. 1000 त्रुटि सुधार शुल्क के अतिरिक्त देय होगा, किन्तु गैर छूट श्रेणी के अभ्यर्थी के रूप में भरे गए आवेदन को त्रुटि सुधार द्वारा छूट श्रेणी का करने की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
ऑनलाइन आवेदन पत्रों में भरी गई श्रेणी/वर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग)/आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग)/लिंग (महिला/पुरुष)/शासकीय सेवक/दिव्यांगता आदि के आधार पर ही परिणाम घोषित किया जाता है। अतः त्रुटिसुधार अवधि समाप्त होने के बाद श्रेणी/वर्ग परिवर्तन विषयक कोई पश्चातवर्ती अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए नस्तीबद्ध किया जाएगा।

9. **आवेदन-पत्र प्रेषण के संदर्भ में आवश्यक अनुदेश :-**
   (1) आयोग की वेबसाइट **http://mppsc.mp.gov.in** के **Download Formate** लिंक से अनुप्रमाणन फार्म, व्यक्तिगत विवरण-पत्रक एवं उपस्थिति-पत्रक डाउनलोड करके उनकी पूर्ति करें। पूर्ति पश्चात उक्त प्रपत्रों की क्रमशः तीन, छः तथा एक छायाप्रति करायें।
   (2) ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने तथा शुल्क भुगतान के पश्चात प्राप्त ऑनलाइन आवेदन में उल्लेखित भुगतान विवरण की जांच कर यह सुनिश्चित कर लें कि शुल्क का भुगतान हो चुका है। यह भी जांच कर लें कि समस्त प्रविष्टियां सही हैं (त्रुटि होने पर विहित अवधि में त्रुटि सुधार कर लें **(देखें बिन्दु-8)**। ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें। उक्त हस्ताक्षरित ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ अपने सभी अभिलेखों की स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें तथा साथ ही अनुप्रमाणन फार्म, व्यक्तिगत विवरण पत्रक एवं उपस्थिति पत्रक की एक एक प्रति संलग्न करें। (प्रपत्रों की शेष प्रतियां अपने पास सुरक्षित रखें क्योंकि उन्हें आपको साक्षात्कार के समय अपने मूल अभिलेखों के साथ प्रस्तुत करना होगा)
   (3) एक बड़े लिफाफे पर निम्न विवरण अंकित कर उक्त सेट (आवेदन-पत्र तथा समस्त अभिलेख) इस बड़े लिफाफे में रखकर पंजीबद्ध डाक या स्पीड पोस्ट से आयोग को प्रेषित करें।

विज्ञापन क्रमांक 08/2022 दिनांक 29.07.2022
निश्चेतना विशेषज्ञ, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के पद हेतु आवेदन-पत्र

प्रति,
सचिव
मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग
रेसीडेंसी एरिया
इंदौर (मध्यप्रदेश) पिन - 452001

प्रेषक :
आवेदक का नाम
तथा पता

(लिफाफे पर विज्ञापन क्रमांक, पद/विभाग का नाम अंकित न होने पर उस पर विचार नहीं किया जाएगा)

   (4) ध्यान रखें अभिलेखों सहित उक्त आवेदन-पत्र दिनांक 28.09.2022 को सायंकाल 6:00 बजे तक आयोग कार्यालय में पहुंचने पर ही समयावधि में प्राप्त माना जाएगा। आवेदन-पत्र उक्त दिनांक तथा समय तक समस्त कार्य दिवसों में कार्यालयीन समय **(प्रातः 10:00 बजे से सायंकाल 6:00 बजे तक)** आयोग कार्यालय में भी प्राप्त किए जाएंगे तथा प्राप्ति की रसीद दी जाएगी। आवेदक आयोग को प्रेषित आवेदन-पत्र तथा अभिलेखों का एक सेट अपने पास सुरक्षित रखें।

10. विलंब से प्राप्त आवेदन-पत्र निरस्त किए जाएंगे तथा जमा शुल्क वापस नहीं किया जाएगा। **अतः आवेदक अंतिम तिथि की प्रतीक्षा करने के बजाय पर्याप्त समय पूर्व ऑनलाइन आवेदन कर अभिलेखों सहित आवेदन-पत्र आयोग को प्रेषित करें।**
11. आवेदक यह सुनिश्चित करें कि उनके द्वारा आवेदन-पत्र में दर्ज हस्ताक्षर ही वे साक्षात्कार की उपस्थिति सूची तथा आयोग के समस्त पत्र व्यवहार में करें। विभिन्न अभिलेखों के हस्ताक्षरों में समानता न होने पर आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी।

2. **आवेदन शुल्क**

मध्यप्रदेश के मूल निवासी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) तथा दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु	शेष सभी श्रेणी तथा मध्यप्रदेश के बाहर के निवासी अभ्यर्थियों हेतु
रु. 1000/-	रु. 2000/-
उपरोक्त शुल्क के अतिरिक्त रु. 40/- (जीएसटी सहित) पोर्टल शुल्क देय होगा	
● परीक्षा की स्थिति में परीक्षा शुल्क का भुगतान पृथक से करना होगा	
● **शुल्क वापसी** :- अपरिहार्य कारणों से विज्ञापन निरस्त होने की स्थिति में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन शुल्क वापसी आवेदन प्राप्त कर आवेदन शुल्क की राशि वापस की जाएगी किन्तु पोर्टल शुल्क की राशि किसी भी स्थिति में वापस नहीं की जाएगी।	

आवेदन शुल्क तथा पोर्टल शुल्क के अतिरिक्त किसी भी रूप में अन्य किसी राशि का भुगतान नहीं करना है। यदि कियोस्कधारक द्वारा अतिरिक्त राशि की मांग की जाती है तो **mponline** से निम्न दूरभाष पर संपर्क कर शिकायत दर्ज़ करा सकते हैं :-

हेल्पलाइन नं. 0755-6720200

नोट : यदि आपको ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने में कोई समस्या आती है, तो नीचे दर्शाए गए दूरभाष नंबरों पर संपर्क करें :-
(1) मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, रेसीडेंसी क्षेत्र, इंदौर (0731) 2701624, 2701983
(2) एम.पी. ऑनलाइन लिमिटेड
(मध्यप्रदेश शासन तथा टाटा कंसल्टेन्सी सर्विसेज का संयुक्त उपक्रम)
ऑफिस ब्लॉक OB-14 से 17, चतुर्थ तल, डी.बी. सिटी कार्पोरेट पार्क,
अरेरा हिल्स, ज़ोन-1 के सामने, एम.पी. नगर,
भोपाल-462011, हेल्पलाइन नं. 0755-6720200

3. **आवेदन की अंतिम तिथि**
ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 16.09.2022 है। अंतिम तिथि को दोपहर 12:00 बजे आवेदन-पत्र जमा करने की सुविधा बंद कर दी जाएगी।

4. **अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण-पत्रों की छायाप्रतियां आवश्यक रूप से संलग्न करें :-**
आयु संबंधी प्रमाण के लिए :- केवल हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी अथवा मैट्रीक्यूलेशन की अंक-सूची/प्रमाण-पत्र जिसमें जन्मतिथि का स्पष्ट उल्लेख हो।
रोज़गार कार्यालय में पंजीयन का प्रमाण-पत्र :- जिस श्रेणी के अभ्यर्थियों को जीवित रोज़गार पंजीयन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, वे उपलब्ध होने पर संलग्न करें। उक्त प्रमाण पत्र साक्षात्कार के समय भी प्रस्तुत किया जा सकता है।
दिव्यांगता प्रमाण-पत्र :- दिव्यांगजन श्रेणी के अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक एफ-8-1-सत्रह-मेडी-2, दिनांक 09.01.2009 द्वारा गठित जिला चिकित्सा मण्डल से प्राप्त नवीनतम (Latest) स्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संलग्न करना आवश्यक है। सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय, मध्यप्रदेश के परिपत्र क्रमांक/दि.स/302/2021/1098 दिनांक 06.05.2021 में उल्लेखानुसार दिनांक 01.06.2021 तथा उसके पश्चात् जारी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र यूडीआईडी पोर्टल के **http://www.swavlambancard.gov.in** के माध्यम से जारी होने पर ही मान्य होंगे, उक्त तिथि के बाद मेन्युअल प्रक्रिया से जारी किया गया दिव्यांगता प्रमाण-पत्र अमान्य होगा।
शैक्षणिक अर्हताओं के प्रमाण-पत्र :- हाईस्कूल/हायर सेकेन्डरी तथा उसके बाद की अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता सहित उन समस्त परीक्षाओं की जिन्हें आवेदक ने उत्तीर्ण किया है के समस्त वर्षों/ सेमेस्टर्स की अंक सूचियां एवं उपाधि।
शासकीय सेवक होने का प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण पत्र में धारित पद तथा विभाग का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए।
संविदा सेवा के अनुभव प्रमाण-पत्र :- यह प्रमाण-पत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया होना चाहिए। इस प्रमाण-पत्र में धारित पद तथा अनुभव अवधि का स्पष्ट उल्लेख होना आवश्यक है। (दिनांक से दिनांक तक प्रारूप में)।
जाति के प्रमाण-पत्र :- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का स्थायी जाति प्रमाण-पत्र अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जो की मध्यप्रदेश शासन द्वारा जाति प्रमाण-पत्र देने के अधिकृत हैं द्वारा जारी किया गया हो आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें। साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी साक्षात्कार के समय स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत नहीं करता है तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा। इस संदर्भ में अभ्यर्थी का कोई वचन-पत्र अथवा अभ्यावेदन मान्य नहीं करते हुए उसे नस्तीबद्ध किया जाएगा एवं आयोग इस संदर्भ में कोई पत्र-व्यवहार नहीं करेगा। विवाहित महिलाओं का उनके नाम के साथ पिता का नाम उल्लेखित जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य किया जाएगा। विवाहित महिलायें विवाहोपरांत नाम/उपनाम परिवर्तन का शपथ पत्र संलग्न करें। अन्य किसी राज्य में जारी किया गया प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा।
अन्य पिछड़ा वर्ग में क्रीमीलेयर में न आने का प्रमाणन भी आवश्यक है। अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग के जिन प्रमाण-पत्रों में क्रीमी लेयर में न आने संबंधी कंडिका कटी होगी या नहीं होगी वे मान्य नहीं होंगे। इस संदर्भ में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार घोषणा-पत्र संलग्न करना होगा :-

घोषणा-पत्र (Declaration) का प्रारूप

मैं ———— आयोग के विज्ञापन क्रमांक 08/2022 दिनांक 25.07.2022 के अंतर्गत आवेदन-पत्र आयोग को प्रस्तुत कर रहा/रही हूं। मैं निम्नानुसार घोषणा करता/करती हूं

1. मैं ———— पुत्र/पुत्री श्री ———— निवासी ग्राम/कस्बा/ शहर/———जिला ——— मध्यप्रदेश का/की मूल निवासी हूं। यह घोषणा करता/ करती हूं कि मैं ————जाति का/की सदस्य हूं जो शासन द्वारा शासकीय सेवा में (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी में आरक्षण के लिए अधिसूचित है।
2. मैं शपथ पूर्वक यह भी घोषणा करता/करती हूं कि आवेदन की अंतिम तिथि तक मध्यप्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा निर्धारित अद्यतन मापदंडों के अनुसार, मैं सम्पन्न वर्ग अर्थात क्रीमीलेयर की श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता/आती हूं।

दिनांक :- ————
हस्ताक्षर : ————
नाम : ————
आवेदन-पत्र क्रमांक : ————

(उक्त घोषणा-पत्र तथा जाति प्रमाण-पत्र की स्केन्ड प्रति ऑनलाइन आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करें)
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के अभ्यर्थी नवीनतम EWS प्रमाण पत्र संलग्न करें।
तदर्थ रूप से शासन की सेवा में कार्यरत आवेदकों को तत्संबंधी प्रमाण-पत्र आवेदन-पत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
शासकीय/निगम/मण्डल/स्वशासी संस्था के कर्मचारी तथा नगर सैनिक हेतु :- नियोक्ता अधिकारी/सक्षम अधिकारी का प्रमाण-पत्र।
परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-1) के अधीन उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी का प्रमाण-पत्र।
परिशिष्ट-1 की कंडिका-(दो-2) के अंतर्गत उच्चतम आयु सीमा में छूट हेतु विक्रम पुरस्कार प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र।

5. जो व्यक्ति पहले से शासकीय सेवा में स्थायी या अस्थायी हैसियत से काम कर रहा हो या किसी काम के लिए विशिष्ट रूप से नियुक्त कर्मचारी हो, जिसमें आकस्मिक या दैनिक दर पर नियुक्त कर्मचारी अथवा जो लोक उद्यमों के अधीन कार्यरत हो, उनको यह परिवचन (Undertaking) प्रस्तुत करना होगा कि, उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय/विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस विज्ञापन के संदर्भ में आवेदन किया है। उम्मीदवारों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यदि आयोग को उनके नियोक्ता से उनके उक्त परीक्षा के लिए आवेदन करने अथवा परीक्षा/साक्षात्कार में शामिल होने के संदर्भ में अनुमति रोकते हुए कोई पत्र मिलता है तो उनका आवेदन-पत्र अस्वीकृत कर उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

6. **अनुशासनिक निर्देश :- (परीक्षा संबंधी अनुदेश परीक्षा की स्थिति में)**
यदि आयोग का यह समाधान हो जाता है कि कोई अभ्यर्थी निम्नलिखित में से किसी के लिए दोषी है :-
01 जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिए साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन अभिप्राप्त किया हो; या
02 प्रतिरूपण किया हो; या
03 किसी व्यक्ति से प्रतिरूपण कराया हो; या
04 कूटरचित अभिलेख या ऐसे अभिलेख प्रस्तुत किए हों, जिनमें फेरबदल किया गया हो; या
05 ऐसे कथन दिए हों जो गलत और झूठे हों या जिसने चयन के किसी भी प्रक्रम पर सारभूत जानकारी छुपाई हो; या
06 परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो; या
07 परीक्षा कक्ष में अथवा अन्यत्र अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो; या
08 परीक्षा संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो; या
09 उनके द्वारा प्रवेश पत्र में उम्मीदवारों के लिए दिए गए किसी भी अनुदेशों या निर्देशों जिसमें परीक्षा संचालन में लगे केंद्र पर्यवेक्षक या अन्य कर्मचारी द्वारा मौखिक रूप से दिए गए अनुदेश सम्मिलित है, अतिक्रमण किया हो; या
10 परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से किया गया दुर्व्यवहार,
11 परीक्षा कक्ष में परीक्षा हेतु प्राप्त उत्तर-पुस्तिका परीक्षा के समाप्त होने पर परीक्षा कक्ष के वीक्षक / परीक्षक को न जमा करते हुए अपने साथ ले गया हो।

तब आयोग द्वारा :-
(क) उसे उस परीक्षा के लिए, जिसके लिए वह उम्मीदवार है निरर्ह ठहराया जा सकेगा
और/ या
उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी परीक्षा से या उनके द्वारा किए जाने वाले किसी चयन से विवर्जित कर सकेगा।
(ख) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपर्युक्त नियमों के अधीन उस पर अनुशासनिक कार्यवाही हेतु पैतृक विभाग को अनुशंसा की जाएगी।
(ग) इसके अतिरिक्त अभ्यर्थी के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन भी दर्ज किया जा सकेगा।
एवं तब शासन द्वारा :-
उसे या तो स्थायी रूप से या विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए उसके अधीन नियोजन से विवर्जित किया जा सकेगा।

7. **अनर्हताएं** :- ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें किसी भी चयन संस्था द्वारा विशिष्ट कालावधि हेतु भर्ती परीक्षा हेतु विवर्जित किया गया है उस कालावधि हेतु आवेदन करने हेतु अपात्र रहेंगे।

8. **यात्रा व्यय का भुगतान :-**
मध्यप्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के ऐसे अभ्यर्थियों को जो कहीं सेवारत नहीं हैं, मध्यप्रदेश शासन के प्रचलित नियमों के अधीन यात्रा व्यय का भुगतान आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा। आवेदकों को इसके लिए वांछित घोषणा-पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबन्धित निम्नांकित अभिलेख प्रस्तुत करना होंगे :-
(01) अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) श्रेणी के प्रमाणन हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र की स्व-प्रमाणित प्रति।
(02) यात्रा टिकट जिसमें यात्रा की तिथि, कहां से कहां तक यात्रा की गई है तथा किराए की राशि का स्पष्टतः उल्लेख हो।
अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों के परीक्षण के बाद यात्रा व्यय का भुगतान ऑनलाइन पद्धति से अभ्यर्थी के खाते में किया जाएगा। इस हेतु अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन-पत्र में विहित स्थान पर अपने बैंक का नाम स्वयं के बैंक खाते का नम्बर एवं बैंक का आई.एफ.एस.सी. कोड का उल्लेख करना तथा साथ ही अपने बैंक पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्केन प्रति आवेदन-पत्र के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा।

ARMY RECRUITING OFFICE : BHOPAL (MADHYA PRADESH)
AGNIVEER RECRUITMENT RALLY AT LAL PARADE GROUND, BHOPAL (M.P.)
FROM 27 OCTOBER 2022 TO 06 NOVEMBER 2022

(REGISTRATION OPENS ON 05 AUG. 2022 AT 0001HRS (12:01 AM) AND CLOSES ON 03 SEP. 2022 AT 1700HRS) (05:00PM))

ONLINE REGISTRATION IS MANDATORY. ALL CANDIDATES TO LOGIN TO JOIN INDIAN ARMY WEBSITE (www.joinindianarmy.nic.in).

REGISTRATION WILL BE OPENED FOR AGNIVEER GENERAL DUTY, AGNIVEER TECHNICAL, AGNIVEER CLERK/STORE KEEPER TECHNICAL, AGNIVEER TRADESMAN 10th PASS & AGNIVEER TRADESMAN 8th PASS AS PER THE ARO RALLY SCHEDULE

BEWARE : DO NOT WASTE YOUR MONEY ON TOUTS. RECRUITING PROCESS HAS BEEN COMPUTERISED AND TOUTS CANNOT DO ANYTHING.

Note : Rally dates and venue are tentative and subject to change. Final date and venue will be mentioned in the Admit Card issued for the Rally.

1. Army Recruitment Rally will be held for eligible **male candidates** of districts **Bhopal, Betul, Chhindwara, Hoshangabad, Harda, Rajgarh, Raisen, Sehore and Vidisha in Madhya Pradesh from 27 Oct. 2022 to 06 Nov. 2022 at Lal Parade Ground, Bhopal (Madhya Pradesh).** Online registration is mandatory and will be open from 05 Aug 2022 at 0001hrs (12:01AM) to 03 Sep 2022 at 1700 hrs (05:00PM). Admit Cards for the Rally will be sent through registered e-mail from 07 Sep. 2022 to 11 Sep. 2022. Candidates should reach the venue on given date and time as mentioned in the Admit Card. Gates of Rally ground will be open at 00.30 AM and will close at 05.00 AM daily for candidates called for that particular day.

Special Instructions

2. The salient aspects of terms and conditions of service for persons enrolled through the Agnipath Scheme for service in the Indian Army are mentioned in the succeeding paragraphs.
3. **Terms and Conditions.**
   (a) **Enrolment.**
   (i) Candidates will be enrolled under Army Act 1950 for a service duration of four (04) years including the training period.
   (ii) Agniveers so enrolled will be subject to Army Act, 1950 and will be liable to go wherever ordered, by land, sea or air.
   (iii) Agniveers enrolled under the scheme, will not be eligible for any kind of Pension or Gratuity.
   (b) **Service.**
   (i) Service of Agniveers will commence from the date of enrolment.
   (ii) Agniveers would form a distinct rank in the Indian Army, different from any other existing ranks.
   (iii) Leave, Uniform, Pay & Allowances during the service period of four years will be governed by orders and instructions in respect of such individuals issued by the Government of India from time to time.
   (iv) Agniveers will be liable to be assigned any duty in organisational interest, as decided from time to time.
   (v) Personnel enrolled through Agniveers Scheme, will be required to undergo periodical medical check-ups and physical/ written/ field tests as governed by orders issued. The performance so demonstrated would be considered for subsequent offer for enrolment in the Regular Cadre.
   (vi) Agniveers can be posted to any regiment/unit and can be further transferred in organisational interest.
   (c) **Discharge.**
   (i) All Agniveers will be discharged on completion of four years of service.
   (ii) On discharge after completion of four years, Agniveers will be paid a 'Seva Nidhi' package to enable them to return to the society for pursuing employment in other sectors.
   (iii) Agniveers will not be eligible for any kind of pension or gratuity, neither will they be eligible for Ex Servicemen Contributory Health Scheme (ECHS), Canteen Stores Department (CSD) facilities, Ex Serviceman status and other related benefits.
   (iv) Agniveers will be barred from disclosing classified information gained during service to any unauthorised person or source under Indian Official Secrets Act, 1923.
   (d) **Enrolment for Regular Cadre.**
   (i) Based on organizational requirements and policies promulgated Agniveers who are completing their engagement period in each batch will be offered an opportunity to apply for enrolment in the regular cadre of Indian Army. These applications will be considered in a centralised manner by the army based on an objective criterion including performance during their engagement period and not more than 25% of each specific batch of Agniveers will be enrolled in regular cadre of the Indian Army, post completion of their four years engagement period.
   (ii) Agniveers so enrolled as regular cadre would be required to serve for a further engagement period of 15 years and will be governed by terms and conditions of service (of Junior Commissioned Officers/Other Ranks in Indian Army) currently in vogue and as amended from time to time. Agniveers will not have any right to be selected. Selection will be exclusive jurisdiction of the Indian Army.
   (iii) With introduction of this Scheme, the enrolment of Soldiers in the regular cadre of Indian Army, except technical cadres of Medical Branch, will be available only to those personnel who have completed their engagement period as Agniveer.
4. **Employability.**
   (a) Agniveers will be liable to be assigned any duty in organisational interest, as decided from time to time.
   (b) Agniveers can be posted to any regiment/unit and can be further transferred to other regiments/units in organisational interest.
5. **Leave.** Grant of leave will be subject to exigencies of service. The following leave may be applicable for Agniveers during their engagement period : -
   (a) **Annual Leave.** Upto 30 days per year.
   (b) **Sick Leave.** Based on medical advice.
6. **Pay, Allowances & Allied Benefits.**
   (a) **Agniveer Package.**
   (i) The pay & emoluments of Agniveers will be as given below : -
   (aa) **Year 1.** Customised Package - Rs. 30,000/- (plus applicable allowances.)
   (ab) **Year 2.** Customised Package - Rs. 33,000/- (plus applicable allowances.)
   (ac) **Year 3.** Customised Package - Rs. 36,500/- (plus applicable allowances.)
   (ad) **Year 4.** Customised Package - Rs. 40,000/- (plus applicable allowances.)
   (ii) From the above package, 30% will be compulsorily deposited every month in a corpus which will be matched by the GOI. Balance amount less the corpus contribution will be the in-hand component.
   (b) **Seva Nidhi Package.** On discharge at 4 years, the corpus of Rs. 5.02 lakhs will be matched by the Government of India (GOI), an amount of Rs. 10.04 lakhs and accrued interest will be given to the Agniveers. In case of Agniveers who are subsequently selected for enrolment in Indian Army as regular cadre, the "Seva Nidhi" package to be paid to them will comprise only their contribution including accrued interest thereon. In the case of Agniveers exiting service before the end of their engagement period on their own request, the individual's Seva Nidhi package, accumulated as on date, will be paid with the applicable rate of interest. In such cases, no Govt. contribution to Seva Nidhi Package will be entitled. The "Seva Nidhi" will be exempt from Income Tax.
   (c) **Payment Modality - Seva Nidhi Package.** Two options to receive Seva Nidhi package will be provided to each Agniveer, with an aim to provide financial loans for self-employment/ entrepreneurship through a Bank Guarantee as also to meet immediate/ incidental expenses, on exit. Firm details will be promulgated separately.
   (d) **Allowances.** The Agniveer pay is a composite package and he will not be eligible for any Dearness Allowance and Military Service Pay. He will get applicable Risk & Hardship, Ration, Dress and Travel allowances as decided by the Government of India (GOI) from time to time.
   (e) Agniveers will be exempted from making any contribution in Armed Forces Personnel Provident Fund or any other Provident Fund.
   (f) There shall be no entitlement towards Gratuity or pensionary benefits for Agniveers enrolled through this Scheme.
7. **Life Insurance Cover.** Agniveer will be provided non-contributory life insurance cover of Rs. 48 lakhs for the duration of their engagement period and they will not be eligible for Army Group Insurance Fund (AGIF) Schemes/benefits.
8. **Termination/ Release from Service.**
   (a) The maximum period of service for Agniveers will be as enumerated at Para 3 above. However, the services of Agniveers under this scheme may be terminated at any time in accordance with the Army Act 1950.
   (b) Release at own request prior to completion of terms of engagement of Agniveers is not permitted. However, in most exceptional cases, personnel enrolled under this scheme may be released, if sanctioned by competent authority.
9. **Benefits for Personnel Exiting at Four Years of Service.** After completing four years of service (as applicable), the following benefits will be offered to the exiting individuals : -
   (a) **Seva Nidhi Package.** Refer Para 6 (b) above. The corpus generated after four years of contribution will be paid to the exiting Agniveers.
   (b) **'Agniveer' Skill Certificate.** At the end of engagement period, a detailed Skill set certificate will be provided to the Agniveers, highlighting the skills and level of competency acquired by the personnel during their engagement period.
   (c) **Class 12th Certificate.** Agniveers who have been enrolled after qualifying Class 10th, a certificate for 12th (equivalent) will be given on completion of their 4 years engagement period, based on skills attained. Detailed instructions shall be issued separately.
10. **Procedure for Online Registration.**
   (a) All candidates to log in to **www.joinindianarmy.nic.in**, check their eligibility status and create their profile.
   (b) Online Registration (submission of application) will commence from **05 Aug. 2022** and close on **03 Sep. 2022.**
   (c) Candidates will **login after 11 Sep. 2022 and take printout of the Admit Card which they will carry to Rally Site.**
   (d) Candidates will be allowed **to participate in the Rally** if they **produce Admit Card. Affidavit** for details duly attested by notary and as per format given at **Appendix B.**
11. Army Recruitment Rally under Agnipath Scheme will be held at **Lal Parade Ground, Bhopal (Madhya Pradesh). Admit Card** for the rally **will be sent** through registered email from **07 Sep. 2022** to **11 Sep. 2022.** Candidates shall reach the venue on given date and time as mentioned in Admit Card.
12. Candidates will be screened for the following categories and as per qualitative requirements mentioned below : -

Category	Age (Years)	Born Between (Both dates Inclusive)	Minimum Physical QR			Educational Qualification
			Height (Cms)	Weight (Kg)	Chest (Cms)	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Agniveer (General Duty) (All Arms)	17 ½ - 23#	01 Oct. 1999 to 01 Apr 2005	168	50.8	77 (+5 cm expansion)	'Class 10th /Matric with 45% marks in aggregate and 33% in each subject.
Agniveer (General Duty) (All Arms) (Schedule Tribe candidate)	17 ½ - 23#	01 Oct. 1999 to 01 Apr. 2005	162	47.2	77 (+5 cm expansion)	For boards following grading system, minimum of 'D' grade (33% - 40%) in individual subjects or grades with 33% in individual subjects and overall aggregate of 'C2' grade or equivalent corresponding to 45% in aggregate. **Note :** Candidates with valid Light Motor Vehicle (LMV) Driving License will be given preference for Driver requirements.
Agniveer (Technical) (All Arms)	17 ½ - 23#	01 Oct. 1999 To 01 Apr. 2005	167	50.2	76 (+5 cm expansion)	10+2/Intermediate Exam Pass in Science with Physics, Chemistry, Maths and English with minimum 50% marks in aggregate and 40% in each subject. OR 10+2/Intermediate Exam

						Pass in Science with Physics, Chemistry, Maths and English from any recognized State Education Board or Central Education Board to include NIOS and ITI Course of minimum one year in required field with NSQF level 4 or above.
Agniveer Clerk/Store Keeper (Technical) (All Arms)	17 ½ - 23#	01 Oct. 1999 to 01 Apr. 2005	162	47.2	77 (+5 cm expansion)	10+2/Intermediate Exam Pass in any stream (Arts, Commerce, Science) with 60% marks in aggregate and minimum 50% in each subject. Securing 50% in **English and Maths/Accts/Book Keeping in Cl XII is mandatory.**
Agniveer Tradesmen (All Arms) (10th Pass)	17 ½ - 23#	01 Oct. 1999 to 01 Apr. 2005	168	50.8	77 (+5 cm expansion)	(i) Class 10th simple pass. (ii) No stipulation in aggregate percentage but should have scored min 33% in each subject.
Agniveer Tradesmen (All Arms) (8th Pass)	17 ½ - 23#	01 Oct. 1999 to 01 Apr. 2005	168	50.8	77 (+5 cm expansion)	(i) Class 8th simple pass. (ii) No stipulation in aggregate percentage but should have scored min 33% in each subject.

Note 1: # The upper age limit has been relaxed from 21 years to 23 years as a onetime measure for the Recruiting Year 2022-23.
Note 2. Education Certificates issued by Education Boards affiliated to/listed by COBSE, UGC, Distance Education Council, AICTE, CBSE and NIOS only will be considered
Note 3. Age as mentioned in class 10th and 12th certificate will be accepted as Date of Birth proof.
Note 4. Caste certificate will be considered to determine applicability of height relaxation.

13. **Relaxation In Physical Standards.**

Ser No.	Category	Height (Cms)	Chest (Cms)	Weight (Kgs)
(a)	For Son of Service (SOS)/Ex-Servicemen (SOEX), War Widow (SOWW) / Widow of Ex-Servicemen (SOW). For adopted son/ Son-in-law of a War Widow, if she has no son and including a legally adopted son of serving Sol/Ex/-Serviceman.	2	1	2
(b)	Outstanding Sportsmen (National/ State & those who represented District College/School State/University/Board Championship & earned 1st/2nd position.	2	3	5

Note 1. An eligible candidate can be granted prescribed relaxations in all three measurements i.e. height, chest and weight.
Note 2. Relaxation in Physical Standards is either for wards of servicemen/ex-servicemen or sportsman (not both) and is in addition to the special physical standards.

14. Candidates will be tested as stated below : -

Physical Fitness Test (At Rally Site)							Remarks
1.6 Km Run			Beam (Pull Ups)		9 Feet Ditch&	Zig-Zag Balance	
Group	Time	Marks	Pull Ups	Marks	Need to Qualify	Need to Qualify	
Group I	Up till 5 Min 30 Secs	60	10	40			
Group II	5 Min 31 Sec to 5 Min 45 Secs	48	09	33			
			08	27			
			07	21			
			06	16			

Physical Measurement (At Rally Site)
Physical measurement will be carried out as per the Physical standards listed at Para 12 above.

Medical Test
(a) As per laid down medical standards at the Rally Site.
(b) Unfit candidates will be referred to MH for specialist review. Candidates to report to designated Military Hospital within 5 days from referral and review medical exam to be completed by Military Hospital within 14 days as per policy.
(c) Candidates referred for specialist review to Military Hospital should report back to ARO for issue Admit Card for Common Entrance Examination (CEE) in case declared FIT during review.

Written Test through Common Entrance Examination (CEE)
(a) Will be conducted for medically fit candidates at nominated venue. Location Date and time of Common Entrance Exam (CEE) will be intimated through Admit Cards.
(b) Admit Card for the CEE for the Rally Fit candidates will be issued at Rally Site after Aadhar Update History Verification through OTP on linked mobile number.
(c) Admit Card for the CEE for the Medical Review **"Fit"** cases will be issued at ARO Bhopal after getting medically fit by concerned specialist/specialists at MH.
(d) Admit Card for the Common Entrance Exam (CEE) for relaxation candidates (i.e. Relationship/ Sports / NCC Cert) will be issued after verification from issuing authority.

15. Candidates are required to **bring following documents/certificates in original** with **two attested photocopies** with them to the Rally site (List is attached as **Appendix A**).
(a) **Admit Card.** Printed on Laser Printer on good quality paper (Do not shrink the size).
(b) **Photograph.** Twenty (20) copies of unattested Passport size colour photographs developed on good quality photo paper in **white background & not more than three months old** (dates to be printed at the bottom of photographs). Computer modified/ photo-shopped photographs **will NOT be accepted. Photographs must be with proper haircut and clean shave (except Sikh Candidates).** Sikh and Sikh (M&R) candidates photographs should be with Turban/Patka.
(c) **Education Certificates.**
(i) **Education Certificate and Marks Sheet** should be **brought in original** of all educational qualifications achieved by candidate i.e Matric/Intermediate etc from recognized School/College/Board/University. Candidates with ITI Certificate should have attend a course of minimum one year in required field with NSQF level 4.
(ii) **Provisional/Online Education Certificate** should be **certified and ink signed** by the Head of the Educational Institution of concerned Board/University with candidates sign & thumb impression on the rear of the certificate.
(iii) Candidates with **Matric Certificate from Open School should** bring **Transfer Certificate/School Leaving Certificate countersigned by BEO/DEO.**
(iv) For Agniveer Tradesman **8th category, original copy of 8th class Marks Sheet and Transfer Certificate** (both certificates issued by School) with signature **& office stamp of Principal of School and countersigned by District Education Officer**/ District Inspector of Schools.
(v) Candidates whose **Original Certificates has not been received from the concerned Education Board,** or have deposited their Original Certificates to other educational institutes, will be permitted to attend Rally based on photocopy of their Educational Certificate/**Provisional Certificate**/Online Certificate duly **attested by School Principal/Head of Institute**/College Principal and Candidates sign and thumb impression on the rear of the certificates. However, verification of original will be carried out after Rally Stage and dispatch will be only after the original certificates are deposited.
(vi) **For below Matriculation Candidates**, Original copy of Result sheet of Class 8th or **School Leaving or School Transfer Certificate** in original with Date of Birth or certified extract from municipal or Village Birth Register or in the case of Christians, original Baptism certificate will be accepted **as proof of Date of Birth.**
(vii) **10th** and **12th Class Certificate in original** will be brought to Rally site as proof of **Date of Birth** & for document verification and failure to do so will result in rejection of candidate.
(viii) Enrolling Officer may call for additional proofs as necessary regarding Educational Qualification and Date of Birth.
(ix) List of Education Board recognized by State Governments/UT administrations attached as **Appendix Q** will only be accepted.
(d) **Domicile/Nativity Certificate.**
(i) Domicile Certificate with photograph issued by Tehsildar/ District Magistrate/State Government authorised signatory.
(ii) **While appearing for the Rally, candidate will produce "Digital Domicile/Nativity Sthaniya Niwas Certificate" duly attested by Village Sarpanch/Municipal/ Block Administrative Officer.** Suggested format is at **Appendix C.**
(e) **Caste Certificate.** Caste Certificate affixed with photograph of the candidate issued by the authorized signatory ie. District Magistrate/Tehsildar/Revenue Department Officer and issued online will be accepted.
(i) Candidates who are authorized any type of relaxation in physical standard and education criteria and being recruited against ST /SC/OBC/SBC vacancies will produce Caste Certificate in original.
(ii) Suggested format is at **Appendix E.**
(f) **Religion Certificate.** Religion Certificate to be issued by the Tehsildar/SDM. (If religion as "**SIKH/ HINDU/ MUSLIM/ CHRISTIAN**" is not mentioned in caste certificate or **Religion Certificate is not issued by District Authorities** then a **General Affidavit** showing Religion as per suggested format at **Appendix F** will be submitted by all candidates.
(g) **School Character Certificate.** School Character Certificate issued by the School/ College Principal/Headmaster **where the candidates last studied.** Format is at **Appendix H.**
(h) **Character Certificate.** Character Certificate **with photograph issued by Village Sarpanch/Municipal Corporation Mayor within last six months.** Format is at **Appendix G.**
(j) **Unmarried Certificate.** Unmarried Certificate for all candidates **with photograph issued by Village Sarpanch/Municipal Corporation Mayor** and issued **within last six months** as per format at **Appendix K** will be submitted.
(k) **Relationship Certificate.** SOS/SOEX/SOW/SOWW Candidates are required to produce the following documents : -
(i) Relationship certificate issued from **respective Record Office** only duly signed by Record Officer with Personal Number, Rank, Name and particular of the Record Officer issuing the Relationship Certificate with office seal/stamp is endorsed. **Relationship certificate should bear water marks** of the concerned Records.
(ii) A declaration to the effect as mentioned in **Affidavit on Ten Rupees Non-Judicial Stamp paper** prepared by the ESM duly signed by 1st Class/Executive/Judicial Magistrate is required to be submitted by the candidate at Rally site. Format of affidavit is attached as per **Appendix L.**
(iii) **Original Discharge Book of Ex-Servicemen** also to be produced. Name and date of birth of the candidate must have been recorded in it as per 10th Certificate and a copy of corresponding page will be produced at Rally Site.
(l) **NCC Certificate. NCC A/B/C Certificate and Republic Day** Parade certificate should have photograph of the candidate duly attested by issuing authority. Provisional NCC A/B/C pass certificates will only be accepted if authenticated by concerned NCC Group Commanders. No bonus marks are to be allotted unless the certificate (Relationship/Sports/NCC) have been verified. An undertaking to the effect will be obtained from the candidate. **Provisional certificates are accepted only during the notified Rally duration** neither earlier nor later.
(m) **Sports Certificate.**
(i) Sportsmen who have represented India at International level and State at **National level** within the **last two years** (for list of sports under which relaxation in physical standards is admissible, attention is invited to www.joinindianarmy.nic.in website).
(ii) Sportsmen who have represented District **at State level** and University team or regional team at **District level within last two years** (Sports Certificate should be with registration number and from government recognized sport institutes/bodies).
(iii) **List of Sports.** List of Sports for enrolment is attached as **Appendix P.**
(n) **Affidavit.** Duly signed by candidate on Rs. 10/- Non-Judicial Stamp Paper as per specimen duly attested by notary will be submitted by candidate at the Rally Site without fail. Format of affidavit is attached as per **Appendix B. Submission of Affidavit is mandatory to gain entry into the Rally ground** and all details shown in Specimen format will be filled. **Candidates WILL NOT BE PERMITTED to enter the Rally without affidavit.**
(o) **Certificate of Bonus Marks.** All original certificates/photocopies duly attested pertaining to Bonus marks will be accepted only during the Rally. No certificates to include NCC Certificates, Sports Certificate, Relationship Certificate, ITI Certificate or any other certificates to claim Bonus Marks/Relaxation would be accepted after termination of the Rally.
(p) **Single Bank A/C, PAN Card & AADHAR Card.** Single Bank Account, PAN Card & Aadhar Card are mandatory documents for final enrolment for purpose of Pay & allowances and other social benefits scheme.
(q) **Police Character Certificate.** Police Character certificate with photo & not older than 6 months from date of dispatch issued by Police Station in-Charge with stamp, seal & date as per format attached as **Appendix J.**
(r) **Sarpanch/Nagar Sewak (Residence Proof).** Residence Proof with Joint Photo of Candidate with Family and signed by Village Sarpanch/Nagar Sevak with stamp, seal and date and not older than 6 months. Format is at **AppendixD.**

16. **Bonus Marks in CEE.**

Ser No.	Category	Agniveer GD (Total Max Marks 200)	Agniveer Clk/SKT/Tech (Total Max Marks 200)	Agniveer Tradesman (Total Max Marks 200)
(a)	Sons of Serviceman (SOS), Son of Ex-Serviceman (SOEX), Son of War Widow (SOWW), Son of Widow of Ex Serviceman (SOW). Adoption done during lifetime of a soldier (One son only).	20 Marks	20 Marks	20 Marks
(b)	**Sportsmen** (aa) Represented India at the International level.	20 Marks	20 Marks	20 Marks
	(ab) Represented Sate at the Senior/Junior National Level and have won any medal in individual event or have reached up to eighth position in Team event.	15 Marks	15 Marks	15 Marks
	(ac) Represented College/University in Inter University Championship and have won any medal in individual event or have reached upto sixth position in the team event.	10 Marks	10 Marks	10 Marks
	(ad) Represented State at National Level in Khelo India Games and have won any medal in individual event or have reached upto sixth position in the team event.	10 Marks	10 Marks	10 Marks
	(ae) Represented District at the state level and have won any medal in individual event or have reached upto fourth position in the team event.	05 Marks	05 Marks	05 Marks
	(af) Represented the State School team in the event organized by All India School Games Federation and have won any medal in individual event or have reached upto sixth position in the team event.	05 Marks	05 Marks	05 Marks
(c)	NCC 'A' Certificate	05 Marks	05 Marks	05 Marks
(d)	NCC 'B' Certificate	10 Marks	10 Marks	10 Marks
(e)	NCC 'C' Certificate	Exempted from CEE	15 Marks	Exempted from CEE
(f)	NCC 'C' Certificate and participated in Republic Day Parade.	Exempted from CEE	Exempted from CEE	Exempted from CEE
(g)	(i) Candidates for Agniveer Clk /SKT cat having 'O' level (IT) Course Certificate issued by NIELIT and having higher level IT Courses Certificate from NIELIT i.e 'A', 'B' or 'C' level. (ii) 'O' level IT course certificate under DOEACC scheme issued by NIELIT on or after 01 Jan 2020 only will be accepted.	-	15 Marks	-
(h)	Bonus Marks for ITI/ Skill qualified candidates is as under :- (i) One year course at ITI. (ii) Two years course at ITI. (iii) Diploma holder.	-	30 Marks 40 Marks 50 Marks	-

(j) (a) Maximum bonus marks that can be given is 20 Marks even if a candidate qualifies for more than one type of bonus marks **except Agniveer (Technical).**

(b) Maximum bonus marks that can be given is 50 Marks even if a candidate qualifies for more than one type of bonus marks to **Agniveer (Technical).**

Note :-

(i) The above marks are fixed depending upon the eligibility of a candidate and has no relation to his performance in Common Entrance Examination (CEE).
(ii) Only one type of Bonus Marks (Max of the permissible) will be added to the total.
(iii) Bonus marks will be accorded on qualifying in the written examination.
(iv) Only one ward (daughter/son) of Service/Ex-Servicemen/War Widow/Widow of Ex-servicemen can avail bonus marks in written examination.
(v) Original Certificates to be carried by all above categories at Rally site.
(vi) Sports Certificate are valid for two years from the issue date as on first day of the Recruitment Rally for which the candidate is being screened.
(vii) **NCC 'C' Certificate** candidates appearing for Agniveer General Duty & Agniveer Tradesmen categories will be issued a **"CEE Exempt Certificate"** by ARO after successful verification of certificate. NCC 'C' Certificate & Participated in RD Parade will also be issued the same certificate after verification.

17. **Special Instructions.**
(a) Any candidate who has not received Admit Card 05 days prior to the Rally, may approach **Army Recruiting Office, Bhopal on telephone number 0755-2540954** for further clarification.
(b) **Candidate can apply in only one category.** If anyone is found registered for multiple trade/categories, he will be disqualified and will not be considered for any trade/category. Choose wisely before applying. For online registration & online application, assistance will also be provided to candidates at ARO Bhopal on working days from 1000 Hours to 1400 hours.
(c) **01 October 2022** will be taken as effective date of determining age eligible for candidate. Candidates to produce Birth Certificate at the time of preliminary document check.
(d) Candidates are required to report at the Rally Site by 0030 Hours on their respective scheduled dates. Candidates reporting after 0500 Hours without appropriate justification will not be permitted to participate in the Rally. **Candidate should be clean shaven** (Except Sikh Candidate).
(e) **Personal 'e-mail ID' and Mobile Number is a MUST.** All important messages will be sent to this e-mail ID/Mobile Number like short listed/call letter/joining instruction/result etc. Sharing of e-mail ID and Mobile Number is not permitted. Remember the User Name and Password for future use. (ARO will not be responsible for not getting required information if e-mail / Mobile Number of candidates given is wrong/ changed).
(f) Candidate must carry their **Aadhar Card** as proof of identity which will be authenticated with OTP on linked Mobile Number at the Rally Site and prior to dispatch. Ensure AADHAR details are matching with the details mentioned in the Education Certificate and the Online Application. Candidates from J&K, Assam and Meghalaya are to carry any other valid ID Proof.
(g) **Candidate's Name, Father's Name, Mother's Name and DOB** must be entered exactly as per Matriculation/10th Class Board Certificate.
(h) Candidate must enter contact details and permanent home address exactly as per Domicile/Nativity/Permanent Residential Certificate issued by Sub Divisional Magistrate/ District Magistrate as per the Govt. of M.P. format.
(j) Those not in possession of required documents will not be permitted to participate in the Rally.
(k) **Touts.** In the past, a number of candidates have been found victims of touts, fake documents/impersonation and in the bargain have lost their candidature. Modus operandi/means used by the touts are as under: -
(i) Issue of fake PFT Slips/impersonation during various stages of Rally. Conduct fake Recruitment Rallies.
(ii) Snatching/taking away original certificates from candidates who have been declared fit at initial stage and thereafter harassing them.
(iii) Taking away "ADMIT CARD" from the candidates under plea that they will follow up their results.
(iv) Giving candidates false assurance of "RECRUITMENT" as they claim to have links at appropriate level, thereby winning confidence of candidates.
(v) Once a candidate gets through on his own efforts touts demand money in return of the original certificates.
(l) **Digi Locker.** All candidates are requested to upload Education Certificates & Documents in Digi Locker for online verification.
(m) A **Grievance Cell** will be established at the Rally Site to redress any grievances.
(n) Candidates are requested to report at Rally site with proper shave and haircut so as to ensure proper identification & Medical Review.
(o) Recruitment is purely based on Merit List depending on available vacancies. Candidates do not have any right to claim recruitment in Army just for passing in recruitment process. Enrolling Officer may call for additional proofs regarding Educational Qualifications, Date of Birth, Nativity Cert, Caste or any other documents as necessary for verification. Recruits will be enrolled only if the Enrolling Officer is satisfied that his character and antecedents are satisfactory.
(p) **Candidates not in possession of requisite certificates are liable for rejection.**

Important Instructions

18. Candidates will be permitted **entry into the rally site only on production of Affidavit &Admit Card** in duplicate generated online through the official website www.joinindianarmy.nic.in, Anyone found with fake admit card will be handed over to Civil Police.
19. Recruitment into the army is a free service. Candidates are advised not to pay bribe to anyone for recruitment as it is based purely on merit. Selection process during recruitment at all stages is computerised and transparent. Therefore, candidates are advised to be beware of touts as they cannot help them at any stage.
20. Giving/taking bribe, production of bogus/fake certificates and indulging in unfair means is a criminal offence and liable for punishment under law. Producing fake documents, giving false information or using unfair means will result in candidate being expelled from recruitment process & handed over to Civil Police and are liable for rejection at any stage of Rally.
21. Candidates are advised to check their age & education criteria before participating in the rally. Candidates found under age/overage and not meeting education criteria will be disqualified.
22. **Certificates with overwriting a tampering of seals or erasing/alteration of any type will not be accepted.**
23. All documents submitted by the candidates are verified by government agencies before enrolment into Army. Strong legal action will be taken against individuals submitting fake documents. Even after recruitment, the service will be terminated if candidates are found to have produced fake documents or gave wrong information at the time of recruitment, despite the number of years of service individual may have rendered.
24. No compensation for Death/Injury/loss etc. during the rally and no travelling allowance/ dearness allowance for journey is admissible. Candidates will participate in the rally at their own risk and the participation is totally and entirely voluntary. Candidate's parents or relatives will not have any right for claiming compensation or to hold Indian Govt. or Indian Army responsible for any injury, death or disease or disability suffered during the various physical tests undergone by the candidate at the time of Recruitment Rally. The signing of **Indemnity Bond** is a mandatory requirement. Sample is attached as **Appendix M.**
25. **Character Certificate without photo attested by certificate issuing authority will be rejected.**
26. **Candidates to come for the rally only on the date as per Admit Card.** Candidates should bring pen, Handkerchief. Candidates are advised to **bring packed meals, sufficient eatables packed meals and drinking water** with them, since recruitment is a time-consuming process. On the days of testing and medicals they will not be allowed to leave the Rally ground once they enter for tests.
27. **Use of Performance Enhancing Drugs.** Use of any kind of performance enhancing drugs is strictly banned. Any candidate found in possession of or to have used the same will be debarred from further screening.
28. **Tattoo.**
(a) Candidates belonging to tribal communities/from tribal areas, are permitted to have permanent body tattoos on any part of the body, as per existing customs and traditions of the said tribe to which a candidate belongs. Such candidates will only be permitted on producing the following two certificates : -
(i) **Self Certification** certificate to be signed by the candidates is attached as **Appendix N.**
(ii) Certificate of belonging to a tribal community and permissibility of permanent Body Tattoo(s) to be signed by DC/DM or SDM of the District/Tehsil where the tribe of the candidates is presently settled is attached as **Appendix O**' (Name and designation of the concerned official must be clearly mentioned).
(b) Permanent body tattoos of religious sentiment are only permitted on inner face of forearms i.e. from inside of elbow to the wrist and on the reverse side of palm/back (dorsal) side of hand. Permanent body tattoos on any other part acceptable and candidates will be barred from further selection.
29. **Selection is provisional till Enrolment Form/Contract/Rahdari Certificate is issued and candidates are dispatched for training.**
30. Mobile phones are not permitted in the rally site and CEE.
31. CEE for the selected candidates will be held tentatively in the month of **Jan. 2023.**
32. Negative marking will be applicable in CEE.
33. At the Rally site, all candidate should report duly shaved (beard, chest hair, axillary hair, pubic hair and with crew haircut (except Sikh Candidates), for identification at various stages of Rally process failing which candidate can be barred from participation in Recruitment Rally.
34. Candidates may have to present themselves at rally site for two to three days. Candidates should make arrangements for stay under their own arrangements.
35. Candidates are advised in their own interest to undergo medical exam before coming for selection especially with respect to flat foot, poor vision, deformities and physical measurements. All are advised to ensure that their ears are free of wax by getting it cleaned by a doctor prior to the rally.

36. If 180 days or more lapse between Screening Medical at the Rally and dispatch, medical will be done again and unfit candidates in this review will not be recruited.
37. **Vaccination Certificate.** All candidates appearing for Rally should be fully vaccinated for Covid-19. Vaccination certificate to be produced to authority upon asking.
38. No use of contact lenses is permitted during Rally and Written Exam.
39. **Result of written examination will be declared on the official website www.joinindianarmy.nic.in.** No separate letter will be sent to the candidate. It is responsibility of candidate to check his result and report to ARO for documentation.
40. Procedure for applying for online registration on www.joinindianarmy.nic.in website is attached as **Appendix R.**
41. For more details contact through "Query Section" after login into your registered account on JIA or contact **Army Recruiting Office, Bhopal** on telephone number **0755-2540954.**

Disclaimer. The terms and conditions, given in the notification and on the website are subject to change and should, therefore, be treated as guidelines only. In case of any ambiguity, the existing policies, rules and regulations of Indian Army/Government of India will be final. Details are also available on website www.joinindianarmy.nic.in. All legal disputes will be considered in the High Court under whose geographic jurisdiction the Recruitment Rally venue falls.

"Rally can be cancelled/ postponed at any time without giving any reason"

(Sd-x-x-x-x-x-x-x-x)
Col
Director Recruiting
Army Recruiting Office, Bhopal

Place : Bhopal (MP)
Date : 03 August 2022

Appendix A

(Refer to Para 15 of Rally Notification)

LIST OF DOCUMENTS TO BE CARRIED AT RALLY SITE
(SER No. 1 TO 14 ARE MANDATORY DOCUMENTS /CERTIFICATES)

S/No.	Documents	Certificate to be issued by/ Remarks
1.	Admit Card	Printed with Laser Printer on good quality paper (Do not shrink the size).
2.	20 x Photographs	20 x copies of Passport size colour photographs, in white background & not older than three months (dates printed at bottom of photograph).
3.	Education Certificate 8th/10th/12th	(a) Matriculation/ Intermediate/ 10+2 /Graduation Certificates & Marks Sheet in Original (from a recognized School/ College/ Board/University. (b) Open School Matric certificate will bring Transfer Certificate/ School Leaving Certificate countersigned by District Education Officer. (c) 8th Class Original Mark Sheet & Transfer Certificate/School Leaving Certificate with signature & office stamp of Principal of School & countersigned by District Education Officer/District Inspector of School.
4.	ITI Cert(For Technical Category)	ITI course of minimum one year in required field with NSQF level 4 or above.
5.	**Affidavit** (For all Candidates)	(a) Affidavit duly signed by candidate on Rs. 10/- Non-judicial **Stamp paper** and duly attested by Notary. (b) Candidates will **not be permitted to enter the Rally ground** without Affidavit.
6.	Nativity/Domicile Certificate	(a) Domicile Certificate with photographs issued by Tehsildar/ District Magistrate. (b) Online Digital **"Sthaniya Niwas"** certificate will be attested by Village Sarpanch for attending Rally.Incase of doubt, ink signed copy of verification by District official with stamp& seal will be produced.
7.	Village Sarpanch/ Nagar Sevak (Residence Proof)	Joint photo of candidate with family and signed by Village Sarpanch/Nagar Sevak with Stamp, Seal and date and not older than 6 months.
8.	Caste Certificate	Caste Certificate with photograph and issued by Authorised State Signatory i.e. DM/ Tehsildar/ Revenue Dept. Officer in original (Mandatory for ST Category).
9.	Religious Certificate	If religion as **"Sikh/ Hindu/ Muslim/ Christian"** is not mentioned in Caste Certificate, then a **General Affidavit** showing Religion will be submitted.
10.	Character Certificate	Character Certificate (photo affixed) with office stamp & signed by Village Sarpanch)/ Municipal Corporation Mayor & not older than 6 months.
11.	School Character Certificate	Issued by School/College Principal/Headmaster where the candidate last studied.
12.	Police Character Certificate	Police Character certificate with photo & not older than 6 months from date of dispatch issued by Police Station in-Charge.
13.	Unmarried Certificate	Unmarried Certificate with photograph issued by Village Sarpanch/ Municipality Mayor and issued within last six months.
14.	Aadhar Card, PAN Card & Bank Account	(a) Original Aadhar Card will be carried & a copy will be submitted. Mobile Number linked to Aadhar Card to be carried for Aadhar verification. (b) PAN Card & Single Bank Savings Account are required for enrolment.
Bonus Marks Certificates		
15.	Sports Certificate	Sports Certificate from Govt. Recognized Sports Authority & issued within the **last two years.**
16.	NCC Certificate	(a) NCC A/B/C Certificates and Republic Day Parade Certificate to be produced in Original at Rally Site and should have photographs of the candidate duly attested by issuing authority.
17.	Relation Certificate	Relation Certificate from concerned Records Office & with Water Mark (for Serving/Ex-Servicemen Relation only).
Miscellaneous Certificates		
18.	COVID Certificate	COVID-19 Vaccination Certificate.
19.	Indemnity Bond	Indemnity Bond signed by candidate and parent/Guardian.
20.	Driving License	Original Driving License issued by RTO of concerned district.
21.	Tattoo Certificate	Permitted for Candidates from Tribal communities/areas only.

Appendix B

(Refer to Para 15 (n) of Rally Notification)

NON JUDICIAL STAMP PAPER (Rs. 10)
(SUGGESTED FORMAT FOR AFFIDAVIT)
ENROLMENT OF AGNIVEERS UNDER AGNIPATH SCHEME

1. I, Name ..... Son of .....
while applying for enrolment as Agniveer in Army solemnly affirm & state the following in my respect:-

Passport size photo 3.5 x 4.5 cm

(a) I belong to the following Caste / Religion:-
Caste ..... SubCaste ..... Religion .....

(b) My Residential Addresses are as under :-

(i) **Permanent Home Address :-**
Father's Name ..... House No. .....
Vill/ Mohalla .....Tehsil .....
Dist ..... State ..... PIN Code .....

(ii) **Postal Address**
Father's Name ..... House No. .....
Vill/ Mohalla ..... Tehsil .....
Dist ..... State ..... PIN Code .....

(iii) I fully understand that if enrolled, a detailed verification of my character and antecedents will be carried out by police and civil administration from my permanent address submitted above and also places where I have resided in the last five years.

(iv) My places of Residence in the Last Five Years are as stated under :-

S/No.	From	To	Residential address in full i.e., House Number, Lane/ Street/Road, Village/Town/ Mohalla, Thana, Post Office, Tehsil and District
(a)			
(b)			
(c)			
(d)			

(c) I am unmarried/married (As applicable).

(d) I hereby certify that I am not involved in any civil/criminal case.

OR

I was involved in the following cases but was acquitted: -
(i) _____
(ii) _____

OR

Following court cases /FIR are pending against me: -
(i) _____
(ii) _____

(e) **I have not participated in any violent protest /arson /destruction of Government property.**

(f) **Consent Certificate.** I am below 18 years and my parents give their consent, for attending the Army Recruitment Rally (if applicable).

Signature of Father.....

2. I am aware that there is only one recruitment rally conducted in a recruiting year (01 April to 31 March) for every district and therefore I am entitled to attend only once very recruiting year from my home town district based on my Nativity/Domicile certificate. I fully understand that if I attend another recruitment rally in the same recruiting year, based on a different district Nativity/ Domicile certificate, my candidature will be cancelled and if enrolled, I will be dismissed from service.

3. I am attending this Recruitment Rally based on the **Nativity/Domicile** certificate issued by _____ (mention the state government), details of which are as stated below :-

S/No.	Cert. No.	Date of Issue	Validity	Issuing Authority
(a)				

4. Details of Nativity/Domicile Certificate held by me in past (if any) are as stated below :-

S/No.	District	Issued by	Issuing date	Present Status (Valid/Expired)
(a)				

5. I hereby certify that till date I have attended the following Army Recruitment Rallies :-

S/No.	Recruitment Rally Venue	Army Recruitment Office	Month and Year	Category Applied for	Nativity/Domicile Certificate Address used
(a)					
(b)					
(c)					

6. I give an undertaking that all documents submitted by me are correct. All documents issued by Govt. Org./offices have been signed by authorized and designated Govt. officials. If any document at any stage is found fake or wrong information is furnished by me, I am aware that I will be dismissed from service and FIR will be lodged against me.

Signature of Notary **Signature of Candidate**

Appendix C

(Refer to Para 15 (d) (iii) of Rally Notification)

MOOL NIWAS/STHAI NIWAS/DOMICILE/NATIVITY/PERMANENT RESIDENTIAL CERTIFICATE OFFICE OF THE .....
(TO BE SIGNED BY COLLECTOROR AN OFFICER AUTHORISED BY COLLECTOR OF DISTRICT CONCERNED (DM/SDM/TEHSILDAR)

1. This is to certify that Shri .....(Name of the candidate), son of Shri ..... (Name of Father), residing at House No. ....., Block/Ward No. ..... Village..... Post Office ..... Police Station ..... Tehsil..... District..... PIN..... State ..... is a permanent resident of the aforesaid address in the state of ..... and has been staying at this address for the last five years or more from ..... (year).

Photo of Candidate

2. Domicile Certificate is being issued against his application No ..... dated ..... and shall be treated valid for the purpose of enrolment in the Indian Army.

Place : .....
Date : .....

(Signature, Appointment and Stamp of Authorized State Authority i.e DM/Tehsildar)

ATTESTED BY

Place : .....
Date : .....

(Signature, Appointment and Stamp of Village Sarpanch)

Note :- Online Digital "Sthaniya Niwas" certificate will be attested by Village Sarpanch for attending Rally.

Appendix D
(Refer to Para 15 (r) of Rally Notification)
RESIDENCE PROOF (ISSUED BY SARPANCH / NAGAR SEWAK)

1. It is certified that Aadhar number .....Shri ..... Son of Shri..... is a permanent resident of Village ..... Post Office .....Police Station..... Tehsil..... District..... Pin.....State..... is a resident of the above given address and is known to me for the past ..... years.
2. He is a resident of the above-mentioned address since (Month & year since residing in the given address) .....

Joint Photo of Candidate with Father, Mother, Brothers & Sisters

3. Details of his Family members are given below :-

Ser. No.	Name	Relation	Date of Birth
(a)			
(b)			
(c)			
(d)			
(e)			

Round Stamp

Signature of Sarpanch/ Nagar Sewak
Date : _____

Note :- 1. Residence Proof to be issued by Sarpanch/ Nagar Sewak.

Appendix E
(Refer to Para 15 (e) (ii) of Rally Notification)
CASTE CERTIFICATE FOR SCHEDULED FOR TRIBAL CATEGORY
(TO BE ISSUED BY SDM/TEHSILDAR/REVENUE DEPT OFFR (RDO)

Application No. ..... dated .....
Certificate No. : .....

Photo of Candidate

1. This is to certify that Shri ..... (Name of Candidate), son of Shri .....(Name of Father) and Smt. ..... (Name of Mother) resident of Village ..... District : ..... State .....belongs to the ..... Caste. His Caste is at Serial No. ..... in the list of Scheduled Tribes notified for ..... state under Article 342 of the constitution by :-
   (a) The Constitution (Scheduled Tribes) Order 1950.
   (b) The Schedules Castes and Scheduled Tribes orders (Amendment) Act, 1976.
2. Shri .....(Name of Candidate) and/ or his family ordinarily reside (s) in Village/ Town .....of District .....of the State of .....

Place : .....
State : .....
Date : .....

(Authorised State Signatory i.e SDM/ Tehsildar/ RDO)
(Appointment with round Stamp)

Aadhar No. :

SSSM No. :

Note :-
1. Caste Certificate to be issued by Sub District Magistrate/Tehsildar/Revenue Department Officer (SDO) or an officer authorised by Collector of district concerned.
2. Caste Certificate to valid from date of issuance as per M.P. Govt. orders.

Appendix F
(Refer to Para 15 (f) of Rally Notification)
GENERAL AFFIDAVIT SHOWING RELIGION : FOR CANDIDATES WHO DO NOT SUBMIT CASTE CERTIFICATE (1O RUPEES NON JUDICIAL STAMP PAPERS)

1. I, ... (Name of Candidate), son of Shri ..... (Name of father) & Smt ..... (mother's Name), aged .....years, with my place of birth as ....., and address as House No./Name ..... Ward No./ Block No. ..... Village.....Post Office ..... Tehsil.....District..... State..... Pin .....
   (a) I belong to Caste ..... Sub Caste ..... & Religion .....
   (b) My date of birth is .....
   (c) I had/ have not been a member of any banned/ political organization.
   (d) I have never been in custody or jailed and there is no criminal or judicial case is pending against me in any Court of law in India/ Abroad.
   (e) I have not been ever convicted for any offence under the law.
   (f) I am unmarried.
2. I hereby certify that :-
   (a) I have passed 10th exam in .....(month and year) vide Certificate No. ..... issued by .....Board of Education and secured ..... (marks) Out of ..... total Marks.
   (b) I have passed 12th exam in .....(month and year) vide Certificate No. ..... issued by .....Board of Education and secured ..... (marks) Out of ..... total Marks.
3. I swear to this affidavit that the declaration made by me as given above is true and correct and all documents submitted by me are genuine. If any documents at any stage is found fake/false, I am aware that my candidature will be cancelled & I will be dismissed from service, if already recruited and FIR will be lodged against me.

Place : .....
Date : .....

Sworn before me
(signature of Executive Magistrate/ Sub Divisional Magistrate of the concerned Tehsil with his Official Seal

Appendix G
(Refer to Para 15 (h) of Rally Notification)
CHARACTER CERTIFICATE
(TO BE ISSUED BY VILLAGE SARPANCH/ MUNICIPAL CORPORATION MAYOR)

Affix latest passport size photographs with signature of Sarpanch across photo

1. It is certified that Shri ..... Son of Shri..... Caste..... is a permanent resident of Village ..... Post Office ..... Police Station..... Tehsil ..... District..... Pin.....State..... whose signature is appended below is a resident of the above given address and is known to me for the past ..... years.
2. To the best of my knowledge and belief :-
   (a) He bears a good moral character.
   (b) He has not been ever convicted for any offence under the law.
   (c) He has never been imprisoned.
   (d) He has not been dismissed from any Government service.
   (e) He has not been serving in the Army/Navy/Air Force/TA or Police.
   (f) He has not been a member of any banned religious or political organization.
3. It is further certified that he is not related to me.
4. This certificate is signed on ..... (day) of ..... (month) in the year .....

Signature of the Candidate ----------

Place :
Date :

Round Stamp

(Signature of Village Sarpanch/ Municipal Corporation Mayor with Office Seal)

Note :-
1. **Character Certificate will be obtained from Village Sarpanch/Nagar Sevak.**
2. **Character Certificate should not be older than 6 months.**

Appendix H
(Refer to Para 15 (g) of Rally Notification)
SCHOOL CHARACTER CERTIFICATE
(TO BE ISSUED BY HEADMASTER/PRINCIPAL OF SCHOOL/ COLLEGE WHERE LAST STUDIED)

Affix latest passport size photographs with signature of Headmaster/ Principal of School/College across photo

1. It is certified that Shri ..... Son of Shri..... (Father Name) is/was a student of ..... (School/ College name) from ..... to .....as per records held by the School/College. He is known to me for the past..... years and his permanent address as per School records is Village.....Post Office .....Police Station..... Tehsil.....District..... State.....Pin.....
2. To the best of my knowledge and belief: -
   (a) He bears a good moral character.
   (b) He has not been a member of any banned religious or political organization.
3. It is further certified that he is not related to me.
4. This certificate is signed on ..... (day) of ..... (month) in the year .....

Signature of the Candidate ----------

Place :
Date :

Round Stamp

(Signature of Headmaster/Principal of Recognized School/College with his Office Seal)

Note :-
1. **Character Certificate will be obtained from School/College where the candidate last studied.**
2. **Character Certificate should not be older than 6 months.**

Appendix J
(Refer to Para 15 (q) of Rally Notification)
POLICE CHARACTER CERTIFICATE

Affix latest passport size photographs with signature of Police Station In-Charge across photo

1. It is certified that Aadhar Card No. ..... Name ..... Son of ..... resident of Village : ..... Police Station :..... Post Office :..... Tehsil: ..... Dist : ..... State : ..... Pin: .....
2. To the best of my knowledge and belief: -
   (a) He bears a good moral character.
   (b) He has not been ever convicted for any offence under the law.
   (c) He has never been imprisoned.
   (d) He has not been dismissed from any Government service.
   (e) He has not been serving in the Army/Navy/Air Force/TA or Police.
   (f) There is nothing adverse criminally or otherwise on police record.
   (g) No criminal or judicial case is pending against him in any Court of law in India/ Abroad.
   (h) He has not been a member of any banned religious or political organization.
3. It is further certified that he is not related to me.
4. Candidates signature and Thumb Impression taken in my presence is as under :-
   Signature ..... Thumb Impression .....

Date :

Round Stamp

(Signature of Police Station In-charge)
Police Station .....

Appendix K
(Refer to Para 15 (j) of Rally Notification)
UNMARRIED CERTIFICATE
(TO BE ISSUED BY VILLAGE SARPANCH/ MUNICIPAL CORPORATION MAYOR)

Affix latest passport size photographs with signature of Sarpanch across photo

1. This is to certify that ..... (Name of the candidate) son of .....(Name of Father), is a resident of House No..... Ward/ Block No..... ..... Post Office.....Police Station..... Tehsil..... District..... PIN..... State .....
2. To the best of my knowledge and belief, he is 'UN-MARRIED' as on date and bears a good moral character.

Place : .....
Date : .....

(Signature of Village Sarpanch/Municipal Corporation Mayor with Office Seal)

Appendix L
(Refer to Para 15 (k) (ii) of Rally Notification)
FORMAT FOR AFFIDAVIT: SOS/SOEX/SOWW/SOW

JOINT PHOTOGRAPHS OF CANDIDATE WITH FATHER/MOTHER/BROTHER &SELF ATTESTED BY SPONSOR

1. I, No. _____ Rank _____ Name _____ of (Unit) _____ hereby declare that (Candidate Name)

_____ whose photograph is affixed above is My Son/Brother.

2. Particulars of the candidate are as under :-
   (a) Name of the candidate : .....
   (b) Relationship with applicant : .....
   (c) Father's Name : .....
   (d) Mother's Name : .....
   (e) Address : .....
   (f) Date of Birth _____ as per birth certificate No. _____ issued by _____ (Issuing Authority) and as recorded in the Matriculation Certificate No. _____ issued by _____ Education Board.
3. Details of other ward (Sons/Brothers) are as under:-

Ser. No.	Name	Occupation			Remarks
		Student (Class)	Employment		
			Civilian	Military	
(a)					
(b)					

4. It is certified that my son/brother, _____ should be granted the laid down bonus marks as this facility has not been utilized by me for any other son/brother before, in any Recruitment Rally held anywhere in the country.
5. I undertake that I am liable to be punished under Army Act or any other law if the declaration made by me at Para 1 of 4 above is found to be incorrect/false at any stage.
6. I am fully aware that I am enrolled under Agnipath Scheme and abide by the Terms and condition of the Scheme.

Date :

(Signature of Serving Soldier/Ex-Servicemen)
(Army No. Rank, Name of Unit)

Signature of 1st Class Judicial Magistrate or Equivalent Notary

Appendix M
(Refer to Para 24 of Rally Notification)

INDEMNITY BOND REGARDING VOLUNTARY ATTENDANCE FOR ARMY RECRUITMENT RALLY & NOT TO CLAIM COMPENSATION

1. In consideration of Mr/ Miss_____(Candidates Name) of whom I am the legal/ natural guardian; is attending Recruitment Rally of the Indian Army; under the charge of any officer or Other Rank of Army or any other person an employee of the Indian Army, or any person in service of the Govt. I undertake and agree; that neither I nor my executors or administrators or other legal representatives will make any claim against the Govt. or against any officer or Other Rank or any employee of the Indian Army or against any person in the service of Govt. in respect of any loss or injury to property or pers including injury resulting in death which the said Mr./ Miss_____ (Candidates Name) may suffer while he/ she is participating in the Army Recruitment Rally at _____(Place of Rally) on _____(Date).
3. I understand and agree that no compensation will be paid by the Govt. or by any officer or Other Rank of the Indian Army or any person in the service of the Govt. in respect of any such loss or injury and I further agree so as to bind myself, my heirs, my executors and administrators to indemnity your and any Officer or Other Rank or employee of the Indian Army person in the service of the Govt. against any claim which may be made by any third party against you or them or any of them arising out of any act or default on the part of the said Mr./ Miss_____ (Candidates Name) while participating in physical tests or any other activity related to Army Recruitment Rally.
3. This undertaking is signed on the _____ day of _____ month _____ year.

_____ _____

Sig. of Candidate
Name _____
Address_____
_____
Mobile No. _____

Sig. of Father/Mother/Guardian
Name _____
Address _____
_____
Mobile No. _____

UNDERTAKING CERTIFICATE

I, Name _____ Son of _____ Village _____ Post Office _____ Tehsil _____ District_____State_____ Certify that, I have not taken performance enhancing Drugs/ medicine. If I am found under the influence of performance enhancing drugs/ medicine in any stage of recruitment rally, I will be debarred from the Recruitment Rally and I will be held responsible for death, injury or any accident during the running/ physical tests.

_____
(Sig. of the Candidate)

Appendix N
(Refer to Para 28 (a) (i) of Rally Notification)

BODY TATTOO CERTIFICATION

I, _____ (Name of the candidate) son of _____ (Father's Name) hereby give an undertaking that I have a body tattoo as per details given and shown in the above photographs. I further declare that I will not have any other tattoo in future.

Photograph of Tattoo (s) (post cards size) Size – 4" x 6

Place : .....
Date : .....

(Signature of the candidate)

COUNTERSIGNED

Place : .....
Date : .....

Appendix O
(Refer to Para 28 (a) (ii) of Rally Notification)

CERTIFICATE (ONE CERTIFICATE FOR EACH TATTOO) FOR PERMANENT BODY TATTOO IN RESPECT OF CANDIDATES FROM TRIBAL COMMUNITIES

1. This is to certify that _____ (Name of the Candidate), whose date of birth is _____ is the Son/Daughter of _____ (Name of Father/Mother/ Guardian as applicable) and belongs to _____ (Name of the Tribe Community) of _____ (Name of the District) in the State of _____ (Name of the State).

2. It is certified that the permanent body tattoo (s) inked at the following parts of the body of _____ (Name of the candidate) is as per existing customs and traditions of _____Tribe and is in practice as on date :-
(a)
(b)
(c)
(d)

(Total No. of Tattoos _____ (in figure) _____ (in words)

3. Postcard size photographs of each of the tattoo as given in Paragraph 2 of Appendix N above is correct and placed as under for any future reference/record hereafter :-

Photographs of Tattoo	Details of Tattoo
(Postcard size to be pasted here duly signed by the candidate and official issuing this certificate with their respective names. Please do not use staple pins/clips).	Size of Tattoo – (In cms) Language – (If Applicable) Significance of Tattoo – (If Applicable)

Note : - Each Tattoo will have a separate photograph with details and will be described separately. Additional pages will be used for the purpose and each page will be attested separately.

Place :
Dated : Round Stamp

(Signature with Name Designation and Stamp of DC/DM/SDM of the District/Tehsil)
OR
(Signature with Name, Designation if any and Address of Chairman/Secretary or Senior member of the Tribe to which the candidate belongs to with their Stamp)

Appendix P
(Refer to Para 15 (m) (iii) of Rally Notification)

LIST OF GAMES AND SPORTS FOR ENROLLMENT

S. No.	Description	Name of Federation
1.	Athletics	Athletics Federation of India, A-90, 2nd Floor, Naraina Industrial Area, Phase-I, Main Road, New Delhi-110028
2.	Archery	Not yet recognized
3.	Basketball	Basketball Federation of India No.-14, Sagar Apartment, 6 Tilak Marg, Opposite Tilak Marg Police Station, New Delhi-110001
4.	Boxing	Boxing Federation of India 309, Udyog Vihar, Phase-IV, Gurgaon, Haryana
5.	Cricket	The Board of Control of Cricket in India (BCCI), 4th Floor, Cricket Centre, Wankhede Stadium, Churchgate, Mumbai-400020 (Maharashtra)
6.	Cycling	Cycling Federation of India 12, Pandit Pant Marg, Near Gol Daakkhana New Delhi-110001
7.	Equestrian	Equestrian Federation of India c/o B Sqn, 61 Cavalry, Cariapa Marg Delhi Cantt, Delhi-110010
8.	Football	All Indian Football Federation Football House, Sector-19, Phase-I, Dwarka, New Delhi-110075
9.	Fencing	Fencing Association of India J-52, 2nd Floor, Saket, New Delhi-110017
10.	Gymnastics	Gymnastic Federation of India
11.	Body Building (Best Physique)	Indian Body Bilders Federation PathareGymco, 280/A, Javalkar Mansion, Dr, B.A. Road, Parel, Mumbai (Maharashtra)-400012
12.	Golf	Indian Golf Union
13.	Hockey	Hockey India B1/E14, Ground Floor, Mohan Co-operative Industrial Estate, Mathura Road, New Delhi-110044
14.	Handball	Handball Federation of India C-1/8, Niralanagar, Lucknow-110044
15.	Judo	Judo Federation of India WZ-114, E, 3rd Floor, Hari Singh Complex, Todapur Main Road, New Delhi-110012
16.	Kabaddi	Amateur Kabaddi Federation of India 2, Aakanksha, 'Gehlot ka Bangla', Ajmer Road, Jaipur (Rajasthan)-302021
17.	Kayaking & Canoeing	India Kayaking & Canoeing Association 9-A/1, Flat No.-203, 2nd Floor, Channa Market, W.E.A. Karol Bagh, New Delhi-110005
18.	Karate	Karate Association of India B-2/71, 2nd Floor, Janakpuri, New Delhi-110058
19.	Lawn Tennis	All India Tennis Association R.K. Khanna Stadium 1, Africa Ave, Deer Park, Hauz Khas, New Delhi-110029
20.	Rowing	Rowing Federation of India SAI, Elegance, B Wing, Unit 104, 89 Mahakali Cavas Road, Andheri East Mumbai, Maharashtra-400093
21.	Rugby	Indian Rugby Football Union Nawab House, 2nd Floor, 63, M.Karve Road, Marine Lines, Mumbai (Maharashtra)-400002
22.	Swimming, Diving & Water Polo	Swimming Federation of India Krishna Villa, 128, Paraskunj Society-I, Satellite Road, Ahmedabad, Gujarat-380015

23.	Squash	Squash Racket Federation of India, Khivraj Complex-II, 2nd Floor No. 480, Anna Salai, Nandanam, Chennai (Tamil Nadu)-600035
24.	Shooting	National Rifle Association of India, "NRAI House" 51-B, Tughlakabad Institutional Area, New Delhi-110062
25.	Sailing	Not yet Recognised
26.	Taekwando	Taekwando Federation of India
27.	Triathlon	Indian Triathlon Federation Khivraj Complex-II, 2nd Floor No. 480, Anna Salai, Nandanam, Chennai (TamilNadu)-600035
28.	Volleyball	Volleyball Federation of India Room No. 72, Jawaharlal Nehru Stadium, Chennai TamilNadu-600003
29.	Weight Lifting	Indian Weightlifting Federation, WZ-78, First Floor, Todapur Village, Near Pusa Institute, New Delhi-110012
30.	Wrestling	Wrestling Federation of India 21, Ashoka Road, New Delhi-110001
31.	Winter Games (Ice Hockey, Biathlon, Skiing, Ice Skating etc)	Winter Games Federation of India
32.	Wushu	Wushu Association of India 524, WAI Chaupatiyan, R.K.Kaver Park, Lucknow-226003
33.	Badminton	

Appendix Q

(Refer to Para 15 (c) (ix) of Rally Notification)

LIST OF SCHOOL EDUCATION BOARDS

Ser. No.	HQ Rtg Zones	State	Boards
1.	Ambala	Haryana (Except Dists. of Gurgaon, Faridabad, Mewat and Palwal)	Bd of School Edn, Bhiwani, Haryana
		Himachal Pradesh	Himachal Pradesh Bd of School Edn, Dharamsala
2.	Bangalore	Karnataka	Deptt. of Pre University, Govt. of Karnataka Karnataka State Sec Edn Exam Bd Karnataka Open School, JSS Maha Vidyapeeth, Mysore
		Kerala and UT of Mahe & Lakshadweep	Govt. of Kerala, Bd of Higher Sec Exam Bd of Public Exam, Kerala Bd of Vocational Higher Secondary Exam, Kerala Kerala State Open School, Thiruvananthapuram (Affiliated to Bd of Higher Sec Exam, Kerala)
3.	Chennai	Tamilnadu	Bd of Sec Edn, Andhra Pradesh Bd of Intermediate Edn Andhra Pradesh
		Andhra Pradesh	Andhra Pradesh Open School Society, Govt. of Andhra Pradesh
		Telangana	Telangana State Bd of Intermediate Edn, Nampally, Hyderabad Bd of Sec Edn, Telangana State Chapel Rd, Nampally, Hyderabad Telangana Open School Society
		Puducherry	-
		Andaman & Nicobar Group of Islands	Affiliated to CBSE Boar.
4.	Danapur	Bihar	Bihar School Exam Bd, Patna Bihar Bd of Open Schooling & Exam, Patna Bihar State Madarsa Edn Bd, Patna Bihar Sanskrit Shiksha Bd, Bihar
		Jharkhand	Jharkhand Academic Council, Ranchi
5.	Jabalpur	Madhya Pradesh	Bd of Sec Edn, Madhya Pradesh, Bhopal M.P. State Open School Edn Bd, Bhopal Maharishi Patanjali Sanskrit Sansthan, Bhopal
		Chhattisgarh	Chhattisgarh Bd of Sec Edn, Raipur Chhattisgarh State Open School, Raipur Chhattisgarh Sanskrit Vidyamandlam Bd, Raipur Chhattisgarh Madarsa Bd, Raipur
6.	Jaipur	Rajasthan	Bd of Sec Edn, Ajmer Banasthali Vidyapith, Banasthali Rajasthan State Open School, Jaipur
7.	Jalandhar	Punjab	Punjab School Edn Bd, Mohali
		Jammu & Kashmir	J & K State Bd of School Edn, Jammu/Srinagar
8.	Kolkata	West Bengal & Sikkim	West Bengal Bd of Sec Edn, Kolkata West Bengal Bd of Madarsa Edn, Kolkata West Bengal Counsel of Rabindra Open Schooling, Kolkata West Bengal Counsel of Higher Sec Edn West Bengal Bd of Primary Edn, Saltlake City, Kolkata
		Odisha	Bd of Sec Edn, Odisha, Cuttack Council of Higher Sec Edn, Odisha, Bhubaneswar Odisha State Bd of Madarsa Edn, Bhubaneswar
9.	Lucknow	UP	UP Bd of High School & Intermediate Edn, UP (Allahabad) UP Bd of Sec Sanskrit Edn Council, Lucknow Dayalbagh Edn Institute (Deemed University), Agra
			UP Madarsa Edn Council, Lucknow
		Uttarakhand	Bd of School Edn, Uttarakhand, Ramnagar, Nainital
10.	Pune	Maharashtra	Maharashtra State Sec & High Sec Edn Bd, Nagpur Maharashtra State Sec & High Sec Edn Bd, Amravati Maharashtra State Bd of Sec and Higher Sec Edn, Pune
		Gujarat	Gujarat Sec and Higher Sec Edn Bd, Gandhinagar
		Goa	Goa Bd of Sec and Higher Sec Edn, Alto-Berdez, Goa
		UTs of Daman, Diu, Dadar & Nagar Haveli	-
11.	Shillong	Assam	Bd of Sec Schools Assam (SEBA) Assam Higher Sec Edn Council (AHSEC) Assam Sanskrit Bd, Guwahati State Madarsa Edn Bd, Assam
		Meghalaya	Meghalaya Bd of School Edn, Meghalaya
		Arunachal Pradesh	Follows CBSE Board
		Nagaland	Nagaland Bd of School Edn, Kohima
		Manipur	Bd of Sec Edn, Manipur Council of Higher Sec Edn, Manipur
		Tripura	Tripura Bd of Sec Edn, Tripura
		Mizoram	Mizoram Bd of School Edn
12.	GRD, Kunraghat	Nepal	High Sec Edn Bd, Nepal
		Darjeeling	-
13.	IRO, Delhi Cantt	Delhi	Council for the Indian School Cert Exams (ICSE), New Delhi Central Bd of Sec Edn (CBSE), Delhi National Institute of Open Schooling, NOIDA

Appendix R

(Refer to Para 40 of Rally Notification)

PROCEDURE FOR APPLYING ONLINE REGISTRATION

Go to www.joinindianarmy.nic.in

⇓

Click on Apply/Login link in AGNIPATH

⇓

Click on User Registration

⇓

Click on Continue

⇓

Fill up details

⇓

Save

⇓

Under already registration enter Login details

⇓

Login

⇓

Dashboard opens

⇓

Click apply on category you are Eligible

⇓

Read Instruction ⇒ Continue

Fill in personal Information ⇒ Save & Continue

Enter Communication details ⇒ Save & Continue

Enter Non Dispensation / Sport / NCC Details ⇒ Save & Continue

Enter Education details ⇒ Add

Click on the add Education Certificate & Enter Marks of all Subjects

⇓

Continue entre marks of All Subject ⇒ Continue

Now you can see Summary of You information

⇓

Submit Now

⇓

Successful Submission of application

⇓

Roll No. is generated by the system

⇓

Roll No. is generated by the system

⇓

Login 10-15 Days prior to 1st day of the Rally to Download & Print Admit Card

R-43755/2022

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
R.V.S. KRISHI VISHWA VIDYALAYA, GWALIOR

No./ IPRO/E.E./TENDER/2022/Gwalior/1023 Dated:- 05/08/2022

E-TENDER NOTICE

Online E-tenders are invited by R.V.S.K.V.V., Gwalior form 'A' from the **Registered Contractor in M.P.P.W.D. / C.P.W.D. /M.E.S.** Deptt. For the following works through the E-Tendering online ***https://www.mptenders.gov.in*** only.

S. No.	Particular of Item	Esst. Cost in (Lakhs)	E.M.D. Amounts Rs.	Cost of Tender Form+ Portal Charge Rs.	Class of Contractor \C & Above	S.O.R. Applicable with all amended upto date of NIT	Time Allowed (Including Rainy Season)
1.	Const. of Seed Godown, Labour Toilet and fencing work at KVK Alirajpur	29.00	50000.00	5000/-	.....do.....	.....do.....	06 Months

1. Interested bidders can view the NIT on website https://www.mptenders.gov.in up to 29/08/2022 up to 17:30.
2. The Bid Documents can be purchased only online form 05.08.2022 to 29.08.2022 up to 17:30 & Bid Submission online end date 29.08.2022 Up to 17:30.
3. Mandatory Documents open date 31.08.2022 at Time 12:30 AM, Financial Bid open date 02.09.2022 at Time 12.30 PM or next working Days.
4. Amendments of NIT, if any, would be published on website only, & not in News paper.

The R.V.S.K.V.V., reserves the right to reject any or all tenders without assigning any reasons thereof, University will not responsible for any delayed.

Note:-"The person(s)/firms would not be entitled to participate in the tender process if in past there is any dispute/litigation/involvement (civil/criminal) is pending/initiated with the administration or within the premises of the university/college.

Special Note:-

1) Items left (if any) in the NIT and is essential to complete the work must incorporated by the contractor with MP PWD (Electrical/Civil) SOR w.e.f. 01 December 2020 as percentage Below or Above.
2) Rate are Applicable as per Amendments by MP PWD Building, Road, Electrical With Reference to GST.

ATUL

R-47361/2022 **Executive Engineer**

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(AN AGENCY OF PANCHAYAT & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, GOVT. OF M.P.)
5th Floor, Block-II, Paryavas Bhawan, Bhopal (M.P.)-462011
(GST No. 23AAATM9054A3ZX)
No./10571/22/D-12/MPRRDA/2022 Bhopal, Dated : 02.08.2022

NOTICE INVITING TENDER No. 1004
(PMGSY-III, Batch-III Year 2021-22)

Online Tenders for Construction of Rural Roads/CDs with 5 years maintenance are invited on the E-Procurement System portal **https://www.pmgsytenders.gov.in** as detailed below :

- **Name of Work–Construction/Up-gradation of Rural Roads under PMGSY including maintenance for Five year after construction.**
- **SSR Applicable–SSR issued by M.P. Rural Road Development Authority, effective from 05.11.2019 and amended upto issue date of NIT.**

S. No.	Name of District	No. of Pack-ages	No. of Road	Total Length (in kms.)	Total PAC (In Rs.)
1.	Chhatarpur	4	10	63.44	402228000.00
2.	Khandwa	4	5	47.25	262600000.00
3.	Narsinghpur	1	1	20.20	106563000.00
4.	Raisen	1	1	5.10	39387000.00
5.	Singrauli	2	2	21.20	99286000.00
6.	Ujjain	1	1	7.20	61309000.00

1. **Availability of Bid Documents and mode of submission :** The bid document is available online and should be submitted online in **www.pmgsytenders.gov.in**. The bidder would be required to register in the website which is free of cost. For submission of the bids, the bidder is required to have a valid Digital Signature Certificate (DSC) from one of the authorized Certifying Authorities.
2. Bid document may be purchase online **from 05.08.2022 (17:30 hrs.)** and last date for online bid submission is **22.08.2022 (17:00 hrs.)**
3. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed N.I.T. and SBD for PMGSY Works (June-2020) on the above-mentioned portal and concerned PIU.

CHIEF GENERAL MANAGER (TENDER)
M.P. Madhyam/105809/47365/2022

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(AN AGENCY OF PANCHAYAT & RURAL DEVELOPMENT DEPARTMENT, GOVT. OF M.P.)
5th Floor, Block-II, Paryavas Bhawan, Bhopal M.P.–462011
No./10564/FA/WB/CMGSY/2022 Bhopal, Dated : 02.08.2022

IFB No. - WB –36/1005

Online item rate bids are invited on e-procurement portal **https://www.mptenders.gov.in** for construction and up-gradation of Rural Roads of Gravel Standard Constructed under CMGSY to Black top Standards under World Bank and AIIB Financed MPRC Project P-157054, as under :

S. No.	Name of District	Number of Packages	No. of Roads	Total Estimated Cost (In Rs.)
1.	Balaghat	1	3	15900000.00
2.	Harda	2	2	15276000.00
3.	Hoshangabad	1	1	5707000.00
4.	Jhabua	1	2	5277000.00
5.	Khargone	1	3	21399000.00
6.	Narsinghpur	2	6	40047000.00
7.	Raisen	1	3	17423000.00
8.	Shajapur	1	1	8892000.00

1. Tender document can be purchased only online from the above website from **05.08.2022 from 17:30 hrs.**
2. Other Critical dates and details can be viewed in the detailed IFB and tender document on the above-mentioned portal and concerned PIU.

CHIEF GENERAL MANAGER (TENDER)
M.P. Madhyam/105808/47364/2022

म.प्र. पुलिस हाउसिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड

कार्यालय परियोजना यंत्री, डी-5/2, एम.आय.जी., महाश्वेता नगर, इस्कॉन मंदिर के सामने, उज्जैन (म.प्र.)
फोन नं. : 0734-2527715, मोबा. 9406808103
Email :mpphcl_ujjain@yahoo.in
क्र. 889-90/पर्य/मप्रपुहाइडेकालि/22/ उज्जैन, दिनांक : 03.08.2022

निविदा आमंत्रण सूचना क्र. 11/2022-23 एवं 12/2022-23

मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, संभाग उज्जैन के अंतर्गत निविदा क्रमांक 11/2022-23 दिनांक 03.08.2022 के अंतर्गत इंडोर हॉल निर्माण कार्य जिला आगर मालवा एवं मंदसौर एवं निविदा क्रमांक 12/2022-23 दिनांक 03.08.2022 के अंतर्गत जिला मंदसौर एवं उज्जैन में सी.एम. राईज स्कूलों के निर्माण कार्य की ऑनलाइन निविदा आईडी क्र. 2022_MPPHC_214656, 2022_MPPHC_214659, 2022_MPPHC_214664, 2022_MPPHC_214665 कुल 4 निविदाएं आमंत्रित की गई हैं।

निविदा प्रपत्र ऑनलाइन **दिनांक 03.08.2022 17.00 बजे से** क्रय किये जा सकते हैं। विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal : https://www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

म.प्र. माध्यम/105824/47367/2022 **परियोजना यंत्री**

MADHYA PRADESH RURAL ROAD DEVELOPMENT AUTHORITY

(An Agency of Panchayat & Rural Development Department, Govt. of M.P.)
Block-IInd, 5th Floor, Paryavas Bhavan
Arera Hills, Bhopal (M.P.) - 462011

SQC CONSULTANCY OF BRIDGES

(E-PROCUREMENT NOTICE)
No. 10751/22/D-12/SQC-Brg./22 Bhopal, Dated : 04.08.2022

Online Bids are invited through e-procurement portal **http://mptenders.gov.in** from the consultants fulfilling the required qualification criteria for Supervision and Quality Control Consultancy of Bridge works being constructed on Rural Roads for the following packages.

- No. of Packages - 11
- No. of Bridges - 259

Total Estimated Construction Cost - Rs. 3080443000.00

1. RFP document may be seen, downloaded and purchased from our e-procurement website **https://mptenders.gov.in** from 17:30 hrs on **05.08.2022.**
2. Last date of Submission of bid is date **22.08.2022 upto 17.30 hrs.**
   Other details & conditions may be seen in the detailed NIT, Tender document for SQC of Bridge works June, 2021 on our Website **http://mptenders.gov.in.**

CHIEF GENERAL MANAGER (TENDER)
M.P. Madhyam/105846/47368/2022

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री, भदभदा रोड संभाग क्रमांक 02, भोपाल
Mobile No. : 9425601534,
ई-मेल : bhopaldivision2@gmail.com
क्र. - मप्रपुआअविनि/456/प.यं./भोपाल-02/तशा/2022
भोपाल, दिनांक : 04.08.2022

प्रेस-विज्ञप्ति

"सीएम राइज योजना अंतर्गत जिला भोपाल में शासकीय कन्या उ.मा.वि. बरखेड़ी, जहांगीराबाद, भोपाल एवं शासकीय कमला नेहरू उ.मा.वि., टी.टी. नगर, भोपाल का निर्माण एवं उन्नयन कार्य हेतु निविदा क्रमांक-04/2022-23 ऑनलाइन निविदा क्रमांक - MPPHCL/TENDER No- 2022_MPPHC_215156_1.) आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र **दिनांक 05.09.2022 समय 5.00 बजे तक** ऑनलाइन से खरीदे जा सकते हैं, विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal : https://mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।

म.प्र. माध्यम/105856/47369/2022 **परियोजना यंत्री**

मान (मेयो) कॉलेज आफ फिजियोथेरेपी

सुल्तानिया रोड, स्टेट बैंक चौराहे के पास, भोपाल–462001
इन्द्र विहार कालोनी, एयरपोर्ट रोड़, भोपाल–462032
Tel. No. 9425010770, 9425605962

म.प्र. पैरामेडिकल काउंसिल, म.प्र. मेडिकल साइंस विश्वविद्यालय, जबलपुर, एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग म.प्र. से मान्यता प्राप्त

प्रवेश सत्र 2021-22

क्र.	पाठ्यक्रम	अवधि
1.	बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी (बी.पी.टी.) 6 माह इंटर्नशिप	4½ वर्ष

योग्यता 12वीं जीव विज्ञान विषय से। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिये शासन अनुसार छात्रवृत्ति की सुविधा।

संचालक

LAKSHITY

R-47359/2022

मान (मेयो) कॉलेज ऑफ नर्सिंग

सुल्तानिया रोड, स्टेट बैंक चौराहे के पास, भोपाल–462001
इन्द्र विहार कालोनी, एयरपोर्ट रोड़, भोपाल–462032
Tel. No. 9425010770, 9425605962

इंडियन नर्सिंग कांउसिल, नई दिल्ली, मध्य प्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन काउंसिल, भोपाल, म.प्र. मेडिकल साइंस विश्वविद्यालय, जबलपुर एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग म.प्र. से मान्यता प्राप्त

प्रवेश सत्र 2022-23

क्र.	पाठ्यक्रम	अवधि
1.	मास्टर ऑफ नर्सिंग (एम.एस.सी नर्सिंग)– योग्यता बी.एस.सी. नर्सिंग	2 वर्ष
2.	पोस्ट बैसिक बी.एस.सी नर्सिंग–योग्यता जी.एन.एम.	2 वर्ष

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिये शासन अनुसार छात्रवृत्ति की सुविधा। छात्राओं के लिए उत्तम भोजन युक्त छात्रावास की विशेष सुविधा उपलब्ध है।

संचालक

LAKSHITY

R-47360/2022

म.प्र. पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री, संभाग क्र.-02,
डी-16, कचनार सिटी, विजय नगर, जबलपुर (म.प्र.) 482002
Email : mpphcjabalpur2@gmail.com

निविदा प्रेस विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, जबलपुर संभाग क्र.-02 के अंतर्गत निविदा क्रमांक 14/2022-23 रिव्राउनिंग रूम का निर्माण कार्य पी.टी.एस. उमरिया (ऑनलाइन निविदा क्र. 2022_MPPHC_214319) आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र **दिनांक 08.08.2022 तक** खरीद कर सायं 18:00 बजे तक सबमिट किये जा सकते हैं जिसकी विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal : https://www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं एवं निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उक्त वेबसाइट पर ही किए जावेंगे पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

म.प्र. माध्यम/105744/47362/2022 **परियोजना यंत्री**

हर घर तिरंगा अभियान से जुड़ें ज्यादा से ज्यादा नागरिक

भोपाल, मध्यप्रदेश में "हर घर तिरंगा" अभियान से अधिक से अधिक नागरिकों को जोड़ा जाए। प्रत्येक मकान और प्रतिष्ठान पर तिरंगा फहराने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जाए। केंद्र और राज्य शासन ने तिरंगे झंडों की आपूर्ति के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। प्रदेश में जन-प्रतिनिधियों के सहयोग से अभियान को शानदार सफलता दिलवाने के प्रयास किए जाएं। मध्यप्रदेश में 11 से 17 अगस्त तक निरंतर अभियान की गतिविधियां चलनी हैं। अभियान पर तीन दिन 13 से 15 अगस्त विशेष फोकस किया जाएगा। यह बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित मंत्रालय में 'हर घर तिरंगा' अभियान की तैयारियों की जानकारी प्राप्त करते हुए कहीं। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नगरों और ग्रामों में साइकल रैली, बाइक रैली, सरोवरों के निकट तिरंगे के साथ पैदल मार्च जैसे कार्यक्रम किए जाएं। राजधानी भोपाल में भोजताल के पास भी कार्यक्रम कर जनता को जोड़ा जाए। युवाओं की भागीदारी के लिए शिक्षण संस्थान आगे आएं। खेल, संस्कृति विभाग सहित अन्य विभाग हर घर तिरंगा अभियान की कामयाबी के लिए सक्रिय भूमिका निभाएं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया के माध्यम से नागरिक राष्ट्र भक्ति का परिचय देते हुए तिरंगे के साथ तस्वीर पोस्ट करें। ग्रामीण क्षेत्रों में स्व-सहायता समूहों की बहनें नेतृत्व करें। पुलिस बल, जन अभियान परिषद, अन्य स्वैच्छिक संगठन, रहवासी संघ, व्यापारिक प्रतिष्ठान आदि अभियान को सफल बनाने में सहयोग करें।

अभियान को सफल बनाने के लिए वातावरण निर्माण की गतिविधियां भी अभी से प्रारंभ की जा रही हैं। इस सप्ताह शौर्य स्मारक पर युवाओं की भागीदारी से राष्ट्र भक्ति गीत भी प्रस्तुत किए जाएंगे। पुलिस बैंड के साथ आमजन हाथ में तिरंगा लेकर एक पैदल मार्च में भी शामिल होंगे। पैदल मार्च में मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। विभिन्न वार्डों के नागरिक और कार्यालयों से अधिकारी-कर्मचारी पैदल मार्च के निर्धारित रूट के अनुसार अपनी भागीदारी करेंगे।

पेंशनरों की महंगाई राहत में बढ़ोत्तरी

भोपाल, राज्य शासन ने पेंशनरों को पेंशन पर महंगाई राहत स्वीकृत कर सभी विभागों को शीघ्र भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। वर्तमान में राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को एक अक्टूबर 2021 से छटवें वेतनमान में मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर 164 प्रतिशत की दर से एवं सातवें वेतनमान में 17 प्रतिशत की दर से महंगाई राहत स्वीकृत है।

राज्य शासन द्वारा जारी आदेश के अनुसार पेंशनरों/ परिवार पेंशनरों को वर्तमान में देय महंगाई राहत की दर में एक मई 2022 से वृद्धि की गई है। वर्तमान में महंगाई राहत की वृद्धि दर छठवें वेतनमान पर 10 प्रतिशत और सातवें वेतनमान पर 5 प्रतिशत थी। नए आदेश के अनुसार संशोधित महंगाई राहत की दर छठवें वेतनमान पर 174 प्रतिशत और सातवें वेतनमान पर 22 प्रतिशत हो जाएगी। बढ़ी दर एक मई 2022 की पेंशन जो जून 2022 में देय है, से लागू होगी।

आदेश के अनुसार 80 वर्ष या उससे अधिक की आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत देय होगी।

महंगाई राहत अधिवार्षिकी, सेवानिवृत्त, असमर्थता तथा क्षतिपूर्ति पेंशन पर देय होगी। सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाए गए कर्मचारियों को स्वीकार किए गए अनुकंपा भत्ता पर भी महंगाई राहत की पात्रता होगी। परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी महंगाई राहत वित्त विभाग के प्रासंगिक आदेश अनुसार देय होगी।

यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नी की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है, तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर महंगाई राहत की पात्रता नहीं होगी। यदि पति/पत्नी की मृत्यु के समय वह सेवा में है, तो पति पत्नी की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे महंगाई राहत की पात्रता होगी। ऐसे पेंशनरों जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत कराया है, उन्हें महंगाई राहत उनकी मूल पेंशन पर देय होगी।

लक्ष्य निर्धारित कर योजनाओं का क्रियान्वयन करें सुनिश्चित - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ विभिन्न योजनाओं के संबंध में चर्चा करते हुये।

भोपाल, विकास और जन-कल्याण के लिए देश में संचालित विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं में मध्यप्रदेश अग्रणी स्थान पर है। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास, मातृ वंदना और प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना में मध्यप्रदेश की उपलब्धि की प्रशंसा की है। उन्होंने प्रदेश में नगरों और ग्रामों के गौरव दिवस के लिए की गई पहल और राज्य शासन द्वारा मेडिकल की पुस्तकें हिन्दी भाषा में प्रकाशित करने की भी प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा है कि हिन्दी में विकसित यह पुस्तकें अन्य राज्यों को भी भेजी जाएं। प्रधानमंत्री के जन्म-दिवस 17 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़े के रूप में मनाया जाना है। सभी विभाग इसके लिए आवश्यक कार्य-योजना बनाएं। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में सम्पन्न मुख्यमंत्री परिषद की बैठक के संदर्भ में मंत्रालय में मंत्रीगण की बैठक को संबोधित करते हुए कहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी की मंशा के अनुरूप जन-कल्याण के लिए संचालित कार्यक्रम और योजनाओं में प्रत्येक पात्र व्यक्ति को समय-सीमा में लाभ उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है। विकास और जन-कल्याण के कार्यक्रमों में शत-प्रतिशत उपलब्धि दर्ज करना हमारा लक्ष्य है। इसके लिए प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित कर योजनाओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। योजनाओं में लक्ष्य प्राप्ति की प्रति सप्ताह, पाक्षिक और मासिक आधार पर समीक्षा हो। सभी विभागों के प्रमुख सचिव, मंत्री से समन्वय कर कार्य-योजना विकसित कर गतिविधियां संचालित करें। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, पीएम किसान सम्मान निधि, स्वामित्व, किसान क्रेडिट कार्ड आदि योजनाओं के लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। विभागीय अधिकारी समय-सीमा में लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, पीएम किसान सम्मान निधि आदि योजनाओं में अब तक की हमारी उपलब्धि लगभग शत-प्रतिशत रही है। अधिकांश योजनाओं में उपलब्धि 90 प्रतिशत से अधिक है। भविष्य में भी योजनाओं के क्रियान्वयन में हमें शीर्ष पर रहना है। योजनाओं के लक्ष्य प्राप्ति की प्रगति के संबंध में मुख्यमंत्री स्तर पर नियमित बैठकें होंगी।

श्री चौहान ने कहा है कि सभी योजनाओं में डायरेक्ट बेनीफिट ट्रांसफर की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करना आवश्यक है कि आधार कार्ड का दुरुपयोग न हो। बायोमेट्रिक वेरीफिकेशन की प्रक्रिया आरंभ की जाए। प्रारंभिक स्तर पर शासकीय कार्यालयों और शासकीय विद्यालयों में पायलेट प्रोजेक्ट के रूप में प्रक्रिया आरंभ करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जीएसटी का दायरा बढ़ाने के लिए राजस्व संग्रहण से संबंधित विभिन्न विभाग विशेष रूप से प्रयास करें।

मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरों में पेयजल सहित जनोपयागी सुविधाएं लोगों को सरलता से प्राप्त हों, इस ओर ध्यान देना आवश्यक है। शहरी क्षेत्र में स्वनिधि योजना के साथ विभिन्न योजनाओं के हितग्राहियों से जीवंत संवाद बनाए रखना जरूरी है। नगरीय नियोजन में यह सुनिश्चित किया जाए कि श्रमिक वर्ग के रहने की व्यवस्था शहरों में सुगम स्थल पर हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण क्षेत्र के परंपरागत कारीगरों के प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करें। प्रत्येक जिले में 75 अमृत सरोवर बनना हैं, इनमें दान की राशि और सीएसआर के संसाधनों का उपयोग किया जाए।

मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आंगनवाड़ियों के संचालन से समाज को जोड़ने के लिए गतिविधियां संचालित करें। आंगनवाड़ियों के लिए खिलौने देने या समाज के लोगों द्वारा अन्य सामग्री उपलब्ध कराने अभियान का रूप दिया जाए। सभी शालाओं में शिक्षकों की फोटो लगवाना भी सुनिश्चित किया जाए। महाविद्यालयों की रैंकिंग की व्यवस्था हो।

मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रीगण के साथ 15 अगस्त के बाद चिंतन शिविर होगा। अधिकारियों के साथ भी दो दिवसीय चिंतन शिविर होगा। मंत्रीगण के स्टाफ के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी।

मुख्यमंत्री को कृषि मंत्री ने भेंट की भारत सरकार से प्राप्त ट्रॉफी

एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए प्रदेश को मिला प्रथम पुरस्कार

भोपाल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को कृषि तथा किसान-कल्याण मंत्री श्री कमल पटेल ने मंत्रिपरिषद की बैठक में भारत सरकार से प्राप्त ट्रॉफी भेंट की। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में देश में सर्वश्रेष्ठ कार्य के लिए मध्यप्रदेश को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया है। केंद्रीय कृषि एवं किसान-कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर से 30 जुलाई को नई दिल्ली में हुए गरिमामय कार्यक्रम में अपर मुख्य सचिव किसान-कल्याण तथा कृषि विकास श्री अजीत केसरी के नेतृत्व में प्रदेश के अधिकारियों ने ट्रॉफी और प्रमाण-पत्र प्राप्त किए।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान को एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के लिये मिली ट्रॉफी भेंट करते हुये कृषि मंत्री श्री कमल पटेल।

भारत सरकार द्वारा प्रदेश को 7,400 करोड़ रुपये की वित्तीय सुविधा का आवंटन किया गया, जिसमें से वर्ष 2022-23 की समाप्ति तक 40 प्रतिशत तक राशि का व्यय किया जाना था। मध्यप्रदेश में वित्तीय वर्ष 2022-23 की शुरुआत तक ही 2,976 करोड़ रुपये में से 2,882 करोड़ रुपए के प्रकरणों की स्वीकृति दिलाकर 96.84 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया। पूरे देश में हुए राशि के कुल वितरण का 36 प्रतिशत वितरण केवल मध्यप्रदेश में हुआ है। योजना में अब तक 612 कृषकों, 2,721 कृषि उद्यमियों और 32 स्टार्टअप को योजना का लाभ मिल चुका है। साथ ही 160 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के लिए 37 करोड़ 59 लाख रुपये के प्रकरण स्वीकृत किए जा चुके हैं। प्रदेश में प्रकरणों के शीघ्र निराकरण के लिए विशेष टीम बनाई गई है, जो प्रत्येक प्रकरण पर बैंक और विभागों के साथ समन्वय कर आवेदनों की निरंतर समीक्षा करती है।

योजना के संबंध में जागरूकता कार्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। उल्लेखनीय है कि अधिक से अधिक कृषि अधोसंरचनाओं के निर्माण से कृषकों की आय बढ़ेगी और प्रदेश आत्म-निर्भर बनने की ओर अग्रसर होगा।

मूंग उपार्जन एवं भंडारण में पारदर्शिता के लिये मापदण्ड निर्धारित

वेयरहाउस चयन के संबंध में कलेक्टरों को पत्र

भोपाल, राज्य शासन द्वारा मूंग उपार्जन एवं भण्डारण के लिये गोदाम का चयन पूरी पारदर्शिता से करने के लिये मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं। मूंग भण्डारण के संबंध में मिलने वाली शिकायतों के दृष्टिगत मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा के अनुरूप वेयरहाउस के चयन के संबंध में प्रमुख सचिव खाद्य श्री फैज अहमद किदवई ने सभी कलेक्टर को पत्र लिखा है।

शासकीय गोदामों में भण्डारण क्षमता की जानकारी उपलब्ध कराये

प्राथमिकता के क्रम में सर्वप्रथम मूंग का उपार्जन और भण्डारण शासकीय गोदाम में किया जाएगा। शासकीय गोदामों में उपलब्ध भण्डारण क्षमता की जानकारी आपूर्ति अधिकारी कलेक्टर को उपलब्ध करायेंगे एवं जानकारी की सत्यता का प्रमाण-पत्र भी प्रस्तुत करेंगे। शासकीय गोदामों में अनुमानित उपार्जन के लिये पर्याप्त भण्डारण क्षमता न होने की स्थिति में शेष भण्डारण एवं उपार्जन नागरिक आपूर्ति निगम के ऐसे अनुबंधित निजी गोदामों में किया जा सकेगा, जिनके परिसर में वे-ब्रिज की सुविधा उपलब्ध हो। ऐसे गोदाम, जिनके 4 किलोमीटर की परिधि के भीतर वे-ब्रिज की सुविधा उपलब्ध हो और इसके बाद ऐसे निजी गोदाम, जो मुख्य राष्ट्रीय/राज्य/जिला मार्ग पर स्थित हों, को भण्डारण के लिए उपयोग में लिया जा सकेगा। पर्याप्त भण्डारण क्षमता उपलब्ध न होने की स्थिति में अन्य निजी गोदाम भण्डारण के लिये उपयोग में लिये जा सकेंगे।

भण्डारण के लिये 2 या अधिक निजी अनुबंधित गोदाम प्राथमिकता क्रम में एक समान स्थिति में हों, तो उस गोदाम को वरीयता दी जायेगी, जो पीएमएस (प्रिजर्वेशन, मेंटेनेंस एंड सिक्योरिटी) का कार्य नागरिक आपूर्ति निगम से अनुबंधित एजेंसी को सौंपने के लिये लिखित रूप से सहमति देगा। गोदाम समान स्थिति में होने की दशा में पहले लायसेंस प्राप्त गोदाम को प्राथमिकता दी जायेगी।

भण्डारण के लिये निर्धारित मापदण्डों के अनुसार कलेक्टर चयनित गोदामों की प्राथमिकता क्रम में सूची तैयार कर उल्लेख करेंगे कि चयन किस प्राथमिकता क्रम के आधार पर किया गया है। उक्त सूची वेबसाइट एवं संबंधित कार्यालय के नोटिस-बोर्ड पर प्रदर्शित की जायेगी। कोई व्यक्ति इस संबंध में जानकारी मांगता है अथवा कोई आपत्ति दर्ज कराता है, तो उसे एक सप्ताह के भीतर निराकरण किया जायेगा।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

मध्यप्रदेश में 73 हेक्टेयर क्षेत्र में नई औद्योगिक इकाइयां शुरू

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में औद्योगिक इकाइयों के संबंध में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए।

भोपाल, मध्यप्रदेश में नवीन औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य शासन द्वारा आवश्यक सुविधाएं देते हुए युवाओं को रोज़गार दिलवाने का कार्य निरंतर चल रहा है। सीहोर जिले के ग्राम लाचोर में औद्योगिक क्षेत्र के लिए 53 हेक्टेयर भूमि चयनित की गई है। बुदनी के लकड़ी के खिलौनों की ख्याति दूर-दूर तक है। इन खिलौनों की बिक्री के लिए होशंगाबाद रेलवे स्टेशन पर स्टाल प्रारंभ होगा। इटारसी और भोपाल के रानी कमलापति स्टेशन पर भी ऐसे स्टाल खुलेंगे। क्षेत्र में टॉय क्लस्टर के लिए हस्तशिल्प विकास निगम द्वारा खिलौना निर्माताओं और काष्ठ शिल्पियों को आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं। यह बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में आयोजित एक बैठक के दौरान कहीं।

मुख्यमंत्री ने कहा है कि युवाओं को रोज़गार सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। कृषि को उद्योग से जोड़ने के प्रयास बढ़ाए जा रहे हैं। कृषकों को प्राकृतिक कृषि का प्रशिक्षण भी दिया गया है। प्रदेश के कुछ जिलों से प्रारंभ प्रयास अन्य जिलों तक पहुंचेंगे। रायसेन और सीहोर में नवीन औद्योगिक इकाइयां शुरू की गई हैं।

कलेक्टर सीहोर श्री चंद्र मोहन ठाकुर द्वारा आंगनवाड़ी केंद्रों से संचालित कुपोषण मुक्ति के अभियान, बांस कलस्टर विकास, टपकेश्वर, बरखेड़ा और दिगंबर, सारू-मारू गुफाओं के नजदीक ईको-टूरिज्म के विकास, अमरगढ़ जल प्रपात के निकट पर्यटकों की सुविधा के लिए पैगोडा निर्माण, एफपीओ के गठन, मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं को क्रियाशील बनाने पैक हाउस के निर्माण, ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर से सिंचाई को प्रोत्साहन, पांच मिल्क रूट कार्यशील स्थिति में पहुंचाने, विभिन्न स्थानों पर खेल स्टेडियम के निर्माण, छात्रावास निर्माण, महाविद्यालयों में फर्नीचर और अन्य उपकरण उपलब्ध कराने, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के समन्वय से बुदनी और नसरुल्लागंज में शिक्षण केंद्र स्थापना, सलकनपुर स्थित मां विजयासन देवी मंदिर परिसर में विकास कार्य, रमईया आयुर्मेधा बैंगलोर द्वारा योग नेचर पार्क के लिए सहयोग, आयुष औषाधालयों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में परिवर्तित करने, स्वास्थ्य केंद्रों के भवन निर्माण, नगरीय विकाय, स्वच्छ भारत मिशन के लिए सामुदायिक डस्टबिन वितरण, नीलकंठ जलप्रदाय योजना आदि से संबंधित जानकारी दी गई।

पॉवर @2047

उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य कार्यक्रम में शामिल हुये मुख्यमंत्री

भोपाल, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य-पॉवर @ 2047 कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित किया। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान मंत्रालय से वर्चुअली सम्मिलित हुए तथा प्रधानमंत्री के उद्बोधन का श्रवण किया। मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव ऊर्जा श्री संजय दुबे भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य-पॉवर @ 2047 कार्यक्रम के समापन पर कहा कि ऊर्जा क्षेत्र की मजबूती ईज ऑफ इडंग बिजनेस के साथ ईज ऑफ लिविंग के लिए भी महत्वपूर्ण है। आज आरंभ की गई परियोजनाएं भारत के नवकरणीय ऊर्जा लक्ष्यों, प्रतिबद्धता और इसकी हरित गतिशीलता की आकांक्षाओं को मजबूत करेंगी।

श्री मोदी ने बताया कि पिछले 8 वर्षों में देश में लगभग एक लाख 70 हजार मेगावॉट बिजली उत्पादन क्षमता जोड़ी गई है। प्रधानमंत्री ने देश के विभिन्न राज्यों के हितग्राहियों से वर्चुअली संवाद भी किया।

प्रधानमंत्री ने एनटीपीसी की 5 हजार 200 करोड़ से अधिक की विभिन्न हरित ऊर्जा परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास और नेशनल सोलर रूफटॉप पोर्टल का शुभारंभ भी किया। प्रधानमंत्री द्वारा तेलंगाना और केरल की परियोजनाओं का उद्घाटन, राजस्थान की सौर परियोजना और लेह एवं गुजरात की हाइड्रोजन परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई।

उल्लेखनीय है कि आजादी के अमृत महोत्सव में 25 से 30 जुलाई तक उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य-पॉवर @ 2047 का देश में आयोजन किया गया है।

पशुपालन योजनाओं के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश देश में सबसे आगे

भोपाल, मध्यप्रदेश किसान क्रेडिट-कार्ड, टैगिंग, टीकाकरण, अधोसंरचना विकास आदि कार्यों में मध्यप्रदेश देश में सबसे आगे चल रहा है। इन सफलताओं का ही परिणाम है कि प्रदेश को किसान क्रेडिट-कार्ड में 15 हजार कार्ड प्रतिमाह का नया लक्ष्य मिला है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि यह लक्ष्य भी विभाग इसी गति से शत-प्रतिशत हासिल कर लेगा। ये बातें पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री प्रेमसिंह पटेल ने भोपाल स्थित संचालनालय पशुपालन एवं डेयरी में लिफ्ट सुविधा का लोकार्पण करते हुए कहीं।

श्री पटेल ने कहा कि अपर मुख्य सचिव श्री जे.एन. कंसोटिया और उनके बीच विभाग के लिये नित नए आयाम स्थापित करने की जिजिविषा के साथ विभागीय अधिकारी-कर्मचारियों की मेहनत और लगन का परिणाम है कि प्रदेश आज देश में पशुपालन एवं डेयरी क्षेत्र में अग्रणी स्थान पर है। प्रदेश में कुछ वर्ष पहले गाय से एक लीटर दूध मिलता था, वह अब बढ़कर 10 लीटर तक हो गया है।

मंत्रिपरिषद के निर्णय

स्कूल शिक्षा विभाग की नवीन स्थानांतरण नीति को मंजूरी

भोपाल, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में भोपाल स्थित मंत्रालय में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में स्कूल शिक्षा विभाग की विशिष्ट परिस्थितियों से जनित आवश्यकताओं के दृष्टिगत विभागीय नवीन स्थानांतरण नीति को मंजूरी दी गई। नवीन स्थानांतरण नीति सत्र 2023-24 से प्रभावी होगी। सभी संवर्गों के लिए स्थानांतरण प्रक्रिया 31 मार्च से 15 मई के मध्य पूरी कर ली जाएगी। पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। स्वैच्छिक स्थानांतरण भी ऑनलाइन ही होंगे। रिलीविंग और ज्वॉइनिंग की कार्यवाही ऑनलाइन होगी। एक बार स्वैच्छिक स्थानांतरण होने के बाद विशेष परिस्थिति छोड़ कर 3 वर्ष तक स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा। सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई शाला शिक्षक विहीन न हो। मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए अन्य निर्णय इस प्रकार हैं -

- नवीन स्थानांतरण नीति में पहले प्रशासनिक स्थानांतरण और फिर स्वैच्छिक स्थानांतरण को प्राथमिकता दी जाएगी। नवीन नियुक्त शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालयों में कम से कम 3 वर्ष और अपने संपूर्ण सेवाकाल के न्यूनतम 10 वर्ष कार्य करना होगा। दस वर्ष या इससे अधिक अवधि से एक संस्था विशेषकर शहरी क्षेत्रों में पदस्थ शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षक विहीन अथवा शिक्षकों की कमी वाले विद्यालयों में पदस्थ किया जाएगा।
- ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति 3 वर्ष शेष है अथवा गंभीर बीमारी या विकलांगता से पीड़ित है, उन्हें इस प्रक्रिया से मुक्त रखा जायेगा। स्थानांतरण में वरीयता क्रम निर्धारित किया गया है। शिक्षकों को निर्वाचित जन-प्रतिनिधियों की निजी पदस्थापना में पदस्थ नहीं किया जाएगा।
- उत्कृष्ट स्कूल, मॉडल स्कूल और सी.एम. राइज स्कूलों में स्वैच्छिक स्थानांतरण नहीं होंगे। प्राचार्य/सहायक संचालक या उससे वरिष्ठ पदों के स्वैच्छिक स्थानांतरण आवेदन ऑनलाइन लिए जाएंगे। उनका निराकरण ऑफलाइन भी किया जा सकेगा। प्रथम श्रेणी अधिकारियों के स्थानांतरण समन्वय में मुख्यमंत्री के अनुमोदन से किए जाएंगे।
- मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश के नक्सल क्षेत्रों में पदस्थ विशेष आसूचना शाखा (SIB) के पुलिस कर्मियों को मासिक रूप से नक्सल विरोधी विशेष भत्ता तथा विशेष आसूचना शाखा (SIB) में नक्सल क्षेत्र में कार्यरत रहने की अवधि अनुसा आ-सूचना विशेष भत्ता आदेश जारी होने के दिनांक से स्वीकृत किया गया।
- आरक्षक को 19 हजार, प्रधान आरक्षक और सहायक उप निरीक्षक को 25 हजार, उप निरीक्षक को 34 हजार और निरीक्षक को 38 हजार रुपये प्रतिमाह नक्सल विरोधी विशेष भत्ता दिया जायेगा। भत्ता स्वीकृति पर प्रतिवर्ष 1 करोड़ 4 लाख 88 हजार रुपये का वित्तीय भार संभावित है।
- नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में SIB हेतु विभिन्न संवर्ग के स्वीकृत 58 पदों में से वर्तमान में पदस्थ 33 शासकीय सेवकों को 'नक्सल विरोधी विशेष भत्ते के रूप में प्रतिवर्ष 91 लाख 80 हजार रुपये तथा 'आ-सूचना विशेष भत्ते' के रूप में प्रतिवर्ष 13 लाख 8 हजार रुपये इस प्रकार कुल 104 लाख 88 हजार रुपये की राशि देय होगी। इससे नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पदस्थ SIB के शासकीय सेवकों का मनोबल बढ़ेगा तथा नक्सलियों की गतिविधियों का सटीक आकलन कर बेहतर नक्सल विरोधी ऑपरेशन हो सकेंगे।
- मंत्रिपरिषद ने नक्सल विरोधी अभियान में हॉक फोर्स के पुलिसकर्मियों को पूर्व से स्वीकृत 'नक्सलाइट ऑपरेशन रिस्क अलाउन्स' मासिक रूप से दिये जाने के साथ अतिरिक्त रूप से नक्सल विरोधी विशेष भत्ता तथा हॉक फोर्स में कार्यरत रहने की अवधि अनुसार 'हॉक फोर्स भत्ता' स्वीकृत किया।
- हॉक फोर्स के पुलिसकर्मियों को हॉक फोर्स भत्ता प्रतिनियुक्ति की अवधि के हिसाब से देय होगा। इसके अनुसार 12 से 24 माह तक का कार्यकाल पूरा करने वाले पुलिसकर्मियों को एक हजार रुपये प्रतिमाह, 24 से 36 माह तक का कार्यकाल पूरा करने वाले को 2 हजार रुपये प्रतिमाह, 36 से 48 माह तक का कार्यकाल पूरा करने वाले को 3 हजार रुपये प्रति माह और 48 से 60 माह तक का कार्यकाल पूरा करने वाले पुलिसकर्मियों को 4 हजार रुपये प्रति माह भत्ता दिया जाएगा।
- अतिरिक्त नक्सल विरोधी विशेष भत्ता पर 18 करोड़ 77 लाख 80 हजार और हॉक फोर्स भत्ते पर 5 करोड़ 35 लाख 89 हजार रुपये इस प्रकार कुल 23 करोड़ 73 लाख 69 हजार रुपये का व्यय भार आयेगा। इससे हॉक फोर्स में वर्तमान में कार्यरत 1045 पुलिसकर्मियों को प्रतिवर्ष 9 करोड़ 78 लाख रुपये के स्थान पर प्रतिवर्ष लगभग 33 करोड़ 15 लाख रुपये के अलाउन्स/भत्ते प्राप्त होंगे। इससे नक्सल क्षेत्रों में कर्तव्यस्थ पुलिसकर्मियों का मनोबल बढ़ेगा तथा नक्सल विरोधी ऑपरेशन बेहतर ढंग से क्रियान्वित होंगे।
- मंत्रिपरिषद ने राज्य में प्राकृतिक कृषि पद्धति के प्रचार-प्रसार के लिये प्रदेश के कृषकों को एक देशी गाय के पालन पर अनुदान तथा प्रत्येक जिले के 100 ग्रामों में प्राकृतिक खेती प्रारंभ करने के उद्देश्य से नवीन 'मध्यप्रदेश प्राकृतिक कृषि विकास योजना' संपूर्ण मध्यप्रदेश में क्रियान्वित किए जाने का निर्णय लिया। योजना के अंतर्गत 52 जिलों में 100 ग्रामों का चयन कर कुल 5200 ग्रामों में प्राकृतिक खेती प्रारंभ की जाएगी। प्रत्येक ग्राम से 5, इस प्रकार कुल 26 हजार प्राकृतिक कृषि करने वाले किसानों का चयन कर उन्हें गौ-पालन के लिए अनुदान दिया जाएगा। अनुदान के रूप में 900 रुपये प्रतिमाह की सहायता दी जाएगी।
- प्राकृतिक कृषि करने वाले कृषकों का एक पोर्टल/एप तैयार किया जाएगा। इस पर पंजीकृत कृषकों को मास्टर ट्रेनर एवं ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। मास्टर ट्रेनर को प्रशिक्षक के रूप में कार्य करने का मानदेय 1 हजार रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा और वे प्राकृतिक प्रेरक कहलाएंगे।
- प्रशिक्षण पर 400 रुपये प्रति कृषक प्रति दिन का व्यय प्रावधानित किया गया है। योजना के क्रियान्वयन के लिए 39 करोड़ 50 लाख रुपये की आवश्यकता होगी, जो राज्य शासन द्वारा वहन की जाएगी। प्रशासकीय विभाग ने प्रथम चरण में 26 हजार कृषकों के लिए 900 रुपये प्रतिमाह के मान से 1 वर्ष के लिए 28 करोड़ 08 लाख रुपये के व्यय की स्वीकृति दी है।
- मंत्रिपरिषद ने पर्यटन विभाग की ग्रामीण पर्यटन परियोजना अंतर्गत चयनित ग्राम में होम-स्टे निर्माण/उन्नयन के लिये अनुदान की स्वीकृति दी। स्वीकृति अनुसार हितग्राही को नवीन होम-स्टे की निर्माण लागत का 40 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 2 लाख रुपये और होम-स्टे उन्नयन के लिये लागत का 40 प्रतिशत अनुदान अधिकतम 1 लाख 20 हजार रुपये देय होगा। (जो कम हो) अनुदान दो किस्तों में देय होगा।
- ग्रामीण पर्यटन अंतर्गत स्थापित होम-स्टे को मध्यप्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा संचालित 4 योजनाओं में से नियमानुसार संबंधित योजना में पंजीयन कराना होगा। परियोजना के प्रथम चरण में लगभग 100 ग्रामों में पर्यटकों को ग्रामीण परिवेश का अनुभव कराने के लिए पर्यटन गतिविधियां संचालित की जायेंगी। इसमें प्रति ग्राम लगभग 10 परिवार के हिसाब से 1000 परिवारों में पर्यटकों को आवासीय सुविधा प्रदान करने के लिये 1000 होम-स्टे कक्षों का निर्माण/उन्नयन किया जायेगा। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 20 हजार ग्रामीण परिवारों को रोज़गार मिलेगा।
- ग्रामीण पर्यटन परियोजना के प्रमुख घटकों में ठहरने की उत्तम व्यवस्था, स्थानीय भोजन, कला एवं हस्तकला, लोक संगीत एवं नृत्य, स्थानीय खेलकूद और कौशल उन्नयन शामिल है। प्रथम चरण के बाद द्वितीय चरण में आवश्यकतानुसार नवीन ग्रामों का चयन ग्रामीण पर्यटन परियोजना में किया जा सकेगा।
- मंत्रिपरिषद ने राजभवन सचिवालय में गठित जनजातीय प्रकोष्ठ कार्यालयीन स्थापना एवं सचिवालयीन सहायक, सदस्यों की सेवा शर्तों तथा वार्षिक वेजट एक करोड़ 5 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया।

(स्रोत : समाचार एवं फोटो जनसंपर्क विभाग, मध्यप्रदेश से साभार)

दूरस्थ आईटीआई को भी डिजिटल ई-लर्निंग से जोड़ना आवश्यक

नई दिल्ली, मध्यप्रदेश के युवाओं में दक्षता और कौशल विकास को निखारने के उद्देश्य से तकनीकी शिक्षा विभाग, ग्लोबल स्किल पार्क एवं कैलिफोर्निया की सेल्स फोर्स कंपनी के मध्य एमओयू हुआ। नई दिल्ली के मध्यप्रदेश भवन में तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास मंत्री श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया की उपस्थिति में इस करार पर हस्ताक्षर किए गए।

संचालक कौशल विकास श्री हरजिंदर सिंह ने श्री विलियम सिम, उपाध्यक्ष/एपीएसी और एएनजेड प्रमुख, ट्रेलहेड अकादमी, सेल्सफोर्स सिंगापुर के साथ समझौता ज्ञापन का आदान-प्रदान किया। डॉ. मोहन सेन अपर संचालक ने तकनीकी शिक्षा निदेशालय की ओर से एमओयू का आदान-प्रदान किया।

तकनीकी शिक्षा मंत्री श्रीमती सिंधिया ने कौशल विकास में डिजिटल लर्निंग के महत्व की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य के दूरस्थ आईटीआई को भी छात्रों के इंडस्ट्री के लिए तैयार करने के लिए डिजिटल ई-लर्निंग सुविधा से जोड़ा जाना चाहिए। श्रीमती सिंधिया ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया है, उसी में भागीदारी करते हुए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश का संकल्प लिया है। ग्लोबल स्किल पार्क और कैलिफोर्निया की सेल्स फोर्स कंपनी के मध्य ये करार आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश की ओर एक कदम है। उन्होंने कहा कि इस करार से मध्यप्रदेश के युवाओं को अपने कौशल को निखारने में बड़ी मदद मिलेगी। सेल्स फोर्स के साथ इस एमओयू का मुख्य उद्देश्य ई-लर्निंग प्लेटफार्म के माध्यम से तकनीकी और इंजीनियरिंग के छात्रों को डिजिटल फ्लूएंसी को बढ़ाने तथा उनका कौशल विकास करने के अवसर प्रदान करना है।

मध्यप्रदेश का ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर प्रोजेक्ट पूर्ण

भोपाल, ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि जर्मनी के के.एफ.डब्ल्यू. बैंक द्वारा वित्त पोषित प्रोजेक्ट का अंतिम कार्य गत दिवस मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने पूरा कर लिया है। इसमें 400 केव्ही आष्टा-उज्जैन डबल सर्किट लाइन ऊर्जीकृत की गई।

ऊर्जा मंत्री ने बताया कि पूरे देश में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों से उत्पन्न बिजली के सहज ट्रांसमिशन के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर बनाने के लिए कुछ राज्यों में से मध्यप्रदेश को भी चुना गया था। कुल प्रोजेक्ट 2100 करोड़ रुपये में से 840 करोड़ रुपये का लोन जर्मनी के बैंक के.एफ.डब्ल्यू. ने स्वीकृत किया था। इन कार्यों को मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने निर्धारित लक्ष्य से पहले ही पूरा कर दिखाया। इस प्रोजेक्ट की प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा सतत मॉनीटरिंग भी की जा रही थी।

मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के अधीक्षण अभियंता एम.एम. ढोके ने बताया कि इस स्कीम में प्रदेश में 400 केव्ही के तीन सब-स्टेशन, 220 केव्ही के सात सब-स्टेशन, 400 केव्ही की 5 डबल सर्किट लाइनें, 220 केव्ही की 15 डबल सर्किट लाइनें तथा 132 केव्ही की 26 डबल सर्किट की कुल 2773 सर्किट किलोमीटर अति उच्च दाव लाइनें निर्मित की गईं। इस स्कीम से 400 केव्ही की 1890 एम.व्ही.ए. क्षमता, 220 केव्ही में 2400 एम.व्ही.ए. क्षमता तथा 132 केव्ही में 498 एम.व्ही.ए. कुल 4788 एमव्हीए अतिरिक्त ट्रांसफॉर्मेशन की क्षमता मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी के ट्रांसमिशन में नेटवर्क में जोड़ी गई।

राजस्व संग्रहण

कर संचयन की सरल और स्वच्छ व्यवस्था सुनिश्चित की जाए - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुये।

भोपाल, राजस्व संग्रहण में वृद्धि के लिए छोटे करदाताओं को विश्वास में लेकर उन्हें शिक्षित करते हुए कार्य-योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। करदाताओं से बेहतर संवाद और उन्हें अद्यतन जानकारियां उपलब्ध कराने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी की तकनीकों का इस्तेमाल भी किया जाए। यह सुनिश्चित करें कि प्रदेश में कहीं भी अवैध मदिरा का विक्रय न हो। जनभावनाओं का आदर आवश्यक है। प्रदेश में ई-आवकारी के अंतर्गत निर्माताओं के लिए लागू व्यवस्था तथा मदिरा के ट्रेक एण्ड ट्रेस सिस्टम से आवकारी क्षेत्र में सुधार हो रहा है। पंजीयन एवं स्टाम्प में लक्ष्य से अधिक उपलब्धि प्राप्त करने के प्रयास किये जायें। ये बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित मंत्रालय में वाणिज्यिक कर विभाग की समीक्षा करते हुये कहीं।

बैठक में बताया गया कि कर संचयन के लिए सरल और स्वच्छ व्यवस्था सुनिश्चित करने जीएसटी के नए करदाताओं की सुविधा के लिए वेलकम किट विकसित की गई है। छोटे करदाताओं की सुविधा के लिए व्हाट्सएप आधारित चैट बॉक्स की सुविधा उपलब्ध है, जिस पर करदाताओं की जिज्ञासा और शंकाओं का समाधान किया जाता है। साथ ही करदाताओं से सरल संवाद के लिए प्रत्येक कार्यालय में हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं। करदाताओं को नवीन नोटिफिकेशन की सूचना, यूट्यूब चैनल से उपलब्ध कराई जा रही है। समस्त नोटिस, पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जारी किए जा रहे हैं। बताया गया कि वाहन चेकिंग के लिए अधिकारियों को एसएमएस आधारित सिस्टम द्वारा प्राधिकार-पत्र जारी किया जा रहा है।

बैठक में राजस्व प्राप्ति में वृद्धि के लिए कार्ययोजना भी प्रस्तुत की गई। बताया गया कि वेट में लंबित वसूली के प्रकरणों की मॉनीटरिंग के लिए ऑनलाइन माड्यूल का उपयोग किया जा रहा है। जीएसटी में टैक्स बेस में वृद्धि के लिए 22 प्रमुख सेवा क्षेत्रों का चयन किया गया है। जिले की आर्थिक तथा व्यावसायिक गतिविधियों के आधार पर जिलों के लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं। दिसम्बर 2021 से स्क्रूटनी का कार्य आरंभ किया गया है। कुल 1179 प्रकरणों में स्क्रूटनी की कार्यवाही पूर्ण कर 182 करोड़ रुपए जमा कराए गए हैं। प्रवर्तन की कार्यवाही में डेटा एनालेटिक्स का उपयोग किया जा रहा है। सघन मॉनीटरिंग के लिए डेटा कमॉन्ड एंड कन्ट्रोल सेंटर की स्थापना की गई है।

बताया गया कि वर्ष 2022-23 की मदिरा नीति में अवैध मदिरा पर नियंत्रण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। ई-आवकारी से प्रक्रियाओं में सुधार के लिए की गई व्यवस्था की जानकारी में बताया कि पूर्व प्रचलित होलोग्राम के स्थान पर भारत सरकार की सिक्यूरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद के क्यूआर कोड युक्त एक्साइज एडहेसिव लेबल चस्पा करने की व्यवस्था की गई है। ट्रैक एण्ड ट्रेस व्यवस्था में मदिरा बोतल पर चस्पा क्यूआर कोड से सत्यापन और परिवहन संबंधी जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

प्राकृतिक कृषि की तरफ तेजी से बढ़ रहा मध्यप्रदेश - मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान भोपाल में निवेश संवर्द्धन पर मंत्रिपरिषद समिति की बैठक को संबोधित करते हुये।

भोपाल, मध्यप्रदेश में पायलट आधार पर प्राकृतिक कृषि के लिए क्षेत्र चयनित कर कार्य प्रारंभ किया गया है। दो प्रस्ताव सीसीआईपी (कैबीनेट कमेटी फॉर इंडस्ट्रियल प्रमोशन) द्वारा मंजूर किए गए हैं। इस तरह के ठोस प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य सरकार उनकी मंजूरी में विलंब नहीं करेगी। कृषकों के आर्थिक हित को देखते हुए नई योजना "मध्यप्रदेश फसल विविधीकरण के लिए प्रोत्साहन" वर्तमान वित्तीय वर्ष से तीन वर्ष के लिए लागू की गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि फसल विविधीकरण के क्षेत्र में मध्यप्रदेश अन्य राज्यों से आगे बढ़ रहा है। निश्चित ही किसानों द्वारा रुचि लिए जाने से प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने का कार्य आसान होगा। जिन कृषकों ने प्राकृतिक खेती प्रारंभ की है, उनके कार्यों को देखकर अन्य किसान इसके लिए प्रेरित होंगे। गेहूं और धान के स्थान पर प्राकृतिक कृषि में अन्य अनाज लिए जाने की पहल की गई है। सोयाबीन का रकबा कम न हो, क्योंकि यह भी राज्य की आवश्यकता है। किसानों द्वारा गेहूं और धान के स्थान पर अन्य उत्पादन लेने के प्रयास सराहनीय हैं।

यह बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल में निवेश संवर्धन पर मंत्रिपरिषद समिति की बैठक को संबोधित करते हुए कहीं।

अपर मुख्य सचिव कृषि श्री अजीत केसरी ने बताया कि फसल विविधीकरण में कृषकों को उद्योगों के साथ कार्य के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके लिए राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट स्क्रीनिंग समिति के समक्ष जो प्रस्ताव आए हैं, उपयुक्त हैं।

मध्यप्रदेश में धान और गेहूं स्थान पर लाभकारी फसलों को प्रोत्साहित करने, किसानों को ऐसी किस्मों को बढ़ावा देने जो सरकारी खरीद पर निर्भर नहीं हैं और उन्हें बाजार और निर्यात के लिए अनुकूल सुविधाएं हैं, मोटे अनाज कोदो-कुटकी, रामतिल, मसालों आदि को बढ़ावा देने और पर्यावरण संतुलन के लिए जलवायु आधारित अनुकूल फसलों को प्रोत्साहित करने का उद्देश्य है।

बैठक में प्रजेंटेशन

आईटीसी के श्री सुधांशु और ग्रीन एंड ग्रेस कंपनी के श्री प्रतीक शर्मा ने प्रजेंटेशन दिए और प्राकृतिक कृषि के क्षेत्र में प्रारंभ किए गए कार्य से अवगत करवाया। श्री सुधांशु ने बताया कि उन्होंने सुगंधित औषधीय पौधों के उत्पादन का कार्य सीहोर जिले में प्रारंभ किया है।

एजेंसी देना है

मध्यप्रदेश का सर्वाधिक प्रसार संख्या वाला साप्ताहिक समाचार पत्र

रोज़गार और निर्माण

प्रदेश में
खरगोन, बालाघाट, नरसिंहपुर, छिन्दवाड़ा, बीना, धार
एवं अशोकनगर जिलों में
एजेंसी नियुक्त करना है।

एजेंसी संबंधित कार्य के लिए कार्यालीन समय में संपर्क करें

0755-2760006,
9424442725, 9424444174

प्रमुख आकर्षण

- कॅरियर की खबरें
- सम-सामयिक विषयों पर विशेषज्ञों की टिप्पणियां
- खेल जगत की उल्लेखनीय खबरें
- सप्ताह की प्रमुख घटनाएं
- मध्यप्रदेश सरकार के निर्णयों और योजनाओं की जानकारियां
- विज्ञान की बातें

मध्यप्रदेश माध्यम
40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, भोपाल (म.प्र.) 462011
फोन नंबर : 0755-2551330, 0755-2760006
www.mpmadhyam.in
madhyam.rojgar@gmail.com

आज ही खरीदें
प्रमुख बुक-स्टॉलों पर उपलब्ध

लीला मोटली

बुकर लिस्ट में सबसे युवा लेखिका बनीं

कैलिफोर्निया के ऑकलैंड में जन्मी लीला मोटली 20 वर्ष की उम्र में 2022 के बुकर प्राइज के दावेदारों की सूची में शामिल होकर सबसे युवा लेखिका बन गई हैं। लीला के उपन्यास नाइट क्रालिंग को सर्वश्रेष्ठ उपन्यास की सूची में स्थान मिला है।

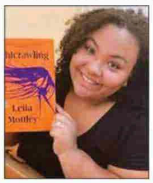

इंदरमीत गिल

वर्ल्ड बैंक के चीफ इकोनॉमिस्ट बने

भारत के अर्थशास्त्री इंदरमीत गिल को वर्ल्ड बैंक का चीफ इकोनॉमिस्ट बनाया गया है। उनकी नियुक्ति 01 सितम्बर 2022 से प्रभावी होगी। गिल इस पद पर नियुक्त होने वाले दूसरे भारतीय हैं। इससे पहले कौशिक बासु इस पद पर रह चुके हैं।

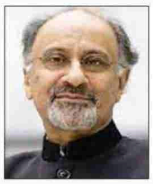

जोनास विंगगार्ड ने

टूर डी फ्रांस का खिताब जीता

डेनमार्क के जोनास विंगगार्ड ने प्रतिष्ठित साइकिल रेस के 109वें सीजन में पहला टूर डी फ्रांस खिताब जीता है। विंगगार्ड पिछले साल तादेज पोगाकर के बाद दूसरे स्थान पर रहे थे। वे 1996 में बर्जेने रीस के बाद इस टूर्नामेंट को जीतने वाले डेनमार्क के पहले राइडर बन गये हैं। 25 वर्षीय डेन ने पोगाकर से दो मिनट 43 सेकंड पहले दौड़ पूरी की। बाद में उन्होंने पोल्का डॉट जर्सी भी जीती।

नासा ने

अंतरिक्ष में तारे की मौत का नजारा रिकॉर्ड किया

अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के जेम्स वेब टेलीस्कोप ने अद्भुत वीडियो रिकॉर्ड किया है। इसमें एक मरते हुये तारे को दिखाया गया है। नासा ने इसकी तस्वीर साझा करते हुये लिखा कि वीडियो में साउदर्न रिंग प्लेनेटरी नेबुला को दिखाया गया है। प्लेनेटरी नेबुला मरने वाले सितारों से निकालने वाली गैस और धूल के गोले होते हैं। जेम्स वेब ने इस अद्भुत वीडियो एनजीसी-3132 को कैद करने के लिये दो कैमरों की मदद ली थी।

अमेरिका

द्वितीय विश्व युद्ध में सेवा देने वाली 102 साल की महिला हुई सम्मानित

द्वितीय विश्व युद्ध जब खत्म होने की कगार पर था, उस दौरान अमेरिकी सैनिकों को भेजे गये लाखों पत्र और पैकेज यूरोप के गोदामों में जमा हो गये थे। इस बैकलॉग को साफ करने का जिम्मा युद्ध में सेवा देने वाली ऑल-ब्लैक, ऑल-फीमेल ग्रुप 6888वीं सेंट्रल पोस्टल डायरेक्टरी बटालियन को दिया गया था। अब लगभग आठ दशक बाद यूनिट की सबसे बुजुर्ग जीवित सदस्य 102 वर्षीय रोमेडेविस को उनकी सेवा के लिये सम्मानित किया गया है। 102 वर्षीय डेविस को मोंटगोमरी सिटी हॉल में एक कार्यक्रम में प्रशस्ति-पत्र के साथ युद्ध के समय की वर्दी भी दी गई।

नीदरलैंड में

छात्रों ने बनाई शून्य कार्बन उत्सर्जन वाली कार

नीदरलैंड के आइंडहोवन प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के 35 छात्रों ने सही मायनों में शून्य उत्सर्जन वाली कार का प्रोटोटाइप बनाने में सफलता हासिल की है। इस इलेक्ट्रिक कार को जीरो एमिशन के कारण जेम नाम दिया गया है। इसके अधिकांश हिस्से थ्री-डी प्रिंट किये गये हैं और रिसाइकिल सामग्री से बने हैं। कार में लगा सीओटू फिल्टर 20 हजार किलोमीटर चलने पर लगभग 2 किलो कार्बन डाईऑक्साइड सोख सकता है।

बजराम बेगज

अल्बानिया के नये राष्ट्रपति बने

अल्बानिया के नये राष्ट्रपति बजराम बेगज ने औपचारिक रूप से राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की। पूर्व आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ बेगज ने राष्ट्रपति बनने के लिये 140 सीटों वाली संसद में 78 वोट से जीते थे। बेगज सैन्य रैंक के देश के तीसरे राष्ट्रपति हैं।

अंगोला में

मिला सबसे बड़ा 170 कैरेट का पिंक डायमंड

अफ्रीकी देश अंगोला की एक खदान से 170 कैरेट का दुर्लभ पिंक डायमंड निकाला गया है। यह खदान ऑस्ट्रेलिया की डायमंड कंपनी लुकापा की है। कंपनी के मुताबिक बीते 300 साल से इतना बड़ा पिंक डायमंड नहीं निकाला गया है। इसकी कीमत अभी तय नहीं की गई है। अंगोला की सरकारी डायमंड मार्केटिंग कंपनी द्वारा इंटरनेशनल टेंडर के जरिये इसकी बिक्री की जायेगी।

अमेरिका

भारत को नाटो प्लस में लाने की तैयारी में

अमेरिका के संसद रो खन्ना ने कहा है कि भारत को अमेरिका छठे सदस्य के रूप में उनकी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) प्लस में शामिल करना चाहता है। कैलिफोर्निया से डेमोक्रेट सांसद खन्ना ने कहा कि नाटो सहयोगियों को रक्षा समझौतों पर त्वरित स्वीकृति मिलती है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, इजरायल और दक्षिण अफ्रीका के साथ अमेरिका ऐसे समझौते कर चुका है।

ओलेना जेलेंस्की

यूक्रेन के राष्ट्रपति की पत्नी वोग के कवर पेज पर

रूस के हमलों का सामना कर रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की की पत्नी ओलेना जेलेंस्की को वोग मैगजीन ने कवर पेज पर जगह दी है। मैगजीन ने कहा कि ओलेना युद्ध के वक्त अपने देश के लिये राष्ट्रपति के साथ ताकत बनकर खड़ी रही हैं। वह उन इलाकों में अपने देश के लोगों, बच्चों और महिलाओं के बीच जाती रहीं, जहां बम गिरे थे और रूस के हमले से नागरिक हताहत हुये थे।

जर्मनी में

बिजली बचाने के लिये शहर की इमारतों की रोशनी कम हुई

जर्मनी ने अपने शहरों में अब सार्वजनिक इमारतों पर रात में लाइट्स बंद रखने, फाउन्टेंस और म्युनिसिपल स्विमिंग पूल को गर्म न रखने का फैसला किया है। यह फैसला जर्मनी ने रूस से गैस कटौती चालू होने के बाद अपनी ऊर्जा बचाने के लिये किया है। इसके तहत हनोवर शहर ने सबसे पहले यह फैसला लिया है। म्युनिसिपल बिल्डिंग्स को सिर्फ 1 अक्टूबर से 31 मार्च के बीच ही गरम किया जायेगा।

संजय अरोड़ा

दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त नियुक्त

तमिलनाडु कैडर के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) अधिकारी और वर्तमान में भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के महानिदेशक के रूप में सेवाएं दे रहे संजय अरोड़ा को दिल्ली पुलिस का आयुक्त नियुक्त किया गया। अरोड़ा गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना का स्थान लेंगे। आधिकारिक आदेशानुसार, सक्षम प्राधिकारी ने अंतर-कैडर प्रतिनियुक्ति के तहत अरोड़ा को एजीएमयूटी कैडर में नियुक्ति को मंजूरी दी है।

अमेरिका में

असॉल्ट गन पर प्रतिबंध लगाने के लिये बिल पास

अमेरिका में बंदूक संस्कृति और इसके दुष्परिणाम से होने वाली मौतों पर गंभीरता जताते हुए प्रतिनिधि सभा में एक बिल पारित किया गया। दशकों बाद असॉल्ट राइफल्स पर प्रतिबंध के लिए यह कार्रवाई की गई। अब उच्च सदन में इसे पास होना जरूरी है ताकि कानून बन सके। निचले सदन में बिल को डेमोक्रेट ने पेश किया था। वहां पर उनकी संख्या अच्छी है, लेकिन सीनेट में रिपब्लिकन पार्टी का बोलबाला है। वहां पर इस बिल का गिरना तय है। निचले सदन में भी इस बिल को पास कराने के लिए केवल दो रिपब्लिकन सांसदों ने ही डेमोक्रेटों का साथ दिया था। प्रतिनिधि सभा में बिल के पक्ष में 217 वोट पड़े, जबकि इसके विपक्ष में 213 मत पड़े। निचले सदन की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी ने बिल को अहम बताया, क्योंकि इस पर कानून बनने से देश में घातक हथियारों की बिक्री रुक जायेगी।

रूस

अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से 2024 के बाद हट जाएगा

रूस की स्पेस एजेंसी 'रोस्कॉस्मोस' के नए प्रमुख यूरी बोरिसोव ने घोषणा की है कि रूस अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से 2024 के बाद हट जाएगा। उन्होंने पद संभालते ही यह घोषणा की और कहा कि हम अपने सभी साझेदारों को दिए गए वादे को पूरा करने के बाद ही स्पेस स्टेशन से हटेंगे। उन्होंने इस संबंध में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भी जानकारी दी है। दरअसल, यूक्रेन पर हमला करने के बाद अमेरिका और यूरोपीय देशों ने प्रतिबंध लगाये हैं। इससे खफा होकर रूस धमकी देता रहा है कि वह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से अगले दो साल में अलग हो जाएगा।

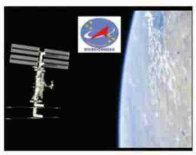

ब्रिटेन ने

बनाई भगवान गणेश की सोने की सिल्ली

बुद्धि के देवता गणेश के प्रति श्रद्धा जताते हुये ब्रिटेन की सरकारी टकसाल रॉयल मिंट ने सोने की विशेष सिल्ली जारी की है। इस पर भगवान गणेश के साथ उनके प्रिय पकवान मोदक की आकृति उकेरी गई है। इसे गणेश चतुर्थी के मद्देनजर तैयार किया गया है। रॉयल मिंट के मुताबिक 24 कैरेट सोने की यह सिल्ली 20 ग्राम की है। इसकी कीमत 1,110.80 पाउंड (करीब 1 लाख रुपये) रखी गई है। ब्रिटिश टकसाल वेबसाइट पर इसकी ऑनलाइन बिक्री करेगी। भारत में फिलहाल किसी दूसरी 20 ग्राम सोने की सिल्ली की कीमत करीब 86,220 रुपये है।

शेरिल सैंडबर्ग ने

सीओओ पद से दिया इस्तीफा

फेसबुक की पैरेंट कंपनी मेटा की सीओओ शेरिल सैंडबर्ग ने इस्तीफा दे दिया है। फेसबुक को स्टार्टअप से डिजिटल एडवरटाइजिंग कंपनी बनाने का श्रेय सैंडबर्ग को ही जाता है। वह 14 साल तक फेसबुक की चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर (सीओओ) रहीं। उन्होंने 2008 में गूगल छोड़कर फेसबुक ज्वॉइन किया था। इसके चार साल बाद कंपनी शेयर बाजार में लिस्टेड हुई थी।

स्मृति शेष

हॉलीवुड अभिनेता डेविड वॉर्नर का निधन

टाइटैनिक फिल्म में 'स्पाइसर लवजॉय' का किरदार निभाने वाले ब्रिटिश अभिनेता डेविड वॉर्नर का 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। 'द ओमेन' और 'ट्रॉन' समेत कई फिल्मों में वॉर्नर नजर आ चुके हैं, वह लंबे समय से बीमार थे।

पद्मश्री से सम्मानित चिकित्सक सुशोभन बनर्जी का निधन

पद्मश्री डॉक्टर सुशोभन बनर्जी का लंबी बीमारी से 84 वर्ष की उम्र में कोलकाता में निधन हो गया। उनकी पहचान 'एक रुपये वाले डॉक्टर' के रूप में थी। वह गरीबों का इलाज एक रुपये में करते थे। डॉक्टर बनर्जी बोलपुर से एक बार विधायक भी रह चुके थे।

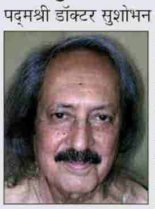

मध्यप्रदेश के पूर्व रणजी कप्तान अशोक जगदाले का निधन

मध्यप्रदेश की रणजी क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और हरफनमौला खिलाड़ी अशोक जगदाले का 76 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अशोक जगदाले ने 76 प्रथम श्रेणी मैच में 2,954 रन बनाये थे और 182 विकेट भी झटके थे।

लोकप्रिय उड़िया एवं बंगाली गायिका निर्मला मिश्रा का निधन

लोकप्रिय उड़िया एवं बंगाली गायिका सुश्री निर्मला मिश्रा का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। वह 81 वर्ष की थीं। उनके परिवार में पति और पुत्र हैं। उन्हें वर्ष 2015 में मस्तिष्काघात हुआ था, जिसके बाद वह घर में ही बिस्तर पर थीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री सुश्री ममता बनर्जी ने गायिका के निधन पर गहन शोक व्यक्त किया है। सुश्री बनर्जी ने अपने शोक संदेश में कहा कि सुश्री निर्मला का निधन संगीत जगत के लिए एक बड़ी क्षति है। राज्य सरकार ने गायिका के अंतिम संस्कार से पहले उनके पार्थिव शरीर को महानगर के सांस्कृतिक केंद्र रवींद्र सदन परिसर में लोगों के दर्शन के लिए रखने की व्यवस्था की। वर्ष 1938 में तत्कालीन बंगाल प्रेसीडेंसी के 24 परगना जिले में जन्मी सुश्री निर्मला को उड़िया संगीत में उनके योगदान के लिए संगीत सुधाकर बालकृष्ण दास पुरस्कार मिला है।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

SHRI VAISHNAV COLLEGE OF COMMERCE, INDORE
Affiliated to Devi Ahilya Vishwavidhyalaya, Indore
Sch. No. 71, Gumasta Nagar, Indore, Ph. 0731-2380060, 2780009

VACANCIES

- **Asst. Professor**
  Commerce, English, Computer, Hindi, History, Economics, Political Science, Psychology, Mass Communication
- **Librarian** ○ **Computer Lab Attendant**
- **Receptionist** ○ **Music and Dance Teacher**

Applications are invited for the above posts. Eligibility as per UGC and M.P. Govt. norms.
Apply within 10 days with complete bio-data, testimonials and photos.
Email: principalsvcc@gmail.com
SECRETARY
R-47356/2022

VIVEKANAND MAHAVIDYALAYA
NEAR KALUSHAH BABA DARGAH, INDORE
ICHHAPUR ROAD
SHAHPUR DISTT. BURHANPUR
E-MAIL : vivekanand mahavidyalaya@gmail.com
AFFILATED TO DEVI AHILYA VISHVAVIDYALAYA INDORE

REQUIRENMENT

- Principal (01)
- Mathematics (02), Physics (02), Chemistry (02), Zoology (02), Botany (02), Computer Science (02)
- Commerce (02), English (02), Hindi (02), Political Science (02), Sociology (02), History (02)
- Accountant 01, Librarian 01

QUALIFICATION
As Per U.G.C. Norms (Apply in 7 Days)

: Contact No. :
07325-226848, 8889792099, 9977911755, 9755431998
R-47358/2022

मतदाता परिचय पत्र से जुड़वायें आधार नंबर

भोपाल, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ निर्वाचन सदन में बैठक की। निर्वाचन कानून एवं नियमों में संशोधन-2022 और एक अगस्त से शुरू हुए आधार संग्रहण अभियान के बारे में राजनीतिक दलों को विस्तार से जानकारी दी। साथ ही नवीन फॉर्मेट-6बी द्वारा आधार नम्बर संग्रहण करने, विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2023 की प्रारंभिक कार्यवाहियों और मतदान केंद्रों का युक्तियुक्तकरण के बारे में जानकारी दी। राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की जिज्ञासाओं का भी समाधान किया। उन्होंने कहा कि आधार की निजता की पूरी गारंटी रहेगी।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजन ने राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को वोटर आईडी कार्ड से आधार नम्बर जोड़ने की प्रक्रिया बताई। उन्होंने कहा कि यह स्वैच्छिक है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजन और अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजेश कुमार कौल ने अपने वोटर आईडी कार्ड को आधार से जोड़ा। मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल से श्री भगवानदास सबनानी, श्री अशोक विश्वकर्मा, श्री जे.पी. धनोपिया एवं कार्यालय के कर्मचारी श्री राजीव जैन, श्री विनय देशमुख सहित अन्य अधिकारियों, कर्मचारियों ने वोटर आईडी कार्ड को आधार से ऑनलाइन प्रक्रिया से जोड़ा।

विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजन ने एक अगस्त से शुरू हुए आधार संग्रहण अभियान में अधिकाधिक भागीदारी करने का अनुरोध किया। मतदान केंद्रों के युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में जिला स्तर के प्रतिनिधियों से सहयोग, समस्त मतदान केंद्रों पर बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने और उनकी जानकारी जिलों में उपलब्ध कराने का भी अनुरोध किया।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री राजन ने बताया कि मतदाता सूची के संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम अंतर्गत जिन क्षेत्रों में जनसंख्या के अनुपात अनुसार मतदाता सूची में नाम कम जुड़े हैं और महिलाओं का प्रतिशत कम है उन क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया जायेगा।

मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी

भोपाल, मध्यप्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री अनुपम राजन ने बताया है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2023 कार्यक्रम 25 जुलाई 2022 को जारी किया गया है। इस कार्यक्रम के अनुसार 4 अगस्त से 24 अक्टूबर 2022 तक पुनरीक्षण पूर्व की कार्यवाही की जाएगी। 9 नवंबर को वोटर लिस्ट का प्रारंभिक प्रकाशन किया जाएगा और 8 दिसंबर तक नाम जोड़ने तथा आपत्तियों के आवेदन प्रस्तुत किये जा सकेंगे। इसी अवधि में दो शनिवार एवं दो रविवार को विशेष कैम्प होंगे, जिसमें बी.एल.ओ. दिन भर मतदान केंद्र में बैठकर आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे। 26 दिसंबर तक आवेदन-पत्रों का निराकरण होगा और 5 जनवरी 2023 की वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन होगा। विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण एक जनवरी 2023 की अर्हता तिथि को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

पुनरीक्षण एवं पुनरीक्षण पूर्व कार्यवाही राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी के पहले पूर्ण कर ली जाएगी, जिससे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के दिन समारोहपूर्वक नये युवा मतदाताओं को परिचय पत्र का वितरण किया जा सके।

पुनरीक्षण पूर्व कार्यवाहियों में मतदान केंद्र में 1500 से अधिक मतदाता होने पर मतदाताओं की संख्या अनुसार डेमोग्राफिक सिमिलर एंट्री (डी.एस.ई.), फोटो सिमिलर एंट्री (पी.एस.ई.) और एपिक कार्ड की दोहरी एंट्री समाप्त करना शामिल है। साथ ही अस्पष्ट फोटो बदलना, मतदाता सूची में सेक्शन का पुनरीक्षण करना, ध्यान रखना कि परिवार के सदस्य एक स्थान पर रहें, मतदान केंद्रों का सत्यापन कर अंतिम रूप देना, फार्मों की छपाई करना, पूरक सूचियों का एकीकरण करना और प्रारूप मतदाता सूची की तैयारी करना आदि कार्य भी शामिल हैं।

मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान इस कार्य के पर्यवेक्षण की व्यवस्था भी की गयी है। संभागीय आयुक्त मतदाता सूची प्रेक्षक होंगे। उनके द्वारा संभाग के जिलों की मतदाता सूची की जांच की जाएगी। सहायक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण, अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भी कार्य का पर्यवेक्षण करेंगे।

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, सागर

कार्यालय परियोजना यंत्री, भदभदा रोड, भोपाल
क्रमांक/941/मप्पुहाका/पर्य/सागर/22 दिनांक : 03.08.2022

निविदा सूचना क्रमांक 008/2022-23

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, सागर संभाग के अंतर्गत सागर, भोपाल, रायसेन, पन्ना एवं दमोह जिले में भवन निर्माण/अन्य कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र ऑनलाइन क्रय की **अंतिम तिथि 11.08.2022 तक** है। विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal : https://www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं।
म.प्र. माध्यम/105859/47372/2022 **परियोजना यंत्री**

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री, ग्वालियर संभाग क्र. 02, मकान नं. सी-31, कुलपति निवास के सामने, गोविन्दपुरी चौराहा, सचिन तेन्दुलकर रोड, सिटी सेंटर, ग्वालियर-11

निविदा आमंत्रण सूचना-09/2022-23

कार्यालय मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम संभाग, ग्वालियर क्र.-2 द्वारा निर्माण कार्यों हेतु निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 09/2022-23 के अन्तर्गत ऑनलाइन निविदा की कार्यवाही की गई है, जिसके ऑनलाइन निविदा क्र. 2022_MPPHC_215445_1 एवं 2022_MPPHC_215449_1 हैं। निविदा प्रपत्र **दिनांक 26.08.2022 तक** खरीदे जा सकते हैं। जिसकी विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal: https://www.mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है।
म.प्र. माध्यम/105873/47373/2022 **परियोजना यंत्री**

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम

कार्यालय परियोजना यंत्री, संभाग क्रमांक 01, गोरखपुर थाने के पीछे, 1558 ऋषि कॉटेज, रतन कॉलोनी, जबलपुर (म.प्र.)
पिनकोड : 482003, फोन : 0761-4927201
Email : mpphcjabalpur@gmail.com

निविदा प्रेस विज्ञप्ति

मध्यप्रदेश पुलिस आवास एवं अधोसंरचना विकास निगम, जबलपुर संभाग क्र. 01 के अंतर्गत गोटेगांव, जिला-नरसिंहपुर में खेल विभाग के अंतर्गत पविलियन, स्पेक्टेटर्स गैलरी एवं कबड्डी कोर्ट के निर्माण कार्य हेतु निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक-11/2022-23 (Online Tender No. 2022_MPPHC_214507_1) आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र **दिनांक 23.08.2022 समय सायं 17.00 बजे तक** ऑनलाइन खरीदे एवं सब्मिट (प्रस्तुत) किये जा सकते हैं। जिसकी विस्तृत निविदा सूचना एवं अन्य विवरण **Portal : https://www.mptenders.gov.in** पर देखे जा सकते हैं एवं निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उक्त वेबसाइट पर ही प्रदर्शित किए जावेंगे पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।
म.प्र. माध्यम/105798/47363/2022 **परियोजना यंत्री**

एमपी इण्डस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लि.

क्षेत्रीय कार्यालय, टी.व्ही. टॉवर के पास, उद्योग भवन, कटंगा जबलपुर (म.प्र.)
क्रमांक-एमपी आईडीसी/क्षे.का.ज./तक./2022/2388 जबलपुर, दिनांक 02.08.2022

निविदा सूचना द्वितीय आमंत्रण

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा पोर्टल **mptenders.gov.in-MPIDC RO Jabalpur** के माध्यम से आमंत्रित की जाती है।

कार्य का विवरण	बयाना राशि रु.	निविदा प्रपत्र शुल्क	कार्य की राशि	कार्यावधि
औद्योगिक क्षेत्र अमकुही जिला कटनी में अधोसंरचना विकास कार्य जैसे डामर सड़क, नाली, जलप्रदाय, स्ट्रीट लाइट इत्यादि।	रु. 4.00 लाख	रु. 17700.00 जी.एस.टी. सहित	रु. 400.43 लाख	06 माह वर्षाकाल सहित

किसी भी निविदा या समस्त निविदायें बिना कारण बताये निरस्त/स्वीकृत करने, निविदा की तिथि बढ़ाने का अधिकार निगम के कार्यकारी संचालक के पास सुरक्षित है। टेंडर डाक्यूमेंट उपरोक्त ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल **mptenders.gov.in** के माध्यम से निर्धारित तिथि तक डाउनलोड किये जा सकते हैं।
म.प्र. माध्यम/105815/47366/2022 **कार्यपालन यंत्री**

बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित जिलों में 25 करोड़ रुपये की सहायता राशि वितरित

भोपाल, राजस्व एवं परिवहन मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि प्रदेश में अतिवृष्टि, आकाशीय बिजली से मौत, पशुहानि, जनहानि एवं मकान के क्षतिग्रस्त होने के मामलों में अब तक लगभग 25 करोड़ रुपये की सहायता राशि राज्य सरकार द्वारा प्रभावितों को वितरित की गई है। प्रदेश के जिन क्षेत्रों में अतिवृष्टि के बाद जो नुकसान हुआ है, वहां मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर प्रभावितों को आर्थिक सहायता पहुंचाई जा रही है। प्रभावित क्षेत्रों में राजस्व विभाग के साथ स्थानीय अमला सर्वे कर रहा है।

श्री राजपूत ने बताया कि प्रदेश के 29 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने, 12 जिलों में बाढ़-अतिवृष्टि, 30 जिलों में पशुहानि के मामले सामने आए हैं। प्रदेश के 40 जिलों के 397 ग्रामों में बाढ़ और अतिवृष्टि से क्षति की जानकारी मिली है। राजस्व पुस्तक परिपत्र के प्रावधान 4-6 के अनुसार प्रभावितों को लगभग 25 करोड़ रुपये की सहायता राशि अब तक वितरित की गई है। श्री राजपूत ने कहा कि अतिवृष्टि से जिन क्षेत्रों में किसानों को नुकसान हुआ है, वहां की सर्वे रिपोर्ट जल्द तैयार कर आपदा राहत कोष से तात्कालिक सहायता राशि बांटी जाएगी।

कार्यालय कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग संभाग (भ/प) उज्जैन संभाग उज्जैन

website : www.mp.gov.in/pwdmp, email : eepwdujn@mp.nic.in
Phone : 0734-2557725

निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 13/व.ले.लि./2022-23 उज्जैन, दिनांक : 04.08.2022

निविदा आमंत्रण सूचना

निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट **https://www.mptenders.gov.in** पर देखी जा सकती है।

क्र.	टेण्डर आई.डी. क्रमांक	जिला	कार्य का नाम	आमंत्रण क्रमांक	ठेके की अनु. राशि (रु. लाख में)	ई.एम.डी. की राशि (राशि रुपयों में)	कार्य पूर्ण करने की समयावधि
1.	2022_PWDRB_215172_1	उज्जैन	उपसंभाग महिदपुर अंतर्गत पानविहार से गुनई जागीर मार्ग का निर्माण कार्य।	प्रथम आमंत्रण	344.47	344470/-	12 माह वर्षाकाल सहित
2.	2022_PWDRB_215257_1	उज्जैन	संभाग उज्जैन अंतर्गत महाकालेश्वर मंदिर शाही सवारी 2022-23 हेतु बेरीकेडिंग का कार्य।	प्रथम आमंत्रण	7.37	14740/-	12 माह वर्षाकाल सहित
3.	2022_PWDRB_215265_1	उज्जैन	लोक निर्माण विभाग, परिक्षेत्र कैम्पस उज्जैन में स्थित मण्डल प्रयोगशाला के उपयोग हेतु (मॉडल 2021 या उसके पश्चात का) बोलेरो केम्पर वाहन किराये पर लगाने हेतु।	तृतीय आमंत्रण	3.00	6000/-	12 माह वर्षाकाल सहित
4.	2022_PWDRB_215266_1	उज्जैन	उपसंभाग तराना अंतर्गत कायथा से भट्टनी मार्ग का नवीनीकरण का कार्य।	चतुर्थ आमंत्रण	9.22	18440/-	01 माह वर्षाकाल सहित
				योग -	364.06		

उपरोक्त वेबसाइट ऑनलाइन भुगतान करने के उपरांत निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने एवं प्रस्तुत करने की **अंतिम दिनांक 15.08.2022 सायं 18.30 बजे** निर्धारित है। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखी जा सकती है।
निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर ही किया जायेगा। पृथक से समाचार-पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा। अर्नेस्ट मनी एवं अन्य दस्तावेज केवल ऑनलाइन ही प्राप्त किए जावेंगे।

कार्यपालन यंत्री
जी-15138/47374/2022 लोक निर्माण विभाग (भ/प) संभाग उज्जैन

कार्यालय अनुसूचित जाति एवं जनजातीय कार्य विभाग
कक्ष क्र.-41 कलेक्टर परिसर हरदा
doscdhar_mp@nic.in

शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय रहटगांव जिला हरदा में अतिथि शिक्षकों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रण सूचना

एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय रहटगांव जिला हरदा में निम्नलिखित पदों हेतु अतिथि शिक्षकों का पैनल तैयार किया जाना है।

पीजीटी (शिक्षक) - भौतिक शास्त्र, संस्कृत, भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, पीजीटी-आईटी
टीजीटी (शिक्षक) - अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत, गणित, विज्ञान
अन्य स्टाफ - लाइब्रेरियन, संगीत शिक्षक, आर्ट टीचर, फिजिकल एजुकेशन टीचर, स्पेशल एजुकेटर

उपरोक्त पदों हेतु अभ्यर्थियों के **आवेदन दिनांक 10.8.2022 तक** अपने समस्त दस्तावेजों के साथ इस कार्यालय में कार्यालयीन समय प्रातः 10 बजे से 6.00 बजे तक जमा किये जा सकते हैं। साक्षात्कार हेतु पात्र पाए गये अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की सूचना इस कार्यालय द्वारा पृथक से दी जाएगी।

जिला संयोजक
जनजातीय कार्य विभाग, जिला हरदा

परिशिष्ट

S.No.	Name of Post	Educational & other Qualification
1.	Post Graduate Teachers (English, Hindi, Third Language, Physics, Chemistry, Math's Economics, Biology, History, Geography, Commerce, IT)	1. Two years integrated Post Graduate Course from Regional College of Education of NCERT in the concerned subject with at least 50% marks in aggregate OR 2. Master Degree from a recognized university with at least 50% marks in aggregate in the following subject. a. PGT (English) - English literature b. PGT (Hindi) - Hindi or Sanskrit with Hindi as one of the subjects at Graduate level. c. PGT (Math's) Mathematics/Applied Mathematics d. PGT (Physics) Physics/Electronics/Applied Physics/Nuclear Physics e. PGT (Chemistry) Chemistry/Bio Chemistry. f. PGT (Biology) - Botany/Zoology/Life Sciences/Bio Technology/ Genetics/Micro Biology/Bio Technology/Molecular Bio/Plant Physiology provided they have studied Botany and Zoology at Graduation level. g. PGT (History) - History h. PGT (Geography) - Geography i. PGT (Commerce) - Master's Degree in Commerce. However, holder of Degrees of M.com in Applied/Business Economics shall not be eligible. j. PGT (Economics) - Economics/Applied Economics/Business Economics k. PGT (Third Language) - Third language as a subject in Masters. l. PGT Information Technology - B.Tech (computer Science/IT)/Masters Degree in Computer Application/Computer Science/Information Technology/M.Tech (Computer application/Computer science/ Information Technology). 3. B. Ed or equivalent degree from a recognized university (Not applicable for PGT IT) 4. Proficiency in teaching in Hindi and English medium.
2.	Trained Graduate Teachers (TGTs) (English/ Hindi/ Third Language/ Math's/ Science/ Social Studies)	1. Four years intergrated degree course of Regional College of Education of NCERT in the concerned subject with at least 50% marks in aggregate. OR 2. Bachelor's Degree with at least 50% marks in the concerned subject/ combination of subject and in aggregate. a) For TGT (Third Language) : third language as a subject in all the three years. b) For TGT (Hindi) : Hindi as a subject in all the three years. c) For TGT (English) : English as a subject in all the three years. d) For TGT (S. St) : Any two of the following main subjects at graduation level : History, Geography, Economics an Pol. Science of which one must be either History or Geography. e) For TGT (Math's) - Mathematics as main subject at graduation level with one of the following as second subject : Physics, Chemistry, Electronics, computer Science, economics, commerce and Statistics. f) For TGT (Science) - Bachelor Degree in Science with any two of the following subjects Botany, Zoology and Chemistry. 3. B.Ed or equivalent degree from a recognized university. 4. Pass in the Central Teacher Eligibility Test (CTET) Paper-II, conducted by CBSE in accordance with the Guidelines framed by the NCTE for the purpose. 5. Proficiency in teaching in Hindi and English medium.
3.	Librarian	1. Degree from a recognized university or equivalent. 2. Bachelor's degree or equivalent diploma in Library Science from a recognized university/institution. 3. Experience of two years in a Library/Computerization of a one year certificate in computer application from a recognized institute or equivalent.
4.	Music Teacher	**Essential :** 1. Senior Secondary School Certificate 50% marks of Intermediate with 50% marks or its equivalent and Bachelor/Masters Degree in Music or equivalent from a recognized University. 2. Competence to teach through English and Hindi medium. **Desirable :** 1. Knowledge of Computer Applications. 2. 3 Years of experience as a music teacher + Practical Efficiency.
5.	Art Teacher	Bachelor's degree in Fine Arts of Higher Secondary/Intermediate/Sr. School Certificate Exam with minimum 5 years (Full Time) diploma in Fine Art/ Drawing & Painting from a recognized institute/University.
6.	Physical Education Teacher	1. Bachelor's degree in physical education or Bachelor of Science in health and physical education & degree in sports at least 55% marks as per NCTE. OR 2. At least 50% Marks in the BPED degree/BPED (integrated) four years professional degree in accordance with NCTE. OR 3. BPED with At least 50% Marks in the BPE course (OR its equivalent) of three years duration with at least 50% marks as per NCTE and M.PED of at least two years duration from any NCTE recognized institute.
7.	Special Educator	Graduate with B.Ed. (Special Education) OR B.Ed. with two years diploma in special education or post graduate professional diploma in special education OR Any other equivalent qualification approved by rehabilitation council of India.

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उज्जैन संभाग
माधवराव सप्रे मुख्य मार्ग 03, भोपाल (म.प्र.) 462003

निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक/05/उ.सं./2022-23/ **भोपाल, दिनांक :** .....

निविदा आमंत्रण अल्प सूचना

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत संभाग-उज्जैन की ओर से निम्नलिखित जिला चिकित्सालय उज्जैन में इन्टीग्रेटेड पब्लिक हेल्थ लैब (IPHL) का निर्माण कार्य हेतु निविदा पोर्टल ऑनलाइन (निविदा ई-टेण्डरिंग के माध्यम) से 02 लिफाफा पद्धति से प्रपत्र "अ" फार्म में परसेंटेज बेसिस दरों पर आमंत्रित की जाती है। विवरण निम्नानुसार है :-

निविदा क्रमांक 2022_DHS_	जिले का नाम	विकासखण्ड का नाम	संस्था की संख्या	अनु. लागत राशि रु. लाख में	समय सीमा वर्षाकाल सहित
213619	उज्जैन	उज्जैन	01	95.90	09 माह

उक्त निविदा प्रपत्र ऑनलाइन दिनांक 29.07.2022 प्रातः 10.30 बजे से **दिनांक 12.08.2022** सायं 17.30 बजे तक क्रय किये जा सकते हैं एवं विस्तृत निविदा सूचना व अन्य विवरण **Portal : https:www.mptenders.gov.in** (Department Directorate of Health Services) पर देखे जा सकते हैं।

कार्यपालन यंत्री
जी-14893/47340/2022 **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उज्जैन संभाग उज्जैन (म.प्र.)**

कार्यालय संभागीय परियोजना यंत्री
लोक निर्माण विभाग, परियोजना क्रियान्वयन इकाई
तहसील कैम्पस सागर (म.प्र.)

एनआईटी नं.- 15/2022/केन्द्रीयकृत निविदा आमंत्रण/सा/एपीडी/.... **सागर, दिनांक : 28.07.2022**

निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाइन निविदा पंजीकृत ठेकेदारों अथवा पंजीयन हेतु उपयुक्त पात्रता वाली प्रतिष्ठित फर्म से आमंत्रण की जाती हैं :-

सरल क्रमांक एवं कार्य का नाम :- 1. देवरी जिला सागर में 03 नग ई-टाइप एवं 01 नग डी-टाइप न्यायालय आवासीय भवन निर्माण कार्य (प्रथम आमंत्रण)।

पोर्टल टेंडर क्रमांक	जिला	ठेके की अनु. राशि (पीएसी) (रु. लाख में)	अमानत राशि (ईएमडी) (रु. में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रु. में)	कार्य पूर्ण करने का समय (माह में वर्षाकाल सहित)	कार्यालय का नाम जहां तकनीकी बिड भौतिक रूप से सत्यापित जावेगी
2022_ PWPIU_ 214167_1	सागर	410.93	410930/-	20000/-	12 माह	अतिरिक्त परियोजना संचालक लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. जबलपुर

2. गढ़ाकोटा जिला सागर में 01 नग एफ-टाइप न्यायालय आवासीय भवन निर्माण कार्य (प्रथम आमंत्रण)।

2022_ PWPIU_ 214168_1	सागर	69.32	69320/-	10000/-	06 माह	अतिरिक्त परियोजना संचालक लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. जबलपुर

1. निविदा से संबंधित बिड डॉक्यूमेंट वेवसाइट **http://mptenders.gov.in** पर बिना भुगतान के देखे एवं डाउनलोड किये जा सकेंगे।
2. निविदा प्रपत्र का मूल्य ऑनलाइन पोर्टल पर क्रेडिट/डेबिट/कैशकार्ड/इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भुगतान कर निविदा प्रपत्र खरीदा जा सकेगा।
3. निविदा प्रपत्र केवल ऑनलाइन **दिनांक 01.08.2022 समय 10:30 से दिनांक 16.08.2022 समय 17:30 तक** खरीदा जा सकेगा। सूचना व अन्य जानकारी वेवसाइट पर देखी जा सकती है।
4. निविदा से संबंधित समस्त आवश्यक संशोधन उपरोक्त वेवसाइट पर ही दर्ज किये जायेंगे, पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जावेगा।

संभागीय परियोजना यंत्री
जी-15015/47349/2022 **लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. सागर**

कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) जिला हरदा
अतिथि शिक्षक हेतु आवेदन-पत्र

प्रति,
जिला संयोजक
जनजातीय कार्य विभाग
जिला हरदा

1. आवेदित पद का नाम :- .....विषय.....
2. आवेदक का नाम :- .....
3. पिता का नाम :- .....
4. माता का नाम :- .....
5. जन्मतिथि :- (1.7.2022 की स्थिति में).....शब्दों.....
   उम्र.....जाति/वर्ग.....
6. स्थाई पता :- .....
7. वर्तमान निवास पता :- .....
8. शैक्षणिक एवं व्यवसायिक योग्यता :-

क्र.	परीक्षा का नाम	बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम	उत्तीर्ण वर्ष	प्राप्तांक	पूर्णांक	प्रतिशत श्रेणी

7. मोबाइल नंबर.....व्हाट्सअप नंबर.....ई-मेल.....
8. कार्यानुभव विवरण.....(प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है)।

घोषणा पत्र

मैं एतद् द्वारा घोषणा करता/करती हूं कि मेरे द्वारा ऊपर वर्णित आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियां मेरे ज्ञान एवं विश्वास के अनुसार सही है। मेरे द्वारा किसी प्रकार की जानकारी छुपाये जाने पर अथवा गलत प्रविष्टि करने पर यदि आवेदन पत्र या मेरी नियुक्ति निरस्त होती है तो उसकी संपूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी। किसी भी विद्यालय में यदि मेरा चयन अतिथि शिक्षण के पद पर होता है तो मैं विज्ञप्ति में दी गई सभी शर्तों का कड़ाई से पालन करूंगा/करूंगी तथा मेरे द्वारा किसी शर्त अथवा विद्यालय या वरिष्ठ कार्यालय द्वारा बनाए गए नियमों दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किये जाने पर विद्यालय या वरिष्ठ कार्यालय द्वारा की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को मैं स्वीकार करूंगा/करूंगी।

स्थान :- .....
दिनांक :- ..... **आवेदक के पूर्ण हस्ताक्षर**

जी-14950/47344/2022

कार्यालय मुख्य अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, इन्दौर परिक्षेत्र, इन्दौर

फोन - 0731-2541498, फैक्स - 0731-2536575
(Email ID - cephedind@nic.in, cephedind@gmail.com)

निविदा सूचना क्रमांक - 01/2022-23 **दिनांक : 28.07.2022**

इन्दौर परिक्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न खण्डों के जल जीवन मिशन अंतर्गत विभागीय कार्यों की सहायता हेतु क्रियान्वयन सहायता संस्था नियुक्त किये जाने हेतु निम्नानुसार निविदा सूचना ई-टेण्डरिंग पद्धति से ई-टेण्डर पोर्टल **(http://www.mptenders.gov.in/nicgep/app)** पर निविदा प्रपत्र "अपेन्डिक्स-2.10" प्रतिशत दर पर आमंत्रित की जाती है :-

क्र.	सिस्टम टेंडर क्रमांक	जिले/ खण्ड का नाम	कार्य का विवरण	आमंत्रण का प्रकार	कार्य की अनु. लागत (रु. लाख में)	धरोहर राशि रु.	निविदा विक्रय एवं जमा की जाने की अंतिम तिथि
1.	2022_PHED_213555	Alirajpur	Tender for engagement of Implementation Support Agencies (ISAs) to support the GP/VWSCs in implementation of Jal Jeevan Mission (JJM) 60 Villages of Distt. Alirajpur.	प्रथम	25.71	50000/-	**16.08.2022**
2.	2022_PHED_213556	Dewas	Tender for engagement of Implementation Support Agencies (ISAs) to support the GP/VWSCs in implementation of Jal Jeevan Mission (JJM) 200 Villages of Distt. Dewas Group 01	प्रथम	90.36	90360/-	16.08.2022
3.	2022_PHED_213557	Dewas	Tender for engagement of Implementation Support Agencies (ISAs) to support the GP/VWSCs in implementation of Jal Jeevan Mission (JJM) 200 Villages of Distt. Dewas Group 01	प्रथम	90.36	90360/-	16.08.2022
4.	2022_PHED_213558	Jhabua	Tender for engagement of Implementation Support Agencies (ISAs) to support the GP/VWSCs in implementation of Jal Jeevan Mission (JJM) 150 Villages of Jhabua Distt. Jhabua Group-01	प्रथम	68.26	68260/-	16.08.2022
5.	2022_PHED_213559	Jhabua	Tender for engagement of Implementation Support Agencies (ISAs) to support the GP/VWSCs in implementation of Jal Jeevan Mission (JJM) 150 Villages of Jhabua Distt. Jhabua Group-02	प्रथम	68.26	68260/-	16.08.2022
6.	2022_PHED_213561	Khargone	Tender for engagement of Implementation Support Agencies (ISAs) to support the GP/VWSCs in implementation of Jal Jeevan Mission (JJM) 250 Villages of Distt. Khargone	प्रथम	114.41	114500/-	16.08.2022
7.	2022_PHED_213562	Ratlam	Tender for engagement of Implementation Support Agencies (ISAs) to support the GP/VWSCs in implementation of Jal Jeevan Mission (JJM) 200 Villages of Distt. Ratlam	प्रथम	90.36	90360/-	16.08.2022
8.	2022_PHED_213564	Ujjain	Tender for engagement of Implementation Support Agencies (ISAs) to support the GP/VWSCs in implementation of Jal Jeevan Mission (JJM) 150 Villages of BLOCK KHACHROD, TARANA & GHATIYA Distt. Ujjain Group-01	प्रथम	68.26	68260/-	16.08.2022
9.	2022_PHED_213565	Ujjain	Tender for engagement of Implementation Support Agencies (ISAs) to support the GP/VWSCs in implementation of Jal Jeevan Mission (JJM) 150 Villages of BLOCK BADNAGAR, MAHIDPUR & UJJAIN Distt.Ujjain, Group-02	प्रथम	68.26	68260/-	16.08.2022

नोट :-

1. निविदा के अन्य विवरण की विस्तृत जानकारी **http://www.mptenders.gov.in** पर देखी जा सकती है।
2. उपरोक्त निविदाओं में भविष्य में किये जाने वाले समस्त संशोधनों को समाचार-पत्रों में प्रकाशित नहीं किया जावेगा। उक्त संशोधन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर ही प्रकाशित किये जावेंगे।

अधीक्षण यंत्री (प्रो.)
जी-14999/47346/2022 **लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग इंदौर परिक्षेत्र इंदौर**

कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, भोपाल

ईमेल - ceproc.encwrd.bpl@nic.in, फोन - 0755-2767635, फैक्स - 0755-2552406

निविदा सूचना क्रमांक - 914/2022-23/प्रमुख अभियंता/ई-टेंडरिंग/ **भोपाल, दिनांक : 27.07.2022**

निम्न कार्यों हेतु निविदा वेबसाइट **https://www.mptenders.gov.in** पर आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र **दिनांक 17.08.2022** को 17.30 बजे तक क्रय/डाउनलोड तथा प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

निविदा में संशोधन की स्थिति में वेबसाइट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

स.क्र.	निविदा क्र.	कार्य	जिला	लागत (लाख)
1.	2022_WRD_212702	हनौता सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम गोडखेडी के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन का कार्य।	सागर	1442.00

जी-15004/47348/2022 **मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट)**

कार्यालय मुख्य अभियंता (राजधानी परिक्षेत्र)
लोक निर्माण विभाग, भोपाल (म.प्र.)

ई-मेल :- cepwdcapital@mp.nic.in, दूरभाष/फैक्स क्रमांक :- 0755-2551403

निविदा सूचना

निविदा सूचना क्र. 11/सा/01/विविध/रा.प./2019 (वर्ष 2022) **भोपाल, दिनांक : 29.07.2022**

निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट **https://mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है।

क्र. एवं कार्य का नाम :- 1. बनवारी से तरोनकला सिमारा डापका मार्ग का निर्माण कार्य, लं. 10.00 कि.मी.।

टेण्डर क्रमांक	जिला	कार्य का प्रकार	आमंत्रण क्र.	कार्य की अनु. राशि (रु. लाख में)	रिमार्क
2022_PWDRB_213807_1	संभाग नर्मदापुरम्	प्लान	प्रथम	749.10	ईएमडी/समस्त दस्तावेज केवल ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना है।
क्र. एवं कार्य का नाम :- 2. शुगर ठेनी रोड मनकवाड़ा तिन्दवाड़ा मछेराकला परसवाड़ा कपूरी मार्ग का निर्माण कार्य, लंबाई 15.20 कि.मी.।					
2022_PWDRB_213808_1	संभाग नर्मदापुरम्	प्लान	प्रथम	1457.25	ईएमडी/समस्त दस्तावेज केवल ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना है।
क्र. एवं कार्य का नाम :- 3. प्रेम तालाब रोड से बड़े देव से शिव मंदिर तक सी.सी. मार्ग का निर्माण कार्य, लंबाई 2.90 कि.मी.।					
2022_PWDRB_213809_1	संभाग रायसेन	प्लान	प्रथम	569.52	ईएमडी/समस्त दस्तावेज केवल ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना है।
क्र. एवं कार्य का नाम :- 4. सलकनी से वर्धमान फैक्ट्री मार्ग का निर्माण कार्य, लंबाई 3.70 कि.मी.।					
2022_PWDRB_213810_1	संभाग रायसेन	प्लान	प्रथम	686.24	ईएमडी/समस्त दस्तावेज केवल ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना है।
क्र. एवं कार्य का नाम :- 5. राजगढ़ जिले के अंतर्गत निर्माण कार्य चिड़लावनिया से बावल्दी मार्ग लंबाई 3.70 कि.मी.।					
2022_PWDRB_213811_1	संभाग राजगढ़	प्लान	प्रथम	613.36	ईएमडी/समस्त दस्तावेज केवल ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना है।
क्र. एवं कार्य का नाम :- 6. छोटी छिपानेर से बजरंग चिचोटकुटी से नर्मदा पुल तक मार्ग निर्माण कार्य, लं. 3.62 कि.मी.।					
2022_PWDRB_213812_1	संभाग हरदा	प्लान	द्वितीय	676.35	ईएमडी/समस्त दस्तावेज केवल ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना है।
क्र. एवं कार्य का नाम :- 7. हरदा हंडिया राष्ट्रीय राजमार्ग से शिशु मंदिर हरदा खुर्द पिंडगांव बोरवाला बाबा बेड़ टप्पर भुन्नास मार्ग निर्माण कार्य, लं. 10.00 कि.मी.।					
2022_PWDRB_213813_1	संभाग हरदा	प्लान	द्वितीय	1032.99	ईएमडी/समस्त दस्तावेज केवल ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना है।
क्र. एवं कार्य का नाम :- 8. बरंगा चौकड़ी से काकरिया मार्ग का निर्माण कार्य, लं. 4.70 कि.मी.।					
2022_PWDRB_213815_1	संभाग हरदा	प्लान	द्वितीय	534.26	ईएमडी/समस्त दस्तावेज केवल ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाना है।
			योग	**6319.07**	

उपरोक्त वेबसाइट ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय करने की **अंतिम तिथि 18.08.2022 (17.30) बजे** निर्धारित है। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखी जा सकती है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जायेगा। पृथक से समाचार-पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

मुख्य अभियंता (राज.परि.)
जी-14963/47347/2022 **लोक निर्माण विभाग, भोपाल**

कार्यालय आयुक्त जनजातीय कार्य, मध्यप्रदेश
प्रेस विज्ञप्ति

जनजातीय कार्य विभाग, म.प्र. द्वारा संचालित किये जा रहे सी.एम. राईज़ विद्यालय, एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय, कन्या शिक्षा परिसर, आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्राचार्य एवं अन्य शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक पदों की पूर्ति हेतु पत्र क्र./शिक्षा शाला/एमपीसरस/525/2022/7327 भोपाल, दिनांक 07.04.2022 द्वारा विज्ञापन जारी किया गया था। प्राचार्य पद हेतु आवेदन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार आयोजित किया गया एवं शिक्षकों के चयन हेतु परीक्षा आयोजित की गई। निर्धारित मापदंडों के आधार पर मेरिट क्रम से आवेदक अभ्यर्थियों से प्राप्त विकल्प अनुसार संस्था आवंटन एवं आदेश की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

नोडल अधिकारी/सी.एम. राईज़
जी-15011/47345/2022 **जनजातीय कार्य (म.प्र.)**

कार्यालय मुख्य अभियंता
लोक निर्माण विभाग, उज्जैन परिक्षेत्र उज्जैन

दूरभाष नं. : 0734-2524462, ई-मेल : cepwdujjain@mp.nic.in

निविदा सूचना क्र. 04/सामान्य/मु.अ./2022-23/उज्जैन/सी.आर.एफ. **उज्जैन, दिनांक : 27.07.2022**

निविदा सूचना

निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। उल्लेखित कार्य का विस्तृत वेबसाइट **www.mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है।

क्र.	जिला	टेण्डर आई.डी. क्रमांक	कार्य का नाम	ठेके की अनु. राशि (रु. लाख में)	कार्य की समयावधि
1.	उज्जैन	2022_PWDRB_213577_pack1	सी.आर.एफ. योजना अंतर्गत जवासिया पंथ से फतेहाबाद चंद्रावतीगंज तक निर्माण लम्बाई 17.00 कि.मी. कार्य की निविदा आमंत्रण की अनुमति।	4226.16	18 माह वर्षाकाल सहित

उपरोक्त वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेण्डर डॉक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय एवं ऑनलाइन बिड सबमिशन की **अंतिम दिनांक 14.09.2022 सायं 5:30 बजे** निर्धारित है। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखी जा सकती है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जायेगा। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

मुख्य अभियंता
जी-14930/47342/2022 **लोक निर्माण विभाग, उज्जैन परिक्षेत्र उज्जैन**

कार्यालय आयुक्त, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
द्वितीय तल, सतपुड़ा भवन, खण्ड-घ, भोपाल (म.प्र.) 462004
शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं
के लिये प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

प्रदेश के मूल निवसी अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को भारत में अध्ययन करने के लिये शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक अंतर्गत मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, पारसी एवं जैन समुदायों के छात्र/छात्राओं से भारत सरकार की अल्पसंख्यक प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत भारत सरकार के पत्र क्रमांक एसएस-15/4/2021-स्कॉलरशिप-मोमा दिनांक 20.07.2022 के आधार पर **कक्षा 1 से 10 तक नवीन एवं नवीनीकरण विद्यार्थियों के लिये दिनांक 30 सितम्बर 2022 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।** छात्रवृत्ति के आवेदन हेतु विद्यार्थी को भारत सरकार की **National Scholarship Portal (NSP) URL - www.scholarships.gov.in** पर जिसकी लिंक भारत सरकार की वेबसाइट **www.minorityaffairs.gov.in** पर भी उपलब्ध है या मोबाइल एप-**National Scholarship (NSP)** पर ऑनलाइन आवेदन भरना होगा। योजना से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया **National Scholarship Portal (NSP)** पर उपलब्ध है।

2. छात्रवृत्ति हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किये जायेंगे, ऑफलाइन आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के लिए प्रतिवर्ष प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति के नवीन प्रकरणों हेतु समुदायवार लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। इससे अधिक प्रकरणों में स्वीकृति सामान्यतः भारत सरकार द्वारा नहीं दी जाती है। नवीनीकरण प्रकरणों के लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किए जाते हैं।
4. छात्रवृत्ति के आवेदन ऑनलाइन भरते समय विद्यार्थियों द्वारा वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध **Frequntly Asked Questions (FAQs)** पर विशेष ध्यान दिया जाये जिससे आवेदन भरते समय गलती न हो।
5. विद्यार्थियों द्वारा 12 अंकों का आधार नम्बर भरना जरूरी है। जिन विद्यार्थियों द्वारा आधार नम्बर हेतु पंजीयन किया गया है जो उनके द्वारा 10 अंकों का आधार पंजीयन क्रमांक (EID) भरा जाए। यदि विद्यार्थी के नाम से 12 अंकों का आधार नम्बर जारी न हुआ हो तो पहचान संबंधी निम्न दस्तावेजों जिसमें विद्यार्थी की फोटोग्राफ हो की जानकारी भरी जाये :-
   i. बैंक पासबुक फोटोग्राफ सहित, ii. राशन कार्ड, iii. इनकम टैक्स डिपार्टमेन्ट द्वारा जारी परमानेंट एकाउन्ट नम्बर (पेन कार्ड), iv. पासपोर्ट, v. स्कूल के हेडमास्टर/प्राचार्य द्वारा जारी एवं प्रमाणित विद्यार्थी का फोटोयुक्त आईडेन्टी कार्ड, vi. मोटर व्हीकल एक्ट 1988 (59 ऑफ 1988) अंतर्गत जारी ड्राईविंग लायसेंस।
6. जिन विद्यार्थियों द्वारा 12 अंकों का आधार नम्बर भरा गया है उनकी छात्रवृत्ति राशि का भुगतान भारत सरकार द्वारा सीधे विद्यार्थी के आधार सीडेड बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी चाहे विद्यार्थी ने अपने ऑनलाइन आवेदन में अन्य बैंक खाते की जानकारी क्यों न भरी हो। विद्यार्थी का बैंक खाता सक्रिय मोड में होना अनिवार्य है ताकि छात्रवृत्ति का भुगतान विफल न हो।
7. हितग्राही/विद्यार्थी के आधार कार्ड में उल्लेखित नाम, लिंग, जन्मतिथि के आधार डेमोग्राफिक सत्यापन को एनएसपी पोर्टल पर प्रदर्शित किया गया है।
8. विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने के पश्चात् भरे गये पूर्ण आवेदन का एक प्रिन्टआउट अनिवार्य रूप से निकालकर अपने पास सुरक्षित रखा जाए।
9. आवेदन पत्र की प्रत्येक कण्डिकाओं की जानकारी पूर्ण नहीं देने एवं योजना में दिए गए निर्देशानुसार आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने पर छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।
10. प्रत्येक विद्यार्थी अपना एक ही आवेदन भरें, एक से अधिक बार आवेदन करने पर समस्त आवेदनों को निरस्त माना जायेगा।
11. नवीनीकरण के विद्यार्थी जिन्हें वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि प्राप्त हुई है द्वारा नवीनीकरण का आवेदन भरते समय गत वर्ष 2021-22 में प्रदत्त एप्लीकेशन आई.डी. का उपयोग किया जाए।
12. एल-1 एवं एल-2 स्तर के अधिकारियों के आधार नम्बर पोर्टल पर दर्ज करने एवं सत्यापन की प्रक्रिया को पोर्टल पर प्रदर्शित किया गया है जिसे पंजीयन हेतु अधिकृत नोडल अधिकारी के आधार नम्बर से लिंक मोबाइल नम्बर पर भारत सरकार द्वारा ओटीपी के माध्यम से भेजा जाएगा। भविष्य में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति संबंधित समस्त सभी जानकारियों एवं निर्देशों का आदान-प्रदान पोर्टल पर पंजीकृत नोडल अधिकारी के मोबाइल नम्बर के माध्यम से किया जाएगा।
13. समस्त शैक्षणिक संस्थाओं को अपने स्तर से आवेदन अग्रेषित करने हेतु जिला कार्यालय से संपर्क कर समस्त दस्तावेज उपलब्ध कराने के उपरांत लॉग-इन आईडी एवं पासवर्ड प्रदान किया जायेगा।
14. शैक्षणिक संस्थाओं के KYC रजिस्ट्रेशन की विस्तृत प्रक्रिया एनएसपी पोर्टल पर दी गई है साथ ही जिन शैक्षणिक संस्थाओं का KYC रजिस्ट्रेशन लंबित है की जिलेवार सूची भी दी गई है। पोर्टल पर के.वाई.सी. पंजीकरण उपरांत ही शैक्षणिक संस्था के नोडल अधिकारी को पोर्टल पर अपना आधार नम्बर पंजीकरण उपरांत लॉग-इन आई-डी आधार से लिंक मोबाइल पर दी जाएगी। जिसे जिले के सहायक संचालक/नोडल अधिकारी द्वारा प्रदान किया जायेगा।
15. जिन शैक्षणिक संस्थाओं के KYC रजिस्ट्रेशन लंबित हैं उनके द्वारा एनएसपी पोर्टल पर दी गई KYC रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
16. छात्रों को पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपने पाठ्यक्रम का शुल्क विवरण (प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क और विविध शुल्क) भरने का विकल्प नहीं है। इसके स्थान पर पाठ्यक्रम का शुल्क विवरण संबंधित शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा भरा जाना अनिवार्य किया गया है। पोर्टल पर शैक्षणिक संस्थाओं के लिए पाठ्यक्रम-वार शुल्क (प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क और विविध शुल्क) का विवरण संस्था के प्रोफाइल पर दर्ज करने का प्रावधान भारत सरकार द्वारा किया गया है। संस्था स्तर पर विद्यार्थी के आवेदन का ऑनलाइन सत्यापन के दौरान, छात्रों के आवेदन पत्र में पाठ्यक्रम शुल्क आदि का विवरण स्वतः संस्था द्वारा अपने प्रोफाइल में दर्ज किए गए विवरण अनुसार प्रदर्शित होगा। यदि विद्यार्थी को शिक्षण शुल्क आदि में कोई विशेष छूट प्राप्त हुई हो तो उस विद्यार्थी विशेष के संबंध में संस्था द्वारा विद्यार्थी के शुल्क विवरण में सुधार किया जा सकेगा।
17. शैक्षणिक संस्था की यह जिम्मेदारी है कि वह आवेदक का ऑनलाइन आवेदन पूर्णरूप से निरीक्षण/परीक्षण करने के उपरांत ही नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों के आवेदन ऑनलाइन अपने सत्यापन उपरान्त अग्रिम स्तर के लिये **अंतिम दिनांक 16 अक्टूबर, 2022 तक** फॉरवर्ड करें एवं आवेदन की एक हार्ड कॉपी अपने संस्थान में सुरक्षित रखें जिसे राज्य एवं जिला नोडल अधिकारी द्वारा परीक्षण हेतु मांगे जाने पर समक्ष में प्रस्तुत किया जा सके। यदि अधूरे आवेदन अग्रेषित किये जाते हैं तो उनके निरस्त होने की पूर्ण जवाबदारी संस्था की होगी तथा इन प्रकरणों पर पुनः विचार नहीं किया जायेगा।

आयुक्त

जी-15043/47351/2022 **पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, मध्यप्रदेश**

कार्यालय आयुक्त, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
द्वितीय तल, सतपुड़ा भवन, खण्ड-घ, भोपाल (म.प्र.) 462004
शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं
के लिये पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

प्रदेश के मूल निवासी अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को भारत में अध्ययन करने के लिये शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक अंतर्गत मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, पारसी एवं जैन समुदायों के छात्र/छात्राओं से भारत सरकार की अल्पसंख्यक पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत भारत सरकार के पत्र क्रमांक एसएस-15/4/2021-स्कॉलरशिप-मोमा दिनांक 20.07.2022 के आधार पर **कक्षा 11 एवं 12, आई.टी.आई., डिप्लोमा, बी-एड., एमफिल, पीएचडी, स्नातक, स्नातकोत्तर (तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों को छोड़कर) में अध्ययनरत नवीन एवं नवीनीकरण विद्यार्थियों के लिये दिनांक 31 अक्टूबर, 2022 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।** छात्रवृत्ति के आवेदन हेतु विद्यार्थी को भारत सरकार की **National Scholarship Portal (NSP) URL - www.scholarships.gov.in** पर जिसकी लिंक भारत सरकार की वेबसाइट **www.minorityaffairs.gov.in** पर भी उपलब्ध है, ऑनलाइन आवेदन भरना होगा। योजना से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया **National Scholarship Portal (NSP)** पर उपलब्ध है।

2. छात्रवृत्ति हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किये जायेंगे, ऑफलाइन आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के लिए प्रतिवर्ष पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति के नवीन प्रकरणों हेतु समुदायवार लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। इससे अधिक प्रकरणों में स्वीकृति सामान्यतः भारत सरकार द्वारा नहीं दी जाती है। नवीनीकरण प्रकरणों के लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किए जाते हैं।
4. छात्रवृत्ति के आवेदन ऑनलाइन भरते समय विद्यार्थियों द्वारा वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध **Frequntly Asked Questions (FAQs)** पर विशेष ध्यान दिया जाये जिससे आवेदन भरते समय गलती न हो।
5. विद्यार्थियों द्वारा 12 अंकों का आधार नम्बर भरना जरूरी है। जिन विद्यार्थियों द्वारा आधार नम्बर हेतु पंजीयन किया गया है, तो उनके द्वारा 10 अंकों का आधार पंजीयन क्रमांक (EID) भरा जाए। यदि विद्यार्थी के नाम से 12 अंकों का आधार नम्बर जारी न हुआ हो तो पहचान संबंधी निम्न दस्तावेजों जिसमें विद्यार्थी की फोटोग्राफ हो की जानकारी भरी जाये :-
   i. बैंक पासबुक फोटोग्राफ सहित, ii. राशन कार्ड, iii. इनकम टैक्स डिपार्टमेन्ट द्वारा जारी परमानेंट एकाउन्ट नम्बर (पेन कार्ड), iv. पासपोर्ट, v. स्कूल के हेडमास्टर/प्राचार्य द्वारा जारी एवं प्रमाणित विद्यार्थी का फोटोयुक्त आईडेन्टी कार्ड, vi. मोटर व्हीकल एक्ट 1988 (59 ऑफ 1988) अंतर्गत जारी ड्राईविंग लायसेंस।
6. जिन विद्यार्थियों द्वारा 12 अंकों का आधार नम्बर भरा गया है उनकी छात्रवृत्ति राशि का भुगतान भारत सरकार द्वारा सीधे विद्यार्थी के आधार सीडेड बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी चाहे विद्यार्थी ने अपने ऑनलाइन आवेदन में अन्य बैंक खाते की जानकारी क्यों न भरी हो। विद्यार्थी का बैंक खाता सक्रिय मोड में होना अनिवार्य है ताकि छात्रवृत्ति का भुगतान विफल न हो।
7. हितग्राही/विद्यार्थी के आधार कार्ड में उल्लेखित नाम, लिंग, जन्मतिथि के आधार डेमोग्राफिक सत्यापन को एनएसपी पोर्टल पर प्रदर्शित किया गया है।
8. विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने के पश्चात् भरे गये पूर्ण आवेदन का एक प्रिन्टआउट अनिवार्य रूप से निकालकर अपने पास सुरक्षित रखा जाए।
9. आवेदन पत्र की प्रत्येक कण्डिकाओं की जानकारी पूर्ण नहीं देने एवं योजना में दिए गए निर्देशानुसार आवश्यक प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करने पर छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।
10. प्रत्येक विद्यार्थी अपना एक ही आवेदन भरें, एक से अधिक बार आवेदन करने पर समस्त आवेदनों को निरस्त माना जायेगा।
11. नवीनीकरण के विद्यार्थी जिन्हें वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि प्राप्त हुई है द्वारा नवीनीकरण का आवेदन भरते समय गत वर्ष 2021-22 में प्रदत्त एप्लीकेशन आई.डी. का उपयोग किया जाए।
12. एल-1 एवं एल-2 स्तर के अधिकारियों के आधार नम्बर पोर्टल पर दर्ज करने एवं सत्यापन की प्रक्रिया को पोर्टल पर प्रदर्शित किया गया है जिसे पंजीयन हेतु अधिकृत नोडल अधिकारी के आधार नम्बर से लिंक मोबाइल नम्बर पर भारत सरकार द्वारा ओटीपी के माध्यम से भेजा जाएगा। भविष्य में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति संबंधित समस्त सभी जानकारियों एवं निर्देशों का आदान-प्रदान पोर्टल पर पंजीकृत नोडल अधिकारी के मोबाइल नम्बर के माध्यम से किया जाएगा।
13. समस्त शैक्षणिक संस्थाओं को अपने स्तर से आवेदन अग्रेषित करने हेतु जिला कार्यालय से संपर्क कर समस्त दस्तावेज उपलब्ध कराने के उपरांत लॉग-इन आईडी एवं पासवर्ड प्रदान किया जायेगा।
14. शैक्षणिक संस्थाओं के KYC रजिस्ट्रेशन की विस्तृत प्रक्रिया एनएसपी पोर्टल पर दी गई है साथ ही जिन शैक्षणिक संस्थाओं का KYC रजिस्ट्रेशन लंबित है की जिलेवार सूची भी दी गई है। पोर्टल पर के.वाई.सी. पंजीकरण उपरांत ही शैक्षणिक संस्था के नोडल अधिकारी को पोर्टल पर अपना आधार नम्बर पंजीकरण उपरांत लॉग-इन आई-डी आधार से लिंक मोबाइल पर दी जाएगी।
15. जिन शैक्षणिक संस्थाओं के KYC रजिस्ट्रेशन लंबित हैं उनके द्वारा एनएसपी पोर्टल पर दी गई KYC रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
16. छात्रों को पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपने पाठ्यक्रम का शुल्क विवरण (प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क और विविध शुल्क) भरने का विकल्प नहीं है। इसके स्थान पर पाठ्यक्रम का शुल्क विवरण संबंधित शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा भरा जाना अनिवार्य किया गया है। पोर्टल पर शैक्षणिक संस्थाओं के लिए पाठ्यक्रम-वार शुल्क (प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क और विविध शुल्क) का विवरण संस्था के प्रोफाइल पर दर्ज करने का प्रावधान भारत सरकार द्वारा किया गया है। संस्था स्तर पर विद्यार्थी के आवेदन का ऑनलाइन सत्यापन के दौरान, छात्रों के आवेदन पत्र में पाठ्यक्रम शुल्क आदि का विवरण स्वतः संस्था द्वारा अपने प्रोफाइल में दर्ज किए गए विवरण अनुसार प्रदर्शित होगा। यदि विद्यार्थी को शिक्षण शुल्क आदि में कोई विशेष छूट प्राप्त हुई हो तो उस विद्यार्थी विशेष के संबंध में संस्था द्वारा विद्यार्थी के शुल्क विवरण में सुधार किया जा सकेगा।
17. शैक्षणिक संस्था की यह जिम्मेदारी है कि वह आवेदक का ऑनलाइन आवेदन पूर्णरूप से निरीक्षण/परीक्षण करने के उपरांत ही नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों के आवेदन ऑनलाइन अपने सत्यापन उपरान्त अग्रिम स्तर के लिये **अंतिम दिनांक 15 नवम्बर, 2022 तक** फॉरवर्ड करें। यदि अधूरे आवेदन अग्रेषित किये जाते हैं तो उनके निरस्त होने की पूर्ण जवाबदारी संस्था की होगी तथा इन प्रकरणों पर पुनः विचार नहीं किया जायेगा।

आयुक्त

जी-15045/47352/2022 **पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, मध्यप्रदेश**

कार्यालय आयुक्त, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
द्वितीय तल, सतपुड़ा भवन, खण्ड-घ, भोपाल (म.प्र.) 462004
शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं के लिये मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति योजना

प्रदेश के मूल निवासी अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थियों को भारत में अध्ययन करने के लिये शैक्षणिक सत्र 2021-22 हेतु भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक अंतर्गत मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सिख, पारसी एवं जैन समुदायों के छात्र/छात्राओं से भारत सरकार की अल्पसंख्यक मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति योजना अंतर्गत भारत सरकार के पत्र क्रमांक एसएस-15/4/2021-स्कॉलरशिप-मोमा दिनांक 20.07.2022 के आधार पर **तकनीकी एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में अध्ययनरत नवीन एवं नवीनीकरण विद्यार्थियों के लिये दिनांक 31 अक्टूबर, 2022 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।** छात्रवृत्ति के आवेदन हेतु विद्यार्थी को भारत सरकार की **National Scholarship Portal (NSP) URL - www.scholarships.gov.in** पर जिसकी लिंक भारत सरकार की वेबसाइट **www.minorityaffairs.gov.in** पर भी उपलब्ध है, ऑनलाइन आवेदन भरना होगा। योजना से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश एवं मानक संचालन प्रक्रिया **National Scholarship Portal (NSP)** पर उपलब्ध है।

2. छात्रवृत्ति हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किये जायेंगे, ऑफलाइन आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. भारत सरकार द्वारा मध्यप्रदेश के लिए प्रतिवर्ष मेरिट-कम-मीन्स छात्रवृत्ति के नवीन प्रकरणों हेतु समुदायवार लक्ष्य निर्धारित किये जाते हैं। इससे अधिक प्रकरणों में स्वीकृति सामान्यतः भारत सरकार द्वारा नहीं दी जाती है। नवीनीकरण प्रकरणों के लक्ष्य भारत सरकार द्वारा निर्धारित नहीं किए जाते हैं।
4. छात्रवृत्ति के आवेदन ऑनलाइन भरते समय विद्यार्थियों द्वारा वेबसाइट के होम पेज पर उपलब्ध **Frequntly Asked Questions (FAQs)** पर विशेष ध्यान दिया जाये जिससे आवेदन भरते समय गलती न हो।
5. विद्यार्थियों द्वारा 12 अंकों का आधार नम्बर भरना जरूरी है। जिन विद्यार्थियों द्वारा आधार नम्बर हेतु पंजीयन किया गया है, तो उनके द्वारा 10 अंकों का आधार पंजीयन क्रमांक (EID) भरा जाए। यदि विद्यार्थी के नाम से 12 अंकों का आधार नम्बर जारी न हुआ हो तो पहचान संबंधी निम्न दस्तावेजों जिसमें विद्यार्थी की फोटोग्राफ हो की जानकारी भरी जाये :-
   i. बैंक पासबुक फोटोग्राफ सहित, ii. राशन कार्ड, iii. इनकम टैक्स डिपार्टमेन्ट द्वारा जारी परमानेंट एकाउन्ट नम्बर (पेन कार्ड), iv. पासपोर्ट, v. स्कूल के हेडमास्टर/प्राचार्य द्वारा जारी एवं प्रमाणित विद्यार्थी का फोटोयुक्त आईडेन्टी कार्ड, vi. मोटर व्हीकल एक्ट 1988 (59 ऑफ 1988) अंतर्गत जारी ड्राईविंग लायसेंस।
6. जिन विद्यार्थियों द्वारा 12 अंकों का आधार नम्बर भरा गया है उनकी छात्रवृत्ति राशि का भुगतान भारत सरकार द्वारा सीधे विद्यार्थी के आधार सीडेड बैंक खाते में हस्तांतरित की जाएगी चाहे विद्यार्थी ने अपने ऑनलाइन आवेदन में अन्य बैंक खाते की जानकारी क्यों न भरी हो। विद्यार्थी का बैंक खाता सक्रिय मोड में होना अनिवार्य है ताकि छात्रवृत्ति का भुगतान विफल न हो।
7. हितग्राही/विद्यार्थी के आधार कार्ड में उल्लेखित नाम, लिंग, जन्मतिथि के आधार डेमोग्राफिक सत्यापन को एनएसपी पोर्टल पर प्रदर्शित किया गया है।
8. विद्यार्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने के पश्चात् भरे गये पूर्ण आवेदन का एक प्रिन्टआउट अनिवार्य रूप से निकालकर अपने पास सुरक्षित रखा जाए।
9. आवेदन पत्र की प्रत्येक कण्डिकाओं की जानकारी पूर्ण नहीं देने एवं योजना में दिए गए निर्देशानुसार आवश्यक प्रमाण-पत्र अपलोड नहीं करने पर छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।
10. प्रत्येक विद्यार्थी अपना एक ही आवेदन भरें, एक से अधिक बार आवेदन करने पर समस्त आवेदनों को निरस्त माना जायेगा।
11. नवीनीकरण के विद्यार्थी जिन्हें वित्तीय वर्ष 2021-22 में राशि प्राप्त हुई है द्वारा नवीनीकरण का आवेदन भरते समय गत वर्ष 2021-22 में प्रदत्त एप्लीकेशन आई.डी. का उपयोग किया जाए।
12. एल-1 एवं एल-2 स्तर के अधिकारियों के आधार नम्बर पोर्टल पर दर्ज करने एवं सत्यापन की प्रक्रिया को पोर्टल पर प्रदर्शित किया गया है जिसे पंजीयन हेतु अधिकृत नोडल अधिकारी के आधार नम्बर से लिंक मोबाइल नम्बर पर भारत सरकार द्वारा ओटीपी के माध्यम से भेजा जाएगा। भविष्य में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति संबंधित समस्त सभी जानकारियों एवं निर्देशों का आदान-प्रदान पोर्टल पर पंजीकृत नोडल अधिकारी के मोबाइल नम्बर के माध्यम से किया जाएगा।
13. समस्त शैक्षणिक संस्थाओं को अपने स्तर से आवेदन अग्रेषित करने हेतु जिला कार्यालय से संपर्क कर समस्त दस्तावेज उपलब्ध कराने के उपरांत लॉग-इन आईडी एवं पासवर्ड प्रदान किया जायेगा।
14. शैक्षणिक संस्थाओं के KYC रजिस्ट्रेशन की विस्तृत प्रक्रिया एनएसपी पोर्टल पर दी गई है साथ ही जिन शैक्षणिक संस्थाओं का KYC रजिस्ट्रेशन लंबित है की जिलेवार सूची भी दी गई है। पोर्टल पर के.वाई.सी. पंजीकरण उपरांत ही शैक्षणिक संस्था के नोडल अधिकारी को पोर्टल पर अपना आधार नम्बर पंजीकरण उपरांत लॉग-इन आई-डी आधार से लिंक मोबाइल पर दी जाएगी।
15. जिन शैक्षणिक संस्थाओं के KYC रजिस्ट्रेशन लंबित हैं उनके द्वारा एनएसपी पोर्टल पर दी गई KYC रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
16. छात्रों को पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन भरते समय अपने पाठ्यक्रम का शुल्क विवरण (प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क और विविध शुल्क) भरने का विकल्प नहीं है। इसके स्थान पर पाठ्यक्रम का शुल्क विवरण संबंधित शैक्षणिक संस्थाओं द्वारा भरा जाना अनिवार्य किया गया है। पोर्टल पर शैक्षणिक संस्थाओं के लिए पाठ्यक्रम-वार शुल्क (प्रवेश शुल्क, शिक्षण शुल्क और विविध शुल्क) का विवरण संस्था के प्रोफाइल पर दर्ज करने का प्रावधान भारत सरकार द्वारा किया गया है। संस्था स्तर पर विद्यार्थी के आवेदन का ऑनलाइन सत्यापन के दौरान, छात्रों के आवेदन पत्र में पाठ्यक्रम शुल्क आदि का विवरण स्वतः संस्था द्वारा अपने प्रोफाइल में दर्ज किए गए विवरण अनुसार प्रदर्शित होगा। यदि विद्यार्थी को शिक्षण शुल्क आदि में कोई विशेष छूट प्राप्त हुई हो तो उस विद्यार्थी विशेष के संबंध में संस्था द्वारा विद्यार्थी के शुल्क विवरण में सुधार किया जा सकेगा।
17. शैक्षणिक संस्था की यह जिम्मेदारी है कि वह आवेदक का ऑनलाइन आवेदन पूर्णरूप से निरीक्षण/परीक्षण करने के उपरांत ही नियमानुसार पात्र विद्यार्थियों के आवेदन ऑनलाइन अपने सत्यापन उपरान्त अग्रिम स्तर के लिये **अंतिम दिनांक 15 नवम्बर, 2022 तक** फॉरवर्ड करें। यदि अधूरे आवेदन अग्रेषित किये जाते हैं तो उनके निरस्त होने की पूर्ण जवाबदारी संस्था की होगी तथा इन प्रकरणों पर पुनः विचार नहीं किया जायेगा।

आयुक्त

जी-15046/47353/2022 **पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण, मध्यप्रदेश**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग (भ/स) संभाग छतरपुर (म.प्र.)
निविदा सूचना

निविदा सूचना क्रमांक 11/2022-23 **छतरपुर, दिनांक : 01.08.2022**

निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। उल्लेखित कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाइट **www.mptenders.gov.in** पर देखी जा सकती है।

क्र.	टेण्डर आईडी क्रमांक	कार्य का प्रकार	कार्य का नाम	आमंत्रण क्र.	कार्य की अनु. राशि (रु. लाख में)	रिमार्क
1.	2022_PWDRB_214263	निर्माण कार्य	बछरगांव प्रधानमंत्री सड़क डाही रोड से ग्राम नारायणपुर मार्ग लंबाई 5.60 कि.मी. का निर्माण कार्य।	प्रथम	402.98	अमानत राशि एवं अन्य वांछित दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
2.	2022_PWDRB_214264	निर्माण कार्य	लखनगुंवा से डारगुवां मार्ग लंबाई 3.50 कि.मी. का निर्माण कार्य।	प्रथम	289.01	अमानत राशि एवं अन्य वांछित दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
3.	2022_PWDRB_214265	निर्माण कार्य	पाटन मार्ग से बेरखेड़ी मार्ग लंबाई 4.00 कि.मी. का निर्माण कार्य।	प्रथम	305.99	अमानत राशि एवं अन्य वांछित दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
4.	2022_PWDRB_214266	निर्माण कार्य	नयतला से भरगुवां मार्ग लंबाई 2.20 कि.मी. का निर्माण कार्य।	प्रथम	154.52	अमानत राशि एवं अन्य वांछित दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
5.	2022_PWDRB_214267	निर्माण कार्य	चंदला अजयगढ़ मार्ग हथोहा मार्ग लंबाई 0.80 कि.मी. का निर्माण कार्य।	प्रथम	172.96	अमानत राशि एवं अन्य वांछित दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
6.	2022_PWDRB_214268	निर्माण कार्य	गौरीहार मुख्य सड़क से भूरापुरवा मार्ग लंबाई 5.00 कि.मी. का निर्माण कार्य।	प्रथम	307.78	अमानत राशि एवं अन्य वांछित दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
7.	2022_PWDRB_214269	निर्माण कार्य	सिमरिया से दशरथ पुरवा मार्ग लंबाई 2.70 कि.मी. का निर्माण कार्य।	प्रथम	205.33	अमानत राशि एवं अन्य वांछित दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
			योग		**1838.57**	

उपरोक्त वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेण्डर डाक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र ऑनलाइन क्रय करने की **अंतिम तिथि 16.08.2022** एवं ऑनलाइन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 16.08.2022 (17.30) बजे निर्धारित है। निविदा दिनांक 17.08.2022 को कार्यालय मुख्य अभियंता लो.नि.वि. सागर परिक्षेत्र सागर में खोली जावेगी। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखा जा सकता है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जायेगा। पृथक से समाचार-पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

कार्यपालन यंत्री

जी-15078/47354/2022 **लो.नि.वि. (भ/स) संभाग, छतरपुर (म.प्र.)**

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश
(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन)
एन.एच.एम. भवन लिंक रोड नं. 3, पत्रकार कॉलोनी, भोपाल (462003)

विज्ञा.क्र./रा.स्वा.मि./मा संस्था./सेल-1/2022/5361 **भोपाल, दिनांक : 02.08.2022**

विज्ञापन

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. के अंतर्गत पर संविदा जिला सीपीएचसी सलाहकार के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित करता है। **यह अनुबंध 31 मार्च, 2023 तक** के लिये होगा, जिसे आगामी वर्षों की वार्षिक कार्ययोजना में स्वीकृत अनुसार नवीनीकृत किया जा सकेगा :-

क्र.	पदनाम	रिक्त पद	मासिक मानदेय	अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता	आयु सीमा
1.	संविदा जिला सीपीएचसी सलाहकार	31	40,000 रुपये प्रतिमाह	Graduate in Dental/Graduate in AYUSH/ Graduate in any Subject, with masters in Health Management/Hospital administration/Health care management/ Public health management (MHA-Full time or equivalent). Post Graduate diploma in hospital and health administration. Previous work experience in the field of public health would be an added advantage.	21-40 वर्ष अधिकतम आयु सीमा में (अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, निःशक्तजन/ महिलाओं (अनारक्षित/ आरक्षित) अधिकतम आयु सीमा में वर्ष की छूट) (01.01.2022 की स्थिति में)

आवेदन सेम्स लिमिटेड के वेब पोर्टल **www.sams.co.in** के माध्यम से किया जा सकता है, आवेदन के लिए लिंक दिनांक 05.08.2022 से उपलब्ध की जायेगी। **ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि 05.09.2022 है।** ऑफलाइन आवेदन किसी भी स्थिति में मान्य/स्वीकार नहीं किये जावेंगे।

2. पद हेतु आरक्षण निम्नानुसार होगा :-

पद का नाम	संविदा रिक्त पदों की संख्या	अनारक्षित		आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग		अनुसूचित जनजाति		अनुसूचित जाति		अन्य पिछड़ा वर्ग		रिक्तियों में मध्यप्रदेश की मूल निवासी दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु आरक्षित पदों की संख्या			
		ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	ओपन	महिला	वी. एच.	एच. एच.	ओ. एच.	एम. डी.
संविदा जिला सीपीएचसी सलाहकार	31	6	3	2	1	4	2	3	2	5	3	-	1	1	

दिव्यांगजन का आरक्षण क्षैतिजिक (Horizontal) के आधार पर 06 प्रतिशत का प्रस्ताव तैयार किया गया है। निःशक्तजनों के लिए कुल रिक्तियों में से 06 प्रतिशत पद निःशक्तजन के लिए आरक्षित है, जिस श्रेणी का निःशक्तजन इन पदों के लिए चयनित होगा उसे उसी श्रेणी हेतु मान्य किया जावेगा। यह पद प्रत्येक श्रेणी की विना वर्ग/ओपन नियुक्तियों में सम्मिलित है।

3. निर्धारित प्रारूप में नहीं किये गए अथवा अपूर्ण आवेदन स्वयमेव निरस्त माने जायेंगे।
4. अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
5. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. किसी भी आवेदन को विना कारण बताये स्वीकृत निरस्त करने अथवा प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार होगा।

मिशन संचालक

जी-15038/47350/2022 **राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश**

कार्यालय प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग, भोपाल

ई-मेल : ceproc.encwrd.bpl@nic.in, फोन : 0755-2767635, फैक्स : 0755-2552406

निविदा सूचना क्रमांक-913/2022-23/प्रमुख अभियंता/ई-टेंडरिंग/ भोपाल, दिनांक : 27.07.2022

निम्न कार्यों हेतु निविदा वेबसाइट https://www.mptenders.gov.in पर आमंत्रित की गई है। निविदा प्रपत्र **दिनांक 17.08.2022 को 17:30 बजे तक** क्रय/डाउनलोड तथा प्रस्तुत किए जा सकते हैं।

निविदा में संशोधन की स्थिति में वेबसाइट पर ही संशोधन देखा जा सकेगा। विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना व अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट पर देखी जा सकती है।

स. क्र.	निविदा क्रमांक	कार्य	जिला	लागत (लाख)
1.	2022_WRD_212688	**टर्न की पद्धति पर** : पाली जलाशय योजना का निर्माण कार्य, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	कटनी	730.41
2.	2022_WRD_212689	गुरमा बांध योजना की मुख्य नहर, वितरिका एवं माइनर नहरों की लाइनिंग का कार्य।	रीवा	876.24
3.	2022_WRD_212690	**टर्न की पद्धति पर** : दुलहरी जलाशय लघु सिंचाई योजना निर्माण कार्य, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	उमरिया	746.60
4.	2022_WRD_212691	**टर्न की पद्धति पर** : ढोंगा तालाब सिंचाई योजना का निर्माण कार्य, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	सिंगरौली	510.30
5.	2022_WRD_212693	**टर्न की पद्धति पर** : बीरमपुरा तालाब का निर्माण कार्य, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	छतरपुर	367.39
6.	2022_WRD_212695	धमोई योजना की नहर की आर.डी. 120, 970 एवं 1500 मी. पर निर्मित 3 नग एक्वाडक्ट के सुधार एवं पेंटिंग का कार्य।	धार	46.74
7.	2022_WRD_212698	शामगढ-सुवासरा परियोजना क्रियान्वयन इकाई अन्तर्गत शासकीय कार्यालय, विश्राम गृह एवं निर्माण कार्यों के संचालन हेतु श्रमिकों की आवश्यकता।	मंदसौर	22.18
8.	2022_WRD_212700	हनौता सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत ग्राम जाजपोन के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन का कार्य।	सागर	784.00
9.	2022_WRD_212703	हनौता सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत ग्राम बडोह के पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन का कार्य।	सागर	504.34
10.	2022_WRD_212704	एस.डी.एम.एफ. अन्तर्गत बैरहना व पटना जलाशय की मुख्य नहर व माइनर्स का सी.सी. लाइनिंग कार्य।	सतना	103.89
11.	2022_WRD_212705	एस.डी.एम.एफ. अन्तर्गत कोका एवं मुकुन्दपुर जलाशय के बांध एवं नहर का सुधार कार्य।	सतना	212.02
12.	2022_WRD_212708	एस.डी.एम.एफ. अन्तर्गत दतिया सिंचाई नहर (विस्तारित) की 3-आर माइनर की आर.डी. 0 से 2652 मी. तक की सी.सी. लाइनिंग का विशेष मरम्मत कार्य।	दतिया	48.84
13.	2022_WRD_212709	बरबीरा तालाब योजना की नहर के लाइनिंग का कार्य।	पन्ना	124.58
14.	2022_WRD_213681	**टर्न की पद्धति पर** : कोहकादमुआ बैराज का निर्माण कार्य, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	छिंदवाड़ा	301.05
15.	2022_WRD_213683	**टर्न की पद्धति पर** : छावड़ी स्टाप डैम का निर्माण कार्य, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	छिंदवाड़ा	313.22
16.	2022_WRD_213686	**टर्न की पद्धति पर** : कुदीगपुर बैराज का निर्माण कार्य, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	धार	399.83
17.	2022_WRD_213689	एस.डी.एम.एफ. अन्तर्गत बिठली जलाशय के पक्के कार्य का निर्माण एवं नहर लाईनिंग का कार्य।	बालाघाट	67.73
18.	2022_WRD_213691	कारम मध्यम सिंचाई परियोजना स्थल पर निरीक्षण भवन एवं संभाग क्र.-1 धार कार्यालय में बाउण्ड्री वाल का निर्माण कार्य।	धार	47.14
19.	2022_WRD_213696	**टर्न की पद्धति पर** : भमलावद बैराज का निर्माण कार्य, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	धार	340.35
20.	2022_WRD_213697	**टर्न की पद्धति पर** : सराठी जलाशय परियोजना की बायीं तट मुख्य नहर, माइनर/सबमाइनर का सुधार एवं लाइनिंग कार्य पक्के स्ट्रक्चरों का सुधार कार्य, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं (संचालन एवं रख रखाव दो वर्ष के लिये)।	बालाघाट	659.74
21.	2022_WRD_213698	**टर्न की पद्धति पर** : सराठी जलाशय परियोजना बकोडा माइनर एवं सबमाइनर का सुधार तथा दायीं तट मुख्य नहर प्रणाली की माइनरों/सबमाइनरों का सुधार एवं लाइनिंग कार्य, पक्के स्ट्रक्चरों का सुधार कार्य, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं (संचालन एवं रख-रखाव दो वर्ष के लिये)।	बालाघाट	910.10
22.	2022_WRD_213705	**टर्न की पद्धति पर** : सराठी जलाशय परियोजना की दायीं तट मुख्य नहर, माइनर/सबमाइनरों का सुधार एवं लाईनिंग तथा पक्के स्ट्रक्चरों का सुधार कार्य, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं (संचालन एवं रख-रखाव दो वर्ष के लिये)।	बालाघाट	999.35
23.	2022_WRD_213708	**टर्न की पद्धति पर** : सातनारी जलाशय के बांध एवं नहरों के शेष कार्य का निर्माण कार्य, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	बालाघाट	297.92
24.	2022_WRD_213709	**टर्न की पद्धति पर** : पिपल्या साहब बैराज तहसील बागली के समीप कालीसिंध नदी पर 0.871 मि.घ.मी. कुल जल ग्रहण क्षमता के लिये निर्माण कार्य। विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	देवास	420.97
25.	2022_WRD_213710	**टर्न की आधार पर** : चरगवां लघु योजना के बांध एवं नहर का निर्माण कार्य, विस्तृत स्कोप ऑफ वर्क के अनुसार परन्तु उस तक सीमित नहीं।	रायसेन	381.82
26.	2022_WRD_213711	एस.डी.एम.एफ. अन्तर्गत दतिया सिंचाई नहर परियोजना अन्तर्गत सलोन वितरिका का विशेष मरम्मत कार्य।	दतिया	58.86
27.	2022_WRD_213712	एस.डी.एम.एफ. अन्तर्गत दतिया सिंचाई नहर परियोजना अन्तर्गत 3-आर माइनर की आर.डी. 0 मी. से 2652 मी. तक सी.सी. लाइनिंग का विशेष मरम्मत कार्य।	दतिया	48.84

जी-14910/47341/2022 **मुख्य अभियंता (प्रोक्योरमेंट)**

कार्यालय मुख्य अभियंता
लोक निर्माण विभाग, उज्जैन परिक्षेत्र उज्जैन

दूरभाष नं. : 0734-2524462, ई-मेल : cepwdujjain@mp.nic.in

निविदा सूचना क्र. 03/सामान्य/मु.अ./2022-23/मंदसौर/सी.आर.एफ. उज्जैन, दिनांक : 27.07.2022

निविदा सूचना

निम्नलिखित कार्यों हेतु निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। उल्लेखित कार्य का विस्तृत वेबसाइट **www.mptenders.gov.in** पर देखा जा सकता है।

क्र.	जिला	टेण्डर आई.डी. क्रमांक	कार्य का नाम	ठेके की अनु. राशि (रु. लाख में)	कार्य की समयावधि
1.	मंदसौर	2022_PWDRB_213576_pack1	बही-बालागुडा-अम्बवं-कंबटी-उगरान (राजस्थान सीमा तक) मार्ग निर्माण लम्बाई 26.40 कि.मी. का निर्माण कार्य मय विद्युत पोल शिफ्टिंग सहित ऊंचाई बढ़ाने का कार्य।	2901.00	18 माह वर्षाकाल सहित

उपरोक्त वेबसाइट पर ऑनलाइन भुगतान करने के उपरान्त निविदा प्रपत्र (टेण्डर डॉक्यूमेंट) वेबसाइट के माध्यम से प्राप्त हो सकेगा। निविदा प्रपत्र क्रय एवं ऑनलाइन बिड सबमिशन की **अंतिम दिनांक 14.09.2022 सायं 5:30 बजे** निर्धारित है। विस्तृत एन.आई.टी. एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाइट में देखी जा सकती है। निविदा में होने वाले समस्त संशोधन का प्रकाशन केवल उपरोक्त वेबसाइट पर किया जायेगा। पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशन नहीं किया जायेगा।

मुख्य अभियंता

जी-14931/47343/2022 **लोक निर्माण विभाग, उज्जैन परिक्षेत्र उज्जैन**

कार्यालय कार्यपालन यंत्री
लोक निर्माण विभाग, संभाग क्र.-1 ग्वालियर

Phone : 0751-2371231, Email : eepwd1gwl@mp.nic.in

निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक 29 ग्वालियर, दिनांक : 03.08.2022

मध्यप्रदेश लोक निर्माण विभाग में उचित श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से म.प्र. की ओर से निम्नांकित कार्यों हेतु भवन/सड़क कार्यों की दर अनुसूची दिनांक 01.12.2020/25.03.2022 तथा निविदा सूचना जारी होने तक उसमें किये गये संशोधन सहित मोहरबंद निविदायें नवीन निविदा फार्म 2.10 में आमंत्रित की जाती है, प्रपत्र में दर्शाये गये कार्यालय में निविदायें डाक अथवा स्पीड पोस्ट के माध्यम से प्राप्त की जावेगी। पोस्टल विलम्ब के लिये विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

स.क्र. एवं कार्य का नाम :- 1. विधानसभा-18 भितरवार ग्वालियर के अंतर्गत ग्राम रजौआ से धन्नू का चक डामर रोड तक मुरमीकृत (ग्रेवल) रोड का निर्माण कार्य (विधायक निधि)

निविदा प्रपत्र की राशि एवं फार्म	1. ठेके की अनुमानित लागत (लाख में) 2. अमानत राशि	कोरे निविदा प्रपत्र विक्रय का समय एवं दिनांक	3. निविदा प्राप्ति का दिनांक 4. कार्या. कार्यपालन यंत्री, लोनिवि सं.क्र.-1 ग्वा.	5. निविदा खोलने का दिनांक 6. कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोनिवि सं.क्र.-1 ग्वा.	7. कार्य पूर्ण करने की अवधि 8. ठेकेदार की श्रेणी 9. आमंत्रण क्रमांक
2000/- "अ"	9.63 लाख 20000/-	**08.08.2022**	10.08.2022	12.08.2022	एक माह केंद्रीयकृत प्रथम आमंत्रण

स.क्र. एवं कार्य का नाम :- 2. विधानसभा-18 भितरवार ग्वालियर के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिकरौदा से शासकीय तालाब तक मुरमीकृत (ग्रेवल) रोड का निर्माण कार्य (विधायक निधि)

2000/- "अ"	8.92 लाख 18000/-	**08.08.2022**	10.08.2022	12.08.2022	एक माह केंद्रीयकृत प्रथम आमंत्रण

स.क्र. एवं कार्य का नाम :- 3. विधानसभा-18 भितरवार ग्वालियर के अंतर्गत ग्राम पंचायत सिकरौदा से पठानवाबा की मस्जिद से शा.प्रा.वि. प्रेमपुर तक मुरमीकृत (ग्रेवल) रोड का निर्माण का कार्य (विधायक निधि)

2000/- "अ"	8.21 लाख 17000/-	**08.08.2022**	10.08.2022	12.08.2022	एक माह केंद्रीयकृत प्रथम आमंत्रण

स.क्र. एवं कार्य का नाम :- 4. विधानसभा-18 भितरवार ग्वालियर के अंतर्गत ग्राम पंचायत अमरौल में रजौआ डामर रोड से नाला तक मुरमीकृत (ग्रेवल) रोड का निर्माण का कार्य (विधायक निधि)

2000/- "अ"	8.97 लाख 18000/-	**08.08.2022**	10.08.2022	12.08.2022	एक माह केंद्रीयकृत प्रथम आमंत्रण

स.क्र. एवं कार्य का नाम :- 5. विधानसभा-18 भितरवार ग्वालियर के अंतर्गत ग्राम पंचायत अमरौल में अमरौल चीनौर रोड से नारायण के खेत की ओर मुरमीकृत (ग्रेवल) रोड का निर्माण का कार्य (विधायक निधि)

2000/- "अ"	8.70 लाख 18000/-	**08.08.2022**	10.08.2022	12.08.2022	एक माह केंद्रीयकृत प्रथम आमंत्रण

कार्य की अधिकतम अनुमानित लागत - 9.63 लाख

कुल कार्य संख्या - 05

कार्यपालन यंत्री

जी-15146/47376/2022 **लोक निर्माण विभाग, संभाग क्रमांक-1 ग्वालियर**

कार्यालय संभागीय संयुक्त
संचालक महिला एवं बाल विकास नर्मदापुरम् संभाग नर्मदापुरम्

Email - jdwcdhos@mp.gov.in, Telephone No. - 07574-253251

क्रमांक/1297/मबावि/स्था./2022 नर्मदापुरम्, दिनांक : 02.08.2022

संशोधित विज्ञप्ति
मानदेय आधारित आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु आवेदन आमंत्रण की संशोधित सूचना

कार्यालयीन पत्र क्र. 1236/मबावि/स्था./2022 नर्मदापुरम् दिनांक 27.07.2022 के संदर्भ में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं एवं मिनी कार्यकर्ताओं के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जारी की गई विज्ञप्ति में जिला बैतूल की परियोजना भीमपुर एवं मुलताई में रिक्त पदों की संख्या में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :-

क्र.	जिले का नाम	परियोजना	वर्तमान में रिक्त पदों की संख्या (संशोधित)		
			आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	आंगनवाड़ी सहायिका	मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता
1.	बैतूल	मुलताई	1	2	0
2.	बैतूल	भीमपुर	1	2	0

नियम व शर्तें पूर्ववत् रहेंगी।

संयुक्त संचालक

जी-15099/47370/2022 **महिला एवं बाल विकास नर्मदापुरम् संभाग, नर्मदापुरम्**

मध्यप्रदेश के जिलों को जानिए

बैंक नोट प्रेस के लिए जाना जाता है देवास जिला

देवास, मध्यप्रदेश के उज्जैन संभाग में स्थित एक जिला है। जिले का गठन 1 नवम्बर, 1956 को किया गया था। मध्य पश्चिमी भाग में मालवा के पठार पर स्थित इस जिले की सीमाएं उत्तर में उज्जैन, पश्चिम में इंदौर, दक्षिण-पश्चिम में पश्चिम निमाड़, दक्षिण में पूर्वी निमाड़, दक्षिण-पूर्व में होशंगाबाद (नर्मदापुरम), पूर्व में सीहोर और उत्तर-पूर्व में शाजापुर जिले से घिरी हुई हैं। जिले के खातेगांव नगर के दक्षिण में स्थित नेमावर ग्राम के पास से कर्क रेखा गुजरती है।

देवास, एक शंखाकार पहाड़ी के नीचे बसा हुआ है। पहाड़ी के शिखर पर चामुण्डा देवी का मंदिर है। यहां देवी की प्रतिमा पहाड़ी पर एक गुफा में चट्टानी दीवार पर उत्कीर्ण है। इसलिए यह देवी वैशिनी या देवी-वास के नाम से जाना जाता है। देवी का वास होने से देवास (देव+वास) नाम लिया गया है। एक अन्य मान्यता के अनुसार देवास नाम 'दिवासा' नाम के एक स्थानीय व्यापारी के नाम पर पड़ा।

जिले में भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक औद्योगिक इकाई बैंक प्रेस नोट, देवास स्थित है, जो नोट का मुद्रण कर रही है। देवास बैंक प्रेस नोट की स्थापना 1974 में की गई थी।

इतिहास

देवास स्टेट की स्थापना सन् 1726 में पंवार वंश के तुकोजीराव तथा जीवाजीराव द्वारा की गई थी। ये बाजीराव पेशवा की सेना के साथ मालवा के विजयी अभियान में सेना के साथ आए थे। इन्हें देवास, सारंगपुर तथा आलोट जिले दिए गए थे।

अकबर के शासनकाल में यह क्षेत्र पंचमहल के रूप में जाना जाता था, जिसमें पांच परगने, नेमावर, सतवास, राजोर, महाल मुख्यालय थे। यह क्षेत्र पेशवाओं के अधीन भी रहा। 1740-45 के दौरान यह क्षेत्र सिंधिया और होलकर में बंट गया। सिंधिया के पास सतवास तथा होलकर के पास कांटाफोड़ रहा। 1948 में मध्य भारत के जिले के रूप में आने के पूर्व सोनकच्छ, उज्जैन तथा नीयनपुर, धार का हिस्सा थे।

वर्तमान देवास जिला बीसवीं सदी के प्रारंभ में तत्कालीन प्रभावशील मालवा-पोलिटिकल चार्ज तथा सेंट्रल इंडिया एजेंसी के समय हुई संधि के कारण देवास सीनियर एवं देवास जूनियर दो राज्यों में विभक्त था। उस समय दोनों राज्यों का प्रशासन अलग-अलग था एवं ये राज्य कई मामलों में स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे लेकिन देवास शहर राजधानी के रूप में कार्यरत था।

स्वतंत्रता के बाद देसी राज्यों के विलय तथा 1948 में मध्य भारत के बनने के उपरांत जिले की सीमाओं का पुनः निर्माण किया गया।

अर्थव्यवस्था

देवास जिले में अधिकतर काली मिट्टी पाई जाती है। यहां उच्च गुणवत्ता वाले सोयाबीन की फसल उगाई जाती है, इसलिए जिले में सोयाबीन का तेल निकालने की कई फैक्ट्रियां स्थापित हैं। साथ ही जिले में सरकारी बैंक नोट प्रेस के साथ ही, मिनी स्टील प्लांट, सूती कपड़ा उद्योग, इलेक्ट्रिक उपकरणों पर आधारित कई बड़े निजी उद्योग स्थापित हैं। जिले में लेदर, मोजड़ी, कार्पेट, चमड़े का काम जैसे बैग, लेडीज पर्स, जूते, कोट आदि बनाने और दवाइयां बनाने के कई उद्योग भी हैं।

देवास जिला प्रमुख तथ्य

1. जिले का गठन- 1 नवंबर, 1956
2. संभाग- उज्जैन
3. जिला मुख्यालय- देवास
4. क्षेत्रफल- 7,020 वर्ग किलोमीटर
5. जनसंख्या- 15,63,715 (पुरुष-8,05,359, महिलाएं- 7,58,356)
6. लिंग अनुपात-942
7. जनघनत्व- 223 प्रति वर्ग किलोमीटर
8. साक्षरता- 69.35 प्रतिशत
9. तहसीलें- 9 (सोनकच्छ, देवास, बागली, कन्नौद, टोंकखुर्द, खातेगांव, सतवास, हाटपिपल्या, उदयनगर)
10. विकासखंड- 6 (देवास, सोनकच्छ, टोंकखुर्द, बागली, कन्नोद, खातेगांव)
11. ग्राम पंचायत- 495
12. ग्राम- 1160
13. नगर पंचायत- 13
14. नगर निगम- 1 (देवास)
15. विधानसभा क्षेत्र-05 (सोनकच्छ, देवास, हाटपिपल्या, खातेगांव, बागली)
16. लोकसभा क्षेत्र- 3 (आंशिक)
17. भाषा एवं बोली- हिन्दी, मालवी

(सभी आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार)

अन्य महत्वपूर्ण जानकारी

- देवास में स्थित देवी वैशिनी की पहाड़ियों में चामुण्डा देवी और देवी तुलजा भवानी का मंदिर स्थित है। तुलजा भवानी को बड़ी माता और चामुण्डा देवी को छोटी माता कहा जाता है। देवास को 'चामुण्डा नगरी' और 'औद्योगिक नगर' नाम से भी जाना जाता है।
- जिले में पूर्व होलकर राज्य का कन्नौद एवं खातेगांव तहसील का नेमावर कस्बा भी है। पौराणिक साहित्य में नेमावर का उल्लेख नाभपुर के रूप है। नर्मदा नदी के किनारे स्थित नेमावर अपने प्राचीन जैन और हिन्दू मंदिरों और पवित्र घाटों के लिए प्रसिद्ध है। नेमावर के समीप ही ग्वाल टेकरी को मणीगिर के नाम से भी जाना जाता है।
- देवास ने सन् 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। राघोगढ़ (देवास) के ठाकुर दौलत सिंह ने अंग्रेजों का अत्यंत साहस से सामना किया था। अंग्रेजों ने उन्हें पकड़कर गुना छावनी में फांसी पर चढ़ा दिया था।
- जिले की बागली तहसील में कालीसिंध नदी का उद्गम हुआ है। यहीं से लगभग 10 किलोमीटर दूर धाराजी के पास कावड़िया पहाड़ियां हैं। ये सात पहाड़ियों के रूप में है, जिनमें लाखों की संख्या में खंबेनुमा पत्थरों की संरचनाएं हैं, जो पटकोण, पंचकोण, चतुष्कोण तथा त्रिभुजाकार आकृतियों से बनी हैं। वस्तुतः ये संरचनाएं ज्वालामुखी विस्फोट से निर्मित हुई हैं। इन पथरीले स्तंभों से धातुओं के समान ध्वनि भी निकलती है।
- पूर्व पंवार शासकों की छत्रियां देवास के मीठा तालाब के समीप स्थित हैं। ये छत्रियां मराठा स्थापत्य का सुन्दर नमूना हैं। छत्रियों का बाहरी स्वरूप भव्य है और भीतरी हिस्से में बहुत सुन्दर कारीगरी की गई है।
- देवास में स्थित सयाजी द्वार को 'गेटवे ऑफ देवास' भी कहा जाता है, जो देश के शहीदों को समर्पित है।
- देवास, प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीत सम्राट स्वर्गीय 'पंडित कुमार गंधर्व' की साधना स्थली रही है। उनकी स्मृति में यहां संगीत समारोह आयोजित किया जाता है।
- मध्यप्रदेश में सबसे अधिक पवन चक्कियां देवास जिले में स्थापित हैं। यहाँ व्यावसायिक पवन ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित किया गया है।
- खिवनी वन्य जीव अभ्यारण्य, नागदा में पुरातत्वीय अवशेष, सतवास में शेरशाह सूरी कालीन मस्जिद, फतेहगढ़ का किला, नेमावर का जैन मंदिर और त्रिकाल चौबीसी जैन मंदिर, पुष्पगिरी तीर्थ, सोनकच्छ का पुष्पगिरी तीर्थ, पिपलेश्वर और कोटेश्वर महादेव मंदिर और धूमावती माता का मंदिर , बागली का श्री जटाशंकर महादेव मंदिर आदि जिले के प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं।

- रीता मोदी
(लेखिका, समसामयिक विषय पर लेखन कार्य करती हैं)

ओरछा को 'यूनेस्को' विश्व धरोहर में शामिल करने किये जायेंगे हर संभव प्रयास

भोपाल, प्रमुख सचिव पर्यटन एवं संस्कृति श्री शिव शेखर शुक्ला और प्रमुख सचिव नगरीय विकास और आवास श्री संजय दुबे ने होटल ताज लेकफ्रंट में ओरछा से संबंधित दो प्रोजेक्ट्स की समीक्षा की। इसमें 'यूनेस्को' विश्व धरोहर में ओरछा को सम्मिलित करने हेतु नामिनेशन डोजियर बनाने और यूनेस्को के 'हिस्टोरिक अर्बन लेण्डस्केप' में मैनेजमेंट प्लान के संबंध में प्रजेन्टेशन तथा प्रमुख विन्दुओं पर चर्चा हुई।

श्री शुक्ला ने यूनेस्को और द्रोणा संस्था द्वारा दिये जा रहे सुझाव पर ही योजनाओं का क्रियान्वयन करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी विभागों की योजनाओं को एक ही प्लेटफार्म पर लाने का सुझाव दिया। साथ ही ओरछा को यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित करने के लिए हर संभव प्रयास और मुख्यालय स्तर पर आवश्यक कार्यवाही करने की बात कही। उन्होंने वर्चुअली उपस्थित कमिश्नर सागर श्री मुकेश कुमार शुक्ला और कलेक्टर निवाड़ी श्री तरूण भटनागर को स्थानीय स्तर पर योजनाओं की समीक्षा करने एवं तदानुसार प्रावधान करने का निर्देश भी दिया।

प्रमुख सचिव श्री संजय दुबे ने ओरछा की ऐतिहासिक विरासत के अनुसार सभी विभागों को प्लानिंग और डिजायनिंग करने के निर्देश दिये।

'द्रोणा' की डायरेक्टर डॉ. शिखा जैन ने ओरछा को यूनस्को विश्व धरोहर में शामिल करने बनाये जा रहे नामिनेशन डोजियर का प्रजेन्टेशन दिया। यूनेस्को के कंसल्टेंट श्री निशान्त उपाध्याय ने यूनेस्को द्वारा 'हिस्टोरिक अर्बन लैण्डस्केप' में बनाये जा रहे मैनेजमेंट प्लान और धरातल पर किए गए कार्यों की जानकारी दी।

यूनेस्को नई दिल्ली की कल्चर सेक्टर की प्रमुख सुश्री जून्ही हान ने कहा कि ओरछा की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विरासत मध्यप्रदेश ही नहीं पूरे भारत के लिये गौरव का विषय है। इसे विश्व धरोहर बनाने मध्यप्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर प्रसन्नता व्यक्त की गई।

उल्लेखनीय है कि ग्वालियर एवं ओरछा का चयन यूनेस्को द्वारा हिस्टोरिक अर्बन लैण्डस्केप में मैनेजमेन्ट प्लान बनाने के लिए किया गया है। इन शहरों का चयन भारत ही नहीं साउथ एशिया के देशों में यूनेस्को द्वारा प्रथम बार किया गया है।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश
(लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मध्यप्रदेश शासन)
लिंक रोड नं. 3 पत्रकार कॉलोनी भोपाल (म.प्र.) पिन - 462016

विज्ञा.क्र./रा.स्वा.मि./मा संसा./2022/5456 **भोपाल, दिनांक : 05.08.2022**

विज्ञापन

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, म.प्र. के अंतर्गत संविदा आधार पर राज्यस्तरीय संविदा पदों की पूर्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करता है। यह अनुबंध 31 मार्च 2023 तक के लिये होगा, जिसे आगामी वर्षों की वार्षिक कार्ययोजना में स्वीकृत अनुसार नवीनीकृत किया जा सकेगा।

पद का विवरण निम्नानुसार है :-

S. No.	Position Name	No. of Vacancies	Honoraria in INR (Per Month)	Essential Qualification, Experience and Skills
1.	Consultants Adolescent Health (RKSK)	1	Rs. 45,000	**Essential Educational Qualification :** Bachelor degree in AYUSH/BDS from a recognized University AND (Along with) 2 Years Full-Time Master Degree in Public Health (MPH) **OR** 2 Years Full-Time Master of Health administration/ Health care management Health Management from a recognized University **OR** 2 Years Full-Time MBA in (Health administration/ Health Management) from a recognized University **OR** 2 Years Full Time PGDM in (Health Administration/ Health Management) from a recognized University **Essential Work Experience :** 02 Years of relevant experience in the Govt. department/NHM/SACS/ NACO a District/State/National Level.
2.	Community Monitoring Consultant	1	Rs. 45, 000	**Essential Educational Qualification :-** 2 Years Full-Time Master's Degree in Rural Development/Rural Management Public Health Administration/Public Health/Social Work from recognized university. **Desirable educational Qualification :-** 2 Year's full time master degree in social work/social science is desirable. **Essential work experience :-** Minimum 03 years of post-qualification demonstrable & progressively responsible relevant experience in area of community health/community participation/ monitoring/local self-governance/panchayat raj institution of strengthening community institution is essential. **Desirable work experience :-** Exposure to working with civil society groups in the area of healthcare/pub health/rural development and decentralized governance as well an understanding of issues of reaching the unreached communities and capacit to plan and implement such intervention is desirable. **Essential/Desirable computer qualification :-** Proficiency in MS Office & Window software is a must.

आवेदन सेम्स लिमिटेड के वेवपोर्टल **www.sams.co.in** के माध्यम से किया जा सकता है, आवेदन के लिए **लिंक दिनांक 17.08.2022 से** उपलब्ध किया जावेगा। ऑनलाइन जमा करने की **अंतिम तिथि 16.09.2022** है। ऑफ लाइन आवेदन किसी भी स्थिति में मान्य/स्वीकार नहीं किया जावेगा। उपरोक्त संविदा रिक्त पदों हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, अन्य विवरण एवं नियम पुस्तिका सेम्स लिमिटेड के वेवपोर्टल पर उपलब्ध रहेंगी।

निर्धारित प्रारूप में नहीं किये गए अथवा अपूर्ण आवेदन स्वयमेव निरस्त माने जायेंगे।

1. अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा।
2. मिशन संचालक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश किसी भी आवेदन को बिना कारण बताए, स्वीकृत अथवा भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

मिशन संचालक
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, मध्यप्रदेश

जी-15141/47375/2022

नतीजों पर नहीं अपनी मेहनत पर ध्यान केन्द्रित करें - कार्तिकेय जायसवाल

बिना कोचिंग के पहले प्रयास में आईएएस बने खंडवा के 23 वर्षीय कार्तिकेय

यदि किसी लक्ष्य को हासिल करने के लिए आप अपना सर्वस्व लगा देते हैं, तो कामयाबी मिले या ना मिले लेकिन आपको यह संतुष्टि होती है कि आपने अपना सर्वस्व दिया। अमेरिकी साहित्यकार रॉल्फ वाल्डो इमर्सन की यह पंक्तियां 23 साल के कार्तिकेय जायसवाल को अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए निरंतर प्रेरित करती रहीं। खंडवा के रहने वाले कार्तिकेय ने सिविल सर्विस परीक्षा 2021 को पहले ही प्रयास में बिना किसी कोचिंग की सहायता के 35वीं रैंक के साथ उत्तीर्ण कर लिया है। उन्होंने अपने अब तक के सफर के बारे में 'रोज़गार और निर्माण' से बातचीत की...

परिचय

नाम	:	कार्तिकेय जायसवाल
पद	:	आईएएस
रैंक	:	35
उम्र	:	23 वर्ष
पिता	:	आशीष जायसवाल
माता	:	मनीषा जायसवाल
पता	:	आनंद नगर, खंडवा
ताकत	:	कड़ी मेहनत करना
कमजोरी	:	ध्यान जल्दी भटकना।
आभार	:	ईश्वर, अपने माता-पिता, बहन समेत पूरे परिवार, मित्रों और शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। जिन्होंने हर कदम पर मेरा साथ दिया और इस कामयाबी को हासिल करने में मुझे सहयोग दिया।
शिक्षा	:	हाईस्कूल- सेंट पायस स्कूल, खंडवा हायर सेकेंडरी- प्रशांति निलयम स्कूल, पुट्टपर्थी आंध्रप्रदेश स्नातक- बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स, सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली ग्रेजुएशन के समय भारत सरकार की इंस्पायर स्कॉलरशिप मिली।
रुचि	:	किताबें पढ़ना, फिल्में देखना, गाने सुनना।

● आपने वैकल्पिक विषय के रूप में किस विषय का और क्यों चुनाव किया?

○ सिविल सर्विस के लिए जब विषय का चुनाव करना था, तो मैंने गणित का चयन किया। ऐसा इसलिए क्योंकि सामान्य अध्ययन के विषय से थोड़ा हटकर कुछ पढ़ सकूं। इसके अलावा गणित विषय पर स्कूल के समय से ही अच्छी पकड़ थी। बीएससी भी मैथ्स ऑनर्स में किया।

● परीक्षा की तैयारी के लिए आपका स्टडी मटेरियल कौन-सा था? उसे आपने कहां से चुना?

○ मैंने किताबें, मैग्जीन, ऑनलाइन लेक्चर, वेबसाइट, ब्लॉग, टॉपर्स के वीडियो आदि के माध्यम से अपनी पढ़ाई की। प्राचीन और मध्यकालीन भारत के इतिहास के लिए तमिलनाडु के 11वीं इतिहास की किताब, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की इतिहास की पुस्तक पढ़ी। 11वीं और 12वीं क्लास की प्राचीन और मध्यकालीन भारत की एनसीईआरटी पुस्तक का अध्ययन किया। कला और संस्कृति के लिए 11वीं क्लास की एनसीईआरटी, आधुनिक भारत का इतिहास स्पेक्ट्रम राजीव अहिर की किताब का अध्ययन किया। आजादी के बाद के इतिहास के लिए 12वीं की एनसीईआरटी, स्पेक्ट्रम, विश्व इतिहास के लिए 9वीं और 10वीं कक्षा की एनसीईआरटी और अर्जुन देव की विश्व इतिहास का अध्ययन किया। भारतीय अर्थशास्त्र के लिए 11वीं और 12वीं की एनसीईआरटी पढ़ी। वहीं पर्यावरण के लिये एनसीईआरटी की जैव विविधता 12वीं की किताब का अध्ययन किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी, आंतरिक सुरक्षा के लिए समाचार-पत्र और विभिन्न वेबसाइट का भी अध्ययन किया।

● आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है?

○ मैं एक मध्यमवर्गीय परिवार से हूं। मेरे पिता आशीष जायसवाल होटल व्यवसायी हैं, जबकि मां मनीषा जायसवाल एक निजी स्कूल में शिक्षक हैं। एक छोटी बहन भूमिका अभी स्कूल में पढ़ रही है।

● इस परीक्षा में बैठने का विचार कहां से आया? इसके लिए प्रेरणा आपको कहां से मिली तथा सहयोग कहां से प्राप्त हुआ?

○ कोई दिन या कोई विशेष पल ऐसा नहीं रहा जब मैंने सिविल सर्विस में जाने का मन बनाया। मैंने स्कूल के बाद कॉलेज में ही तय कर लिया कि मुझे सिविल सर्विस में जाना है। इसलिए सबसे पहले सिविल सर्विस के लिए न्यूनतम योग्यता यानी ग्रेजुएशन सेंट जेवियर कॉलेज दिल्ली से बीएसएसी मैथ्स ऑनर्स में पूरा किया। मैं दिल्ली में रहकर सिविल सर्विस की तैयारी करता, लेकिन कोरोना के कारण यहां संभव नहीं हो सका। ऐसे में मैंने घर पर ही रहकर सेल्फ स्टडी करने का निर्णय लिया। घर में रहकर पढ़ाई करना आसान नहीं होता है, लेकिन घर में मां-पिता और बहन ने ऐसा माहौल दिया कि पूरे मन से पढ़ाई कर सका। बीमार होने पर सभी ने ख्याल रखा और हमेशा हौसला बढ़ाते रहे।

● परीक्षा की रणनीति कैसे तैयार की?

○ दो साल तक नियमित दिनचर्या का पालन किया। लगातार घंटों बैठकर पढ़ाई करने और ध्यान केन्द्रित करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहना जरूरी है। इसलिए सुबह 5 बजे उठने के बाद 1 घंटा नियमित योग करता था। नाश्ता, लंच और डिनर के वक्त को हटा दिया जाए, तो दिनभर लगभग अधिकांश समय पढ़ाई ही करता था। रात को 11 बजे सोता था। कुल समय का आधा समय ऑप्शनल सबजेक्ट और आधा समय न्यूजपेपर, सामान्य अध्ययन को दिया।

● इस परीक्षा का शेड्यूल बहुत लंबा होता है ऐसे में आपको इस दौरान किन-किन चीजों को छोड़ना पड़ा?

● परीक्षा के शेड्यूल के हिसाब से खुद को निरंतर मोटीवेट करना जरूरी है। इसलिए ध्यान भटकाने वाली चीजों से खुद को दूर रखा। सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम, दोस्तों से लगभग दूरी बनाकर रखी थी। सिर्फ पढ़ाई के लिए संपर्क या कोई क्वेरी क्लीयर करने के लिए साथ में तैयारी कर रहे दोस्तों से वॉट्सएप के माध्यम से संपर्क में था। किसी भी फैमिली फंक्शन में जाना हो या परिवार के साथ कहीं घूमने जाना। इन सभी से खुद को दूर करके पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर केन्द्रित किया।

● कठिन और मुश्किल विषयों को याद रखने के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी?

○ कठिन और मुश्किल विषयों को याद रखने के लिए नियमित रिवीजन करता था। लिख-लिखकर प्रेक्टिस करना और जो गलतियां हैं उन्हें सुधार करता था।

● आपने सिर्फ सेल्फ स्टडी की है, सेल्फ स्टडी के दौरान क्या कोचिंग की कमी को महसूस किया? किस तरह तैयारी की?

○ मैं ग्रेजुएशन के बाद दिल्ली में रहकर सिविल सर्विस की तैयारी करता, लेकिन कोरोना की वजह से यह संभव नहीं हुआ। घर वापस आया तो तय किया कि क्यों न खुद से तैयारी की जाए। पहले भी कई ऐसे अभ्यर्थी हुए हैं, जिन्होंने बिना कोचिंग किए ही परीक्षा में कामयाबी हासिल की है। इसलिए सबसे पहले यूट्यूब और ब्लॉग पर टॉपर्स की रणनीति के वीडियो देखे और उनकी पूरी विस्तृत रणनीति जानी। अलग-अलग टॉपर्स के वीडियो में से जो मुझे लगता था कि मैं कर सकता हूं। उसके आधार पर मैंने अपने लिए रणनीति बनाई। इन टॉपर्स के संघर्ष की कहानी को सुनकर मुझे प्रेरणा मिलती थी। फिर सिलेबस के हिसाब से जरूरी किताबें, वीडियो लेक्चर, पुराने क्वेश्चन पेपर पढ़े। इंटरनेट की मदद से अपने हिसाब से टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई की। इसलिए कह सकता हूं कि कोचिंग की जाए या बिना कोचिंग के अध्ययन हमें ही करना होता है।

● नोट्स बनाने के लिए किस तरीके को अपनाया?

○ नोट्स बनाने के लिए ए-4 कागज का इस्तेमाल किया। आंकड़ों के नोट्स अलग बनाए, उनके लिए टेबल बनाएं।

● परीक्षा हॉल में आपकी क्या रणनीति थी?

○ एग्जाम हॉल में मैंने इस बात का ध्यान रखा कि सभी सवालों के जवाब लिखने हैं, इसलिए किसी सवाल का जवाब लिखने में कम समय मिले तो क्वालिटी नहीं खराब होनी चाहिए। इसलिए लिखकर प्रेक्टिस करने की परीक्षा हॉल में काफी मदद मिली।

● कोविड के दौरान परीक्षा की तैयारी में किस तरह का मानसिक तनाव रहा? खुद को कैसे उससे दूर रखा?

○ कोविड की वजह से लॉकडाउन के कारण हम लोग सिर्फ घर में ही बंद नहीं रहे। बल्कि इस वैश्विक महामारी की वजह से हम सभी ने हर दिन कितने ही लोगों की मृत्यु, परेशानियां से जूझने की खबरें सुनी। इन घटनाओं ने मन को व्यथित किया। इन समस्याओं से ध्यान हटाकर अपने लक्ष्य के बारे में सोचा। अपना ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर केन्द्रित किया।

● क्या कभी इस बात का डर लगा कि अगर सलेक्शन नहीं हुआ तो क्या करेंगे? अगर इस फील्ड में नहीं होते तो क्या करते?

○ मैंने अपनी तरफ से पूरी मेहनत की थी। इसलिए इस बात की संतुष्टि थी, कि मैंने अपनी तरफ से 100 फीसदी दिया है। रैंकिंग को लेकर भले स्पष्ट नहीं था, लेकिन उम्मीद थी कि सलेक्शन हो जाएगा। नहीं होता तो भी दोबारा कोशिश करता। मुझे पढ़ाने में रुचि है, अगर इस क्षेत्र में नहीं जाता, तो अकेडमिक में अपना कॅरियर बनाता।

● जिस पद के लिए आपका चयन हुआ है। उस पद की जिम्मेदारी निभाने के लिए आपके क्या विचार हैं, इस पद को लेकर आपका क्या दृष्टिकोण है?

○ मेरा चयन आईएएस के पद पर हुआ है। मेरा मानना है कि इस क्षेत्र में समाज के लिए काम करने के अवसर निरंतर मिलते हैं। वर्तमान समय में स्वास्थ्य, शिक्षा, गरीबी के क्षेत्र में आने वाली समस्याओं पर काम करना मेरी प्राथमिकता होगी। इसके अलावा मुझे जो भी दायित्व मिलेगा उसे पूरी ईमानदारी के साथ करूंगा।

● 'रोज़गार और निर्माण' के पाठकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे?

○ 'रोज़गार और निर्माण' के माध्यम से मैं यह संदेश देना चाहूंगा कि खुद पर भरोसा रखिए, कामयाबी अवश्य मिलेगी। असफलता से निराश न होकर अपना सर्वस्व लगा देंगे तो आपको यह संतुष्टि रहेगी कि आपने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया।

- सर्जना चतुर्वेदी
(लेखिका, समसामयिक विषय पर लेखन कार्य करती हैं)

साक्षात्कार में पूछे गये प्रश्न

● साक्षात्कार के दौरान आपसे क्या-क्या सवाल पूछे गए? आपने उनके क्या-क्या जवाब दिए?

○ मेरा इंटरव्यू करीब 28 मिनट तक चला था। इसमें मुझसे मेरी पढ़ाई, पृष्ठभूमि, शहर, गायक किशोर कुमार, लोकल डेवलपमेंट सिस्टम समेत विभिन्न विषयों से संबंधित सवाल पूछे गए थे।

● आप सिर्फ 22 साल के हैं। सिविल सर्विस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं?

○ लोकसेवा से मुझे आत्मसंतुष्टि हासिल होगी, जो मैं पहले महसूस कर चुका हूं। साथ ही सिविल सर्विसेज में मैं अपनी कुशल नेतृत्व क्षमता का उपयोग भी कर सकूंगा। (मेरी नेतृत्व क्षमता का आंकलन इस बात से किया जा सकता है कि 12वीं कक्षा में मुझे स्कूल कैप्टन चुना गया था। गणित में मिली ट्रेनिंग के हिसाब से तथ्यों के आधार पर चीजों का विश्लेषण कर सकता हूं। सिविल सर्विस की चुनौतियां और कार्य की विविधता मुझे प्रभावित करती है।

● स्थानीय शासन की शासन में क्या भूमिका है?

● जमीनी स्तर पर लोगों की शासन में भागीदारी सुनिश्चित करने से जवाबदेही बढ़ाने और नागरिकों के हित में निर्णय लेने में मदद मिलती है।

● शिक्षा के क्षेत्र में शासन अपनी योजनाएं संचालित कर रहा है और एनजीओ अपने प्रयास कर रहे हैं। जो बंटे हुए नजर आते हैं। आप भविष्य में शिक्षा के क्षेत्र को कैसे देखते हैं?

○ भविष्य में शासकीय और गैर शासकीय संगठनों के बीच में एक समन्वय होगा। ऐसे में जो सर्वश्रेष्ठ होगा, उसे साझा किया जाएगा और तकनीक के इस्तेमाल पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा।

● भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास की क्या स्थिति है?

○ यह सच है कि भारत में अनुसंधान और विकास का खर्च काफी कम है। यह जीडीपी का सिर्फ 0.7 फीसदी है। निजी क्षेत्रों की मदद से विज्ञान के व्यवसायीकरण और तकनीक के स्वदेशीकरण के लिए रक्षा और अंतरिक्ष के क्षेत्र में अवश्य विशेष कदम उठाए जा रहे हैं।

● गणित में आपका सबसे पसंदीदा टॉपिक कौन सा है और क्यों?

○ मेरा पसंदीदा टॉपिक मॉडर्न अलजेब्रा है, क्योंकि यह पूरी तरह लॉजिक और रीजन पर आधारित है। यह पूरी तरह अपनी थ्योरी पर बना है, इसके लिए पुराने ज्ञान को बार-बार दोहराने के लिए ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता नहीं होती है।

मूंग और उड़द के उपार्जन में भ्रष्टाचार की शिकायतें नहीं आएं

भोपाल, भारत सरकार की प्राईस सपोर्ट स्कीम में समर्थन मूल्य पर ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द का उपार्जन 8 अगस्त से 30 सितम्बर तक किया जाएगा। उपार्जन में भ्रष्टाचार की संभावना नहीं हो, इसके लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं। ये बातें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल स्थित मंत्रालय में ग्रीष्मकालीन मूंग एवं उड़द के उपार्जन की समीक्षा करते हुए कहीं। किसान-कल्याण एवं कृषि विकास मंत्री श्री कमल पटेल, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि व्यापारियों द्वारा किसानों के नाम पर मूंग और उड़द का विक्रय किया जाए तो उसकी खरीदी किसी भी कीमत पर नहीं की जाए। किसानों से ही मूंग और उड़द का उपार्जन किया जाए। छोटे किसानों की शत-प्रतिशत मूंग और उड़द के उपार्जन को प्राथमिकता दें। उन्होंने कहा कि जहां तक संभव हो इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटों से तुलाई की जाए। खरीदी लक्ष्य के अनुसार सुनिश्चित हो।

741 खरीदी केन्द्र

बैठक में बताया गया कि मूंग एवं उड़द के उपार्जन के लिए 741 खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। अभी 32 जिलों में मूंग फसल के लिए 2 लाख 34 हजार 749 कृषकों द्वारा 6 लाख एक हजार हेक्टेयर रकबे का पंजीयन कराया गया है। इसी तरह 10 जिलों में उड़द फसल का 7 हजार 329 कृषकों द्वारा 10 हजार हेक्टेयर रकबे का उपार्जन के लिए पंजीयन कराया गया है। भारत सरकार की प्राईस सपोर्ट स्कीम की गाईडलाइन के अनुसार प्रतिदिन प्रति कृषक 25 क्विंटल मात्रा का उपार्जन किया जाना प्रस्तावित है।

मूंग-उड़द का समर्थन मूल्य

विपणन वर्ष 2022-23 के लिए मूंग का न्यूनतम समर्थन मूल्य 7 हजार 275 रुपए प्रति क्विंटल और उड़द का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6 हजार 300 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है।

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न

मध्यकालीन इतिहास

1. किस सिक्ख गुरु ने जफरनामा नामक पुस्तक की रचना की है?
(अ) गुरु गोविंद सिंह
(ब) गुरु अंगद
(स) गुरुनानक
(द) गुरु रामदास
उत्तर- (अ) गुरु गोविंद सिंह।

2. किस सल्लनतकालीन शासक ने सर्व प्रथम सिंचाई कर लगाया जो उपज का पाँचवां भाग था।
(अ) ग्यासुद्दीन तुगलक
(ब) फिरोजशाह तुगलक
(स) कुतुबुद्दीन ऐवक
(द) अलाउद्दीन खिलजी
उत्तर- (ब) फिरोजशाह तुगलक।

3. निम्नलिखित में से कौनसा जोड़ा सही नहीं है?
(अ) महाभारत - रज़्मनामा
(ब) पंचतंत्र - अनवर-ए-सुहैली
(स) उपनिषद् - सिर्र-ए-अकबर
(द) रामायण - सफीनत-उल-औलिया
उत्तर- (द) रामायण - सफीनत-उल-औलिया।

4. फ्रांसीसियों की प्रथम फैक्ट्री 1667 ई. में कहाँ स्थापित हुई थी?
(अ) बंबई (ब) कलकत्ता
(स) सूरत (द) कोच्चि
उत्तर- (स) सूरत।

5. पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे?
(अ) लकुलीश
(ब) चार्वाक
(स) पूरण कश्यप
(द) इनमें से कोई नहीं
उत्तर- (अ) लकुलीश।

6. एलोरा में दशावतार मंदिर का निर्माण किसने करवाया था।
(अ) महिपाल (ब) कृष्णपाल
(स) दंतिदुर्ग (द) इन्द्र तृतीय
उत्तर- (स) दंतिदुर्ग।

7. 'गोपुरम्' निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली की विशेषता है?
(अ) वेसर शैली
(ब) राजसिंह शैली
(स) द्रविड़ शैली
(द) गांधार शैली
उत्तर- (स) द्रविड़ शैली।

8. सल्तनतकाल में दीवान-ए-अमीर कोही का संबंध किस विभाग से था?
(अ) सैन्य (ब) राजस्व
(स) दान (द) कृषि
उत्तर- (द) कृषि।

9. सीरी के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था?
(अ) मोहम्मद बिन तुगलक
(ब) ग्यासुद्दीन तुगलक
(स) बलबन
(द) अलाउद्दीन खिलजी
उत्तर- (द) अलाउद्दीन खिलजी।

10. यह कथन किसने कहा था - हनुज दिल्ली दूर अस्त।
(अ) मोइनुद्दीन चिश्ती
(ब) निजामुद्दीन औलिया
(स) शेख सलीम
(द) अमीर खुसरो
उत्तर- (ब) निजामुद्दीन औलिया।

11. अकबर के काल में प्रसिद्ध व्यक्ति हरिवंश, मुकुन्द, रासवंत का संबंध किस कला से था?
(अ) चित्रकला (ब) स्थापत्य
(स) नृत्य (द) साहित्य
उत्तर- (अ) चित्रकला।

12. 'हक-ए-शर्ब' क्या था।
(अ) सिंचाई कर
(ब) व्यापार कर
(स) पारगमन शुल्क
(द) इनमें से कोई नहीं
उत्तर- (अ) सिंचाई कर।

13. अड्डा और बिश नामक सिक्के चलाने का श्रेय किसे जाता है?
(अ) बलबन
(ब) फिरोजशाह तुगलक
(स) इल्तुतमिश
(द) सिकंदर लोदी
उत्तर- (ब) फिरोजशाह तुगलक।

14. मणिमंगलम् के युद्ध में नरसिंह वर्मन- I ने किस शासक को पराजित किया था?
(अ) हर्ष वर्धन
(ब) शशांक
(स) देवराय- I
(द) पुलकेशिन द्वितीय
उत्तर- (द) पुलकेशिन द्वितीय।

15. 'गीत गोविंद' के रचयिता कौन हैं?
(अ) राजशेखर
(ब) जयदेव
(ब) अमीर खुसरो
(द) कल्हण
उत्तर- (ब) जयदेव।

16. 'शाहे-बेखबर' के नाम से कौन जाना जाता है?
(अ) फर्रूखसियर
(ब) मोहम्मद शाह
(स) बहादुर शाह- I
(द) अकबर- II
उत्तर- (स) बहादुर शाह- I

17. बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है?
(अ) फारसी (ब) उर्दू
(स) तुर्की (द) अरबी
उत्तर- (स) तुर्की।

18. मुगलकाल में तांबे का सिक्का कहलाता था।
(अ) दाम (ब) रुपया
(स) टका (द) शक्सी
उत्तर- (अ) दाम।

19. 'किताब-उल-यामिनी' किसकी रचना है?
(अ) फिरदौसी
(ब) बरनी
(स) उत्बी
(द) अमीर खुसरो
उत्तर- (स) उत्बी।

20. 'दान सागर' एवं 'अद्भुत सागर' पुस्तक के रचयिता कौन हैं?
(अ) कुमार गुप्त
(ब) बल्लाल सेन
(स) विष्णु वर्धन
(द) अमोघ वर्ष
उत्तर- (ब) बल्लाल सेन।

21. 'मत्तविलास प्रहसन' के रचनाकार कौन हैं।
(अ) महेंद्र वर्मन प्रथम
(ब) सोठ्ठल
(स) लक्ष्मण सेन
(द) शिवस्कंद वर्मन
उत्तर- (अ) महेंद्र वर्मन प्रथम।

22. 'किरातार्जुनीयम्' के लेखक कौन हैं?
(अ) विल्हण
(ब) हेमचंद्र
(स) भारवि
(द) इनमें से कोई नहीं
उत्तर- (स) भारवि।

23. शर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे 'पूर्व का शिराज' कहा जाता है?
(अ) आगरा (ब) दिल्ली
(स) जौनपुर (द) वाराणसी
उत्तर- (स) जौनपुर।

24. निम्न घटनाओं को उनके कालानुक्रम में व्यवस्थित करें।
(1) जजिया की समाप्ति
(2) इबादतखाना का निर्माण
(3) मजहर की घोषणा
(4) दीन-ए-इलाही की स्थापना
(अ) 1, 2, 3, 4 (ब) 2, 3, 4, 1
(स) 1, 3, 2, 4 (द) 3, 4, 1, 2
उत्तर- (अ) 1, 2, 3, 4

25. 1665 ई. में शिवाजी ने किस मुगल सेनानायक के साथ प्रसिद्ध 'पुरंदर की संधि' की थी?
(अ) शाइस्ता खाँ (ब) जयसिंह
(स) दिलेर खाँ (द) जसवंत सिंह
उत्तर- (ब) जयसिंह।

26. मध्यकालीन 'यात्रियों का राजकुमार' किसे कहा जाता है?
(अ) एडवर्ड टैरी
(ब) फादर मोंसेरात
(स) रॉल्फ फिंच
(द) मार्कोपोलो
उत्तर- (द) मार्कोपोलो।

27. धरमत के युद्ध में औरंगजेब ने किसे पराजित किया था?
(अ) दारा शिकोह (ब) शाहजहां
(स) शुजा (द) शिवाजी
उत्तर- (अ) दारा शिकोह।

28. किस मुगल सम्राट ने 'राहदारी' एवं 'पानदारी' कर को समाप्त किया था।
(अ) बाबर (ब) जहांगीर
(स) शाहजहां (द) औरंगजेब
उत्तर- (द) औरंगजेब।

29. निम्नलिखित संधियों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए।
(1) सालबाई की संधि
(2) वेसीन की संधि
(3) पुरंदर की संधि
(4) देवगांव की संधि
(अ) 2, 3, 1, 4 (ब) 4, 3, 2, 1
(स) 1, 2, 3, 4 (द) 3, 1, 2, 4
उत्तर- (द) 3, 1, 2, 4

30. शिवाजी के प्रशासन (अष्ट प्रधान) में सर-ए-नौबत किस विभाग से संबंधित था?
(अ) सैन्य
(ब) विदेश
(स) न्याय
(द) वित्त एवं राजस्व
उत्तर- (अ) सैन्य।

31. गुरुग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था?
(अ) गुरु अंगद
(ब) गुरु अर्जुन देव
(स) गुरु रामदास
(द) गुरु हरराय
उत्तर- (ब) गुरु अर्जुन देव

32. लज्जत-ए-सिकंदरशाही की रचना किसने की थी?
(अ) इब्राहिम लोदी
(ब) सिकंदर लोदी
(स) बहलोल लोदी
(द) खिज्र खाँ
उत्तर- (ब) सिकंदर लोदी

33. 'पूर्व का राफेल' किसे कहा जाता है।
(अ) दासवन (ब) विशन दास
(स) विहजाद (द) बलावन
उत्तर- (स) विहजाद।

34. मसाहत प्रणाली का संबंध किससे है?
(अ) सैन्य गठन
(ब) व्यापार नियमन
(स) भूमि पैमाइश के आधार पर राजस्व
(द) इनमें से कोई नहीं
उत्तर- (स) भूमि पैमाइश के आधार पर राजस्व।

35. 'अटाला मस्जिद' का निर्माण किसने करवाया था?
(अ) मुहम्मद गौरी
(ब) इब्राहिम शाह शर्की
(स) मुबारक शाह
(द) महमूद खिलजी
उत्तर- (ब) इब्राहिम शाह शर्की।

36. 'कश्मीर का अकबर' किसे कहा जाता है?
(अ) जैनुल अबादीन
(ब) सिकंदर शाह
(स) अली मिर्जा
(द) फतेह शाह
उत्तर- (अ) जैनुल अबादीन।

37. कश्मीर में उत्पल वंश की स्थापना किसने की थी?
(अ) दिद्दा
(ब) हर्ष
(स) जैनुल आबिदीन
(द) अवंति वर्मन
उत्तर- (द) अवंति वर्मन।

38. निम्न में से कौनसी जगह राष्ट्रकूटों की राजधानी थी?
(अ) मान्यखेत (ब) कन्नौज
(स) मदुरै (द) ग्वालियर
उत्तर- (अ) मान्यखेत।

39. 'रत्नमालिका' ग्रंथ की रचना किसने की थी?
(अ) ध्रुव
(ब) कृष्णदेव राय
(स) इन्द्र
(द) अमोघ वर्ष
उत्तर- (द) अमोघ वर्ष।

40. निम्न में से किस चोल शासक ने 'नरकेसरी' की उपाधि धारण की थी?
(अ) परांतक- I
(ब) विजयालय
(स) कुलोतुंग
(द) राजेन्द्र- I
उत्तर- (ब) विजयालय।

41. 'विशिष्टाद्वैत' सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था?
(अ) महवाचार्य (ब) शंकराचार्य
(स) रामानुजचार्य (द) निम्बकाचार्य
उत्तर- (स) रामानुजचार्य।

42. तराईन के तृतीय युद्ध में यल्दौज और कुबाचा का संघर्ष किसके साथ हुआ था?
(अ) बलबन
(ब) इल्तुतमिश
(स) अलाउद्दीन खिलजी
(द) सिकंदर लोदी
उत्तर- (ब) इल्तुतमिश।

43. निम्न में से कौन सैयद वंश का संस्थापक है?
(अ) खिज्र खाँ
(ब) मुबारक शाह
(स) सिकंदर लोदी
(द) कुतबुद्दीन ऐवक
उत्तर- (अ) खिज्र खाँ।

44. मामल्लपुरम् (महाबलिपुरम्) की स्थापना किसने की थी?
(अ) कृष्ण प्रथम
(ब) अमोघ वर्ष
(स) नरसिंह वर्मन- I
(द) महेंद्र वर्मन
उत्तर- (स) नरसिंह वर्मन- I

45. कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था?
(अ) कुतबुद्दीन ऐवक
(ब) बलबन
(स) रजिया
(द) अलाउद्दीन खिलजी
उत्तर- (अ) कुतबुद्दीन ऐवक

46. कृत्तिवास ने किस ग्रंथ का अनुवाद बंगाली में किया था?
(अ) रामायण (ब) महाभारत
(स) गीता (द) उपनिषद्
उत्तर- (अ) रामायण।

47. निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है?
(अ) कबीर - उत्तरप्रदेश
(ब) चैतन्य - बंगाल
(स) नामदेव - बिहार
(द) नरसी मेहता - गुजरात
उत्तर- (स) नामदेव - बिहार।

48. किन भक्ति संतों को नयनार कहा जाता था?
(अ) वैष्णव (ब) शैव
(स) सूफी (द) लिंगायत
उत्तर- (ब) शैव।

49. निम्न में से कौनसा मुगल बादशाह वीणा वादक था।
(अ) शाहजहां (ब) अकबर
(स) जहांगीर (द) औरंगजेब
उत्तर- (द) औरंगजेब।

50. दीन-ए-इलाही कब प्रारंभ हुआ था।
(अ) 1562 ई. (ब) 1582 ई.
(स) 1570 ई. (द) 1578 ई.
उत्तर- (ब) 1582 ई.।

- आशीष कुमार श्रीवास
(लेखक, प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित विषयों पर लेखन करते हैं।)

कृषि क्षेत्र में करेंगे उन्नत तकनीक का इस्तेमाल

भोपाल, मध्यप्रदेश के किसानों को अधिकतम लाभान्वित करने के लिये कृषि क्षेत्र में उन्नत तकनीक का इस्तेमाल किया जायेगा। संचालक कृषि श्रीमती प्रीति मैथिल ने कृषि विभाग के पोर्टल की समीक्षा के लिये शुक्रवार को विभागीय एवं संबंधित संस्थाओं के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में यह बात कही। उन्होंने बताया कि किसान-कल्याण तथा कृषि विकास विभाग द्वारा फसलों की स्थिति एवं उत्पादकता के सटीक और त्वरित आकलन के लिये सैटेलाइट डेटा तथा रिमोट सेंसिंग तकनीक के उपयोग लिये एग्री-जीआईएस पोर्टल बनवाया जा रहा है। पोर्टल निर्माण नेशनल रिमोट सेंसिंग केंद्र-इसरो तथा प्रदेश की तकनीकी संस्थाओं (MPSeDC तथा MPCST) के समन्वय से हो रहा है।

संचालक कृषि श्रीमती मैथिल ने बताया कि सैटेलाइट डेटा तथा रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग कर फसल क्षेत्रफल की प्रणाली विकसित की गयी है। इस वर्ष से पूर्णतया ई-गिरदावरी की जा रही है। किसानों को सुगमता एवं समय पर बीमा लाभ सुनिश्चित किये जाने हेतु भारत सरकार के फसल बीमा पोर्टल का भू-अभिलेख से इंटीग्रेशन किया गया है। इससे भू-अभिलेख में दर्ज भूमि संबंधी जानकारी सीधे फसल बीमा पंजीयन में लायी जा सकेगी। किसान भाई मोबाइल एप से सैटेलाइट डेटा तथा रिमोट सेंसिंग तकनीक द्वारा उनके खेत पर लगाई गयी फसल जानकारी की पुष्टि की जा सकेगी।

पोर्टल के लाभ

किसानों के त्रुटि रहित पंजीयन होने से पात्र किसानों को बिना किसी परेशानी के सीधे उनके आधार पंजीकृत खाते में लाभ मिल सकेगा एवं नुकसान एवं आपदा की स्थिति में फसल बीमा का सही-सही लाभ भी समय पर प्राप्त होगा। साथ ही कृषि संबंधी विभिन्न सूचनाएं एक ही स्थान पर होने से बेहतर आंकड़ा आधारित नियोजन तथा अनुश्रवण संभव हो सकेगा।

कृषि अवसंरचना कोष में मध्यप्रदेश को प्रथम स्थान

नई दिल्ली, मध्यप्रदेश को कृषि अवसंरचना कोष एवं सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिये नई दिल्ली में पुरस्कृत किया गया। मध्यप्रदेश ने वर्ष 2022 में प्रथम स्थान प्राप्त किया। एपी शिंदे हाल कृषि संस्थान पूसा नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर एवं कृषि राज्यमंत्री श्री कैलाश चौधरी ने विभिन्न श्रेणियों में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले राज्यों को सम्मानित किया। मध्यप्रदेश शासन की ओर से अपर मुख्य सचिव किसान-कल्याण एवं कृषि विकास श्री अजीत केसरी ने मध्यप्रदेश एआईएफ दल के साथ पुरस्कार प्राप्त किया।

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये महत्वपूर्ण जानकारी

राष्ट्रपति की शक्तियां, अधिकार, वेतन और सुविधाएं

हाल ही में देश के 15वें राष्ट्रपति का चुनाव संपन्न हुआ और श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के तौर पर देश को नया राष्ट्रपति मिला। भारत के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमना ने श्रीमती मुर्मू को 15वें राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। शीर्ष पद पर काबिज होने वाली श्रीमती मुर्मू सबसे कम उम्र की शख्सियत बन गई हैं और इस पद को धारण करने वाली वे ऐसी पहली शख्स हैं जिनका जन्म आजादी के बाद हुआ है। श्रीमती मुर्मू देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं, उनसे पहले श्रीमती प्रतिभा पाटिल इस पद पर रहते हुए अपनी सेवाएं दे चुकी हैं। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में राष्ट्रपति से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं। **'रोज़गार और निर्माण'** के इस अंक में हम इस लेख के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी प्रकाशित कर रहे हैं।

संविधान में राष्ट्रपति

संविधान के भाग 5 अध्याय एक (कार्यपालिका) में अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति से संबंधित हैं। अनुच्छेद 52 में भारत का राष्ट्रपति, अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति, अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि, अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया और अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति के पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि का उल्लेख किया गया है।

राष्ट्रपति का वेतन और भत्ता

राष्ट्रपति की सैलरी 5 लाख प्रतिमाह है, राष्ट्रपति के वेतन पर कोई टैक्स नहीं लगता है। इसके अलावा आजीवन मुफ्त चिकित्सा सुविधाएं, आवास और संसद द्वारा स्वीकृत अन्य भत्ते प्राप्त होते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 59 के अनुसार, राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान सैलरी तथा भत्ते में किसी प्रकार की कमी नहीं की जा सकती है।

राष्ट्रपति की शक्तियां एवं अधिकार

भारत के राष्ट्रपति की कई प्रकार की शक्तियां एवं अधिकार होते हैं। जैसे- **कार्यपालिका शक्ति,** इसके तहत राष्ट्रपति को कई पदों पर नियुक्ति करने का अधिकार होता है। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

- प्रधानमंत्री के सलाहकार मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य
- सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
- भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक
- भारत के महान्यायवादी
- राज्यों के राज्यपाल
- मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त
- संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों
- वित्त आयोग, भाषा आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, अल्पसंख्यक आयोग एवं अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में रिपोर्ट देने वाले आयोग के सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास होता है।

विधायी शक्तियां : राष्ट्रपति लोकसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं और संयुक्त अधिवेशन बुलाकर भाषण देने की शक्तियां भी राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। राष्ट्रपति

के पास संसद सत्र आहूत करने, सत्रावसान करने एवं लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी है। नए राज्यों के निर्माण, राज्य की सीमा में परिवर्तन संबंधित विधेयक, धन विधेयक या संचित निधि से व्यय करने वाला विधेयक एवं राज्य हित से जुड़े विधेयक बिना राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के संसद में प्रस्तुत नहीं होते हैं। लोकसभा के लिए आंग्ल भारतीय समुदाय से 2 सदस्य तथा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा क्षेत्र के 12 सदस्यों को मनोनीत करने की शक्तियां भी राष्ट्रपति को प्राप्त हैं।

न्यायिक शक्तियां : राष्ट्रपति को किसी अपराधी की सजा को क्षमा करने, उसका प्रविलंबन करने, संशोधन और सजा कम करने का अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति को मृत्युदंड माफ करने का भी अधिकार प्राप्त है। राष्ट्रपति, सजा या कोर्ट मार्शल की सजा को माफ कर सकता है।

राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां : भारत के राष्ट्रपति के पास सैन्य बलों के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। राष्ट्रपति को युद्ध और शांति की घोषणा करने तथा सैन्य बलों का विस्तार करने हेतु आदेश देने की शक्ति प्राप्त है।

आपातकालीन शक्तियां

भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को तीन स्थितियों में आपातकालीन शक्तियां प्राप्त हैं। **अनुच्छेद 352 :** देश में युद्ध बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि पूरे भारत या किसी एक भाग की सुरक्षा खतरे में है, तो वह पूरे भारत या किसी भाग में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। हालांकि अगर यह 1 माह के बाद संसद से अनुमोदित ना हो, तो स्वतः समाप्त हो जाता है। इस तरह की घोषणा को संसद के दो तिहाई बहुमत से पास होना आवश्यक होता है। **अनुच्छेद 356 :** इसके अंतर्गत यदि कोई राज्य सरकार संवैधानिक नियमों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है, तो वहां राष्ट्रपति शासन लग सकता है। इसे संसद द्वारा 2 माह के भीतर अनुमोदन करना आवश्यक होता है। **अनुच्छेद 360 :** अनुच्छेद 360 के अंतर्गत देश में आर्थिक संकट की स्थिति में राष्ट्रपति अपनी विशिष्ट शक्तियों का प्रयोग कर वित्तीय आपात की घोषणा कर सकता है।

राष्ट्रपति की वीटो शक्तियां

- **आत्यंतिक वीटो :** इस वीटो शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता है अर्थात वह अपनी अनुमति को सुरक्षित रख सकता है।
- **निलंबनकारी वीटो :** इस वीटो शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार हेतु भेज सकता है।
- **पॉकेट वीटो :** इस वीटो शक्ति के तहत राष्ट्रपति किसी विधेयक पर न अनुमति देता है, न ही अनुमति देने से इनकार करता है और न ही पुनर्विचार हेतु संसद के पास भेजता है। यानी किसी विधेयक को अनिश्चितकाल के लिए अपने पास सुरक्षित रख सकता है।

राष्ट्रपति का कार्यकाल

देश के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, हालांकि राष्ट्रपति अपने पद पर तब तक बना रहेगा, जब तक की उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। अगर राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्याग पत्र या महाभियोग की वजह से खाली हो जाता है, तो इस स्थिति में नए राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्षों के लिए ही होता है, ना कि शेष अवधि के लिए। इसके अलावा खाली पद पर चुनाव 6 महीने के भीतर कराया जाता है। वैसे अगर राष्ट्रपति का पद मृत्यु, त्याग पत्र अथवा पद से हटाए जाने के कारण रिक्त होता है, तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है।

दिल्ली के अलावा देश में मौजूद हैं दो और राष्ट्रपति भवन

दिल्ली की रायसीना हिल्स में स्थित राष्ट्रपति भवन अपनी खूबसूरती और वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रपति भवन वास्तुकारिता की असाधारण कल्पनाशील और दक्ष वास्तुकार सर एडविन लुट्येन्स की कृति थी। इस भवन की कुल चार मंजिलों पर 340 कमरे हैं। दिल्ली के अलावा दो और स्थान है जहां राष्ट्रपति भवन हैं। पहला तेलंगाना राज्य में हैदराबाद के सिकंदराबाद शहर के बोलाराम नामक जगह पर स्थित राष्ट्रपति निलयम। निलयम तेलुगु भाषा का शब्द है, जिसका मतलब है- घर या आवास। यानि राष्ट्रपति निलयम शब्द का मतलब होता है- प्रेसिडेंट हाउस या राष्ट्रपति निवास। राष्ट्रपति निलयम को पहले रेजिडेंसी हाउस के नाम से जाना जाता था। इसका निर्माण 1860 में हैदराबाद के निजाम नसीर-उद-दौला ने कराया था। साल 2011 में इस भवन को आम लोगों के लिए खोला गया था। दूसरा, शिमला की खूबसूरत पहाड़ी पर स्थित है राष्ट्रपति रिट्रीट। 1850 में इस बिल्डिंग को शिमला के मेडिकल सुपरिन्टेंडेंट ने बनवाया था। यह बिल्डिंग 10,628 वर्ग फीट में फैली है। 1895 में वायसराय ने इस बिल्डिंग को फिर अपने कब्जे में ले लिया। आजादी के बाद इसे राष्ट्रपति भवन के रूप में तब्दील कर दिया गया। इसके बाद इस रिट्रीट को प्रेसिडेंशियल एस्टेट के हिस्से के रूप में माना गया।

- रश्मि रंजन
(लेखिका, समसामयिक मुद्दों पर लेखन करती हैं।)

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिये महत्वपूर्ण प्रश्न

सामान्य ज्ञान - खेल

1. किस टेनिस खिलाड़ी के नाम सबसे ज्यादा बार फ्रेंच ओपन जीतने का रिकॉर्ड है?
(अ) राफेल नडाल
(ब) रोजर फेडरर
(स) नोवाक जोकोविच
(द) इनमें से कोई नहीं

2. इनमें से किस पूर्व क्रिकेटर को 'द वॉल' नाम से भी जाना जाता है?
(अ) रिकी पोंटिंग
(ब) स्टीफन फ्लेमिंग
(स) ब्रायन लारा
(द) राहुल द्रविड़

3. भारत ने इस वर्ष किस देश को हराकर थॉमस कप जीता है?
(अ) चीन (ब) जापान
(स) इंडोनेशिया (द) डेनमार्क

4. हाल ही में बांग्लादेश के किस खिलाड़ी ने टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लिया है?
(अ) मुश्फिकुर रहीम
(ब) शाकिब अल हसन
(स) मुस्तफिजुर रहमान
(द) तमीम इकबाल

5. वर्ष 2022 में किस खिलाड़ी ने पीजीए गोल्फ चैम्पियनशिप का खिताब जीता है?
(अ) जस्टिन थॉमस
(ब) फिल मिकेलसन
(स) पॉल केसी
(द) कॉलिन मॉरिकोवा

6. एशियाई ओलिंपिक परिषद का मुख्यालय किस देश में स्थित है?
(अ) चीन (ब) कुवैत
(स) जापान (द) इंडोनेशिया

7. भारत ने वर्ष 2007 में किस देश को हराकर आईसीसी टी-20 वर्ल्डकप जीता था?
(अ) पाकिस्तान (ब) द. अफ्रीका
(स) श्रीलंका (द) न्यूजीलैंड

8. पीआर श्रीजेश किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं?
(अ) कबड्डी (ब) हॉकी
(स) क्रिकेट (द) शतरंज

9. इनमें से किस भारतीय निशानेबाज ने कॉमनवेल्थ गेम्स में अब तक नौ स्वर्ण पदक जीते हैं?
(अ) अभिनव बिंद्रा
(ब) गगन नारंग
(स) जसपाल राणा
(द) जीतू राय

10. वर्ष 2016 में ओलिंपिक खेल किस शहर में आयोजित किए गए थे?
(अ) बीजिंग
(ब) केपटाउन
(स) पेरिस
(द) रियो डि जेनेरियो

11. किस बल्लेबाज ने टी-20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं?
(अ) रोहित शर्मा
(ब) मार्टिन गुप्टिल
(स) शोएब मलिक
(द) विराट कोहली

12. मैग्नस कार्लसन कितनी बार वर्ल्ड चेस चैम्पियन बन चुके हैं?
(अ) चार बार (ब) पांच बार
(स) सात बार (द) इनमें से कोई नहीं

13. आईसीसी क्रिकेट वर्ल्डकप-2019 में किस भारतीय गेंदबाज ने हैट्रिक ली थी?
(अ) मोहम्मद शमी
(ब) कुलदीप यादव
(स) हार्दिक पंड्या
(द) उमेश यादव

14. इस वर्ष मोनाको ग्रांप्री फॉर्मूला-वन रेस किस रेसर ने जीती है?
(अ) मैक्स वर्स्टापेन
(ब) चार्ल्स लेकलर्क
(स) कार्लोस सेंज
(द) सर्जियो पेरेज

15. साइना नेहवाल ने कॉमनवेल्थ गेम्स में कितनी बार स्वर्ण पदक जीते हैं?
(अ) एक बार (ब) दो बार
(स) तीन बार (द) इनमें से कोई नहीं

16. जुवेंट्स किस देश का एक प्रसिद्ध फुटबॉल क्लब है?
(अ) फ्रांस (ब) इटली
(स) स्पेन (द) ब्राजील

17. जून 2022 माह के आईसीसी ने किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है?
(अ) जो रूट
(ब) डेरिल मिशेल
(स) जॉनी बेयरेस्टो
(द) ऋषभ पंत

18. रियो ओलिंपिक-2016 में किस देश ने फुटबॉल में महिला वर्ग का स्वर्ण पदक जीता था?
(अ) ब्राजील (ब) अमेरिका
(स) बेल्जियम (द) जर्मनी

19. ग्रैंडमास्टर शब्द किस खेल में प्रचलित है?
(अ) शतरंज (ब) बैडमिंटन
(स) टेनिस (द) मुक्केबाजी

20. वन-डे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक बनाने वाली महिला खिलाड़ी हैं?
(अ) लीसा स्थालेकर
(ब) बेलिंडा क्लार्क
(स) शार्लेट एडवर्ड्स
(द) हीथर नाइट

21. सुव्रतो कप किस खेल की एक जानी मानी प्रतियोगिता है?
(अ) फुटबॉल (ब) हॉकी
(स) क्रिकेट (द) पोलो

22. नीलकांत शर्मा किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं?
(अ) तीरंदाजी (ब) निशानेबाजी
(स) टेबल टेनिस (द) हॉकी

23. किस वर्ष पहली बार महिला हॉकी वर्ल्डकप आयोजित किया गया था?
(अ) वर्ष 1970 (ब) वर्ष 1972
(स) वर्ष 1974 (द) वर्ष 1978

24. टोक्यो ओलिंपिक-2020 में किस खिलाड़ी ने सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं?
(अ) झांग यूफेई
(ब) सीलेब ड्रेसल
(स) एमा मैकॉन
(द) केटी लेडेकी

25. इनमें से किस क्रिकेटर का निधन विमान हादसे में हुआ था?
(अ) रमन लांबा
(ब) फिल ह्यूज
(स) हैन्सी क्रोनिये
(द) इनमें से कोई नहीं

उत्तर

1. (अ), 2. (द), 3. (स), 4. (द), 5. (अ), 6. (ब), 7. (अ), 8. (ब), 9. (स), 10. (द), 11. (अ), 12. (ब), 13. (अ), 14. (द), 15. (स), 16. (द), 17. (स), 18. (द), 19. (अ), 20. (द), 21. (अ), 22. (द), 23. (स), 24. (द), 25. (स)।

- पुष्पेंद्र कुमार सविता
(लेखक, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी वाले विषयों पर लेखन करते हैं।)

OBJECTIVE QUESTIONS FOR COMPETITIVE EXAMINATION

Subject : GENERAL ENGLISH

- **Fill in the blanks with suitable articles. (Question Nos. 1 to 5)**

1. This is ..... pen I want.
(a) a (b) an
(c) the (d) No article

2. She is reading ..... life of Anne Frank.
(a) a (b) an
(c) the (d) No article

3. Seema is ..... indolent girl in the class.
(a) a (b) an
(c) the (d) No article

4. It is one of ..... oldest temples in India.
(a) a (b) an
(c) the (d) No article

5. Peter reads ..... Bible every morning.
(a) a (b) an
(c) the (d) No article

- **Fill the blank spaces with suitable prepositions. (Question Nos. 6 to 12)**

6. Raju prevented me ..... going there.
(a) to (b) by
(c) on (d) from

7. The players climbed ..... the bus.
(a) in (b) by
(c) from (d) into

8. She left her mobile ..... sofa.
(a) inside (b) at
(c) into (d) on

9. Raju lost his mobile ..... the beach.
(a) of (b) into
(c) at (d) in

10. The train passes ..... the tunnel.
(a) inside (b) into
(c) to (d) through

11. We are proud ..... his academic achievements.
(a) with (b) into
(c) to (d) of

12. I only did it ..... fun.
(a) at (b) of
(c) on (d) for

- **Fill in the blanks with suitable form of the verb. (Question Nos. 13 to 18)**

13. I ..... the bill yesterday.
(a) was paid (b) pays
(c) paid (d) has paid

14. If you ..... her, she will come to party.
(a) have invited
(b) are invited
(c) invited
(d) invite

15. The workers ..... home after they had completed the task.
(a) have gone (b) went
(c) gone (d) go

16. I found that certificate while I ..... for a book.
(a) am looking
(b) looked
(c) had looked
(d) was looking

17. Ramesh often ..... detective and crime stories.
(a) is reading
(b) reads
(c) has read
(d) has been reading

18. Seema ..... food at the moment.
(a) was cooking
(b) is cooking
(c) cooks
(d) cooked

- **Change the Voice. (Question Nos. 19 to 25)**

19. The college is organizing a webinar on 'Yoga and Health'.
(a) 'Yoga and Health' webinar is being organized in the college.
(b) A webinar is organized by the college on 'Yoga and Health'.
(c) A webinar on 'Yoga and Health' is being organized by the college.
(d) A webinar has been organized on 'Yoga and Health' by the college.

20. They believed that the news was fake.
(a) The fake news was believed by them.
(b) The news had been fake they believed.
(c) It was believed that the news was fake.
(d) It was the news that believed to be fake.

21. He rides a bike at full speed.
(a) A bike is rode by him at full speed.
(b) A bike is ridden at full speed by him.
(c) A bike was ridden at full speed by him.
(d) At full speed, he rode a bike.

22. Do you watch prime time serials?
(a) Is prime time serials watched by you?
(b) Are prime time serials watched by you?
(c) Were prime time serials watched by you?
(d) Prime time serials are watched by you.

23. Raj has written five research papers.
(a) Five research papers were written by Raj.
(b) Five research papers have been written by Raj.
(c) Five research papers had written by Raj.
(d) Research papers five has been written by Raj.

24. Please don't go.
(a) You should not go.
(b) You must not go.
(c) You are requested not to go.
(d) Let you not be gone.

25. His brother starts a fine art academy.
(a) A fine art academy starts by his brother.
(b) A fine art academy is being started by his brother.
(c) Art academy is started by his brother finely.
(d) A fine art academy is started by his brother.

- **Idioms and phrases. (Question Nos. 26 to 30)**

26. Carry on
(a) Postpone
(b) Discontinue
(c) Continue
(d) Delay

27. Left out in the cold
(a) Leave someone in winter
(b) Being ignored
(c) Pay attention to someone
(d) Being alert

28. Hit the road
(a) End the journey
(b) Middle of the journey
(c) Start one's journey
(d) Meet an accident

29. Beat around the bush
(a) Try to involve in situation
(b) Try to avoid a situation or person
(c) Make no efforts to involve
(d) Embrace any situation

30. Make out
(a) Misunderstand something.
(b) Mistake in recognition.
(c) Follow someone blindly.
(d) To understand something.

- **Choose the word opposite to the meaning of the given word. (Question Nos. 31 to 35)**

31. Abate
(a) Decrease (b) Halt
(c) Aggravate (d) Subside

32. Flexible
(a) Supple (b) Adamant
(c) Lithe (d) Beny

33. Chaste
(a) Pure (b) Lustful
(c) Spotless (d) Innocent

34. Coarse
(a) Bawdy (b) Fine
(c) Rough (d) Boorish

35. Sincerity
(a) Frail (b) Honesty
(c) Authenticity (d) Deceit

- **Synonym (Question Nos. 36 to 40)**

36. Faded
(a) Dirty (b) Filthy
(c) Bright (d) Pale

37. Yield
(a) Attack
(b) Surrender
(c) Commence
(d) Assail

38. Stubborn
(a) Bold
(b) Timid
(c) Tenacious
(d) Timorous

39. Wild
(a) Cultivated
(b) Refined
(c) Savage
(d) Advanced

40. Predicament
(a) Confirm (b) Validate
(c) Sure (d) Dilemma

- **One word substitution (Question Nos. 41 to 45)**

41. One who can do short-hand and typewriting.
(a) News reader
(b) Editor
(c) Typewriter
(d) Stenographer

42. One who leaves his/her own country to settle in another.
(a) Native (b) Emigrant
(c) Foreigner (d) Worker

43. The science of earth's crust.
(a) Mining
(b) Psychology
(c) Geology
(d) Anatomy

44. One who loves mankind.
(a) Proletarian
(b) Optimistic
(c) Philanthropist
(d) Democratic

45. Someone who lives in solitude.
(a) Apostate
(b) Homeless
(c) Recluse
(d) Polyglot

- **In each of the following questions, find out the correctly spelt word. (Questions 46 to 50)**

46. (a) Business
(b) Buzyness
(c) Buysness
(d) Bissness

47. (a) Aditor (b) Edytor
(c) Editor (d) Editer

48. (a) Newpaper
(b) Nwespaper
(c) Newspepar
(d) Newspaper

49. (a) Dimocracy
(b) Democrecy
(c) Demaocracy
(d) Democracy

50. (a) Penicilin
(b) Penicillin
(c) Penycillin
(d) Penicellin

ANSWERS

1. c, 2. c, 3. b, 4. c, 5. c, 6. d, 7. d, 8. d, 9. c, 10. d, 11. d, 12. d, 13. c, 14. d, 15. b, 16. d, 17. b, 18. b, 19. c, 20. c, 21. b, 22. b, 23. b, 24. c, 25. d, 26. c, 27. b, 28. c, 29. b, 30. d, 31. c, 32. b, 33. b, 34. b, 35. d, 36. d, 37. b, 38. c, 39. c, 40. d, 41. d, 42. b, 43. c, 44. c, 45. c, 46. a, 47. c, 48. d, 49. d, 50. b.

EXPLANATION

1. Article 'the' is used before a noun which is referred particularly. Here pen is referred which someone wants particularly hence article 'the' is correct answer.
5. Article 'the' is used before the names of religious texts hence 'the' before the name of Bible (Religious text of Christian) is appropriate.

- Prafulkumar Prakash Vaidhya
(Assistant Professor in English
Sardar Patel Mahavidyalaya,
Chandrapur)

'सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन योग'

इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक के विद्यार्थियों के लिए होगा शुरू

भोपाल, मध्यप्रदेश के शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को स्ट्रेस मैनेजमेंटट के साथ बौद्धिक विकास और बेहतर फिजिकल फिटनेसस के लिए शासन द्वारा पहल की जा रही है। तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रदेश के इंजीनियरिंग और पॉलीटेक्निक कॉलेजों के विद्यार्थियों के लिए पहली बार योग के छह माह का डिप्लोमा पाठ्यक्रम शैक्षणिक-सत्र 2022-23 से शुरू किया जा रहा है। विभाग इस पाठ्क्रम को इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के माध्यम से संचालित करेगा।

पहले चरण में 5 इंजीनियरिंग और 15 पॉलीटेक्निक के 200 विद्यार्थियों को योग सिखाया जायेगा। दूसरे चरण में 20 पॉलीटेक्निक कॉलेज के 200 विद्यार्थियों को योग प्रशिक्षण दिया जायेगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2022 में अब इंजीनियरिंग कॉलेजों को भी बहुविषयक बनाने की दिशा में यह बड़ा कदम है।

इस सम्बन्ध में विभाग द्वारा सम्बंधित कॉलेजों को छह माह के सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन योग के लिए द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत 10 विद्यार्थियों (प्रति कॉलेज) का चयन कर प्रशिक्षण के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया है। प्रत्येक संस्थान इग्नू के वेब पोर्टल पर प्रवेश सम्बन्धी लिंक https://ignouadmission.samarth.edu.in/ से रजिस्ट्रेशन का कार्य पूर्ण कराएगी।

अंकुर अभियान धरती को बचाने का अभियान - मुख्यमंत्री

भोपाल, जन-भागीदारी से पौध-रोपण के लिए आरंभ 'अंकुर अभियान' धरती को बचाने का अभियान है। इसमें ग्वालियर और चंबल संभाग के 8 जिलों की प्रत्येक पंचायत और नगरीय क्षेत्र के प्रत्येक वार्ड में 75-75 पौधे लगाने का कार्य किया जा रहा है। ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया, मुरैना, भिण्ड और श्योपुर जिलों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अंकुर अभियान में 7 हजार 738 स्थान पर एक साथ बड़े पैमाने पर पौध-रोपण किया जा रहा है। जन-भागीदारी के साथ आरंभ प्रकृति संरक्षण का यह कार्य अनुकरणीय है। प्रदेश के अन्य संभाग और जिले भी प्रकृति संरक्षण के इस कार्य का अनुसरण करेंगे। उक्त बातें मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर और चंबल संभाग के 8 जिलों में पौध-रोपण कार्यक्रमों को निवास कार्यालय से वर्चुअली संबोधित करते हुए कहीं ।

मुख्यमंत्री ने 28 जुलाई से आरंभ पौध-रोपण महाअभियान में शिवपुरी जिले में सर्वाधिक 59 हजार 442 पंजीयन होने पर शुभकामनाएं दीं। श्री चौहान सभी 8 जिलों में हुए कार्यक्रम से वर्चुअली जुड़े। उन्होंने कहा कि अन्य जिलों में भी बड़ी संख्या में लोग पौध-रोपण कर रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के संकट समाधान के लिए संयुक्त राष्ट्र के ग्लासगो सम्मेलन में पंचामृत की सौगात दी थी। पंचामृत में भारत द्वारा निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति में वृक्ष रोपण की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि पेड़-पौधे हमें ऑक्सीजन ही नहीं देते, अपितु एक पेड़ अनेक जीव-जंतुओं के लिए जीवन का स्त्रोत है। प्रदेश में हरियाली अमावस्या 28 जुलाई से 15 अगस्त तक पौध-रोपण महाअभियान चलाया जा रहा है, जिसमें विभिन्न समुदायों, छात्रों, स्वयंसेवी संगठनों, सामाजिक एवं धार्मिक संगठनों, रहवासी-कल्याण समितियों और धर्मगुरुओं को जोड़ कर जन-सामान्य को पौध-रोपण के लिए प्रेरित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेशवासियों को अपने जन्मदिवस, विवाह वर्षगांठ और परिजनों की स्मृति में पौधे लगाने के लिए प्रेरित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आजादी के अमृत काल में वृक्षा-रोपण महाअभियान में शामिल व्यक्तियों द्वारा राष्ट्र-ध्वज के साथ पौध-रोपण करना लोगों को 'हर घर तिरंगा' अभियान में बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने 'हर घर तिरंगा' अभियान में प्रदेशवासियों को पूरे उत्साह और उमंग के साथ हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हम सब स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा क्रय कर गर्व और गौरव के साथ अपने घर पर ध्वज लहराएं।

श्री चौहान ने अशोकनगर जिले के श्री हरनाम सिंह रघुवंशी की वृक्षा रोपण के लिए प्रतिबद्धता की प्रशंसा की। उल्लेखनीय है कि वरिष्ठ नागरिक श्री रघुवंशी द्वारा अब तक 2 हजार पौधे लगाए गए हैं और सभी पौधे जीवित एवं स्वस्थ हैं।

विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये महत्वपूर्ण प्रश्न

हिन्दी

1. 'सौ अजान और एक सुजान' नामक उपन्यास के लेखक कौन हैं?
(A) प्रेमचन्द
(B) बालकृष्ण भट्ट
(C) लज्जाराम मेहता
(D) गोपाल राम गहमरी
उत्तर - (B) बालकृष्ण भट्ट

2. जासूसी उपन्यासों का हिन्दी में श्री गणेश करने का श्रेय किस उपन्यासकार को दिया जाता है?
(A) ठाकुर जगमोहन
(B) गोपाल राम गहमरी
(C) ओम प्रकाश शर्मा
(D) लज्जाराम मेहता
उत्तर -(B) गोपाल राम गहमरी

3. राधा-कृष्ण के प्रेम का चित्रण करने वाला उपन्यास 'श्यामा स्वप्न' किसने लिखा है?
(A) बालकृष्ण भट्ट
(B) गोपाल राम गहमरी
(C) देवकी नंदन खत्री
(D) ठाकुर जगमोहन सिंह
उत्तर -(D) ठाकुर जगमोहन सिंह

4. अंग्रेजी के प्रसिद्ध उपन्यासकार 'ऑर्थर कानन डायल' से हिन्दी का कौनसा उपन्यासकार प्रभावित था?
(A) प्रेमचन्द
(B) देवकी नंदन खत्री
(C) जय शंकर प्रसाद
(D) गोपाल राम गहमरी
उत्तर -(D) गोपाल राम गहमरी

5. इनमें से कौनसा नाटक भारतेन्दु का नहीं है?
(A) सती प्रथा
(B) प्रेम जोगनी
(C) वैदिकी हिंसा-हिंसा न भवति
(D) कारवां
उत्तर -(D) कारवां

6. 'विषस्य विषमौषधम्' नाटक के लेखक का नाम बताइए?
(A) भारतेन्दु हरिश्चन्द्र
(B) उपेन्द्र नाथ अश्क
(C) लक्ष्मी नारायण मिश्र
(D) विष्णु प्रभाकर
उत्तर -(A) भारतेन्दु हरिश्चन्द्र

7. संस्कृत नाटक 'प्रबोध चन्द्रोदय' का का अनुवाद भारतेन्दु जी ने किस नाम से किया?
(A) नील देवी
(B) पाखण्ड विडम्बन
(C) धनंजय
(D) रत्नावली
उत्तर -(B) पाखण्ड विडम्बन

8. भारतेन्दु के पिता गोपाल चन्द्र गिरधर दास किस नाटक के लेखक हैं?
(A) रामायण महानाटक
(B) प्रद्युम्न विजय
(C) नहुष
(D) जानकी मंगल
उत्तर -(C) नहुष

9. अमर सिंह राठौर नामक प्रसिद्ध नाटक के लेखक कौन हैं?
(A) राधाचरण गोस्वामी
(B) राधाकृष्ण दास
(C) गोपाल राम गहमरी
(D) जी.पी. श्रीवास्तव
उत्तर -(A) राधाचरण गोस्वामी

10. 'चार बेचारे' और 'उजबक' नामक नाटकों के लेखक कौन हैं?
(A) जी.पी. श्रीवास्तव
(B) राधाचरण गोस्वामी
(C) बालकृष्ण भट्ट
(D) पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र'
उत्तर -(D) पाण्डेय बेचन शर्मा 'उग्र'

11. "मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के अप्रकाशित अंश में से उन प्रकाण्ड घटनाओं का दिग्दर्शन करने की है। जिन्होंने हमारी वर्तमान स्थिति को बनाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया है" यह कथन जयशंकर प्रसाद के किस नाटक की भूमिका में है?
(A) ध्रुव स्वामिनी
(B) चन्द्र गुप्त
(C) स्कन्द गुप्त
(D) विशाखा
उत्तर -(D) विशाखा

12. विवाह मुक्ति एवं पुनर्विवाह की समस्या को जयशंकर प्रसाद ने किस नाटक में प्रस्तुत किया है?
(A) चन्द्र गुप्त
(B) ध्रुव स्वामिनी
(C) स्कंद गुप्त
(D) विशाखा
उत्तर - (B) ध्रुव स्वामिनी

13. रानी कर्णावती हुमायूं को राखी बांधकर किस नाटक में अपना भाई बनाती है?
(A) सिन्दूर की होली
(B) स्वप्न भंग
(C) आन का मान
(D) रक्षा बंधन
उत्तर - (D) रक्षा बंधन

14. पुत्रों की स्वार्थपरता को कथानक का आधार बनाकर लिखा गया नाटक 'मुक्ति पथ' किस नाटककार का है?
(A) उपेन्द्रनाथ अश्क
(B) उदय शंकर भट्ट
(C) वृन्दावन लाल वर्मा
(D) जयशंकर प्रसाद
उत्तर - (B) उदय शंकर भट्ट

15. पीढ़ीगत संघर्ष की अभिव्यक्ति विष्णु प्रभाकर के किस नाटक में है?
(A) टूटते परिवेश
(B) युगे-युगे क्रांति
(C) डॉक्टर
(D) किसी में नहीं
उत्तर - (B) युगे-युगे क्रांति

16. 'दीपदान' एवं 'बादल की मृत्यु' नामक संकलन किस एकांकीकार के हैं?
(A) राम कुमार वर्मा
(B) जगदीश चन्द्र माथुर
(C) उदय शंकर भट्ट
(D) विष्णु प्रभाकर
उत्तर - (A) राम कुमार वर्मा

17. नाटक का अभिनय रंगमंच के किस भाग पर होता है उसका नाम क्या है?
(A) रंग पीठ (B) रंग शीर्ष
(C) नेपथ्य (D) रंग शाला
उत्तर - (B) रंग शीर्ष

18. 'बिना दीवारों का घर' किसकी नाट्य कृति है?
(A) गोविंद चातक
(B) शिव प्रसाद सिंह
(C) मन्नू भंडारी
(D) रमेश बक्षी
उत्तर - (C) मन्नू भंडारी

19. भीष्म साहनी की नाट्य कृति कौनसी है?
(A) कबिरा खड़ा बजार में
(B) शुतुरमुर्ग
(C) पेपर वेट
(D) द्रोपदी
उत्तर - (A) कबिरा खड़ा बजार में

20. भारतेन्दु जी का 'अंधेर नगरी' इनमें से किस वर्ग का नाटक है?
(A) प्रहसन (B) भाण
(C) वीथी (D) गीति नाट्य
उत्तर - (A) प्रहसन

21. "शासन यदि मेरी रचना पर रोक लगाएगा तो वह दूसरे राज्य में सप्तम स्वर में सुनी जाएगी, यह कथन किस नाटक के संदर्भ में है?
(A) आषाढ़ का एक दिन
(B) अन्धा युग
(C) आठवां सर्ग
(D) चन्द्र गुप्त
उत्तर - (C) आठवां सर्ग

22. 'परिवार के सभी सदस्य अविश्वास, कुण्ठा, संशय, हीनता बोध एवं विघटन के भाव लिए जी रहे हैं, यह कथन मोहन राकेश के किस नाटक पर लागू होता है?
(A) आषाढ़ का एक दिन
(B) आधे अधूरे
(C) लहरों के राजहंस
(D) अण्डे के छिलके
उत्तर - (B) आधे अधूरे

23. 'शिव-शम्भू का चिट्ठा' किसके निबंधों का संग्रह है?
(A) प्रताप नारायण मिश्र
(B) बालकृष्ण भट्ट
(C) राधाकृष्ण दास
(D) बाल मुकुन्द गुप्त
उत्तर - (D) बाल मुकुन्द गुप्त

24. भौंह, पेट, दांत, नाक आदि निबन्धों के लेखक इनमें से कौन हैं?
(A) बदरी नारायण चौधरी 'प्रेमधन'
(B) धर्मवीर भारती
(C) बालकृष्ण भट्ट
(D) प्रताप नारायण मिश्र
उत्तर - (D) प्रताप नारायण मिश्र

25. कछुआ धर्म के लेखक कौन हैं?
(A) सरदार पूर्ण सिंह
(B) चन्द्रधर शर्मा गुलेरी
(C) बाबू श्याम सुन्दर दास
(D) पदम सिंह शर्मा
उत्तर - (B) चन्द्रधर शर्मा गुलेरी

26. 'रसज्ञ रंजन' किस निबंधकार के निबंध का संकलन है?
(A) रामचन्द्र शुक्ल
(B) श्याम सुन्दर दास
(C) महावीर प्रसाद द्विवेदी
(D) डॉ. सम्पूर्णानन्द
उत्तर - (C) महावीर प्रसाद द्विवेदी

27. 'पंच पात्र' किसके निबंधों का संकलन है?
(A) शांतिप्रिय द्विवेदी
(B) पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी
(C) बाबू गुलाब राय
(D) राम विलास शर्मा
उत्तर - (B) पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी

28. 'पृथ्वी पुत्र' किस लेखक का संकलन है?
(A) रामधारी सिंह दिनकर
(B) सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय
(C) नन्द दुलारे वाजपेयी
(D) वासुदेव शरण अग्रवाल
उत्तर - (D) वासुदेव शरण अग्रवाल

29. 'जीप पर सवार इल्लियां' इनमें से किसकी व्यंग्य रचना है?
(A) हरिशंकर परसाई
(B) के.पी. सक्सेना
(C) शरद जोशी
(D) रवीन्द्र नाथ त्यागी
उत्तर - (C) शरद जोशी

30. सदाचार का ताबीज एवं 'निठल्ले की डायरी' के लेखक कौन हैं?
(A) बेचन शर्मा उग्र
(B) बेढब बनारसी
(C) हरिशंकर परसाई
(D) शरद जोशी
उत्तर - (C) हरिशंकर परसाई

31. 'भूत के पांव' किसकी व्यंग्य रचना है?
(A) के.पी. सक्सेना
(B) रवीन्द्र नाथ त्यागी
(C) शरद जोशी
(D) हरिशंकर परसाई
उत्तर - (D) हरिशंकर परसाई

32. 'कजरीवन में जीवहंस' रिपोर्ताज शैली में लिखा गया किसका निबंध है?
(A) अज्ञेय
(B) विद्या निवास मिश्र
(C) कुबेर नाथ राय
(D) हजारी प्रसाद द्विवेदी
उत्तर - (C) कुबेर नाथ राय

33. 'भाई' नामक विद्यानिवास मिश्र का संस्मरणात्मक निबंध किसके जीवन पर आधारित है?
(A) अज्ञेय
(B) डॉ. नागेन्द्र
(C) धर्मवीर भारती
(D) श्री नारायण चतुर्वेदी
उत्तर - (A) अज्ञेय

34. 'पार्थिव धर्म' नामक निबंध के लेखक कौन हैं?
(A) मोहन राकेश
(B) हजारी प्रसाद द्विवेदी
(C) विद्यानिवास मिश्र
(D) डॉ. नागेन्द्र
उत्तर - (C) विद्यानिवास मिश्र

35. 'श्रृंखला की कड़ियां' नामक निबंध संकलन किसका लिखा हुआ है?
(A) जय शंकर प्रसाद
(B) महादेवी वर्मा
(C) रामचन्द्र शुक्ल
(D) प्रेमचंद
उत्तर - (B) महादेवी वर्मा

36. 'आम्र मंजरी' किस वर्ग का निबंध है?
(A) विचारात्मक
(B) वर्णनात्मक
(C) विवरणात्मक
(D) आत्मपरक
उत्तर - (D) आत्मपरक

37. 'देवदास' नामक निबंध इनमें से किस वर्ग में आएगा?
(A) सांस्कृतिक निबंध
(B) भावात्मक निबंध
(C) आत्मपरक निबंध
(D) व्याख्यात्मक निबंध
उत्तर - (A) सांस्कृतिक निबंध

38. गणेश शंकर विद्यार्थी किस युग के निबंधकार हैं?
(A) भारतेन्दु युग
(B) द्विवेदी युग
(C) शुक्ल युग
(D) शुक्लोत्तर युग
उत्तर - (B) द्विवेदी युग

39. 'जिन्दगी मुस्कराई' किस निबंधकार का संकलन है?
(A) बनारसी दास चतुर्वेदी
(B) कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर'
(C) देवेन्द्र सत्यार्थी
(D) लक्ष्मीचन्द्र जैन
उत्तर - (B) कन्हैयालाल मिश्र 'प्रभाकर'

40. 'अर्द्धनारीश्वर' किस निबंधकार का संकलन है?
(A) रामधारी सिंह दिनकर
(B) डॉ. नागेन्द्र
(C) कुबेरनाथ राम
(D) हरिशंकर परसाई
उत्तर - (A) रामधारी सिंह दिनकर

41. कल्पना का आनंद किसके द्वारा 'एसे ऑन इमेजिनेशन' का किया हुआ हिन्दी अनुवाद है?
(A) बाबू श्याम सुन्दर दास
(B) नन्ददुलारे वाजपेयी
(C) जगन्नाथ दास रत्नाकर
(D) आचार्य रामचन्द्र शुक्ल
उत्तर - (D) आचार्य रामचन्द्र शुक्ल

42. 'दूसरी परम्परा की खोज' के लेखक इनमें से कौन हैं?
(A) हजारी प्रसाद द्विवेदी
(B) डॉ. नामवर सिंह
(C) काशीनाथ सिंह
(D) धर्मवीर भारती
उत्तर - (B) डॉ. नामवर सिंह

43. 'कुछ आप बीती कुछ जग बीती' किस विधा की रचना है?
(A) आत्मकथा (B) जीवनी
(C) संस्मरण (D) रेखाचित्र
उत्तर - (A) आत्मकथा

44. 'आवारा मसीहा' के लेखक का नाम क्या है?
(A) विष्णु प्रभाकर
(B) प्रेमचन्द्र
(C) अमृत राय
(D) हरिवंश राय बच्चन
उत्तर - (A) विष्णु प्रभाकर

45. 'रसीदी टिकट' इनमें से किसकी आत्मकथा है?
(A) खुशवंत सिंह
(B) अमृता राय
(C) अमृता प्रीतम
(D) वियोगी
उत्तर - (C) अमृता प्रीतम

46. 'मनीषी की लोक यात्रा' किस विधा की रचना है?
(A) आत्मकथा (B) जीवनी
(C) संस्मरण (D) रेखा चित्र
उत्तर - (B) जीवनी

47. 'क्षण बोले कण मुस्काएं' नामक कृति किस विधा की रचना है?
(A) आत्मकथा
(B) संस्मरण
(C) रेखा चित्र
(D) रिपोर्ताज
उत्तर - (D) रिपोर्ताज

48. 'घुमक्कड़ शास्त्र' के लेखक कौन हैं?
(A) राहुल सांकृत्यायन
(B) यशपाल
(C) प्रेमचन्द
(D) अज्ञेय
उत्तर - (A) राहुल सांकृत्यायन

49. 'अरे यायावर रहेगा याद' किसकी कृति है?
(A) डॉ. नागेन्द्र
(B) रामधारी सिंह दिनकर
(C) अज्ञेय
(D) रामचन्द्र शुक्ल
उत्तर - (C) अज्ञेय

50. 'फूल नहीं रंग बोलते हैं' किस विधा की रचना है?
(A) डायरी (B) आत्मकथा
(C) रेखा चित्र (D) कविता
उत्तर - (D) कविता

51. 'भोला राम का जीव' किस विधा की रचना है?
(A) निबंध (B) रेखा चित्र
(C) संस्मरण (D) व्यंग्य
उत्तर - (D) व्यंग्य

52. 'क्या गोरी क्या सांवली' किस विधा की रचना है?
(A) उपन्यास
(B) कहानी
(C) जीवनी
(D) संस्मरण
उत्तर - (D) संस्मरण

डॉ. राममनोहर उपाध्याय
(लेखक, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल (म.प्र.) के जनसंचार विभाग में अतिथि शिक्षक हैं)

विश्व अंडर-20 एथेलेटिक्स में भारत ने जीता रजत पदक

कोलंबिया, भारत ने विश्व अंडर-20 एथेलेटिक्स चैम्पियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया है। भारत की मिश्रित टीम ने चार गुणा 400 रिले स्पर्धा में रजत पदक अपने नाम किया है। विश्व जूनियर चैम्पियनशिप में चार गुणा 400 रिले स्पर्धा में भारत का लगातार दूसरा पदक है। इससे पहले भारत ने वर्ष 2021 में कांस्य पदक जीता था। विश्व जूनियर एथेलेटिक्स चैम्पियनशिप में भरत श्रीधर, प्रिया मोहन, कपिल और रूपल चौधरी की भारतीय चौकड़ी ने फाइनल राउंड में 17.76 सेकेंड के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। इस दौरान भारतीय टीम ने इस स्पर्धा में तीन मिनट 17.76 सेकेंड के साथ जूनियर स्तर पर नया एशियाई रिकॉर्ड स्थापित किया। इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक अमेरिका ने तीन मिनट 17.69 सेकेंड के साथ जीता।

ब्राजील ने जीता महिला कोपा अमेरिका कप

कोलंबिया, ब्राजील की महिला फुटबॉल टीम ने कोपा अमेरिका कप में शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया है। ब्राजिलियन टीम ने टूर्नामेंट के फाइनल में मेजबान कोलंबिया को 1-0 से हराकर खिताब जीता। मैच में एकमात्र गोल्ड डेविंहा मिरि ने किया। डेविंहा ने मैच के 39वें मिनट में मिली पेनाल्टी को गोल में तब्दील कर ब्राजील को चैम्पियन बनाया। ब्राजील ने रिकॉर्ड आठवीं बार यह टूर्नामेंट जीता है। महिला कोपा अमेरिका कप के इतिहास में ब्राजील और कोलंबिया फाइनल में तीसरी बार टकराए थे, तीनों बार ब्राजील ने जीत दर्ज की है।

दक्षिण अफ्रीका ने 2-1 से जीती ट्वेंटी-20 सीरीज

साउथेम्प्टन, दक्षिण अफ्रीका ने इंग्लैंड दौरे पर खेली गई तीन मैचों की ट्वेंटी-20 सीरीज को 2-1 से अपने नाम किया है। दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज के तीसरे और अंतिम मुकाबले में इंग्लैंड को 90 रन से हराया। मैच में दक्षिण अफ्रीका ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवरों में 5 विकेट खोकर 191 रन बनाए। दक्षिण अफ्रीका के लिए रीजा हैंड्रिक्स ने 70, एडेन मार्क्रम ने 51 तथा रीली रोसो ने 31 रनों की पारी खेली। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम दबाव में नजर आई। इंग्लैंड की पारी 16.4 ओवरों में 101 रन पर सिमट गई।

पेरिस सेंट जर्मेन ने जीता फ्रेंच सुपर कप का खिताब

तेल अवीव, पेरिस सेंट जर्मेन फुटबॉल क्लब ने फ्रेंच सुपर कप का खिताब जीत लिया है। पेरिस सेंट जर्मेन ने खितावी मुकाबले में नांतेस क्लब को 4-0 से हराया। पेरिस सेंट जर्मेन की जीत को हीरो नेमार रहे। नेमार ने 2 गोल किए, वहीं लियोनल मेसी और सर्जियो रामोस ने एक-एक गोल किया। मैच में पहला गोल मेसी ने किया मेसी ने 22 मिनट में गोलकर अपनी टीम को बढ़त दिलाई। इसके बाद नेमार ने पहले हाफ के इंजरी टाइम में गोलकर टीम की बढ़त दोगुनी कर दी। मैच में दो गोल से पिछड़ने के बाद नांतेस की टीम दबाव में दिखी। सर्जियो रामोस ने इस परिस्थिति का लाभ उठाते हुए 57वें मिनट में गोल कर दिया। मैच का आखिरी गोल नेमार ने पेनाल्टी शूटआउट के जरिए किया। उल्लेखनीय है कि पेरिस सेंट जर्मेन ने पिछले दस वर्षों में नौवीं बार फ्रेंच सुपर कप जीता है।

राष्ट्रमंडल खेल

भारोत्तोलन, लॉन बॉल और टेबल टेनिस में भारत को स्वर्णिम सफलता

बर्मिंघम, राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का आगाज वेहद शानदार रहा। भारोत्तोलकों ने भारत को स्वर्णिम सफलताएं दिलाईं। भारत ने 6 अगस्त की शाम तक प्राप्त जानकारी के अनुसार राष्ट्रमंडल खेल-2022 में 9 स्वर्ण, 11 रजत और 9 कांस्य सहित 29 पदक अपने नाम किए हैं। भारत ने भारोत्तोलन में 3 स्वर्ण, 3 रजत और 4 कांस्य पदक अपने नाम किए।

संकेत ने दिलाया पहला पदक

युवा भारोत्तोलक संकेत सरगर ने राष्ट्रमंडल खेल-2022 में पहला पदक

दिलाया। संकेत ने भारोत्तोलन में पुरुष के 55 किलोग्राम भारवर्ग में देश के लिए रजत पदक जीता। 21 वर्षीय संकेत ने प्रतियोगिता में स्नेच में 113 तथा क्लीन एंड जर्क में 135 किलोग्राम सहित कुल 248 किलोग्राम वजन उठाया। इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक मलेशिया के अनिक कस्दान ने जीता।

मीराबाई ने जीता स्वर्ण पदक

राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पहला स्वर्ण पदक मीराबाई चानू ने दिलाया। ओलिंपिक रजत पदक विजेता मीराबाई ने भारोत्तोलन में महिलाओं की 49 किलोग्राम भारवर्ग स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। इस दौरान मीराबाई ने राष्ट्रमंडल खेलों में नया इतिहास भी रचा है। मीराबाई ने 49 किलोग्राम भारवर्ग में स्नैच में 88 किलोग्राम तथा क्लीन एंड जर्क में 113 किलोग्राम सहित कुल 201 किलोग्राम वजन उठाया जो कि राष्ट्रमंडल खेलों में इस स्पर्धा का नया रिकॉर्ड है। मीराबाई ने स्नैच राउंड के पहले प्रयास में 84 तथा दूसरे प्रयास में 88 किलोग्राम वजन उठाया। वहीं क्लीन एंड जर्क राउंड में पहले प्रयास में 109 तथा दूसरे प्रयास में 113 किलोग्राम वजन उठाया।

जेरेमी और अचिंत ने भी जीते स्वर्ण पदक

भारत के युवा खिलाड़ी जेरेमी लालरिननुंगा और अचिंत शेउली ने भी भारत को भारोत्तोलन में स्वर्ण पदक दिलाए। जेरेमी ने 67 किलोग्राम भारवर्ग स्पर्धा में स्नैच राउंड में रिकॉर्ड 140 किलोग्राम तथा क्लीन एंड जर्क राउंड में 160 सहित कुल 300 किलोग्राम वजन उठाकर राष्ट्रमंडल खेलों का रिकॉर्ड बनाया।

पुरुषों के 73 किलोग्राम भारवर्ग में अचिंत शेउली ने भारत को तीसरा स्वर्ण पदक दिलाया। अचिंत ने स्पर्धा में स्नैच में 143 किलोग्राम तथा क्लीन एंड जर्क में 170 सहित कुल 313 किलोग्राम वजन उठाया। अचिंत ने इस दौरान राष्ट्रमंडल खेलों का नया रिकॉर्ड भी बनाया।

लॉन बॉल में पहली बार मिला पदक

भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों में लॉन वॉल खेल में पहली बार पदक जीता। लॉन वॉल में महिला चौकड़ी स्पर्धा में भारत ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। रूपारानी तिर्की, लवली चौबे, नमनमोनी सैकिया और

पिंकी सिंह की भारतीय चौकड़ी ने स्पर्धा के फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 17-10 से हराया।

पुरुष टेबल टेनिस टीम ने भी जीता खिताब

राष्ट्रमंडल खेलों में भारत को पांचवां स्वर्ण पदक टेबल टेनिस में मिला। भारत की पुरुष टीम ने स्पर्धा के फाइनल में सिंगापुर को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। फाइनल मुकाबले में हरमीत देसाई और गनासेकरन साथियान की जोड़ी ने 3-0 से पहला युगल मैच जीता। इसके बाद शरत कमल को पहले एकल मैच में हार का सामना करना पड़ा, वहीं साथियान ने दूसरे एकल मैच को 3-1 से जीता। तीसरे एकल मैच में हरमीत ने 3-0 से जीत दर्ज की।

मैक्स वर्स्टापेन ने जीती हंगरियन ग्रांप्री

बुडापेस्ट, नीदरलैंड्स के अनुभवी फॉर्मूला वन रेसर मैक्स वर्स्टापेन ने हंगरियन ग्रांप्री फॉर्मूला-वन रेस का खिताब अपने नाम किया है। यह इस सत्र में वर्स्टापेन की आठवीं जीत है। रेस में वर्स्टापेन शुरुआत में पिछड़ते हुए नजर आए थे, लेकिन उन्होंने जबरदस्त वापसी करते हुए रेस का कब्जा किया। वर्स्टापेन ने 70 लैप की इस रेस को 1 घंटा 39 मिनट 35.912 सेकेंड में पूरी की। रेस में लुईस हैमिल्टन दूसरे, जॉर्ज रसेल तीसरे, कार्लोस सेंज चौथे और सर्जियो पेरेज पांचवें स्थान पर रहे। इस जीत के साथ वर्स्टापेन ने इस सत्र में खिताब जीतने के सबसे बड़े दावेदार बन गए हैं। वर्स्टापेन ड्राइवर्स चैम्पियनशिप में 258 अंकों के साथ शीर्ष पर काविज हैं।

मैरी बुजकोवा ने जीता प्राग ओपन टूर्नामेंट

प्राग, चेक गणराज्य की महिला टेनिस खिलाड़ी मैरी बुजकोवा ने प्राग ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब अपने नाम किया है। बुजकोवा ने महिला एकल वर्ग के फाइनल में रूस की अनास्तासिया पोटापोवा को सीधे सेटों में 6-0, 6-3 से हराया। इस टूर्नामेंट में बुजकोवा का प्रदर्शन वेहद शानदार रहा। बुजकोवा ने इस टूर्नामेंट में पांच मैच खेले और सभी मैच बिना सेट गवाएं जीते हैं। यह बुजकोवा के टेनिस कैरियर का पहला डब्ल्यूटीए खिताब है। टूर्नामेंट में महिला युगल वर्ग का खिताब अनास्तासिया पोटापोवा और याना सिजिकोवा की रशियन जोड़ी ने जीता।

जिम्बाब्वे दौरे पर धवन होंगे भारतीय टीम के कप्तान

मुंबई, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय क्रिकेट टीम का ऐलान कर दिया है। नियमित कप्तान रोहित शर्मा, सीनियर बल्लेबाज विराट कोहली, विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत, ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, हार्दिक पांड्या और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह इस सीरीज में भारतीय टीम का हिस्सा नहीं होंगे।

जिम्बाब्वे में भारतीय टीम 18, 20 और 22 अगस्त को तीन वनडे मैच खेलेगी। यह सभी मैच हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाएंगे।

सुंदर और दीपक की हुई वापसी

स्पिन ऑलराउंडर वाशिंगटन सुंदर और बॉलिंग ऑलराउंडर दीपक चाहर की टीम में वापसी हुई है। दोनों खिलाड़ी चोट की वजह से लंबे वक्त से टीम से बाहर चल रहे थे। दीपक चोट की वजह से आईपीएल-2022 में भी हिस्सा नहीं ले सके थे।

राहुल त्रिपाठी को टीम इंडिया से आया बुलावा

आईपीएल-2022 में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए शानदार प्रदर्शन करने वाले राहुल त्रिपाठी को पहली भारत की वनडे टीम में शामिल किया गया है। इससे पहले उन्हें भारत की ट्वेंटी-20 टीम में मौका मिल चुका है। इसके अलावा विकेटकीपर संजू सैमसन को भी जिम्बाब्वे के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है।

वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम - शिखर धवन (कप्तान), ऋतुराज गायकवाड़, शुभमन गिल, दीपक हुड्डा, राहुल त्रिपाठी, ईशान किशन (विकेटकीपर), संजू सैमसन, वाशिंगटन सुंदर, शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, आवेश खान, प्रसिद्ध कृष्णा, मोहम्मद सिराज और दीपक चाहर।

सुले के खिलाफ रिंग में वापसी करेंगे विजेंदर सिंह

मुंबई, भारतीय मुक्केबाज विजेंदर सिंह 17 अगस्त को रायपुर में घाना के एलियासु सुले के खिलाफ रिंग में वापसी करेंगे। यह उनका स्वदेश में छठा पेशेवर मुकाबला होगा। यह रायपुर में आयोजित होने वाला पहला पेशेवर मुकाबला होगा। 'पर्पल गोट स्पोर्ट स्टेनमेंट एलएलपी' द्वारा आयोजित यह मुकावला बलवीर सिंह जुनेजा स्टेडियम में होगा।

विजेंदर ने बयान में कहा कि मैं इस मुकाबले को लेकर काफी उत्साहित हूं। मैंने इसके लिये कड़ा अभ्यास किया है और यह जीत की राह पर लौटने का शानदार मौका होगा। मैं एलियासु सुले के खिलाफ रिंग में लौटने के लिए इंतजार नहीं कर सकता।

इस मुकाबले को 'द जंगल रंबल' नाम दिया गया है, जिसमें फैजान अनवर, सचिन नौटियाल, कार्तिक सतीश कुमार, आशीष शर्मा, गुरप्रीत सिंह और शेखोम रेबाल्डो भी अपने प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ रिंग में उतरेंगे। उल्लेखनीय है कि विजेंदर सिंह ने अब तक 13 फाइट लड़ी हैं। इनमें 12 फाइट में उन्होंने जीत दर्ज की, वहीं रूस के आर्तिश लोपसन के खिलाफ उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। विजेंदर सिंह वर्ष 2008 में बीजिंग ओलिंपिक में कांस्य पदक जीत चुके हैं। इसके बाद विजेंदर प्रोफेशनल मुक्केबाजी रिंग में उतर आये थे। विजेंदर ने प्रोफेशनल मुक्केबाजी में कैरी हॉप, फ्रांसिस चेका और सोनी वाइटिंग जैसे दिग्गजों को हराया है।

महिला यूरो कप

जर्मनी को हराकर इंग्लैंड बना चैम्पियन

लंदन, इंग्लैंड की महिला फुटबॉल टीम ने यूरोपियन फुटबॉल में बड़ा उलटफेर करते हुए महिला यूरो कप का खिताब अपने नाम किया है। इंग्लैंड ने लंदन के वेम्बले स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में जर्मनी को 2-1 से हराकर खिताब पर कब्जा किया।

इंग्लैंड ने स्वीडन तथा जर्मनी ने फ्रांस को हराकर महिला यूरो कप के खितावी मुकाबले में जगह बनाई थी। फाइनल मुकाबले में दोनों टीमों ने शानदार खेल दिखाया। मैच के पहले हाफ में जर्मनी ने इंग्लैंड को गोलपोस्ट पर लगातार अटैक किए, लेकिन इंग्लैंड की रक्षापंक्ति ने जर्मनी को रोके रखा। पहला हाफ गोलरहित खत्म हुआ। दूसरे हाफ में इंग्लैंड के खिलाड़ियों ने आक्रामक रणनीति के साथ शुरुआत की। इस रणनीति का फायदा इंग्लैंड को जल्द मिला। मैच के 62वें मिनट में इला टोनी ने शानदार गोलकर इंग्लैंड को बढ़त दिलाई।

- **इंग्लैंड की महिला फुटबॉल टीम ने पहली बार यूरो कप का खिताब जीता है।**
- **इंग्लैंड वर्ष 1984 तथा वर्ष 2009 में भी यूरो कप के फाइनल में पहुंचा था, लेकिन खिताब नहीं जीत पाया।**
- **जर्मनी ने अब तक आठ बार जीता है महिला यूरो कप का खिताब।**
- **नॉर्वे ने 2 तथा स्वीडन और नीदरलैंड्स ने भी एक-एक बार जीत है महिला यूरो कप।**

ऐसा लगने लगा कि इंग्लैंड ने मैच अपनी गिरफ्त में कर लिया है, लेकिन 79वें मिनट में जर्मनी की लिना मैगुल ने 01 गोल दागकर मैच को रोमांचक बना दिया। इसके बाद दोनों टीमों ने गोल करने के कई प्रयास किए लेकिन सफल नहीं हो सकी।

निर्धारित समय तक स्कोर 1-1 से बराबर रहने के बाद मैच अतिरिक्त समय में चला गया। मैच के 110वें मिनट में इंग्लिश स्ट्राइकर क्ले कैली ने जर्मनी के डिफेंडर की गलती का लाभ उठाते हुए गेंद को गोलपोस्ट में डाल दिया। इसके साथ ही इंग्लैंड की टीम ने मैच और खिताब 2-1 से अपने नाम कर लिया। मैच में जर्मनी को अपनी अनुभवी कप्तान एलेक्जेंड्रा पोप की कमी खली। पोप ने इस टूर्नामेंट में 6 गोल किए थे। पोप मांसपेशियों में चोट के कारण फाइनल मैच में नहीं खेली थीं। इंग्लैंड की बेथ मीड को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, वहीं जर्मनी की लीना ओवर्डोफ को सर्वश्रेष्ठ युवा खिलाड़ी का पुरस्कार मिला।

फॉर्मूला-वन से संन्यास लेंगे सबेस्टियन वेटल

बर्लिन, चार बार के फॉर्मूला वन चैम्पियन कार रेसर सवेस्टियन वेटल ने इस खेल से संन्यास लेने का मन बना लिया है। जर्मन कार रेसर ने घोषणा की है कि वे फॉर्मूला-वन सत्र-2022 के बाद संन्यास लेंगे। वेटल वर्ष 2010 से 2013 तक लगातार चार बार फॉर्मूला-वन चैम्पियन रहे हैं। वेटल ने अपने कैरियर में 53 फॉर्मूला-वन रेस जीती हैं। वेटल सबसे ज्यादा फॉर्मूला-वन रेस जीतने के मामले में ब्रिटेन के लुईस हैमिल्टन (103) और जर्मनी के माइकल शूमाकर (91) के बाद तीसरे स्थान पर हैं। वेटल ने वर्ष 2007 में यूएस ग्रांप्री से फॉर्मूला-वन सर्किट में कदम रखा था। उन्होंने वर्ष 2008 में इटैलियन ग्रांप्री में पहली जीत दर्ज की थी, उन्होंने आखिरी रेस वर्ष 2019 में सिंगापुर ग्रांप्री के रूप में जीती।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

सामयिकी

• अमेरिका •

न्यूजीलैंड के साथ संबंधों का विस्तार करने का इच्छुक

प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी सेना के कमांडर ने कहा कि अमेरिका, न्यूजीलैंड के साथ अपने संबंधों को बढ़ाना और मजबूत करना चाहता

है। अमेरिका हिंद-प्रशांत कमान के कमांडर एडमिरल जॉन एक्विलिनो की वेलिंगटन की यात्रा ऐसे समय में हो रही है, जब अमेरिका प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती महात्वाकांक्षाओं को लेकर चिंतित है और क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। एक्विलिनो ने पुकेहू राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पार्क में पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने न्यूजीलैंड के शीर्ष रक्षा बल और सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक से पहले मीडिया से संक्षिप्त बातचीत की। एक्विलिनो ने कहा, "हमारी साझेदारी बहुत गहरी है। हम, दोनों देशों और इस क्षेत्र के सभी देशों के लिए शांति और समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए साथ मिल कर काम कर रहे हैं।"

इराक की संसद में दूसरी बार घुसे प्रदर्शनकारी

इराक में एक प्रभावशाली शिया मौलवी के हजारों समर्थक देश के संसद भवन में घुस गए। एक हफ्ते के अंदर इस तरह की यह दूसरी घटना है। वे ईरान समर्थित समूहों की ओर से सरकार गठन की कोशिशों का विरोध कर रहे हैं। वहीं ईरान समर्थित शिया राजनीतिक दलों के गठबंधन 'कोर्डिनेशन फ्रेमवर्क' ने जवाबी प्रदर्शन करने का आह्वान किया है जिससे इराक में गृह युद्ध छिड़ने की आशंका बढ़ गई है।

इराकी सुरक्षा बलों ने शुरुआत में प्रदर्शनकारियों को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े और इस कार्रवाई में कई लोग घायल हो गए। संसद भवन के अंदर घुसने पर प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि अपनी मांगों पर जवाब मिलने तक वे वहां से नहीं जाएंगे।

वलसाड में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास

देश की नारीशक्ति को 'राष्ट्रशक्ति' के रूप में सामने लाना हम सभी का दायित्व है : प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के वलसाड जिले में श्रीमद् राजचंद्र मिशन, धर्मपुर की विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। सभा को संबोधित करते हुए, प्रधानमंत्री ने कहा कि अस्पताल की परियोजनाएं महिलाओं और समाज के अन्य जरूरतमंद वर्गों के लिए बहुत बड़ी सेवा साबित होंगी। उन्होंने मिशन के साथ अपने लंबे जुड़ाव को याद किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आजादी का अमृत महोत्सव के आज के समय में कर्तव्य की भावना समय की आवश्यकता है। प्रधानमंत्री ने गुजरात में ग्रामीण स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूज्य गुरुदेव के नेतृत्व में श्रीमद् राजचंद्र मिशन द्वारा किए गए सराहनीय कार्यों पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि नए अस्पताल से गरीबों की सेवा के लिए मिशन की प्रतिबद्धता और मजबूत होती है। यह अस्पताल और अनुसंधान केंद्र सभी के लिए सस्ती गुणवत्ता वाली स्वास्थ्य सेवा को सुलभ बनाएगा। उन्होंने कहा, यह 'अमृत काल' में स्वस्थ भारत की परिकल्पना को बल देने वाला है। यह स्वास्थ्य सेवा के क्षेत्र में सबका प्रयास (सभी के प्रयास) की भावना को भी मजबूत करता है।

प्रधानमंत्री ने कहा कि 'आजादी के अमृत महोत्सव में देश अपनी उन संतानों को याद कर रहा है, जिन्होंने भारत को गुलामी से बाहर निकालने के लिए प्रयास किए। श्रीमद् राजचंद्र जी ऐसे ही संत थे जिनका एक विराट योगदान इस देश के इतिहास में है। उन्होंने श्रीमद् राजचंद्र जी के लिए महात्मा गांधी द्वारा की गई सराहना के बारे में भी बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे लोग जिन्होंने अपना जीवन महिला, जनजातीय लोगों और वंचित तबके के सशक्तिकरण के लिए समर्पित कर दिया है, वे देश की चेतना को जीवित रख रहे हैं। महिलाओं के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना के रूप में बड़े कदम का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रीमद् राजचंद्र जी तो शिक्षा और कौशल से बेटियों के सशक्तिकरण के बहुत आग्रही थे। उन्होंने बहुत कम आयु में ही महिला सशक्तिकरण पर गंभीरता से अपनी बातें रखीं। उन्होंने कहा कि देश की नारीशक्ति को आजादी के अमृतकाल में राष्ट्रशक्ति के रूप में सामने लाना हम सभी का दायित्व है।

- **वलसाड के धर्मपुर में श्रीमद् राजचंद्र अस्पताल की परियोजना की लागत लगभग 200 करोड़ रुपये है। यह अत्याधुनिक चिकित्सा बुनियादी ढांचे के साथ 250 बिस्तरों वाला मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल है, जो विशेष रूप से दक्षिणी गुजरात क्षेत्र के लोगों को विश्वस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करेगा।**
- **श्रीमद् राजचंद्र पशु चिकित्सालय 150 बिस्तरों वाले अस्पताल को लगभग 70 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित किया जायेगा। अस्पताल में शीर्ष श्रेणी की सुविधायें एवं पशु चिकित्सकों और सहायक कर्मचारियों की एक समर्पित टीम मौजूद होगी। अस्पताल पशुओं की देखभाल और रख-रखाव के लिए पारंपरिक चिकित्सा के साथ-साथ समग्र चिकित्सा देखभाल प्रदान करेगा।**
- **श्रीमद् राजचंद्र सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वीमेन का निर्माण 40 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से किया जाएगा। इसमें मनोरंजन के लिए सुविधाएं, आत्म-विकास सत्रों के लिए कक्षाएं, विश्राम क्षेत्र आदि की व्यवस्था होगी। यह 700 से अधिक जनजातीय महिलाओं को रोजगार देगा और बाद में हजारों अन्य लोगों को आजीविका प्रदान करेगा।**

प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार आज बहनों-बेटियों के सामने आने वाली हर उस अड़चन को दूर करने में जुटी है, जो उसे आगे बढ़ने से रोकती है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आज भारत स्वास्थ्य की जिस नीति पर चल रहा है उसमें हमारे आसपास के हर जीव के आरोग्य की चिंता है। भारत मनुष्य-मात्र की रक्षा करने वाले टीकों के साथ ही पशुओं के लिए भी राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान चला रहा है।

सर्बिया और कोसोवो में बन गये यूक्रेन जैसे तनावपूर्ण हालात

यूरोप में बेहद तनावपूर्ण हालात हो गए हैं। कोसोवो की पुलिस ने कहा है कि उसने सर्बिया के प्रदर्शनकारियों के सड़क को

- **रूस और यूक्रेन की जंग अभी थमी नहीं कि एक बार फिर से यूरोप में तनावपूर्ण हालात हो गए हैं।**

ब्लॉक किए जाने और गोलीबारी के कारण उससे लगती सीमा को बंद कर दिया है। इस बीच कोसोवो में चल रहे तनावपूर्ण हालात पर नाटो के नेतृत्व वाले मिशन ने ऐलान किया है कि वह हस्तक्षेप के लिए तैयार है। वहीं कोसोवो ने तनाव को देखते हुए नए सीमा नियमों को लागू करने की अपनी योजना को स्थगित कर दिया है।

कोसोवा की पुलिस ने कहा है कि उसने बेरंजाक और जारिंजे सीमा क्रॉसिंग को बंद

कर दिया है। पुलिस ने बताया कि सर्बिया के प्रदर्शनकारियों ने गोली चलाई है और सड़क को ब्लॉक कर दिया है। ये प्रदर्शनकारी इस बात से खफा हैं कि कोसोवो नए सीमा नियम ला रहा है जिससे सर्बिया के पहचान पत्र के साथ आने वाले सभी लोगों को देश में रहने के दौरान एक अल्पकालिक दस्तावेज रखना होगा। इसी तरह के नियम को सर्बिया ने कोसोवो से आने वाले लोगों के लिए बना रखा है।

कोसोवो की सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि जिन सर्बिया मूल के लोगों के पास गाड़ी के लिए सर्बिया की रजिस्ट्रेशन प्लेट है, उसे कोसोवो की नंबर प्लेट को अगले दो महीने के अंदर लगवाना होगा। तनाव भड़कने के बाद यूरोपीय संघ और अमेरिका के राजदूतों ने आपस में विचार विमर्श किया है। उधर, अब कोसोवो ने ऐलान किया है कि वह अपने प्लान को अभी एक महीने के लिए टाल रहा है। इस योजना को अब 1 सितंबर से अमल में लाया जाएगा। दरअसल, कोसोवो के उत्तरी इलाके में सर्बिया मूल के 50 हजार लोग रहते हैं और वे सर्बिया के अधिकारियों और प्रशासन की ओर से जारी किए गए नंबर प्लेट का इस्तेमाल करते हैं।

लीबिया में ईंधन के टैंकर में लगी आग

मध्य लीबिया में ईंधन के एक टैंकर में आग लगने के बाद विस्फोट हो गया, जिसमें कम से कम नौ लोगों की मौत हो गयी और 76 अन्य घायल हो गए। यह जानकारी प्राधिकारियों ने दी। एजेंसी ने बताया कि इलाके के निवासी संभावित रूप से आग लगने और धमाके की चेतावनियों के बावजूद पेट्रोल एकत्रित करने में लग गए, जिससे बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए हैं।

सरकारी लीबिया न्यूज एजेंसी की खबर के मुताबिक, यह घटना मध्य वेंत बव्या शहर में हुई, जब आग लगने से पहले टैंकर पलट गया। नजदीकी शहर के सरकारी चिकित्सा केन्द्र की प्रवक्ता हलीमा अल-महरी ने बताया कि अस्पताल में घायलों को भर्ती कराया गया है। अल-महरी ने बताया कि कम से कम 16 गंभीर रूप से घायलों को राजधानी त्रिपोली और पूर्वी बेंगाजी शहर के अस्पतालों में भर्ती कराया गया है।

तेजी से घूम कर पृथ्वी ने चौबीस घंटे पहले ही पूरा किया अपना चक्कर

पृथ्वी 24 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करती है। लेकिन पृथ्वी ने ये कारनामा 24 घंटे से भी कम समय में कर

- **पृथ्वी अपने ध्रुव पर अपना एक चक्कर 24 घंटे में पूरा करती है।**
- **29 जुलाई को पृथ्वी ने 1.9 मिली सेकेंड पहले अपना चक्कर पूरा कर लिया। वैज्ञानिक मान कर चल रहे हैं कि ऐसा होता रहा तो उन्हें समय में सेकेंड को कम करना होगा।**

दिखाया है। 29 जुलाई को पृथ्वी ने अपनी धुरी पर एक चक्कर 1.9 मिली सेकेंड पहले पूरा कर लिया। तकनीकी आधार पर ये 24 घंटे से कम है। वैज्ञानिकों का कहना है कि घूर्णन की गति हाल ही में बढ़ रही है, लेकिन अभी इसका कारण अज्ञात है। अगर पृथ्वी के घूमने की स्पीड बढ़ती रहती है तो वह 24 घंटे से कम समय में ही चक्कर पूरा कर लिया करेगी। ये कम्यूनिकेशन सिस्टम के लिए अच्छा नहीं होगा। इस आंकड़े को देखने में लग रहा है कि पृथ्वी तेजी से घूम रही है, लेकिन जब लंबी अवधि पर विचार किया जाता है तो पता चलता है कि वास्तव में ये धीमा हो रहा है। ग्रह एक चक्कर को पूरा करने में हर सदी में कुछ मिलीसेकेंड ज्यादा का समय ले रहा है। साल 2020 में पृथ्वी ने 60 वर्षों में अपना सबसे छोटा महीना देखा था। 19 जुलाई, 2020 को दिन 24 घंटे से 1.47 मिलीसेकेंड छोटा था। पिछले साल का सबसे छोटा दिन 2020 की तुलना में आंशिक रूप से लंबा था। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी के घूमने की स्पीड बढ़ने के लिए क्लाइमेट चेंज, समुद्री लहरों का मूवमेंट और पृथ्वी के कोर जिम्मेदार हैं। वहीं, कई अन्य मानते हैं कि पृथ्वी के भौगोलिक ध्रुव इसकी स्पीड के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं।

ताइवान पहुंचीं अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष

चीन की चेतावनी के बाद भी अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी ने अपनी ताइवान यात्रा पूरी कर ली है। इस

- **ताइवान के मुद्दे पर चीन और अमेरिका के बीच जंग जैसे हालात बनते दिख रहे हैं।**
- **चीन ने धमकी दी थी कि अगर नैंसी पेलोसी ने यात्रा की तो उसकी सेना चुप नहीं बैठेगी।**

यात्रा के बाद ताइवान के मुद्दे पर चीन और अमेरिका के बीच जंग जैसे हालात बनते दिख रहे हैं। अमेरिकी संसद की अध्यक्ष नैंसी पेलोसी की ताइवान यात्रा को देखते हुए चीन ने ताइवान की सीमा पर बड़े पैमाने पर घातक युद्धपोत और फाइटर जेट तैनात किए थे। चीन ने धमकी दी थी कि अगर नैंसी पेलोसी ने ताइवान की यात्रा की तो उसकी सेना चुप नहीं बैठेगी और कार्रवाई

करेगी। इससे पहले अमेरिका ने अपने दो एयरक्राफ्ट कैरियर, दर्जनों युद्धपोत और 3 सबमरीन को ताइवान की सीमा के बेहद करीब भेजा था।

बताया जा रहा है कि चीन ने अपने युद्धपोतों और फाइटर जेट को मेडिअन लाइन पर तैनात किया था जो लंबे समय से ताइवान के साथ उसकी अघोषित सीमा है।

(स्रोत : संपादकीय टीम द्वारा संकलित, फोटो : गूगल से साभार)

स्वामी "मध्यप्रदेश माध्यम" की ओर से प्रकाशक, मुद्रक राघवेन्द्र कुमार सिंह, मध्यप्रदेश माध्यम 40, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल, भोपाल-462011 (म.प्र.) से प्रकाशित एवं डी.वी. कार्प द्वारा दैनिक भास्कर, प्लाट नंबर-10, सेक्टर-बी, गोविंदपुरा, भोपाल से मुद्रित। सम्पादक - पुष्पेन्द्र पाल सिंह।